अष्टम माला, खंड 6, अंक 42

सोमवार, 13 मई, 1985
23 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 42, सोमवार, 13 मई, 1985/23 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
बम विस्फोटों से जन-जीवन की हानि :	1—2
प्रश्नकाल स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव :	2—3
स्थगन प्रस्ताव :	3—8
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	8—228
तारांकित प्रश्न : 811-820, 820-ए तथा 821 से 832	
अतारांकित प्रश्न : 6133 से 6156, 6158 से 6290, 6292 से 6309 तथा 6311 से 6365	
दिनांक 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 968 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	228—229
सभा-पटल पर रखे गए पत्र ...	229—231
राज्य सभा से सन्देश	231
समिति के लिए निर्वाचन	232
दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम-विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेंसियों की असफलता के बारे में चर्चा :	232—309
श्री सुरेश कुरूप	232

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय				पृष्ठ

श्री भागवत झा आजाद	...	...	...	234
श्री जैनुल बशर	...	...	...	239
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	...	242
श्री सी० माधव रेड्डी	...	...	...	246
प्रो० के० के० तिवारी	...	...	...	248
श्री चिरंजी लाल शर्मा	...	...	...	254
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	...	...	...	257
प्रो० मधु दण्डवते	...	...	...	260
श्री ब्रह्म दत्त	...	...	...	266
श्री ललित माकन	...	...	...	269
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	...	274
श्री पी० कुलनदईवेलु	...	...	...	276
श्री जी० जी० स्वैल	...	...	...	277
श्री पी० नामग्याल	...	...	...	279
श्री नारायण चौबे	...	...	...	285
श्री राजीव गांधी	...	...	...	287
श्रीमती डी० के० भण्डारी	...	...	...	293
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	...	...	294
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	...	...	295
श्री पीयूष तिरकी	...	...	...	301
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	...		...	301
श्री एस० एम० भट्टम	...	...	...	303
श्री बालकवि बैरागी	...	...	...	304
श्री एस० बी० चह्वाण	...	...	...	305
विधेयक — पुर : स्थापित	...	...	...	310
(एक) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1985			...	310
(दो) सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक, 1985		...	...	310
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	...	...	...	311
(एक) मूंगफली के उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए मूंगफली				

विषय पृष्ठ

की रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास की आवश्यकता

श्री एम० सुब्बा रेड्डी 311

(दो) कटिहार-जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री डूमर लाल बैठा 311

(तीन) बेल्लारी जिले में हासपेट से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खरीदे जाने वाले लौह अयस्क का खरीद मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्रीमती बसव राजेश्वरी 311

(चार) भोपाल के निकट हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान 312

(पांच) दार्जिलिंग जिले में गोदबथान स्थित खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा छंटनी किए गए कामगारों को बहाल करने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक 313

(छः) एक रुपये के नोटों तथा छोटे सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह 313

चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश,

1985 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

चाय कंपनी (रुग्ण चाय और यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक ... 314—343

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त)

श्री अब्दुल रशीद काबुली 314

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 321

श्री एस० एम० भट्टम 322

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 325

श्री गिरधारीलाल डोगरा 329

श्री आनंद पाठक 330

श्री हरीश रावत 333

श्री सोमनाथ रथ 334

विषय				पृष्ठ

श्री मूलचन्द डागा 335

श्री थम्पन थामस 336

श्री हरू भाई मेहता 339

श्री पीयूष तिरकी 341

प्रो० पी० जे० कुरियन (भाषण असमाप्त) 343

आधे घंटे की चर्चा ... ... 344—359

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए धन

श्री मूलचन्द डागा 344

श्री बूटा सिंह 347

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 351

श्री चिन्तामणि जैना 352

श्री हरीश रावत 353

लोक सभा

सोमवार, 13 मई, 1985/23 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बम विस्फोटों से जन-जीवन की हानि

11.00 म० प०

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैंने नियम 388 के अधीन आज प्रश्नकाल स्थगित करके सीधे स्थगन प्रस्ताव को लेने का निवेदन किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : बम विस्फोटों से पैदा हुई स्थिति पर जिसमें बहुत से व्यक्तियों की जानें गई तथा पूरे उत्तर भारत में आतंक पैदा हो गया है, हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, अतः मेरा निवेदन है कि आज प्रश्न काल स्थगित कर दिया जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम सभा को विभाजित नहीं करना चाहते अतः हमें इस बारे में सहमत हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी की चेष्टा कर रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेशक सामान्यतः प्रश्नकाल सर्व सम्मति के बिना निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिस्थिति पर ध्यान देते हुए हम सीधे चर्चा कर सकते हैं, मुझे प्रश्नकाल के निलम्बन पर कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने नियम 193 में नोटिस दिया था। नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा क्यों नही की जा सकती ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, इसे राजनीतिक रूप न दें।

प्रो० मधु दण्डवते : इस बात पर मैं तर्क देना चाहूंगा, वास्तव में यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर चर्चा नियम 193 अथवा 194 के अधीन की जाए।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : यदि हम सभी सहमत हों, तो इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा क्यों नहीं कर ली जाती।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई तर्क नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप नियम 388 के निलम्बन हेतु प्रस्ताव रखें ताकि सभा उसे अनुमति प्रदान करे। इससे पहले कि हम आगे कार्यवाही करें। मैं चाहता हूं कि सभा, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किये जाने अथवा उनके परिवार एवं बच्चों के मारे जाने पर, चिन्ता व्यक्त करने में मेरा साथ दे। सभा दिल्ली तथा बहुत से अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों, महिलाओं एवं बच्चों की हत्या किये जाने तथा अनेक लोगों के आहत होने की कठोर निंदा करती है तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति समवेदना व्यक्त करती है।

मृत व्यक्तियों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े होंगे। इसके बाद सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नकाल स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव

11.03 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते कृपया नियम 388 के अन्तर्गत प्रश्नकाल के निलम्बन हेतु प्रस्ताव पेश करें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 32 (प्रश्नकाल) को निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 32 (प्रश्न काल) को निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ। अतः प्रश्नकाल निलम्बित किया जाता है ताकि स्थगन प्रस्ताव लिया जा सके।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : नियम 193 के अधीन चर्चा क्यों नहीं करायी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय ले लिया है। इसमें सरकार की विफलता का प्रश्न नहीं है। यदि आप पुस्तक को पढ़े तो इसमें निन्दा का अथवा सरकार की विफलता का कोई प्रश्न नहीं है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। यह समझाना तो सरल बात है।

स्थगन प्रस्ताव

11.05 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 10 व 11 मई, 1985 को हुए बम विस्फोट में बहुत से व्यक्तियों के मारे जाने पर स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बारे में स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं।

1. श्री सी० माधव रेड्डी
2. श्री इन्द्रजीत गुप्त
3. श्री नारायण चौबे
4. श्री विजय कुमार यादव
5. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री अमल दत्त
8. श्री सैफुद्दीन चौधरी
9. श्री सुरेश कुरूप
10. श्री वी० सोभनाद्रीश्वरा राव
11. श्री प्रो० मधु दण्डवते
12. श्री मोहम्मद महफूज अली खां
13. श्री एम० रघुमा रेड्डी।
14. श्री बसुदेव आचार्य।

बैलट में श्री सी० माधव रेड्डी को प्रथम स्थान मिला है। प्रस्ताव इस प्रकार है :

"आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में सरकार और गुप्तचर अभिकरण की असफलता, जिसके परिणामस्वरूप 10 और 11 मई, 1985 को दिल्ली में और देश के विभिन्न अन्य स्थानों में हुए बम-विस्फोटों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैल गई और सामान्य जन-जीवन ठप्प हो गया।"

मैं प्रस्ताव पेश किए जाने के लिए अपनी अनुमति देता हूं। श्री माधव रेड्डी सभा से अनुमति लें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर सभा से अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उनकी संख्या काफी नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, आप मुझे कार्य क्यों नहीं करने देते ? मैं अपने ढंग से कार्य कर रहा हूं। सभा में विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है। सभा का सर्वसम्मत मत है कि इस पर चर्चा की जाये। मुझे स्थिति की जानकारी है। **(व्यवधान)**

कृपया बैठ जाइये। आपने स्थगन प्रस्ताव की मांग की है जिसके लिए 50 सदस्यों ने समर्थन नहीं दिया है। मुझे इसे नियम 193 में लेना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपके माध्यम से मैं सत्ताधारी दल से अपील करता हूं कि चूंकि स्थगन प्रस्ताव का अर्थ केवल अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय है, इसलिए इसकी स्वीकार्यता पर सभा में मत विभाजन न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइए। आप अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डालते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं एक पूर्व-उदाहरण बताऊंगा। 1977 में जब सभा के दूसरे सत्र में ही डा० कर्ण सिंह काश्मीर के मामले में स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते थे तब सभा के नेता श्री मोरारजी देसाई ने कहा, "हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।" तथा दोनों पक्ष सहमत हो गए। अतः मैं सभा के नेता से अपील करता हूं कि इसकी स्वीकार्यता को बहुमत से अस्वीकार न करें।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : परन्तु हम नियमों को तिलांजली नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इससे क्या सिद्ध कर

रहे हैं। मुझे पता है कि इस पर चर्चा करने के लिए एक मत है। प्रश्न यह है कि किस रूप में चर्चा की जाए। मैं आपको चर्चा की अनुमति देता हूं। मैंने प्रश्न काल स्थगित कर दिया है। क्या ऐसा नहीं है। जैसाकि सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस पर चर्चा की जाए? इस पर चर्चा हो रही है। सारी सभा की राय है कि इस पर चर्चा की जाए। इस पर किसी अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा हो रही है। बस इतनी ही बात है। इस पर कोई मतभेद नहीं है। मैं और कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल सभा के नेता से अपील करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के लिए सभा में मत विभाजन न कराएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि समर्थन करने वाले सदस्य 50 से कम हैं अनुमति नहीं दी जाती। अब हम नियम, 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तथा बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछता हूं। क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे और फिर उस पर चर्चा की जाए।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस श्री तिवारी द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप एक वक्तव्य दें। इसमें क्या हानि है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके बिना ही चर्चा चलने दें। किसी भी तरह किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मंत्री महोदय सभा में वक्तव्य देंगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे चर्चा करेंगे। हमें पता लगाना है कि नियम 193 के अन्तर्गत पहले किनका नोटिस था।

प्रो० के० के० तिवारी : नियम 193 के अधीन मैंने नोटिस दिया था। मेरा निवेदन है कि सीधे चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा को आपत्ति न हो तो श्री माधव रेड्डी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, श्री माधव रेड्डी।

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। यदि सदन को आपत्ति नहीं है···

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। (व्यवधान) यह नियमों का मामला है। माननीय सदस्य ने नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शोर न मचाएं। मैं पूर्णतः सही कार्यवाही कर रहा हूं। मैं कोई भी कार्य नियम विरुद्ध नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भी कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर रहा। मैं पूरी सभा की इच्छानुसार कार्य कर रहा हूं। अतः कृपया बैठ जाइये। अब मैं आपकी अनुमति मांगता हूं।

श्री कमल नाथ : परन्तु उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी, प्रश्न केवल यह है कि बैलट द्वारा इसका निर्णय होता है। नियम 193 के अन्तर्गत जिसे भी वरीयता मिलेगी वह शुरू करेंगे। अन्यथा आप सभी को अवसर दिया जायेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं पता लगाकर नियमानुसार कार्य करूंगा। हम पता लगाते हैं कि किसे प्रथम अवसर मिलता है। जब तक हम बैलट करते हैं। हम सभा पटल पर रखे गये पत्रों को लेते हैं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : इतना समय लेने के बाद अच्छा तो यह रहेगा कि एक लाइन का प्रस्ताव कि "स्थिति पर विचार किया जाये" रखा जाये। यह कोई निन्दा का प्रस्ताव नहीं है। यह साधारण प्रस्ताव है। (व्यवधान) इस प्रकार हम इस पर चर्चा कर लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं नोटिस पहले ही प्राप्त हो गए हैं। हम केवल बैलट कर रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं नियम 193 की बात नहीं कर रहा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आप यह कहें कि स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो उसे वरीयता मिलेगी।

श्री कमल नाथ : नियम 184 के अधीन··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह गम्भीर मामला है। 193 के अधीन नोटिस दिये गये हैं। (व्यवधान) हम सभी मानते हैं कि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : तब तक हम सभा पटल पर रखे पत्रों को लेते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : केवल संगत नियम के अन्तर्गत।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : क्या मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिला सकता हूं कि सभा के समक्ष विचाराधीन प्रस्ताव केवल स्थगन प्रस्ताव है।

प्रो० के० के० तिवारी : नहीं (व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : अध्यक्ष महोदय उसी पर विचार कर रहे थे। परन्तु वह प्रस्ताव विफल रहा। परन्तु हम सभी चाहते हैं कि इस गम्भीर मामले की चर्चा की जाये। नियम 193 के अधीन

प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है क्योंकि आपने उसे स्वीकार नहीं किया है। अतः मैं श्री दिनेश सिंह के कथन का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप देखेंगे कि मैंने उसे स्वीकार किया है।

श्री जी० जी० स्वैल : अब यही उचित रहेगा कि गृह मंत्री स्वयं प्रस्ताव रखें कि मामले की गम्भीरता पर ध्यान देते हुए इस पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उसे स्वीकार किया है। श्री बूटा सिंह आपको क्या कहना है ?

श्री कमल नाथ : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जा सकेगी। 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया जा सकेगा। वे इस बात को क्यों नहीं समझते ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गन्टूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। एक प्रस्ताव की सूचना पहले दी जा चुकी है। क्या आप उसे रद्द कर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस बात को रद्द करना चाहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह आपके समक्ष है। इस पर आपने विचार करना है। यहां जो प्रक्रिया चल रही है, उसे मैं समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ सका आप मुझसे क्या चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : चार प्रस्ताव रखे गए हैं आप अपने रिकार्ड से देख सकते हैं कि नियम 193 के अन्तर्गत कौन से प्रस्ताव हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह हम पहले ही कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस सदस्यों ने नोटिस दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस सभा की कार्यवाही के नियमों के अनुसार फिलहाल यही निर्णय है कि जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, वे उस समय समुचित संख्या में सदस्यों को खड़ा करने में असफल रहे हैं जब आपने प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखा था और उसी नियम 62 के अधीन सभा से अनुमति नहीं प्राप्त की जा सकी जिसका अर्थ है कि मामला समाप्त हो गया है। अब आपने जिस एक अन्य सूचना को स्वीकृत किया है वह नियम 193 के अधीन ह।

श्री जी० जी० स्वैल : उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, वे इस पर विचार करेंगे।

श्री बूटा सिंह : आपके समक्ष जो सूचना है वह नियम 193 के अधीन विचाराधीन है और उसमें अध्यक्ष पीठ के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। इसमें केवल नियम 193 के अधीन दिए गए प्रस्ताव के हस्ताक्षरी ही भाग नहीं लेंगे; आप स्वयं अपने विवेक से इस सभा के किसी भी सदस्य को

उस पर बोलने की अनुमति दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अनुमति देंगे।

श्री बूटा सिंह : नियम 193 के अधीन श्री तिवारी चर्चा आरम्भ करें और आप अनुमति दे सकते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे और आपके बीच एकमात्र भिन्नता यही है कि मैं कहता हूं कि (बैलट) में जिसका नाम प्रथम आता है, वही इसे आरम्भ करेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : केवल वही सदस्य इसे पेश कर सकता है जिसने यह प्रस्ताव दिया है, कोई और नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान डागा जी बैठिए, उत्तेजित मत होइये, सब कुछ ठीक चल रहा है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

* 811. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य तेल, दालों, चावल, चीनी और मोटे अनाजों जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता नही बढ़ी हैं;

(ख) क्या उक्त खाद्य पदार्थों में से अधिकांश के आयात मूल्य भारत में उनके खुदरा मूल्यों से कम हैं, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं। छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान खाद्य तेलों, दालों, चावल, चीनी और मोटे अनाजों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। छठी योजना के अंतिम वर्ष के पूरे आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकार की नीति का मुख्य जोर देशी उपलब्धता को सुधारने के लिए विभिन्न फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। जब कभी जरूरी होता है, देशी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आयात किया जाता है।

विवरण

(रु० प्रति किलोग्राम)

सामग्री	वर्ष	आयात मूल्य		खुदरा मूल्य	
चावल	1983-84	थाईलैण्ड (सी० आई० एफ०)	2.68	बम्बई 3.50	(मार्च,1985)
		बर्मा (सी० आई० एफ०)	2.29	मद्रास 3.30	"
				कानपुर 3.00	"
				कलकत्ता 3.80	"
				दिल्ली 3.50	"
गेहूं		यू० एस० ए० (सी० आई० एफ०)	2.02	बम्बई 2.50	"
		कनाडा (सी० आई० एफ०)	2.07	मद्रास 2.50	"
		अर्जेनटाइना (सी० आई० एफ०)	2 01	कलकत्ता (एफ० सी० 1.96)	"
				दिल्ली 2.25	"
अरहर		बम्बई (सी० एंड एफ०) 2.84-2.95		बम्बई 7.00	"
		कलकत्ता (सी० एण्ड एफ०) 2.90-4.08		कलकत्ता 7.00	"
		दिल्ली (सी० एण्ड एफ०) 2.95-3.71		दिल्ली 5.50	"
उर्द		बम्बई (सी० आई० एफ०) 4.50-4.88		बम्बई 8.00	"
		कलकत्ता (सी० एण्ड एफ०) 4.37-4.84		कलकत्ता 7.00	"
		मद्रास (सी० एण्ड एफ०) 5.41		मद्रास 7.20	"
मूंग		बम्बई (सी० एण्ड एफ०) 4.50-5.05		बम्बई 8.00	"
		कलकत्ता (सी० एण्ड एफ०) 4.26-4.49		कलकत्ता 9.00	"
		मद्रास (सी० एण्ड एफ०) 4.54-		मद्रास 7.80	"
		दिल्ली (एफ० ओ० बी०) 3.40-374		दिल्ली 8.00	"

			खुले बाजार में चीनी की कीमत		लेवी चीनी की कीमत
चीनी	1984-85	(सी० आई० एफ०) 2.29	बम्बई 5.80	(मार्च 1985)	4.00
			मद्रास 5.60	"	(सम्पूर्ण भारत
			कानपुर 5.40	"	में)
			कलकत्ता 5.80	"	
			दिल्ली 5.60	"	
रेपसीड तेल	1984-85	(सी० आई० एफ०) 8.20	बम्बई 16.00	"	
			मद्रास 19.00	"	
			कानपुर 13.00	"	
			कलकत्ता 14.00	"	
			दिल्ली 13.00	"	

(एफ० पी० = उचित मूल्य)

नोट : आयात मूल्यों की पूरी तौर से तुलना खुदरी कीमतों से नहीं की जा सकती है। इन कीमतों में परिवहन के विभिन्न तत्वों और वितरण लागत तथा खुदरी बिक्री स्तर तक के खर्चे शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

* 812. श्री हरीश रावत : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित वितरण के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितना गेहूं सप्लाई किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को वर्ष 1984-85 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मात्रा से कम गेहूं सप्लाई किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान ऐसी स्थिति न आने देने के लिए प्रस्तावित आवश्यक प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को वितरित करने के लिए 1985-86 के दौरान

उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 42700 मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया है। इसमेंसे 1985-86 की पहली दो तिमाहियों के लिए 21350 मीटरी टन गेहूं मुक्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण प्रति व्यक्ति 1 किलो प्रतिदिन के हिसाब से होना, चाहिए। तदनुसार, 1984-85 हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 495.36 लाख श्रम दिनों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के लिए 49536 मीटरी टन गेहूं की जरूरत पड़ी और गेहूं की यह मात्रा 1984-85 के दौरान राज्य को वंटित कर दी गई थी। राज्य सरकार से मार्च, 1985 को समाप्त हुई अवधि की अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि राज्य सरकार ने 36173 मीटरी टन गेहूं उठाया था और 24761.98 मीटरी टन गेहूं वितरित किया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्नों के रूप में 50000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा मुक्त की थी ताकि राज्य सरकार उसे मजदूरों को प्रोत्साहन के रूप में वितरित कर सके। इस मात्रा में से कितना खाद्यान्न उठाया गया, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित खाद्यान्नों की मात्रा सप्लाई करने में कोई समस्या नहीं देखी गई है।

ताड़ की गिरी की पेराई और शोधन की सुविधा

[अनुवाद]

*813. डा० के० जी० आदियोडी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताड़ की गिरी की पेराई और शोधन के लिए इस समय राज्य-वार क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना तेल शोधित किया गया;

(ग) क्या ताड़ की गिरी की पेराई और शोधन की प्रक्रिया के दौरान कोई उप-उत्पाद बनते हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत में इस समय लाल – ताड़ बागान संबंधी दो परियोजनाएं, एक केरल में, भारत सरकार के उपक्रम ऑयल पाम इण्डिया द्वारा तथा दूसरी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन और बागान विकास निगम, पोर्ट ब्लेयर द्वारा प्रारम्भ की गई हैं। तथापि, उनके द्वारा अब तक केवल थोड़ी मात्रा में ताड़ के कच्चे तेल का ही उत्पादन किया गया है, क्योंकि ये बागान अभी शैशव अवस्था में ही हैं। ताड़ के कच्चे तेल को औद्योगिक कार्यों के लिए बेच दिया जाता है, क्योंकि परिष्करण के लिए कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अभी ताड़ की गिरी को पेरने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ताड़ के फलों से अनेक उप-उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं, हालांकि भारत में इनका प्रभाजन नहीं किया जा रहा है, जैसा कि प्रश्न के (क) और (ख) भाग में ऊपर स्पष्ट किया गया है।

ये उप-उत्पाद इस प्रकार हैं :

(1) पामोलीन	—	भोजन पकाने और सलाद-तेल के रूप में प्रयुक्त होता है।
(2) ताड़ का तेल	—	यह वनस्पति सदृश अर्द्ध ठोस उत्पाद है, जो खाना पकाने, बेकरी शार्टनिंग, मार्गरीन आदि के लिए प्रयुक्त होता है।
(3) पाम स्टियेरिन	—	औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त एक घनीकृत वसा।
(4) ताड़ की गिरी का तेल	—	खाने और औद्योगिक दोनों ही कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
(5) ताड़ का वसा युक्त तेजाब	—	औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है।

उड़ीसा में मत्स्य पत्तन का निर्माण

* 814. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा मे अष्टरंग में और कुछ अन्य स्थानों पर मत्स्य पत्तनों का निर्माण करने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो अष्टरंग और अन्य स्थानों पर मत्स्य पत्तनों के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सातवीं योजना के अंत तक कितने मत्स्य पत्तनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) उड़ीसा में मत्स्य पत्तनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदू लाल चंद्राकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में लघु मत्स्यन पत्तनों और माल उतारने के केन्द्रों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में धामरा और अष्टरंग में लघु मत्स्यन पत्तनों और चण्डीपुर, साबेलिया, चुडामणि और बेधारा में माल उतारने के केन्द्रों के निर्माण की मंजूरी दी है।

धामरा में लघु मत्स्यन पत्तन और चण्डीपुर में माल उतारने के केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सावेलिया और चुडामणि स्थित मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा होने को है। पेथारा में निर्माण कार्य चल रहा है। अष्टरंग में पहुंच सड़क संबंधी कार्य चल रहा है और राज्य सरकार द्वारा समुद्री कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

एक लघु मत्स्यन पत्तन और मछली उतारने वाले तीन केन्द्रों में चालू निर्माण कार्य के सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

मत्स्यन पत्तनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत मात्स्यकी संबंधी केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी संस्थान प्रगति का प्रबोधन करता है और निर्माण-कार्य की अवधि के दौरान तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध कराता है ताकि केन्द्रीय सरकार की ओर से मत्स्यन पत्तनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

मछली पकड़ने के घाटों के निर्माण हेतु उड़ीसा सरकार का अनुरोध

*815. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से छठी योजना के दौरान मछली पकड़ने के कुछ घाटों के निर्माण हेतु धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने उक्त प्रयोजन हेतु उपरोक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान मछली पकड़ने के घाटों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) जी हां।

(ख) 6.71 लाख रुपए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने छठी योजना के दौरान मुख्यत: परम्परागत मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य अवतरण के छोटे केन्द्र निम्न स्थानों पर मंजूर किए हैं :--

		अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1.	सावेलिया	2.42
2.	चुडामणि	14.07
3.	पाथेरा	2.50

साबेलिया और चुडामणि में मछली पकड़ने के घाटों का निर्माण कार्य पूरा होने को है। पाबेरा में मछली पकड़ने के घाट के निर्माण का प्राथमिक कार्य चल रहा है।

बाजरे की प्रति हेक्टेयर पैदावार

*816. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजरे की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1970-71 में 632 कि० ग्रा० 1975-76 में 544 कि० ग्रा० और 1983-84 में 472 कि० ग्रा० थी, यदि हां, तो बाजरे की पैदावार में इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) देश में बाजरे की सर्वाधिक उपज कितनी है;

(ग) वर्ष 1984-85 में बाजरे की प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी थी; और

(घ) क्या सरकार अपने अनुसंधान और विकास विभागों का पुनर्गठन करेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) (क) बाजरे की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1970-71 में 623 किलोग्राम, 1975-76 में 496 किलोग्राम 1983-84 में 646 किलोग्राम थी। इस प्रकार 1983-84 में उत्पादकता पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक रही है।

(ख) देश में अब तक सर्वाधिक उपज 1983-84 में 646 किलोग्राम हुई है।

(ग) 1984-85 के लिए बाजरे के क्षेत्र तथा उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: 1984-85 में बाजरे की उत्पादकता बताना संभव नहीं है।

(घ) सरकार के अनुसंधान तथा विकास स्कंध को बाजरा सहित सभी कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रेरित किया जाता है।

काली मिर्च की उत्पादन लागत को कम करने की तकनीक

*817. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च कि परिरक्षण और परिष्करण तकनीक विकसित करने, उसके नये उपयोग का पता लगाने, काली मिर्च की खेती पर लागत कम करने की तकनीक निकालने तथा काली मिर्च के उत्पादन और व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक अनुसंधान परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मसालों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है। काली मिर्च एक मुख्य फसल होगी। इसके परि-

रक्षण से संबंधित कार्य और प्रौद्योगिकीय पहलुओं का संबंध वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से है। वाणिज्य मंत्रालय ने, जिसका संबंध काली मिर्च के व्यापार से है, एक स्पाइसेज बोर्ड के गठन का फैसला किया है, जिसमें वर्तमान इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद को मिला दिया जाएगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की देख-रेख करेगी।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये मसाले के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर अभी योजना आयोग को विचार करना है और उसे अपनी स्वीकृति की सूचना परिषद को भेजनी है। इसके बाद ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अलसी की प्रति हेक्टेयर पैदावार

* 818. श्री श्रीहरि राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलसी की प्रति हेक्टेयर पैदावार वर्ष 1949-50 में 275 किलोग्राम थी जो वर्ष 1979-80 में घटकर 167 किलोग्राम रह गयी और यदि हां, तो इस तरह की गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) अब तक कितनी नई और अधिक पैदावार देने वाली अलसी की किस्में रिलीज की गई हैं और उनसे संभवतः कितनी पैदावार होने का दावा किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार की कृषि अनुसंधान और विकास को अधिक सुदृढ़ बनाने की कोई योजना है ?

ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) :(क) वर्ष 1949-50 के दौरान अलसी की अखिल भारतीय प्रति हेक्टेयर उपज 275 कि० ग्राम थी, जो 1979-80, जो कि सूखा वर्ष था, के दौरान घट कर 167 कि० ग्राम रह गयी 1983-84 के दौरान अलसी का अखिल भारतीय प्रति हेक्टेयर उत्पादन 300 किलो-ग्राम के स्तर तक पहुंचा।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों और कृषि जलवायु की परिस्थितियों के लिए 500 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच उपज क्षमता की 21 उन्नत किस्मों की सिफारिश की है।

(ग) जी हां। अधिक उपज देने वाली, अल्पावधि, रतुआ तथा मुरझान रोधी किस्मों का विकास करने के लिए अलसी पर अनुसंधान कार्य को तेज किया जा रहा है। राज्य कृषि विभागों के माध्यम से पैकेज की उन्नत पद्धतियां लोकप्रिय बनाई गई हैं। 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के तहत अलसी की फसल पर विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों को दिया गया बैंक ऋण

[हिंदी]

* 819. श्री शांति धारीवाल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कितने युवकों को अपने धंधे स्थापित करने के लिए बैंक ऋण दिये गये हैं; और

(ख) इस कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश के लिए और राजस्थान के लिए वर्ष 1985-86 हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे युवकों को 500 रुपये तक का औजार किट दिया जा सकता है। प्रशिक्षित युवकों द्वारा स्वरोजगार हेतु शुरू की गई आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम योजनाओं के लिए प्रशिक्षित युवक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मान दंडों के अनुसार आर्थिक सहायता एवं बैंक ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसलिए, स्व-नियोजित युवक वे हैं जिन्हें 500 रुपये तक की कीमत का औजार किट दिया गया है और/अथवा जिन्हें आर्थिक सहायता एवं ऋण दिये गये हैं।

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे युवकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वनियोजित युवकों की संख्या
1982-83	18,818
1983-84	12,477
1984-85 (फरवरी, 1985 तक)	7,779
योग :	39,074

चूंकि सातवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए पूरे देश के लिए सातवीं योजना के लक्ष्यों को अभी नहीं बतलाया जा सकता है। "ट्राइसेम" के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए 20,000 युवकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उर्वरकों की क़ीमत

[अनुवाद]

*820. प्रो० विमलकांति घोष : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसांनों को उर्वरकों का जो खुदरा मूल्य देना पड़ता है वह दूसरे देशों के किसानों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य की तुलना में अधिकतम है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) उर्वरकों का मूल्य इतना अधिक रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्य ऐसे स्तर तक कम करने का है जो किसान दे सके ?

ग्रामीण विकास विभाग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) भारतीय किसानों को उर्वरकों का जो खुदरा मूल्य देना पड़ता है वे विश्व में अधिकतम नहीं हैं। वे उचित स्तरों पर हैं, जो बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को उपयुक्त आमदनी मुहैया करते हैं। भारत सरकार ने उर्वरकों के प्रयोग के लिए 1984-85 में 1900 करोड़ रुपएसे अधिक की महत्वपूर्ण की राज सहायता प्रदान की ताकि उर्वरक के मूल्यों को इस प्रकार के उचित स्तरों पर रोका जा सके।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, 29-6-83 से मूल्यों में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी की गयी थी।

(ग) उर्वरकों के मूल्य इतने अधिक नहीं माने गए हैं।

(घ) इस समय उर्वरकों के मूल्यों में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इनके लिए पहले ही भरपूर राज-सहायता दी गई है।

महानगरों में परिवहन की समस्याएं

*820. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और सड़कों पर यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महानगरों में परिवहन की बढ़ती हुई समस्याओं को हल करने की आवश्यकता के संबंध में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग, अगस्त 1984 में परिवहन समस्याओं विशेषतः सतत बढ़ती हुई

जनसंख्या तथा गाड़ी यातायात एवं नगरीय परिवहन पद्धति पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक समन्वित दृष्टिकोण रखने के लिए इन नगरों में समग्र रूप से परिवहन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने एक बहु रूपात्मक सार्वजनिक परिवहन पद्धति की सिफारिश की थी। एन० टी० पी० सी० की सिफारिशों के आधार पर नगरीय परिवहन के नोडल मंत्रालय निर्माण और आवास मंत्रालय में एक कार्यकारी दल गठित किया था जिसने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

भारत में टी० वी० स्टूडियो

*821. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने टी० वी० स्टूडियो हैं, उनकी स्थापना किन-किन तारीखों को की गई थी और उनमें किस स्तर के उपकरण पुराने हैं;

(ख) क्या अधिकांश स्टूडियो के उपकरण पुराने हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्टूडियो में आधुनिक उपकरण लगाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन स्टूडियो के बारे में अपेक्षित ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है। दूरदर्शन स्टूडियो में प्रयुक्त उपकरण व्यावसायिक स्तरों का है।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, दूरदर्शन स्टूडियो के उपकरणों को चरणबद्ध ढंग से बदला जा रहा है। कुछ उपकरण पहले ही बदले जा चुके हैं तथा 3 और स्टूडियों के उपकरण बदलने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। शेष बदले जाने वाले उपकरणों को बदलने के लिए प्रस्तावों का कार्यान्वियन सातवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। सातवीं योजना अभी अनुमोदित होनी है।

विवरण

मौजूदा दूरदर्शन स्टूडियो का ब्यौरा

क्र० सं०	दूरदर्शन स्टूडियो का स्थान	चालू होने की तारीख	उपकरणों का स्तर
1	2	3	4
1.	दिल्ली	सितम्बर, 1959	सादे उपकरण और रंगीन ओ० बी० वैन
2.	बम्बई	अक्तूबर, 1972	तदैव
3.	श्रीनगर	जनवरी, 1973	सादे उपकरण
4.	कलकत्ता	अगस्त, 1975	सादे उपकरण और रंगीन ओ० बी० वैन

1	2	3	4
5.	मद्रास	अगस्त, 1975	सादे उपकरण
6.	लखनऊ	नवम्बर, 1975	सादे उपकरण
7.	जलंधर	अप्रैल, 1979	सादे उपकरण और रंगीन ओ० बी० वैन
8.	हैदराबाद (उपग्रह केन्द्र)	दिसम्बर, 1974	सादे उपकरण
9.	गोहाटी	मार्च, 1985	तथैव
10.	त्रिवेन्द्रम	जनवरी, 1985	तथैव
11.	बंगलौर	नवम्बर, 1983	तथैव
12.	दिल्ली (उपग्रह केन्द्र)	जून, 1974	तथैव
13.	कटक (उपग्रह केन्द्र)	मई, 1974	तथैव

इनके अतिरिक्त दूरदर्शन अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर के एक टी० वी० स्टूडियो का भी उपयोग करता है। क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों के निर्माण हेतु सीमित सुविधाएं (ई० एन० जी० उपकरण), नागपुर (अगस्त, 1982), रांची (जुलाई, 1984), गोरखपुर (जुलाई, 1984) तथा राजकोट (जुलाई, 1984) में स्थित इन्सेट टी० वी० केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई हैं।

गंगटोक स्थित आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र

* 822. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि सिक्किम में गंगटोक आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं सुना जा सकता; और

(ख) सरकार का विचार वहां एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए क्या कदम उठाने का है ताकि पूरे राज्य में इस केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुने जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित छठी योजना में गंगटोक में नियमित मास्ट पर 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ स्थायी केन्द्र की स्थापना की व्यवस्था है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है।

मकानों के निर्माण के लिए योजना को अन्तिम रूप देना

* 823. श्री मुरलीधर माने : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी अन्य देश के साथ मिलकर हाल ही में मकानों के निर्माण की एक योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा हो ने की आशा है;

(ग) क्या इस योजना से देश के ग्रामीण लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) कीडिटांसटल्ट फर वाइडरांफ्वां (के० एफ० डब्ल्यू०) जो कि जर्मन संघीय गणराज्य का एक तकनीकी वित्तीय अभिकरण है, के साथ हुए समझौते में शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्थल तथा सेवाएं/कोर/स्टेलहेल आवास इत्यादि की योजनाओं की व्यवस्था है।

20 डी० एम० मिलियन (8.00 करोड़ रुपये के बराबर) के ऋण की पेशकश का लाभ 31 दिसम्बर, 1987 तक उठाया जा सकता है।

(ग) और (घ) वर्तमान समझौते की शर्तों के अनुसार यह ऋण केवल शहरी क्षेत्रों के लिए ही है।

रागी की प्रति हैक्टेयर पैदावार

* 824. **श्री के० रामचंद्र रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में रागी की प्रति हैक्टेयर पैदावार 1183 किलोग्राम थी जो वर्ष 1982-83 में घटकर 1105 किलोग्राम रह गई और यदि हां, तो पैदावार में इतनी अधिक गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पैदावार कितनी थी; और

(ग) क्या सरकार अपने कृषि अनुसंधान और विकास विभाग को सुदृढ़ बनायेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) और (ख) रागी का उत्पादन 1978-79 में प्रति हैक्टेयर 1183 किलोग्राम, 1982-83 में 922 किलोग्राम और 1983-84 में 1150 किलोग्राम था। देश में मुख्य उत्पादक राज्यों में विकट सूखे की स्थिति के कारण 1982-83 के दौरान उत्पादकता में ह्रास हुआ। सभी राज्यों से वर्ष 1984-85 के क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुदान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी, मुख्य उत्पादक राज्यों कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कम उपज होने की सम्भावना है।

(ग) सरकार का अनुसंधान और विकास विंग को रागी सहित सभी कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय किया जाता है।

खाई जाने योग्य भूमियों का उत्पादन

* 825. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष खाई जाने योग्य खुम्भियों का अनुमानतः उत्पादन कितना था; और

(ख) खुम्भियों की बड़े पैमाने पर खेती करने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) देश में खाने योग्य खुम्भियों के उत्पादन सम्बन्धित सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मोटे तौर पर इसका प्रति वर्ष लगभग 1000 मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में खुम्भी की खेती के विकास से सम्बन्धित परियोजना नवम्बर, 1977 से अक्तूबर, 1982 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कार्यान्वित की गई थी।

भारत में नीदरलैंड की सहायता से खुम्भी सम्बन्धी एक नई परियोजना जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालय

* 826. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय अथवा परियोजना कार्यालय हैं;

(ख) क्या केरल में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक भी क्षेत्रीय अथवा परियोजना कार्यालय नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार निगम की योजनाओं को केरल में क्रियान्वित करने के लिए वहां पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सात क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, और सात परियोजना कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में हैं ?

(ख) और (ग) बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका क्षेत्राधिकार केरल तक है, केरल में निगम की योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

खेती के तरीके

* 827. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान खेती के विकसित तरीके अपनाने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) खेती की आधुनिक प्रणालियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें अपनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : --

(1) किसानों को क्षेत्र विस्तार की प्रशिक्षण तथा दौर पद्धति के तहत प्रौद्योगिकी का क्रमबद्ध हस्तान्तरण करके खेती की उन्नत प्रणालियों से अवगत कराया जाता है।

(2) किसानों को खेती सम्बन्धी मेलो, संगठित अध्ययन दौरों और क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिए भी उन्नत प्रणालियों से अवगत कराया जाता है ताकि वे फसल उत्पादन की आधुनिक प्रौद्योगिकी को और अधिक अपना सकें।

(3) अनुसंधान विस्तार सम्बधों को सुदृढ़ किया गया है ताकि विभिन्न कृषि जलवायु परि-स्थितियों तथा किसानों की संसाधन सम्बन्धी क्षमताओं के अनुसार उचित फार्म प्रौद्योगिकी का सर्जन किया जा सके; और

(4) कृषि की उन्नत प्रणालियों से किसानों को अवगत कराने के लिए जन-साधन आदि के जरिए फार्म आसूचना समर्थन भी दिया गया हैं।

रुई का कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्य

* 828. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने रुई का निम्नतम मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो मूल्य क्या है;

(ख) यह मूल्य वर्ष 1984 के दौरान रुई की विभिन्न किस्मों के औसत बाजार मूल्यों की तुलना में कितना है; और

(ग) निम्नतम मूल्य को बाजार मूल्य के निकट लाने के लिए क्या करने का विचार है;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकार ने कृषि मूल्य आयोग, जिसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है, की सिफारिश के अनुसार 1984-85 मौसम के लिए कपास की एफ-414/एच-777 किस्म के लिए 410 रुपये प्रति क्विंटल और एच-4 किस्म के लिए 535 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं।

(ख) अक्तूबर, 1984 तक कपास की विभिन्न किस्मों के औसत बाजार मूल्य समर्थन मूल्यों से बहुत अधिक थे, परन्तु नई फसल आने से बाजार मूल्य असामान्य ऊंचे स्तरों से गिर गए हैं। यद्यपि आमतौर पर ये समर्थन स्तरों से अधिक होते हैं, तथापि कुछ केन्द्रों में ये समर्थन स्तरों के करीब

या इनसे भी कम हो जाते हैं, विशेषकर लम्बे रेशे की किस्मों के मामले में ऐसा होता है।

(ग) समर्थन मूल्य एक प्रकार की दीर्घकालीन गारंटी है, जो किसानों को आश्वस्त करती है कि बाजार में जिन्स अत्यधिक मात्रा में इकट्ठी होने पर सार्वजनिक एजेंसियां उपज को समर्थन मूल्यों पर खरीद लेंगी जिससे कि मूल्यों को समर्थन स्तरों से नीचे गिरने से रोका जा सके।

रुई ज्वार, बाजरा को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत न लिया जाना

* 829. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई, ज्वार और बाजरा ऐसी फसलें हैं, जिनको फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से इन तीन मदों को फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त मदों को योजना में शामिल करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल सिर्फ कपास की फसल को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्ताव है कि धान्यों, दलहनों तथा तिलहनों के सम्बन्ध में योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद ही नकदी फसलों को कवर किया जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया है कि नई योजना के तहत धान, गेहूं, दलहनों तथा तिलहनों के अलावा मोटे अनाजों (जिनमें ज्वार तथा बाजरा शामिल हैं) को शामिल किया जाए। कपास जैसी नकदी फसलों को फसल बीमा के तहत बाद में लाया जाएगा।

अयोध्या में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाना

* 830. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के धार्मिक महत्त्व को देखते हुए तथा अवधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार वहां पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : अयोध्या को आकाशवाणी के लखनऊ और गोरखपुर केन्द्रों द्वारा अच्छी तरह कवर किया जाता है। इसलिए वहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने की फिलहाल कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती।

हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाना

* 831. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए दो वर्ष तक हड़ताल तालाबन्दी और कारखानों को बन्द करने पर रोक लगाने हेतु प्रबन्धकों और श्रमिक संघों के साथ कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) श्रम मन्त्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखे अपने दिनांक 14 जनवरी, 1985 के पत्र में यह सुझाव दिया था कि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारें ट्रेड यूनियनों और नियोजकों के प्रतिनिधियों को बुला सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में विचार-विमर्श कर सकती हैं कि अगले चार से पांच वर्षों में न तो हड़तालें और न ही तालाबन्दियां हों। कई राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे इस मामले पर ध्यान दे रही हैं।

दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम

[हिन्दी]

* 832. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रसार हेतु सामुदायिक रूप से टेलीविजन देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान कितने टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : इन्सैट के उपयोग की स्कीम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के छः राज्यों के तीन-तीन जिला कलक्टरों के चुनिंदा गांवों में सामुदायिक अवलोकन के लिए 2000 वी० एच० एफ० टेलीविजन सैट और 2000 सीधे संग्रहण सैट लगाने की मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 883 सीधे संग्रहण सैट और 358 वी० एच० एफ० सैट लगाए जा चुके हैं और शेष सैटों को लगाने का कार्य चल रहा है। अगले दो वर्षों के दौरान अतिरिक्त सामुदायिक अवलोकन सैटों के लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों से अतिरिक्त सामुदायिक अवलोकन दूरदर्शन सैट उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

वर्क चार्ज स्टाफ की वरीयता सूची

[अनुवाद]

6133. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्क चार्ज स्टाफ के स्थायीकरण के उद्देश्य से क्षेत्रीय वरिष्ठता सूचियां तैयार करने का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जोनल अधिकारियों (डब्ल्यू० सी०) को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो जोनल अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) बम्बई द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में श्रमिकों की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) क्या जोनल अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) कलकत्ता द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में श्रमिकों के विभाग में भर्ती होने की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया है;

(घ) क्या जोनल अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में श्रमिकों की सेवा पुस्तिकाओं के मशीन नम्बर का उल्लेख नहीं किया गया है;

(ङ) क्या सभी जोनल अधिकारियों द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि श्रमिकों को उन्हीं पदों पर स्थायी किया गया है अथवा निचले पदों पर;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) आंचलिक अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) बम्बई द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची में सिविल श्रणियों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की जन्म की तारीख नहीं दी गई है।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) 1-1-83 को आंचलिक अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) नई दिल्ली द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूचियों में कर्मचारियों की सेवा पंजियों के मशीन नम्बर नहीं दिए गए हैं।

(ङ) आंचलिक अधिकारी, कलकत्ता और नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में जिसमें कर्मचारी का नाम आता है, पद पर स्थायी होने का कालम है। आंचलिक अधिकारी बम्बई द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूचियों में स्थायीकरण के बारे में कोई संकेत नहीं है।

(च) आंचलिक अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठता सूचियों में मशीन नम्बर के लिए कालम की व्यवस्था की जा रही है। जन्म की तारीख और ग्रेड, जिसमें स्थायी हुआ है, को दर्शाने के लिए आंचलिक अधिकारी, बम्बई द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

साधनगर I और साधनगर II तथा पालम कालोनियों के निवासियों को मकानों का निर्माण करने की अनुमति

[हिन्दी]

6134. **श्री भरत सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधनगर I, और साध नगर II, पालम कालोनी नई दिल्ली से 12 अप्रैल, 1980 को नियमित घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या साधनगर I, साध नगर II, पालम कालोनी नई दिल्ली में रह रहे लोगों को वहां मकानों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार उन्हें इस प्रकार की अनुमति कब तक देगी;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) साधनगर I और II तथा पालम कालोनी सहित अनधिकृत कालोनियों के पालन समूह का अनुमोदन 5-6-1980 को कर दिया गया था।

(ख) से (घ) नियमित कालोनियों में मकान बनाने की अनुमति देने की नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस मसले को शीघ्र सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है।

उर्दू प्रेस की समस्याएं

[अनुवाद]

6135. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया उर्दू प्रेस कोरसपोंडेंट एसोसिएशन, दानापुर कैंट, पटना के प्रेसिडेंट ने उर्दू प्रेस की समस्याओं के बारे में दिनांक 13-1-85 और 20-3-85 को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) पत्र सूचना कार्यालय के पटना कार्यालय में प्रेस फोटोग्राफर को तैनात करने और उर्दू टाइपराइटर उपलब्ध कराने आदि के बारे में आल इंडिया उर्दू प्रेस कोरसपोन्डेंट्स एसोसिएशन दानापुर कैंट, पटना के अध्यक्ष श्री मोहम्मद मोइन अन्सारी से 20 मार्च, 1985 का केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट की हड़ताल की धमकी

6136. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट और कुछ अन्य मजदूर संघों ने धमकी दी है कि यदि मजदूरी बोर्ड के गठन 101 दिन के भीतर 300 रुपये की अन्तरिम सहायता की घोषणा नहीं की जाती है तो वे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हड़ताल कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों से सरकार को प्राप्त इस तरह की चेतावनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) इण्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने 17 अप्रैल, 1985 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि मजदूरी बोर्डों के गठन के पश्चात 101 दिनों के भीतर की किसी तारीख से श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को, वर्तमान वेतनमानों और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों की श्रेणी कुछ भी होते हुए 300/- रुपये मासिक अन्तरिम सहायता दी जाए।

सरकार ने दो मजदूरी बोर्डों को, एक श्रमजीवी पत्रकारों और दूसरा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, मजदूरी बोर्डों से परामर्श करके अन्तरिम सहायता, यदि कोई हो, देने के प्रश्न की जांच करेगी।

महाराष्ट्र में खरीफ की फसल के बीमे के लिए निर्धारित धनराशि

6137. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में खरीफ की फसल के बीमे के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ धनराशि दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) देश में एक नई वृहत फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ये योजना उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जाएगी जो इसमें भाग लेने के लिए अपनी सहमति देंगे। भारतीय सामान्य बीमा निगम प्रमुख बीमाकर्ता होगा और राज्य सह-बीमाकर्ता होंगे। भारतीय सामान्य बीमा निगम और राज्य सरकारें 2:1 के अनुपात में प्रीमियम और हानियों को वहन करेंगी। प्रत्येक राज्य में राज्य फसल

बीमा निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार निधि के प्रारम्भिक संचयन में बराबर-बराबर के आधार पर अंशदान देगी। लघु और सीमान्त कृषकों के मामले में ऐसे किसानों द्वारा देय प्रीमियम के 50 प्रतिशत की केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर सहायता दी जाएगी। अग्रिम रूप से निधि का राज्यवार आवंटन सम्भव नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को केन्द्रीय सरकार के शेयर तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

दिल्ली में ऊंची इमारतों के विकास सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में सेमिनार

6138. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ऊंची इमारतों के विकास सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें दिल्ली के मास्टर प्लान, जोनल प्लान और नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार परिषद की सिफारिशों की कड़ी आलोचना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में की गई टिप्पणियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा मार्च, 1985 में आयोजित इस सेमिनार में भाग लेने वालों ने वृहत योजना/क्षेत्रीय योजना विनियमनों के योजना पहलुओं सघनता, स्थल निर्माण (कवरेज), फर्शी क्षेत्र अनुपात इत्यादि सहित ऊंचे-ऊंचे निर्माण (विकास) पर टिप्पणियां कीं। दिल्ली नगर कला आयोग इस सेमिनार में दिए गए सुझावों पर कार्यवाही कर रहा है। दिल्ली नगर कला आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा।

तमिलनाडु में दूध के उत्पादन में कमी

6139. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड 1 तथा 2 के अन्तर्गत उत्पादकों को अधिकतम वित्तीय सहायता दिए जाने के बावजूद तमिलनाडु में दूध के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है अथवा दूध का उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूध का उत्पादन 1979-80 (छठी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष) में 18.6 लाख मीटरी टन से बढ़कर 26 लाख मीटरी टन तक होने की आशा है। अतः तमिलनाडु में दूध के उत्पादन में कोई स्थिरता अथवा गिरावट नहीं है।

'हुडको' द्वारा आवास के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

6140. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए छठी योजना अवधि के दौरान आवास निर्माण (ग्रामीण) हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) हुडको द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और आन्ध्र प्रदेश के लिए आवास निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इन राज्यों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) राज्यों में इस सम्बन्ध में हुई धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पश्चिम बंगाल के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार के वार्षिक योजना प्रारूप 1985-86 में निहित सूचना के अनुसार राशि निम्नलिखित रूप से व्यय की गई :—

वास्तविक व्यय (1980-84)	599.76 लाख रुपये
प्रत्यासित व्यय (1984-85)	145.00 लाख रुपये

(ख) और (ग) छठी योजना अवधि के दौरान इन राज्यों को आवास योजनाओं के लिए ऋण की कुल 230.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से वास्तविक तथा वित्तीय दोनों ही दृष्टियों से निष्पादन के आधार पर 153.99 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं।

चलचित्र सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

6141. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चित्रों को सेंसर करने के सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) मई, 1984 में अध्यक्ष के अलावा, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के 6 सदस्य थे। बाद में; 1984 में केन्द्र सरकार ने बोर्ड के सदस्य के रूप में 15 और व्यक्तियों की नियुक्ति की। उनमें से तीन ने व्यक्तिगत कारणों से नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया। इस बीच एक सदस्य ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

इस प्रकार अब बोर्ड में नीचे दर्शाए अनुसार एक अध्यक्ष और 17 अन्य सदस्य हैं : —

अध्यक्ष 1. श्री विक्रम सिंह

सदस्य 2. कुमारी ए० एम० नादकर्णी

3. श्री एल० वी० प्रसाद

4. श्रीमती एम० नसरुल्लाह

5. कुमारी शान्ता गांधी

6. श्रीमती सरयू वी० दोषी

7. श्री भूपेन हजारिका

8. प्रो० वी० वी० बनमाली

9. श्री टी० रामानुजम

10. सुश्री अपर्णा सेन

11. श्री समिक बनर्जी

12. डा० बी० के० चन्द्रशेखर

13. श्री टी० एस० नरसिम्हन्

14. श्री पी० भास्करन

15. श्री के० रविन्द्रनाथन् नायर

16. श्री सी० वी० श्रीधर

17. श्री जी० पी० सिप्पी

18. श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये संख्या एल० टी०— 1112/85]

देश में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना

6142. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केले और पुष्प क्रान्ति जैसे फल, तरकारी, उद्यान उत्पादन शुरू करने की दृष्टि से देश में कई राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सम्भावित परियोजना की मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई केन्द्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में चयनित फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादनी फसलों आदि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है।

(ख) केला, नींबू, वर्गीय फलों, शुष्क बागानी औषधीय व सुगन्धित पौधों, काजू, मसालों, प्याज और ओर्किड्स के लिए आठ राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इन केन्द्रों में फसलों की बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान समस्याओं पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के प्रस्ताव अभी योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं। उपरोक्त केन्द्रों की वास्तविक जगह का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए इस अवस्था में इन दो का प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित चलचित्र

6143. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान भाषा-वार कितने चलचित्रों को वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए प्रणाण-पत्र दिए गए;

(ख) कितने चलचित्रों को "केवल वयस्कों के लिए" प्रमाण-पत्र तथा कितने चलचित्रों को अन्य प्रमाण-पत्र दिए गए;

(ग) ऐसे वाणिज्यिक शोषण के अधिकार की वैधता क्या है;

(घ) उनमें से कितने चलचित्रों को अब तक प्रमाणित नहीं किया गया है; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई फीचर फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :—

	1983	1984
भारतीय फीचर फिल्में	741	833
विदेशी फीचर फिल्में	124	57

भारतीय फीचर फिल्मों की भाषा-वार संख्या और आयातित फाचर फिल्मों के सम्बन्ध में मूल देश पर आधारित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई फीचर फिल्मों की श्रेणी-वार संख्या इस प्रकार है :—

प्रमाणपत्रों की श्रेणी

	यू	यू ए	ए	एस	कुल
1983—भारतीय फीचर फिल्में	490	33	218	—	741
विदेशी फीचर फिल्में	64	6	54	—	124
1984--भारतीय फीचर फिल्में	465	67	301	—	833
विदेशी फाचर फिल्में	23	7	27	—	57

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 25-9-84 से पहले जारी किए गए सभी प्रमाणपत्र 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध थे जिसकी समाप्ति पर नये प्रमाणपत्र प्राप्त करने थे। केन्द्रीय सरकार ने इस पाबन्दी को 25-9-84 से हटा दिया है।

(घ) और (ङ) शून्य। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई छूट के आदेश को देखते हुए, बोर्ड द्वारा फिल्मों को पुन: प्रमाणित करना अपेक्षित नहीं है।

विवरण-I

भाषा	कैलेंडर वर्ष 1983	कैलेंडर वर्ष 1984
1	2	3
तेलुगु	134	170
हिन्दी	132	165
तमिल	128	148
मलयालम	112	121
कन्नड़	72	81

1	2	3
बंगला	49	35
गुजराती	27	30
मराठी	20	25
पंजाबी	19	10
उड़िया	12	14
भोजपुरी	11	9
उर्दू	4	1
असमिया	4	5
राजस्थानी	4	2
मणिपुरी	3	2
नेपाली	2	4
अंग्रेजी	1	2
मूक	1	—
खासी	1	1
हरयाणवी	1	4
गढ़वाली	1	1
तुलु	1	1
संस्कृत	1	—
कश्मीरी	1	—
बृजभाषा	—	1
सिंधी	—	1
कुल	741	833

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित आयातित फीचर
फिल्मों की संख्या

मूल देश	कैलेंडर वर्ष	
	1983	1984
अमरीका	73	29
इंगलैंड	12	9
सोवियत संघ	18	7
जापान	5	1
फ्रांस	10	2
आस्ट्रेलिया	1	—
इटली	2	4
वेस्टइण्डीज	1	—
चीन	1	3
कनाडा	1	—
सऊदी अरब	—	1
हांगकांग	—	1
कुल	124	57

उड़ीसा में खनन उद्योग में जनजाति श्रमिकों का संरक्षण

6144. श्री सिद्धलाल मुरमू : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषत: मयूरभंज जिले में, खनन उद्योग में कार्यरत जनजाति श्रमिकों को क्या संरक्षण दिया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन खानों में सुरक्षा नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952

के अधीन खानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को विनियमित किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियम खानों में नियोजित सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे जनजाति श्रमिक हो या अन्य वर्गों के श्रमिक हों। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जाता है। इस निदेशालय के अधिकारी खानों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

ग्रामीण गोदामों का निर्माण

6145. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने ग्रामीण गोदाम बनाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डागार निगम ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण पर विशेष बल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो देश में, विशेष कर उड़ीसा में, वर्ष 1985-86 के दौरान कितने ग्रामीण गोदाम बनाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1979 से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 31-12-84 तक 15,500 मीटरी टन की क्षमता वाले 20 ग्रामीण गोदामों को पूरा किए जाने की सूचना मिली है। विभिन्न अन्य सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित कुल ग्रामीण गोदामों की संख्या के बारे में विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में काली बाड़ी के सरकारी क्वार्टरों में पेयजल की कमी

6146. श्री रामभगत पासवान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या लोक निर्माण विभाग को नई दिल्ली में काली बाड़ी मार्ग पर एच० ब्लाक के सरकारी क्वार्टरों में पीने के पानी की कमी की जानकारी है;

(ख) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय विशेष रूप से गर्मी के आगामी मौसम में पानी की कमी की समस्या को हल करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आवश्यक अनुदेश देगा;

(ग) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय उपरोक्त क्षेत्र में पानी की सप्लाई को सुव्यवस्थित

करने तथा सुबह 5.00 बजे से 10.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से 10.00 बजे तक पानी की नियमित निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भुवनेश्वर में प्रकाशन प्रभाग का बिक्री केंद्र खोलना

6147. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रकाशन प्रभाग की बिक्री केन्द्र वर्ष 1985-86 के दौरान खोलना निश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां तो यह केन्द्र खोलने में कितना समय लगेगा और वहां भुवनेश्वर में राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों की बिक्री कब तक शुरू हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1985-86 के दौरान भुवनेश्वर में प्रकाशन विभाग का विक्रय भण्डार खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान जन-जाति उप-योजना का तैयार किया जाना

6148. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजनावधि के दौरान योजनाओं और कार्यक्रमों का चयन करके और उनके लिए धनराशि आवंटित करके मंत्रालय में जन-जाति उप-योजना और अनुसूचित जातियों के लिए संघटक योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के विभागवार और मण्डल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है और आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना में इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री (चंदूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिए गए हैं।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान इतनी जल्दी प्रगति का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

विवरण-I

कृषि तथा सहकारिता विभाग (लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विकास शीर्ष	छठी योजना 1980-85			वार्षिक योजना 1985-86		
		कुल परिव्यय (चयनित कार्यक्रम)	अनुसूचित जाति योजना	जनजाति उप-योजना	कुल परिव्यय (चयनित कार्यक्रम)	अनुसूचित जाति योजना	जनजाति उप-योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण	182.00	33.00□	25.00	73.50	11.00	5.00
2.	फसल उन्मुख कार्यक्रम	12,206.00	—	125.00*	4393.00	2.30	54.10*
3.	बागवानी	1029.00	—	161.50*	155.00	13.50 ❐	20.00
4.	भूमि तथा जल संरक्षण	13.680.00	—	2530.00	3515.00	—	760.00
5.	पौध सुरक्षा	940.00	76.75	44.22	17.22	—	12.00
6.	डेयरी विकास	33,610.00	—	4000.00*	8600.00	—	2150.00*
7.	पशु पालन	1,521.00	39.00	20.00	411.00	5.20	10.70
8.	मछली पालन	1,262.00	—	138.00	350.00	—	45.00
9.	वानिकी	6,725.00	626.68	1340.86	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8
10. कृषि ऋण		—	—	—	300.00	—	300.00*
11. सहकारिता		15,150.00	—	—	4601.00	—	25.00*
कुल : (कृषि व सहकारिता)		86,305.00	775.43	8384.58	22,415.50	32.00	3381.80

□—जनजाति घटक शामिल है।

*—अनुसूचित जाति घटक शामिल है।

+—पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को हस्तांतरित।

विवरण-II

ग्रामीण विकास विभाग

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1. लाभार्थियों में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति से लिए जाते हैं। 2. आर्थिक सहायता तथा संस्थागत वित्त के रूप में दिए जाने वाले लाभों के कम से कम 30 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को मिलते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा बंधुआ मजदूरों के मामले में अपवाद स्वरूप व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख निर्माण कार्यों को किए जाने की अनुमति दी गई है। 2. निर्धारित आबंटनों के 10 प्रतिशत भाग का उपयोग केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्यों हेतु किया जाना है।

फसल कटाई के मौसम के दौरान किसानों को विद्युत की पूर्ति

[हिंदी]

6149. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक लम्बे समय से सूखे की चपेट में रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रबी की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बिजली की अनियमित पूर्ति के कारण गन्ने और गेहूं के उत्पादन में भी गिरावट आई है;

(ख) क्या खुले में रखा खाद्यान्न ओलावृष्टि, वर्षा और तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण नष्ट हो जाता है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रबी की फसलों की कटाई और गहाई तथा खाद्यान्नों के भंडारण का कार्य शीघ्र पूरा हो केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को विद्युत की पूर्ति के लिए कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो कब ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में से 22 जिले सूखे की चपेट में हैं। रबी फसलों और गन्ने के उत्पादन के अनुमान उत्तर प्रदेश राज्य से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति करना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की सप्लाई में प्राथमिकता देने के संबंध में राज्य सरकारों को लिखती रही है।

तटवर्ती आंध्र प्रदेश में तूफान राहत शेड

[अनुवाद]

6150. **श्री सी० सम्बु** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती आंध्र प्रदेश में तूफान राहत शेडों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में छठी योजना में कुल कितना निवेश किया गया और सातवीं योजना में कितना किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) छठी योजना अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता के तहत आंध्र प्रदेश में 100 तूफान राहत शेडों का निर्माण किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त तूफान राहत शेडों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रोहिणी योजना के अंतर्गत भूखण्डों के पंजीकरण विलेख

[हिंदी]

6151. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी आवास योजना में पहले ड्रा में आवंटित किए गए भूखण्डों के पंजीकरण विलेख अभी तक जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता, कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के उन भूखण्डों के लिए पंजीकरण विलेख कब तक जारी करने का विचार है जिनका वास्तविक कब्जा पहले ही दे दिया गया है; और

(ग) यदि उन्हें पंजीकरण करने का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रथम ड्रा के उन आवंटियों के मामलों के सम्बन्ध में जिनको प्लाटों का प्रत्यक्ष कब्जा दे दिया गया है विलेखों को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य आरंभ कर दिया है तथा वे शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों में प्रयोग की जाने वाली समाचार फिल्में

[अनुवाद]

6152. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों में प्रयोग की जाने वाली समाचार फिल्मों का सभी समाचार बुलेटिनों के लिए केवल एक बार सम्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बुलेटिन के लिए अलग-अलग प्रोड्यूसर रखने का क्या औचित्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो 1 अप्रैल, 1985 से 15 अप्रैल, 1985 की अवधि के दौरान विभिन्न समाचार बुलेटिनों में प्रयोग की गई फिल्मों की अवधि क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों के लिए 1-4-85 से 15-4-85 तक की अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई समाचार फिल्मों की कुल अवधि क्रमशः 2 घण्टे 45 मिनट 28 सैकिंड और 3 घण्टे 10 मिनट 22 सैकिंड थी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में डाक्टरों और दवाओं की कमी

6153. श्री हरिहर सोरेन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में डाक्टरों, दवाइयों, बिस्तरों तथा अन्य बुनियादी आवश्यक सुविधाओं की कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपरोक्त अस्पताल में अधिक डाक्टर नियुक्त करने, दवाइयों आदि की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कोई अस्पताल स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क श्रमिक कल्याण निधि के अधीन जोडा में 50 पलंगों वाला एक अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल ने जून, 1978 में काम करना शुरू कर

दिया। विशेषज्ञ सर्जन का एक पद और चिकित्सा अधिकारियों के चार पद मंजूर किए गए हैं। इस समय विशेषज्ञ सर्जन का पद खाली पड़ा है। दवाइयों या अन्य सुविधाओं की कमियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा मेवों का आयात

6154. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली को इस शर्त पर 100 लाख रुपए मूल्य के मेवों का आयात करने की अनुमति दी गयी कि वे इन्हें 5 प्रतिशत के लाभांश पर सुपर बाजार दिल्ली को उपभोक्ता पैकटों में वितरित करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने दोनों शर्तों का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में की गयी कार्रवाई का क्या ब्योरा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० को सूखे मेवे आयात करने के लिए 100 लाख रु० सी० आई० एफ० (लागत, बीमा, भाड़ा) का तदर्थ लाइसेंस इस शर्त पर जारी किया गया था कि वह आयातित सूखे मेवों को 5 प्रतिशत के लाभांश पर उपभोक्ता पैकों में सुपर बाजारों को वितरित करेगा केवल सुपर बाजार, दिल्ली को नहीं, जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है। उप मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ने अपने 24-1-85 के आदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को, आयात लाइसेंस, सी० सी० पी०, खुले आम लाइसेंस के तहत आयात और मार्गीकरण अभिकरणों के माध्यम से आयातित वस्तुओं के आबंटन से 5 (पांच) लाइसेंस अवधियों अर्थात ए० एम० 84 से ए० एम० 88 तक के लिए वंचित कर दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से सूचना मिली है कि उसने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की है।

विकलांग व्यक्तियों को "हुडको" योजना के अंतर्गत कम आय वर्ग के फ्लैटों का आबंटन

6155. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिमपुरी सहित विभिन्न स्थानों पर "हुडको" योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की सूची 16 फरवरी, 1983 को घोषित की थी;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत कम आय वर्ग के फ्लैटों का मूल्य कितना है;

(ङ) क्या समाज के कमजोर वर्गों को खासतौर पर विकलांग व्यक्तियों को किस्तों के आधार पर आबंटन किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पश्चिमपुरी में 300 निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का नियतन किया गया था। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण अब तक फ्लैटों की विशिष्ट संख्या का ड्रा नहीं निकाला जा सका। अब ये फ्लैट पूर्ण हो गए हैं और शीघ्र ही ड्रा निकाला जाएगा।

(घ) पश्चिमपुरी, पाकेट ए-1/8, ब्लाक-ए में हुडको योजना के तहत निर्मित निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का विक्रय मूल्य इस प्रकार है :

भूतल	67, 200 रुपये
पहली मंजिल	64, 900 रुपये
दूसरी मंजिल	63, 100 रुपये

(ङ) तथा (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार, ड्रा के आधार पर निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के लोग भी शामिल हैं, को 75 प्रतिशत फ्लैट किराया खरीद आधार पर और 25 प्रतिशत नगद भुगतान आधार पर आवंटित किए जाते हैं। दुःख तकलीफ वाले मामलों में नकद भुगतान से किराया खरीद में भुगतान के तरीके को बदलने के अनुरोध भी स्वीकार किए जाते हैं।

चावल और गेहूं का आयात

6156. **श्री एम० महालिंगम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से 1984 तथा वर्ष-वार, विदेशों से कितनी मात्रा में चावल और गेहूं का आयात किया गया है और राज्यों को वितरित किया है; और उसका राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) भारत में इन खाद्यान्नों की वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) इनमें आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी कितनी मात्रा में आवश्यकता है; और

(घ) आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981 से 1984 तक आयात

किए गए चावल और गेहूं की मात्रा इस प्रकार है :—

(मात्रा लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1981	7.77	—
1982	20.91	—
1983	38.07	2.97
1984	18.19	4.50

एक विवरण (उपाबन्ध) संलग्न है जिसमें 1981 से 1984 तक चावल और गेहूं के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) चूंकि देश में खाद्यान्नों की मांग जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार, आय-स्तर, वैकल्पिक खाद्यान्नों के मूल्यों आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों की कुल खपत के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है, में 1850 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाने का विचार है :

(1) सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिकतम करना।

(2) कृषि आदानों की समय पर, सुगम और पर्याप्त सप्लाई।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना।

(4) पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बुनियादी और प्रजनक बीजों की पैदावार करना।

(5) समाकलित पौध संरक्षण उपाय अपनाना।

(6) दोहरी, बहुमुखी सस्यक्रम के माध्यम से संस्यक्रम की प्रबलता में वृद्धि करना और अन्तर-सस्यक्रम को अपनाना।

(7) अनुसंधान संबंधी प्रयासों को तेज करना ताकि और अधिक किसान नई प्रौद्योगिकी के लाभ उठा सकें।

(8) सामुदायिक सिद्धान्त को बढ़ावा देकर कृषि संबंधी कार्यों की कार्य कुशलता में सुधार लाना।

(9) मुख्यता वाटर शेड पहुंच के माध्यम से भूमि विकास और वाटर हार्वेस्टिंग।

(10) ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्नोलोजी का विकास और विस्तार।

(11) फसल बीमा के जरिये पर्याप्त जोखिम को कवर करना।

विवरण

वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 (अनन्तिम) के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं का राज्यवार वितरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981		1982		1983		1984*	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	416.9	163.2	435.8	190.0	1106.9	180.0	994.4	207.1
असम	248.7	224.2	247.0	220.5	254.0	293.2	222.0	332.7
बिहार	148.7	395.9	206.2	514.5	184.4	729.0	83.7	467.2
गुजरात	185.2	214.8	177.3	239.7	84.8	205.4	91.8	138.2
हरियाणा	5.3	92.4	6.9	109.6	20.8	127.0	9.2	101.7
हिमाचल प्रदेश	15.4	51.8	29.6	53.2	31.6	48.1	331.4	31.6
जम्मू तथा कश्मीर	94.8	130.4	106.4	151.1	146.1	159.9	123.4	181.5
कर्नाटक	194.9	295.6	161.4	298.6	191.9	340.9	240.8	396.3
केरल	1090.7	93.5	1169.5	112.9	1303.0	244.7	1326.3	206.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	241.9	299.9	222.9	248.7	250.5	205.8	153.0	82.0
मणिपुर	20.4	8.1	22.5	17.1	27.3	17.5	26.8	15.4
मेघालय	64.6	15.6	73.6	19.5	73.6	24.2	80.6	20.3
नागालैंड	32.5	16.2	36.0	22.6	41.2	27.5	48.1	25.8
उड़ीसा	25.3	151.3	78.8	176.4	162.7	294.4	38.2	206.7
पंजाब	1.7	215.7	2.5	223.1	2.8	123.2	2.1	50.4
महाराष्ट्र	670.3	788.6	482.0	885.6	296.6	1005.9	272.6	743.9
राजस्थान	20.5	173.2	11.0	202.4	7.5	100.8	4.5	46.2
तमिलनाडु	335.6	374.8	156.2	435.3	216.4	615.8	321.2	639.2
त्रिपुरा	46.8	11.1	93.3	17.5	89.5	17.5	85.5	17.8
उत्तर प्रदेश	323.4	609.2	320.2	632.4	344.2	632.0	237.1	307.5
पश्चिम बंगाल	900.6	1048.2	1539.3	1223.3	1424.1	1512.4	962.2	1183.1
अ० तथा नि० द्वीप समूह	4.8	4.9	13.0	7.0	8.3	2.7	4.0	4.9
अरुणाचल प्रदेश	24.1	4.3	30.2	3.9	30.6	4.6	35.8	3.9
चण्डीगढ़	1.9	20.3	2.4	20.1	2.5	16.7	2.9	17.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	126.3	725.5	162.9	716.1	178.9	662.9	153.7	603.0
दा॰ तथा न॰ हवेली	0.2	0.1	0.2	नग॰	0.2	नग॰	0.9	नग॰
गोवा दमन और द्विब	36.9	32.4	39.9	31.8	33.4	34.2	33.6	32.8
लक्षद्वीप	3.5	0.4	3.8	0.1	4.3	0.2	4.0	नग॰
मिजोरम	38.3	—	55.5	4.1	50.3	9.9	58.7	6.9
पांडिचेरी (माहे सहित)	5.9	0.7	6.3	0.6	11.5	0.7	5.3	1.1
सिक्किम	31.6	3.5	33.0	2.6	36.4	5.4	36.4	3.3
जोड़	5356.8	6165.8	5925.6	6780.3	6616.3	7642.5	5690.2	6074.4

* अनन्तिम, इनमें संशोधन हो सकता है।

(नग॰) = 50 मीटरी टन से कम।

खाद्य उत्पादन में गिरावट

6158. श्री आनन्द सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्य उत्पादन 1536 लाख टन के लक्ष्य से काफी कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने की संभावना है और वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उत्पादन के कम होने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में. राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 1984-85 के लिए खरीफ की खाद्यान्न फसलों के अन्तिम अनुमान अभी सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। रबी फसलों के अनुमान अभी देय भी नहीं हुए हैं। तथापि, राज्यों आदि से प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर हाल ही में यह अनुमान लगाया गया है कि 1984-85 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 1485 और 1505 लाख मीटरी टन के बीच हो सकता है। 1984-85 के दौरान जिन्स वार ब्यौरा और 1982-83 और 1983-84 के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

फसल	उत्पादन		मीटरी टन में
	1982-83	1983-84	1984-85 (सम्भावित)
चावल	47.12	59.77	59.5—60.5
गेहूं	42.79	45.15	46.0
मोटा अनाज	27.75	33.97	30.5—31.5
दलहन	11.86	12.65	12.5
कुल खाद्यान्न	129.52	151.54	148.5—150.5

1984-85 के आंकड़े अस्थायी हैं और अन्तिम अनुमानों के प्राप्त होने पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

(ग) लक्ष्य की तुलना में 1984-85 के दौरान उत्पादन में कमी आने का प्रमुख कारण मानसून मौसम (जून से सितम्बर) के दौरान देश के कुछ भागों में अपर्याप्त वर्षा और दीर्घकाल तक सूखा पड़ना और तत्पश्चात् मानसून के बाद और शीतकालीन वर्षा का न होना है।

चीनी का उत्पादन

6159. श्री पी० मानिक रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक गन्ना उत्पादन राज्य और विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए वस्तुतः क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई गई है :

(1) गन्ने के बढ़िया बीज का उत्पादन तथा वितरण;

(2) सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार;

(3) उर्वरकों का अधिक प्रयोग;

(4) पेड़ी फसल का प्रभावी प्रबंध करना;

(5) सघन पौध संरक्षण उपाय अपनाना;

(6) प्रौद्योगिकी का अन्तरण; और

(7) कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार गन्ने के विकास की अपनी निजी योजना बनाती है । इन कार्यक्रमों में, गन्ने के बढ़िया बीज का उत्पादन तथा वितरण, पौध तथा पेड़ी गन्ने दोनों के लिए गन्ने की खेती की उन्नत पद्धतियों का प्रदर्शन, वनस्पति रक्षण उपाय आदानों पर राज सहायता, गन्ना विकास कामगारों आदि का प्रशिक्षण, शामिल है । विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के मामले में गन्ना विकास योजना में लाल-पिगलन रोगों तथा सल्क कीटों के नियंत्रण की योजना शामिल है, इसके अतिरिक्त, आदानों, पौध संरक्षण, उपस्करों तथा प्रदर्शनों पर राज सहायता भी दी जा रही है ।

आराम बाग में सरकारी क्वार्टरों की देखभाल

[हिन्दी]

6160. श्री लाला राम केन
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आरामबाग नई, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के क्वार्टरों की पूल वार संख्या कितनी है;

(ख) इन मकानों की देखभाल के लिए पूछताछ कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी तैनात हैं; और

(ग) क्या इस पूछताछ कार्यालय में बार-बार शिकायतें करने पर भी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इकतालीस।

(ग) यह सही नहीं है। शिकायतों पर उचित रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

विजयवाड़ा में पत्र सूचना कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

6161. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जहां से 10 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, स्थित पत्र सूचना कार्यालय का दर्जा बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) विषय पर माननीय संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय के विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) स्थित कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भविष्य निधि लेखाओं के स्थाई नम्बर

6162. **श्री नारायण चौबे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक अंशदाता को भविष्य निधि लेखाओं के स्थायी नम्बर दिए जा रहे हैं जो कर्मचारी के एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण पर नहीं बदले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय अधिकारी (डब्ल्यू० सी०) कलकत्ता और बम्बई द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) आंचलिक अधिकारी, बम्बई द्वारा इस पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है। जब एक कामगार एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित होता है तो आंचलिक अधिकारी, कलकत्ता नया नम्बर आवंटित करता है।

(ग) स्थायी लेखा नम्बर आवंटित करने के बारे में निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

आरामबाग के क्वार्टरों की मरम्मत

[हिन्दी]

6163. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरामबाग, नई दिल्ली में क्वार्टरों में अभी निर्माण कार्य चल रहा है हालांकि एक वर्ष पूर्व इनका आवंटन किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एक वर्ष पूर्व आवंटित किए गए क्वार्टरों की हालत बहुत खराब है और उनकी तुरन्त मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इन मकानों में बिजली और पानी की आवश्यक फिटिंग्स नहीं की गई है और की गई फिटिंग्स निकलकर गिर रही है; और

(घ) आवंटितियों की इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। यह सही नहीं है आवंटित किए गए क्वार्टरों की स्थिति संतोषजनक है। तथापि, नेमी वार्षिक मरम्मत/रखरखाव नैमित्तिक तौर पर किया जाता है।

(ग) यह सही नहीं है। इन क्वार्टरों में बिजली और पानी सप्लाई फिटिंग प्रदान की गई है तथा वे ठीक हैं।

(घ) शिकायतों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

आरामबाग क्षेत्र में बालकनी इत्यादि की व्यवस्था

6164. श्री सत्यनारायण पवार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा कार्यालय द्वारा डी० आई० जैड० क्षेत्र और आरामबाग, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित किए गए टाइप "ए, "बी" और "सी" के क्वार्टरों में जहां पहले बालकनी नहीं थी, अब बालकनी की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या आरामबाग में टाइप "ए" और "बी" के क्वार्टर एक से अधिक वर्ष पूर्व आवंटित किए गए थे लेकिन उन्हें अभी तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय को नहीं सौंपा गया है और उनकी मरम्मत और सफाई सम्बन्धी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती है और इन क्वार्टरों के पास कूड़ाघरों की व्यवस्था भी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां, केवल दुमंजिले क्वार्टरों को छोड़कर।

(ख) आराम बाग में टाइप ए तथा बी के क्वार्टरों को अनुरक्षण मण्डल को नहीं सौंपा गया है लेकिन अनुरक्षण सम्बन्धी शिकायतों को निर्माण मण्डल द्वारा तुरन्त दूर किया जाता है। क्वार्टरों के आस-पड़ोस में कुछ कार्य प्रगति पर है तथा बेकार मलबा/मिट्टी को कार्य के पूर्ण होने के पश्चात हटाया जाना है।

(ग) रख-रखाव से सम्बन्धित शिकायतों पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गरोन्दा गांव में अर्जित की गई भूमि

[अनुवाद]

6165. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद राव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री गरोन्दा में डी० डी० ए० द्वारा अर्जित भूमि के बारे में 29 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रत्येक खसरा संख्या में उल्लिखित भूमि के दिए गए क्षेत्र के लिए अर्जनात्मक आदेश जारी किया गया था;

(ख) इन भूखण्डों के प्रत्येक स्वामी को दिए गए मुआवजे की ठीक-ठीक धनराशि और दर क्या है तथा उनके नाम पते क्या हैं और उन्हें किन-किन तारीखों को भुगतान किया गया; और

(ग) उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है जिन्हें मुआवजे की आंशिक धनराशि दी गई और उन्हें शेष धनराशि कब दिए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की गई भूमि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

खसरा नं०	भूमि का क्षेत्र बीघा विस्वा	धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत अधि-सूचना की तारीख	अवार्ड संख्या तथा तारीख
1	2	3	4
385	4-10	13.11.59 20. 6.66	6-सी/71-72, 31.1.72
386	0-08	—वही—	—वही—
387	0-00	—वही—	—वही—
388/1	0-04	—वही—	—वही—
388/2	0-13		
388/3	0-16	—वही—	—वही—
388/4	0-16	—वही—	—वही—
388/5	0-01	—वही—	—वही—
388/6	0-09	—वही—	—वही—
388/7	0 11	—वही—	—वही—
388/8	0-05	—वही—	—वही—
388/9	0-06	—वही—	—वही—
389/2/2	0-01	—वही—	—वही—
389/3/2	0-02	—वही—	—वही—
389/4/2	0-02	—वही—	—वही—
389/5	0-08	—वही—	—वही—

1	2	3	4
389/6/2	0-03	—वही—	—वही –
389/7/2	0-05	—वही—	—वही—
478/390 से 392/5	0-09	—वही—	6-ए/71-72, 4.3.72
478/390 से 392/8	0-09	—वही—	—वही—
478/390 से 392/6	0-09	—वही—	—वही—
478/390 से 392/10	1-06 न्यून०	—वही—	—वही—
478/390 से 392/1	0-03	—वही—	—वही—
478/390 से 392/2	0-05	—वही—	—वही—
478/390 से 392/2	0 09	—वही—	—वही —
393 न्यून०	0-02	—वही—	6-सी/71-72-31.1.79
393 न्यून०	0-07	—वही—	—वही—
394	3-03	—वही—	—वही—
395	2-02	—वही –	—वही—
402	6-00	—वही—	—वही—
403 न्यून०	0-06	—वही—	—वही—
403 न्यून०	3-12	—वही—	—वही—
404	4-16	—वही—	—वही—

1	2	3	4
405	4-13	—वही—	—वही—
406	5-17	—वही—	—वही—
407	3-09	—वही—	—वही—
478/390 से	1-04		
392/10 न्यून०			
478/390 से			
392/4	0.01	—वही—	—वही—
478/390 से		—वही—	—वही—
392/7	0-01		

(ख) और (ग) 400 से अधिक ग्राहकों को आंशिक/पूर्ण मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। मुआवजे की दर निम्न प्रकार से हैं—

अवार्ड सं०	मुआवजे की दर	रियायत की दर	ब्याज की दर
6-ए/71-72	1425/-रुपये प्रति बीघा	15 प्रतिशत	6 प्रतिशत
6 सी/71-72	1500/-रुपये प्रति बीघा तथा	15 प्रतिशत	6 प्रतिशत
(6 सी/71-72)	2000/-रु० प्रति बीघा		

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में जल पूर्ति में कमी

6166. श्री निहाल सिंह जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में ई० एफ० एच० और आई० ब्लाकों की पहली मंजिल के निवासी गत छः महीनों से पानी की टंकियों, शौचालय के फ्लश और नलों में जलपूर्ति की भारी कमी के कारण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में निवासियों द्वारा पानी की कमी महसूस की जाती है।

(ख) इन ब्लाकों सहित इस क्षेत्र में बूस्टिंग के प्रबन्ध सहित भूमिगत टैंक का निर्माण करके स्वच्छ जलपूर्ति में सुधार करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका ने पहले ही कार्यवाही की है।

तिहाड़ गांव के समीप "गार्डन झील" का विकास

[हिन्दी]

6167. **श्री ललित माकन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिमी दिल्ली में तिहाड़ गांव और हरिनगर के बीच विकसित की जा रही "गार्डन झील" पर वर्ष 1980 में मार्च, 1985 तक वर्ष वार और मदवारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(ख) क्या इस झील का विकास करने के लिए जिस मिट्टी को खोदा गया था वह दोबारा झील में आ गई है और झील का गत तीन वर्षों के दौरान विकास नहीं किया गया है; और

(ग) गार्डन झील का कब तक पूर्ण विकास हो जाएगा और तत्संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा दिया जाए ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) पश्चिम दिल्ली में तिहाड़ गांव और हरिनगर के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही गार्डन लेक पर 1980 से मार्च, 1985 तक के दौरान किया गया मदवार व्यय वर्षवार इस प्रकार है :—

		रुपये पैसे
1	2	3
1980-81	बुलडोजिंग	34980.00
	घास लगाना	26847.00
	मस्टर रोल	52188.74
		1,14,015.74
1981-82	गुड अर्थ	37693.00
	एजिंग पाथ	33200.00
	गड्ढे खोदना	48420.00
	जलपूर्ति	73834.00
	मस्टर रोल	17499.78
		2,10,646.78

1	2	3
1982-83	एजिंग पाथ	20105.00
	टो और डिवार की बाड़	75517·00
	गड्ढे खोदना	44950.00
	एजिंगपाथ	31410.00
	घास लगाना	21227,00
	मस्टर रोल	118612.20
		3,11, 821.20
1983-84	मस्टर रोल	63173.00
1984-85		शून्य
	कुल योग :	6, 99, 656.72

(ख) जी, नहीं। तथापि, वर्षा ऋतु के दौरान किनारों के मिट्टी कटाव तथा मल निर्यास पानी के जमा होने के कारण झील में कुछ मिट्टी जमा हो गई है। इस समय किनारों को मजबूत कर दिया गया है और झील में गांव के मल निकास को भी रोक दिया गया है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस झील की कोई खुदाई नहीं की गई है।

(ग) बागवानी की दृष्टि से भू-दृश्य योजना के अनुसार तिहाड़ गांव में झील परिसर का विकास कार्य पूरा हो गया। लान के रूप में 24 एकड़ भूमि विकासित की गई हैं और 11,000 पेड़ लगाए गए हैं। इस झील को बारहमासी बनाने तथा आस पास के क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव दो और नलकूपों की व्यवस्था करने का है।

सतना में दूरदर्शन केन्द्र

[अनुवाद]

6168. श्री अजीज कुरेशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतना में एक दूरदर्शन केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) सतना में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा; और

(घ) यदि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सतना में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजना अवधि में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में पदों का निर्माण

6169. श्री उत्तम राव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन महानिदेशालय ने विभिन्न पदों का निर्माण करने के लिए गृह/मंत्रालय/कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति मांगी है; यदि हां, तो उप-निदेशकों, अनुभाग अधिकारियों, सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने पदों के निर्माण के लिए अनुमति मांगी गई है;

(ख) क्या दिहाड़ी पर कर्मचारियों की भर्ती करने तथा दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिकों और चपरासियों के पदों पर पदोन्नति करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ग) क्या दूरदर्शन केंद्रों के विस्तार और उनके कार्य भार में वृद्धि को देखते हुए उक्त श्रेणी के पदों की संख्या में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या फरवरी, 1984 में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों की सेवाएं तदर्थ आधार पर नियमित की गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न श्रेणियों में पदों का समय-समय पर सृजन किया जाता है/जारी रखा जाता है। नियमों के तहत कार्मिक विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) सामयिक कार्य हेतु नैमित्तिक कार्मिकों की भर्ती पर कोई रोक नहीं है। दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को अवर श्रेणी लिपिकों तथा चपरासी के पदों पर पदोन्नत करने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) उपर्युक्त श्रेणियों समेत विभिन्न श्रेणियों में पदों का सृजन करते समय कार्यभार की वृद्धि पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है।

(घ) दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को दूरदर्शन महानिदेशालय में फरवरी, 1984 में चप-

दानियों के रूप में तदर्थ आधार पर लगाया गया था। उन सभी को नियत तारीख पर वेतनवृद्धि प्रदान कर दी गई थी।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

6170. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कर्मचारी सरकारी आवास पाने के अधिकारी हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस रूप में आवास प्रदान करता है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उनके द्वारा दिए गए मकान किराये की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। नीति के अनुसार सांविधिक निकायों के कर्मचारी सामान्य पूल वास के पात्र नहीं हैं। तथापि, न्यास के अध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सरकारी वास रखने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मौर्य एन्कलेव, पीतमपुरा में दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी के बूथ डिपो और सब्जी डिपो

6171. श्री राम बहादुर सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौर्य एन्कलेव (पीतमपुरा) दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के दुग्ध डिपुओं तथा मदर डेयरी के फल और सब्जी डिपो की अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी दुग्ध बूथ खोलने के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं। मौर्य इन्कलेव से मदर डेरी की फल

और सब्जी की दुकान खोलने के संबंध में कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) मदर डेरी का टोन्ड दूध बेचने के लिए दो उष्मारोधी आधान लगाए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली दुग्ध योजना के एक बूथ का निर्माण करने के लिए मोर्य एन्कलेव में स्थान आवंटित किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरिए दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद बूथ का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

अकाल संहिता में संशोधन

6172. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल संहिता लगभग 40 वर्ष पुरानी है और तब से इसमें कोई संशोधन/परिवर्तन अथवा सुधार नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस संहिता में संशोधन करने अथवा नई संहिता में संशोधन करने अथवा नई संहिता तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संहिता में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अकाल संहिताओं/सहायता मैनुअलों को अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया था और इनका प्रचलन काफी पहले से किया जा रहा है।

(ख) विभिन्न सहायता मैनुअलों को संशोधित करने और अद्यतन करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने फरवरी 1980 में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए नए सहायता मैनुअलों को तैयार करने के लिए और मौजूदा सहायता मैनुअलों को संशोधित करने/अद्यतन बनाने के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी हुए हैं।

(ग) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे अपने मौजूदा मैनुअलों को अद्यतन कर रहे हैं :—असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

मेघालय और सिक्किम राज्यों ने मैनुअल का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कर्नाटक सरकार नियमित रूप से एक प्रकाशन निकाल रही है जिसमें सूखे की स्थिति पर राज्य

सरकार के सभी आदेश कवर हो जाते हैं और राजस्व मैनुअल निकालने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें प्राकृतिक विपदाओं को शामिल किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूखा प्रबंध के लिए एक पुस्तक निकाली है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उनकी कोई अकाल संहिता नहीं है।

निर्माण विहार में आवासीय प्लाटों/मकानों का अन्तरण

6173. **श्री कमलनाथ : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली की एक कालोनी निर्माण विहार में पट्टादाता (लेसर) ने भूमि के पट्टेदार (लेसी) निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा सप्लाई कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड से परामर्श किए बिना ही सोसायटी के एक गैर-सदस्य को आवासीय प्लाटों/मकानों के अन्तरण की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अन्तरण से पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है और इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोधी कालोनी की अशुद्ध जल की पाइपलाइनों को बदलना

[हिन्दी]

6174. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के निर्माण के दौरान लोधी कालोनी के ब्लाक 18, 15 आदि में, जमीन के नीचे अशुद्ध जल की पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं जिसके परिणामस्वरूप वहां सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उन्हें बदलने के लिए धन राशि मंजूर की जा चुकी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें बदलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बदल दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के निर्माण से पानी के किसी पाइप को क्षति नहीं पहुंची थी। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वर्षा के पानी की नाली डालते समय लोधी कालोनी के ब्लाक सं० 18, 19 तथा 20 की पूर्ति करने वाली लगभग 30 मीटर माप का कच्चे पानी की सी० आई० पाइप लाइन का एक भाग हटा दिया गया

गया था। उक्त भाग विभागीय तौर पर बदल दिया गया था तथा कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था।

विजय मंडल एन्कलेव और ईस्ट कैलाश में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

[अनुवाद]

6175. **श्री अंकुल बशर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री विजय मंडल एन्कलेव और ईस्ट कैलाश में स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन के बारे में 13 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय मंडल एन्कलेव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत श्रेणी-II के फ्लैट आबंटितियों को देने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन फ्लैटों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफर) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कारणों से इन मकानों के निर्माण में विलम्ब हुआ है :—

1. पूर्ण स्थल उपलब्ध नहीं था।

2. अनुबन्धित निर्माण सामग्री की कमी।

3. उच्च न्यायालय से रोक आदेश।

(ग) निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 20 जून, 1985 तक पूर्ण हो जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन एक बहुमंजिली इमारत के ढांचे का गिरना

[हिन्दी]

6176. **श्री हरीश रावत :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन एक बहुमंजिली इमारत के "ढांचे" के गिरने की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार के कितने निर्माणाधीन कॉजवे के गिरने की घटनाएं हुई हैं, और उसके परिणामस्वरूप जान माल की कितनी हानि हुई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किस्म के कार्यों के गिरने की पिछले एक वर्ष में कोई घटना नहीं हुई है। तथापि नेहरू कैम्प, कालका जी एक्सटेंशन में पुस्ते की दीवार का एक भाग 21.3.85 को गिर गया था जिसमें दीवार के साथ रहने वाली एक औरत तथा 3 बच्चे मर गए थे।

(ग) विशिष्टियों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने में कठोर कोटि नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दोनों ही घटनाओं की जिम्मेवारी ठहराने व ऐसी घटनायें पुनः न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जांच की गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

अधिक दूध देने वाले पशुओं की नस्लें तैयार करना

[अनुवाद]

6177. **श्री ललितेश्वर साही** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम में वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए देश के अल्प दूधवाले क्षेत्रों में अधिक दूध देने वाले पशुओं की नस्लें तैयार करने की कोई योजना है; और

(ख) इस दिशा में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां। आपरेशन फ्लड गहन पशु विकास परियोजनाओं और मुख्य ग्राम खण्डों के बाहर हिमित वीर्य का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए आपरेशन फ्लड, पशु और भैंस विकास की कुछ स्कीमें/कार्यक्रम हैं। क्षेत्र में उच्च गुणवता के देशी सांडों को पैदा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों में कई पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। संकर नसल सांडों का संतति परीक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है।

बाल श्रम अधिनियम में संशोधन

6178. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम अधिनियम में संशोधन करके अधिनियम का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड देने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कानून कब तक पुरः स्थापित किया जायेगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) बालक नियोजन अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि बालकों के रोजगार से सम्बन्धित उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि की जा सके। इस सम्बन्ध में संशोधन विधेयक को संसद में शीघ्र पेश किए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में विशेषज्ञ एजेन्सी की सहायता

6179. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन लाने की दृष्टि से सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ एजेंसी की सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह एजेंसी अपना कार्य कब से शुरू करेगी;

(ग) क्या यह एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गए कार्यों का भी पुनरीक्षण करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) फिलहाल सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित दरों पर कोयले की सप्लाई हेतु और अधिक कोल डिपो खोलना

6180. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोगों के लाभ के लिए उचित दर की दुकानों की तुलना में कितने कोयला डिपो खोले गये हैं;

(ख) इन डिपुओं को खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और लोगों को

उचित दर पर कोयले की सप्लाई के लिए राज्यवार कितने कोयला डिपो खोले गए हैं; और

(ग) यदि इस प्रकार के डिपो नहीं खोले गये हैं तो क्या सरकार का विचार अब नये डिपुओं को खोलने का प्रबन्ध करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाएं

6181. **श्री बी० बी० देसाई**
श्रीमती किशोरी सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण और नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए 10 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य बातों पर विचार विमर्श किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये;

(घ) क्या मन्त्रालय ने यह सम्मेलन "यूनिसेफ" के सहयोग से आयोजित किया था; और

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान भारत में शहरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में कितनी सहायता देने के लिए "यूनिसेफ" सहमत हुआ है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) यूनीसैफ की सहायता से कार्यकरण की आगामी वृहद योजना, 1985-89 के दौरान देश में नए नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करने के लिए 10 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में नगरीय विकास के प्रभारी राज्य सचिवों एवं जिला कलक्टरों का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन सम्पूर्ण देश के चयनित जिलों में नगरीय गरीबों को मूलभूत सेवाएं बढ़ाने के प्रस्तावित नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों, दायरों तथा स्तरों पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से किया गया था।

(ग) सम्मेलन ने जिले को आयोजना की एक इकाई के रूप में लिए जाने, जिला कलक्टर के अपने जिले में नगरीय मूलभूत सेवा परियोजना के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण का जिम्मेवार होने के विचार की सरा-

हुना की थी। सम्मेलन में विभिन्न परियोजना औपचारिकताओं के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई थी, नामतः—

(i) यूनीसैफ के परामर्श से मन्त्रालय द्वारा विस्तृत कार्यात्मक मार्गनिर्देशनों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ii) नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक रूप में चयनित जिलों के बारे में 15 मई, 1985 तक राज्य सरकारों की पुष्टि।

(iii) 15 मई, 1985 तक राज्य सरकारों द्वारा सम्बन्धित जिलों के नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयकों का चयन।

(iv) नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयक हैदराबाद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेंगे।

(v) नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयक अपने प्रशिक्षण के बाद कार्य योजना तैयार करेंगे तथा इसे इस मन्त्रालय को 15 जुलाई, 1985 तक भेज देंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) यूनीसैफ ने कार्यकरण योजना 1985-89 के दौरान 92 लाख डालरों की सहायता का वचन दिया है। यूनीसैफ का वित्तीय वर्ष पंचाग वर्ष के आधार पर है तथा वर्ष 1985-86 में उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता विशेष रूप से उद्दिष्ट नहीं की गई है।

विदर्भ में फलों के लिए अनुसंधान केंद्र

[हिन्दी]

6182. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के बिदर्भ प्रभाग में संतरे और अन्य "साइट्रस" फलों के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु किस स्थान को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त केन्द्र कब तक काम करना प्रारम्भ करेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नागपुर, महोदया।

(ख) और (ग) संतरे की खेती की समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान हेतु छठी योजना के दौरान भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र को नागपुर में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य के लिए चयन किये गए स्थान को महाराष्ट्र सरकार जैसे ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को हस्तान्तरित कर देगी, इस संस्थान की स्थापना कर दी जाएगी। यह केन्द्र नागपुर संतरे की गम्भीर उत्पादन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करेगा और संतरे की खेती को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए उसकी क्वालिटी में सुधार लाएगा। संतरे के फल के महत्व और संतरे को प्रभावित करने वाली समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में इस केन्द्र को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा समय में यह प्रस्ताव भा० कृ० अ० प० की सातवीं योजना के एक भाग के रूप में योजना आयोग को भेजा गया है।

बाल श्रम रोजगार संबंधी विभिन्न अधिनियमों में अन्तर

[अनुवाद]

6183. **श्री गदाधर साहा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम रोजगार सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों में अंतर के मुद्दों और उनके परिणामस्वरूप उनके क्रियान्वयन में शिथिलता तथा इन अधिनियमों के उद्देश्यों में दोषों की उन्हें जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) बालकों के रोजगार के कारणों तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए श्री एम० एस० गुरुपदास्वामी की अध्यक्षता में बाल श्रम सम्बन्धी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने बालकों के रोजगार से संबंधित वर्तमान कानूनों को ध्यान में रखने के पश्चात, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि मूलभूत उद्देश्यों के बारे में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए, बालकों के रोजगार को विनियमित तथा उसे प्रतिषिद्ध करने से संबंधित वर्तमान कानूनों को एक व्यापक कानून में समेकित किया जाए।

इस सिफारिश को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया।

श्रम मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य श्रम मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिक संबंधी व्यापक कानून की आवश्यकता की जांच करेगी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे 11 मई, 1985 को श्रम राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखा जाएगा।

नई चीनी यूनिटों को सम्पत्त समिति की रियायतों की मंजूरी

6184. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) महाराष्ट्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जून, 1983 के पश्चात् कितने आशय-पत्र जारी किए गये थे;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने जून, 1983 के पश्चात् जिन यूनिटों को आशयपत्र जारी किये गए थे उन्हें वित्त प्रदान करने में अपनी असमर्थता घोषित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे आशयपत्रों को जारी करने की तारीख बढ़ाई जायेगी; अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की तारीख से उन्हें प्रभावी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) महाराष्ट्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जनवरी, 1983 के बाद नौ आशय पत्र जारी किये गये थे।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अंशपूंजी के प्रति सहायता के केन्द्रीय शेयर की मंजूरी के प्रस्ताव पर सम्बन्धित सहकारी समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के बाद विचार किया जाता है : --

(1) सहकारी समिति ने प्लांट और मशीनरी के लिए आर्डर दे दिए हों।

(2) सहकारी समिति ने अपनी ब्लाक पूंजी विषयक आवश्यकताओं के लिये वित्तीय संस्थाओं से आवधिक वित्त प्राप्त करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये हों। इस सम्बन्ध में आवधिक ऋण के लिए आवेदन पत्र कम से कम केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया हो।

(3) राज्य सरकार ने 70 लाख रुपये से अधिक शेयरपूंजी सुलभ की हो।

(4) उत्पादकों से शेयर पूंजी उपयुक्त स्तर तक पहुंच गई हो।

महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर, 1984 में उन 7 सहकारी चीनी फैक्ट्रियों, जिन्हें जून, 1983 के बाद आशय पत्र दिए गये थे, को वित्तीय सहायता सुलभ करने की आवश्यकता के बारे में कहा था। यह देखा गया था कि उपर्युक्त 7 यूनिटों ने विभिन्न शर्तें पूरी नहीं की थीं और इसलिए फरवरी, 1985 में महाराष्ट्र को तदनुसार सूचित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने केवल 2 यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये फरवरी/मार्च, 1985 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को

पुन: अनुरोध किया था, ये प्रस्ताव पूर्ण नहीं थे और इसलिये 1984-85 के दौरान इन्हें सहायता प्रदान करने के बारे में विचार नहीं किया जा सका था। तथापि, राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भेजने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन कम से कम 10 नये यूनिटों को सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। इनमें कम से कम महाराष्ट्र के वे छः यूनिट भी शामिल किये जा सकते हैं जिन्हें नवम्बर/दिसम्बर, 1983 में आशय पत्र जारी किये गये थे। तथापि, इस प्रस्ताव पर विहित शर्तें पूरी करने पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० में अनुसंधान गतिविधियां

6185. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० अनुसंधान केन्द्र को इस आधार पर कुछ भारतीय कानूनों से छूट दी गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्थापना है;

(ख) क्या हां, तो क्या आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० की अनुसंधान गतिविधियां अत्यधिक गोपनीय हैं यहां तक कि केन्द्र सरकार को भी उनकी जानकारी नहीं दी जाती है;

(ग) क्या भोपाल दुर्घटना के पश्चात सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० में अनुसंधान कार्य की जांच कराई जाए; और

(घ) क्या यह जिम्मेवारी यूनियन कार्बाइड प्रयोगशाला के प्रमुख को सौंपी गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) सरकार को अच्छी तरह इक्रीसेट की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी है तथा वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग और इक्रीसेट के बीच घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है।

(ग) और (घ) सरकार ने इक्रीसेट की अनुसंधान गतिविधियों की कोई जांच या किसी तहकीकात की घोषणा नहीं की है न ही जिस तहकीकात का जिक्र किया गया है उसमें तथा इक्रीसेट के बीच कोई सम्बन्ध ही है।

दक्षिणी अफ्रीका के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रतिबंध

6186. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी अफ्रीका के साथ राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है और भारत भी इन प्रतिबंधों का एक पक्षकार है;

(ख) क्या दक्षिणी अफ्रीका में निर्मित दो फिल्में इस समय भारत में दिखाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का अपमान हुआ है और इस उल्लंघन के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(घ) इस गम्भीर गलती को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प के अनुसार, दक्षिणी अफ्रीका के साथ राजनैतिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, संचार और परिवहन तथा आदान-प्रदान के अन्य रूपों पर पूर्णत: प्रतिबन्ध है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन संकल्पों में पूर्ण भागीदार है तथा इस पूर्ण प्रतिबन्ध का पालन करता है।

(ख) से (घ) यह आरोप है कि "गोड्स मस्ट बी क्रेजी" तथा "ब्यूटीफुल पीपल" नामक फिल्में, जिन्हें भारत में दिखाया जा रहा है, का निर्माण दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। इन फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा क्रमश: 1982 तथा 1979 में प्रमाणित किया गया था।

(1) **"गॉड्स मस्ट बी क्रेजी"**—इस फ़िल्म का आवेदक मैसर्ज सुजातास, मद्रास-8 था। आवेदक के अनुसार, इस फिल्म का निर्माण ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में किया गया था। आवेदन पत्र के कालम 11 में जिसमें यह सूचना पूछी गई थी कि क्या फिल्म दक्षिणी अफ्रीका या रोडेशियन राष्ट्रिकों आदि द्वारा या उनके सहयोग से बनाई गई थी, आवेदक ने "लागू नहीं होता" घोषित किया था। आवेदक के अनुसार, फिल्म को खुले साधारण लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया गया था।

(2) **"ब्यूटीफुल पीपल"**—प्रमाणन के लिए आवेदन पत्र 23.10.79 को प्राप्त हुआ था। आवेदक ने आवेदन-पत्र में यह बताया था कि फिल्म का निर्माण अमरीका में हुआ था और इसको लाइसेंस संख्या 1841943, दिनांक 18.7.77 के अन्तर्गत आयात किया गया था।

इन प्रश्नों कि इन क्या इन दिनों फिल्मों का निर्माण वास्तव में दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था और यदि हुआ था तो इन फिल्मों का भारत में आयात करने की अनुमति किस प्रकार दी गई, सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

भारतीय मानक संस्थान की छाप वाले उत्पादन

6187. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी कम्पनियों के उत्पादों के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा जून, 1984 तक

से अप्रैल, 1985 तक भारतीय मानक संस्थान के व्यापार चिह्न उपलब्ध कराए हैं और उनके उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : भारतीय मानक संस्था द्वारा जून, 1984 22 अप्रैल, 19 5 तक की अवधि के दौरान मंजूर किये गये लासेंसों की संख्या 1061 है। लाइसेंस-धारियों के नाम और उन उत्पादों, जिनके लिए लाइसेंस मंजूर किये गये हैं, से संबंधित भारतीय मानक हर महीने आई०एस० आई० बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं।

काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि

6188. श्री के० मोहन दास : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के उत्पादन के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या काली मिर्च की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च का अखिल भारतीय उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1981—82	29.2 हजार टन
1982—83	26.6 हजार टन
1983—84	23.0 हजार टन

(ख) और (ग) मसालों और काजू संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान सुधार परि-योजना के अन्तर्गत पन्नीयूर (केरल), चिन्तापल्ली (आंध्र प्रदेश) और सिरसी (कर्नाटक) स्थित केन्द्रों और केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान के कालीकट क्षेत्रीय केन्द्र में भी काली मिर्च के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानीकारा त्रिचूर और केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल में आई० डी० ए० से सहायता प्राप्त परियोजना (केरल कृषि विकास परियोजना) का एक अनुसंधान घटक भी प्रगति पर है। इन अनु-संधान कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियां ये हैं :—काली मिर्च के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की त्वरित पद्धति का मानकीकरण, क्रमबद्ध कवकनाशी "मेटालकसाइल" का विकास, जिसे काली मिर्च आदि के "त्वरित गलन रोग" के लिये प्रभावी पाया गया है।

निजी क्षेत्र में पांच दिन का कार्य सप्ताह

6189. श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में भी "पांच दिन का कार्य सप्ताह" कार्यान्वित करने का विचार है जैसा कि सरकारी कार्यालयों के मामले में किया जा रहा है, और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार को इस पद्धति से राजस्व की कोई हानि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मदर डेरी, दिल्ली की सब्जी परियोजना

6190. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए मदर डेरी की सब्जी परियोजना पर भूमि के वाणिज्यिक मूल्य सहित कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक सब्जी 'बूथ' का वाणिज्यिक किराये सहित कर्मचारियों और सेवाओं का मासिक परिचालन व्यय कितना है;

(ग) प्रत्येक सब्जी 'बूथ' से कितनी बिक्री होती है;

(घ) क्या सब्जियां सीधे किसानों से खरीदी और लाई जा रही हैं और यदि हां, तो किसानों को दिये जाने वाले मूल्यों और उपभोक्ता मूल्यों में कितना अन्तर है;

(ङ) क्या मदर डेरी के सब्जी बूथों के उपभोक्ता मूल्य दिल्ली में आम खुदरा सब्जी विक्रेता द्वारा किए जाने वाले मूल्यों के बराबर है; और

(च) यदि हां, तो सहकारी समिति स्थापित किए बिना ये बूथ खोलने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दिल्ली में फल और सब्जी वितरण की परियोजना रिपोर्ट में कुल निवेश 25.22 करोड़ रुपये होने का विचार है। खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 125 रुपये प्रति प्लाट की मासिक लाइसेंस शुल्क पर प्लाट आबंटित किये हैं। अतः वाणिज्यिक किराया मूल्य का प्रश्न ही नहीं होता। फल और सब्जी के खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रबंध छूटग्राहियों द्वारा किया जाता है जिन्हें उनको दिये गए उत्पाद पर 8 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कमीशन दी जाती है। खुदरा केन्द्रों पर पानी, बिजली आदि जसी सेवाओं पर हुए व्यय को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) पहली मई से सात मई 1985 तक 10 खुदरा केन्द्रों की औसत बिक्री कारोबार लगभग 95 क्विंटल प्रतिदिन था जिसका मूल्य मोटे तौर पर 33.000 रुपये था।

(घ) इस समय लगभग 50 प्रतिशत सब्जियों की खरीद सीधे किसानों से की जाती है। सब्जियों का मूल्य दिन-प्रति-दिन भिन्न-भिन्न होता है और बेची जा रही विभिन्न सब्जियों के उपभोक्ता और उत्पादकों के मूल्य का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ङ) खुदरा केन्द्रों से की गई बिक्री कारोबार से यह प्रकट होता है कि दिल्ली में औसत सब्जी विक्रेता की तुलना में मदर डेरी के खुदरा केन्द्रों के जरिए सप्लाई किए जा रहे फलों और सब्जियों के मूल्य उनकी गुणवता की दृष्टि से लाभकारी हैं।

(च) दिल्ली के उपभोक्ताओं की उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म के फल और सब्जियां सप्लाई करने के लिए बूथों की स्थापना की गई है इस कार्यक्रम को फल और सब्जी उत्पादकों की सहकारी समितियों का गठन करके सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

बाल श्रम संबंधी गोष्ठी

6191. श्री विजय कुमार मिश्र
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में हाल ही में बाल श्रम के बारे में हुई गोष्ठी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गोष्ठी में उपस्थित विभिन्न सामाजिक कार्यवाही दलों ने बाल श्रम कल्याण और श्रम संबंधी नियमों के कार्यान्वयन को देखने के लिए एक महा-संरक्षक की नियुक्ति की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) सरकार को सेन्टर आफ कन्सर्न फार चाइल्ड लेबर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के बारे में जानकारी है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, प्रो० के० डी० गंगराडे ने सेमिनार में कहा कि बाल कल्याण और श्रम कानूनों का कार्यान्वियन देखने के लिए सरकार को एक महासंरक्षी नियुक्त करना चाहिए। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवेक बिहार के निकट बाजार की सुविधा देने की व्यवस्था

6192. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेक विहार के निकट योजना विहार, मानक विहार, श्रेष्ठ विहार, विज्ञान विहार कालोनियों में बड़ी संख्या में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन कालोनियों में बाजार सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी, यदि हां, तो कब; और

(ग) ये सुविधा उपलब्ध कराने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने योजना विहार में दो सुविधा बाजार केन्द्रों तथा श्रेष्ठ विहार में एक सुविधा बाजार के विन्यास नक्शे अनुमोदित कर दिए हैं और निर्माण के लिए विस्तृत अनुमानों को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण विज्ञान विहार में भी एक सुविधा बाजार की योजना बना रहा है। मानक विहार के विन्यास नक्शे में विपणन केन्द्र के लिए कोई स्थल नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि इन कालोनियों में पूर्ण बसावत होने से पूर्व ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जारी निदेशों पर कार्यवाही

6193. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मुकदमें में अपने निर्णय में केन्द्र और हरियाणा सरकार को जारी किये गये 21 निदेशो का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजूकेशन ने उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार समाज कल्याण और श्रम कानूनों के अन्तर्गत श्रमिकों को प्राप्त अधिकारों और लाभों से श्रमिकों को अवगत कराने के लिए फरीदाबाद जिले में उन स्थानों के निकट, जहां पर पत्थर की खदान और स्टोन क्रशर्स स्थित है, समय-समय पर शिविरों का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) ये निदेश बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन सतर्कता समितियों को गठित करने, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने, फरीदाबाद में पत्थर खदानों और क्रशरों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी करने, ट्रक आधार पर अदायगी के मामले में सही मजदूरी का भुगतान करने, बिना किसी बिचौलिए या मध्यस्थों को शामिल किये मजदूरी की सीधे अदायगी करने, श्रमिकों को विभिन्न समाज कल्याण तथा श्रम कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए फरीदाबाद जिले में पत्थर खदानों और क्रशरों के कार्यस्थलों के निकट कैंम्पों का समय-समय पर आयोजन करने, स्टोन क्रशरों द्वारा छोड़ी गई धूल पर नियंत्रण रखने; श्रमिकों के लिए शुद्ध पेय जल की सप्लाई करने; सफाई और पर्याप्त प्रथमोपचार तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

करने; विस्फोटन संक्रियाओं में लगे श्रमिकों के प्रशिक्षण; महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति प्रसुविधा और शिशुसदन सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा श्रमिकों को चोट की दशा में मुआवजे के मामलों का शीघ्र निपटान करने आदि से संबंधित है।

इन निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई थी और केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा सरकार ने निदेशों के कार्यान्वियन की अद्यतन स्थिति को स्पष्ट करने वाला प्रति-शपथ पत्र (काउन्टर एफीडेविट) दायर किया था। इस मामले में बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में अवज्ञा याचिका दायर की है। अपने 24-4-1985 के आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वे निदेशों के कार्यान्वियन की नवीनतम स्थिति को स्पष्ट करने वाला प्रति-शपथपत्र दायर करें। उन निदेशों के बारे में, जिनसे केन्द्रीय सरकार संबंधित है, नवीनतम स्थिति को स्पष्ट करने वाला प्रति-शपथपत्र उच्चतम न्यायालय में 7 मई, 1985 को पहले ही दायर किया जा चुका है। हरियाणा सरकार अपना प्रति-शपथपत्र पृथक से दायर कर रही है।

(ख) जी, हां। अब तक, विभिन्न स्थलों पर 20 ऐसे शैक्षणिक कैम्पों का आयोजन किया गया है, जिनमें 850 श्रमिकों ने भाग लिया।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण

6194. **श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण हो रहा है;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में भी प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में ऐसे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। जिन राज्यों में प्राइमरी स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन दिया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं निर्माण की

विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तथापि यह आशा की जाती है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सूचना कुछ समय बाद उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि वर्ष 1984-85 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु परियोजनाएं अनमोदित की गई हैं।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. मध्य प्रदेश
7. मणिपुर
8. मेघालय
9. नागालैण्ड
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. सिक्किम
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल
15. चण्डीगढ़

स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा उठाई गई हानि

6195. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया के प्रत्येक एकक द्वारा कितना घाटा उठाया गया;

(ख) प्रत्येक यूनिट कहां-कहां पर स्थित है, किस क्षेत्र में है तथा उसमें अब तक कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) प्रत्येक फार्म में हानि की संभावना को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कृषि मुख्य रूप से पानी पर निर्भर करती है, अतः निगम की मुख्य बाधाओं में कुछ फार्मों अर्थात् सूरतगढ़ तथा सरदारगढ़ में संकट के समय पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध न होना है। इस बाधा को दूर करने के लिए घग्गर दबाव से सम्बद्ध वाहिका का निर्माण किया जा रहा है। आस-पास के गांवों के पशुओं द्वारा जबरदस्ती चराई की वजह से फसलों को क्षति हुई है और इसकी परिणामी हानियां खतरा बन गई। राजस्थान सरकार ने स्थानीय लोगों के परामर्श से एक समिति नियुक्त की है, जिसने नियंत्रित प्राधिकृत चराई की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है। सिंचाई की क्षमता का सुधार करने तथा रिसने से होने वाली पानी की बरबादी कम करने के लिए जेतसर, हिसार तथा बहराईच के फार्मों में जल-पथ तेजी से पक्का किया जा रहा है। विविध कार्यकलाप शुरू किए गए हैं और जेतसर तथा कन्नानोर फार्मों में पशुपालन एकक और बहराईच तथा कोकिलाबारी फार्मों में मात्स्यकी एकक स्थापित करने की योजना है। निगम का क्षेत्र तथा चारा उत्पादन सहित कुछ फार्मों में वानिकी एकक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त, हानियों को कम करने तथा कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :—

(क) प्रत्येक एकक में भूमि तथा सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग;

(ख) फसलों की बुवाई पूर्णतः इष्टतम नमी की स्थिति और विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार की गई।

(ग) उर्वरकों और कृषि रसायनों जैसे विभिन्न आदानों की ठीक समय पर आपूर्ति और उपयोग को सुनिश्चित करना;

(घ) बजट पर कड़ा नियंत्रण करना; और

(ङ) दोषी कर्मचारियों के लिए कड़े अनुशासनात्मक उपाए लागू करना।

विवरण]

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के स्थान, क्षेत्र, किया गया निवेश तथा एककों को हुई हानियां

अनुबंध—1

(लाख रुपए)

(30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष)							
राज्यवार स्थान	सूरतगढ़ (राजस्थान)	सरदारगढ़ (राजस्थान)	जेतसर (राजस्थान)	हिसार (हरियाणा)	लाधोवाल (पंजाब)	रायचूर (कर्नाटक)	चेन्नम (तमिलनाडु)
क्षेत्र हैक्टेयर में	5,127	5,996	5,393	2,715	1,163	2,960	3,906
30 जून, 1984 को निवल निवेश (लाख रुपये)	211.44	218.99	187.52	236.39	99.13	106.20	99.88
संचित हानियां सहित	—	14.23	—	—	93.13	270.44	178.60
(कुल निवेश)	211.34	233.22	187.52	236.39	192.26	376.64	278.48
प्रत्येक एकक की हानि लाभ (—) (+) (लाख रुपए)	मुख्यालयों का व्यय शामिल नहीं किया है।						
वर्ष 1981-82 के लिए	(—) 4.21	(+) 0.08	(+) 37.34	(+) 105.19	(—) 19.06	(—) 36.97	(—) 11.29
वर्ष 1982-83 के लिए	(—) 14.52	(—) 13 56	(+) 26.83	(+) 98.37	(+) 2.69	(—) 39.32	(—) 14.10
वर्ष 1983-84 के लिए	(—) 35.69	(—) 71.66	(—) 39.63	(+) 37.67	(—) 8.06	(—) 28.07	(—) 35.43
वर्ष 1984-85 के लिए (संभावित)	(+) 70.00	(—) 13.00	(—) 12.00	(+) 140.00	(+) 1:00	(—) 34·00	(—) 20.00

(लाख रुपए)

(30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष)						
राज्यवार स्थान	कोकिलाबारी (उड़ीसा)	कन्नानोर (केरल)	रायबरेली (उ० प्रदेश)	बहराईच (उ० प्रदेश)	भोपाल (म० प्रदेश)	भूमि विकास एकक (राजस्थान)
क्षेत्र हैक्टेयर में	1,986	3,060	191	3,828	**	
30 जून, 1984 को निबल निवेश (लाख रुपए)	98.79	431.43	17.04	283.16	5.38	11.42
संचित हानियां	94.40	48.40	27.29	302.84	0.08	—
(कुल निवेश) हानियों सहित	193.19	479.83	44.33	586.00	5.46	11.42
प्रत्येक एकक की हानि/लाभ (—) (+) (लाख रुपए)						
वर्ष 1981-82 के लिए	(—) 6.97	(+) 1.85	(—) 1.28	(—) 32.00	—	(+) 2.83
वर्ष 1982-83 के लिए	(+) 3.59	(—) 5.30	(—) 2.52	(—) 35.09	—	(—) 1.92
वर्ष !983-84 के लिए	(+) 4.89	(—) 20.01	(—) 3.60	(-) 34.58	(—) 0.08	(+) 7.11
वर्ष 1984-85 के लिए (संभावित)	(+) 7.00	(+) 3.00	(—) 1.50	(—) 45.00	(—) 16.50	(+) 3.00

**शुरू किए जाने की प्रक्रिया में

मुख्यालयों का व्यय शामिल नहीं किया है।

30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष

दिल्ली दूरदर्शन में प्रोडक्शन एसिसटेन्ट्स की नियुक्ति

6196. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1984 में दिल्ली दूरदर्शन में प्रोडक्शन एसिसटेन्ट्स की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या इस समिति ने चयन कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) क्या महानिदेशक, दूरदर्शन को चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रोडक्शन कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रोड्क्शन एसिसटेंटों की नियमित भर्ती के लिए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा उम्मीदवारों के चयन के विरुद्ध कुछ नैमित्तिक प्रोड्क्शन एसिसटेंटों के अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

6197. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देने की अधिकतम सीमा और नियम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : इस विषय में गृह निर्माण अग्रिम नियमावली के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं :—

(1) **पात्रता** : गृह निर्माण अग्रिम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को स्वीकृत किया जाता है :—

(i) स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी।

(ii) वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो उपर्युक्त श्रेणी (I) में नहीं आते हैं तथा जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की लगातार सेवा कर ली है बशर्ते कि वे किसी राज्य सरकार के अधीन स्थायी नियुक्ति न रखते हों तथा स्वीकृति दाता प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवा कम से कम तब तक करते रहने की सम्भावना है जब तक मकान निर्मित होता है जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया जाता है अथवा सरकार को रहन किया जाता है।

(iii) केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

(2) **प्रयोजन** : अग्रिम निम्नलिखित के लिए स्वीकृत किया जाता है :—

(i) नए मकान का निर्माण/तत्काल क्रम आधार पर बने बनाए फ्लैट का अर्जन।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नौएडा आदि की स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना के अन्तर्गत किसी फ्लैट की खरीद।

(iii) सरकारी कर्मचारी के स्वामित्वाधीन वर्तमान मकान के विद्यमान वास का विस्तार।

(3) **अग्रिम की मात्रा** : नए मकान के निर्माणार्थ बने बनाए मकान/फ्लैट के अर्जन हेतु अग्रिम की मात्रा निम्नलिखित है :—

(i) 100 माह का वेतन अथवा

(ii) 1.25 लाख रुपये (40,000) रुपये विस्तार के मामले में अथवा

(iii) अदायगी क्षमता अथवा

(iv) निर्माण की लागत/प्रारम्भिक पंजीकरण के लिए अदा की गई राशि के अलावा फ्लैट का मूल्य, उपर्युक्त में जो भी कम हो।

(4) **मूल्य की अधिकतम सीमा** : निर्मित/खरीदे गए मकान का मूल्य निम्नलिखित से अधिक न हो :—

(क) उन कर्मचारियों के लिए 1.25 लाख रुपये जिनका 100 माह का मूल वेतन 80,000- रुपये तक है।

(ख) उन कर्मचारियों के लिए 2.00 लाख रुपये जिनका 100 माह का वेतन 80,000 रुपये से अधिक परन्तु 1,70,000 रुपये तक है।

(ग) उन कर्मचारियों के लिए 3.00 लाख रुपये जिनका 100 माह का मूल वेतन 1,70,000 रुपये से अधिक है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले बच्चों के लिए चिकित्सा सहायता

[हिन्दी]

6198. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार

कामकाजी बच्चों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाते हेतु उन्हें मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में नियोजित बाल श्रमिक, जो प्रतिदिन 6/— रुपये से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पहले ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा और नकद लाभों के पात्र हैं। सामान्यत: बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में इस योजना का और विस्तार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

भोजन उपलब्ध न होना

[अनुवाद]

6199. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्यान्नों के सम्बंध में काफी हद तक आत्म निर्भर हो गया है, फिर भी काफी संख्या में लोगों को प्रतिदिन भूखे ही सो जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) 1950-51 से 1983-84 के खाद्यान्य उत्पादन की 2.61 प्रतिशत वृद्धि की मिश्रित दर, इसी अवधि के दौरान जनसंख्या की 2.26 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले महत्त्वपूर्ण रूप से अधिक थी। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 1979-80 से 1983-84 की अवधि के दौरान और बढ़ कर 4.3 प्रतिशत हो गई, जो छठी योजना के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक थी। 1983-84 में खाद्यान्नों का 1515 लाख मी० टन का रिकार्ड उत्पादन होने और उसके बाद 1984-85 में फिर भरपूर फसल होने से घरेलू उपलब्धता को सहज बनाने के अलावा महत्त्वपूर्ण बफर स्टाक बनाने और खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। पहले किए गए करारों को निभाने के अलावा, खाद्यान्नों का निर्यात पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, सरकार की नीति देश के सभी भागों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने की रही है, ताकि सभी लोगों को उनकी जरूरत के खाद्य पदार्थ हर समय उपलब्ध रहें और वे उन्हें खरीद सकें। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के पैकेज के जरिए, सरकार उन लोगों की क्रय-शक्ति में सुधार कर रही है, जिन्हें गरीबी के कारण भोजन नहीं मिल पाता है।

सह खेती

[हिन्दी]

6200. श्री जी० जी० स्वैल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक किसान सह खेती को अपना रहे हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा इस प्रकार की खेती का अधिक प्रचलन है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार की खेती को लोकप्रिय बनाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां, जोखिम को कम से कम करने और प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाने की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में कृषि जलवायु स्थितियों के लिए अनुकूल फसलों के उपयुक्त संयोजनों द्वारा सहखेती की जा रही है ।

(ख) और (ग) दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियों में से एक नीति ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, तम्बाकू और गेहूं के साथ अंत: फसल (या सहखेती) करना है । यह प्रथा अधिकतर राज्यों और खासतौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में लोकप्रियता हासिल कर रही है । यह देखा गया है कि उत्पादन आमतौर पर उन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जहां इस प्रथा को अधिसंख्य किसानों द्वारा अपनाया गया है ।

अरहर की प्रति हेक्टेयर उपज

[अनुवाद]

6201. श्री बेकमाड़ा पापी रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1960-61 में अरहर की उपज 849 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 1982-83 में यह कम होकर 678 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) मन्त्रालय मे अनुसंधान तथा विकास विंग को उपयोगी योगदान के लिए पुनर्गठित करने के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अरहर की प्रति

हेक्टेयर उत्पादकता 1960-61 में 849 किलोग्राम, 1982-83 में 680 किलोग्राम और 1983-84 में 769 किलोग्राम थी। अरहर सहित दलहनों की खेती आमतौर पर वर्षासिंचित परिस्थितियों में और छोटे और सीमांत किसानों द्वारा अर्थात् अधिक उपज देने वाली क़िस्मों के बीज, उर्वरक, वनस्पति संरक्षण इत्यादि आदानों का प्रयोग किये बिना की जाती है। इसके अलावा, यह फसल कुहरे और कृमि रोगों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। इस प्रकार, इसकी उत्पादकता किसी भी साल मौसमी परिस्थितियों और वर्षा के व्यवहार के साथ घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) अरहर सहित कृषि फ़सलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के अनुसंधान और विकास स्कंध को लगातार सज्जित किया जाता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा
विज्ञापनों पर व्यय की गई धनराशि

6202. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उसके द्वारा जारी किए गये सभी विज्ञापनों पर वर्ष वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उपरोक्त चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न समाचार पत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों का राज्य वार अनुपात/उन पर व्यय की गई धनराशि क्या है;

(ग) उपरोक्त चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी-वार बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों का अनुपात/उन पर व्यय की गई धनराशि क्या है; और

(घ) उपरोक्त चार वर्षों के दौरान वर्ष वार अंग्रेजी और भाषा समाचारपत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों का भाषा-वार अनुपात/उन पर व्यय की गई धनराशि क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान, वर्ष-वार सरकारी तौर पर निकाले जा रहे एम्पलायमेंट न्यूज रोजगार समाचार को जारी किये गए विज्ञापनों पर हुए व्यय की राशि को छोड़कर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी किए गये विज्ञापनों पर हुआ कुल व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1981-82	3,92,39,879
1982-83	3,99,67,460
1983-84	3,92,43,826

वर्ष 1984-85 के बारे में इसी प्रकार की सूचना का संकलन किया जा रहा है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इन रिकार्डों को राज्य वार नहीं रखता है।

(ग) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के बारे में वर्ष वार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। 1984-85 के बारे में इसी प्रकार सूचना का संकलन किया जा रहा है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(घ) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के बारे में विचार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई और वर्ष 1984-85 के बारे में इस प्रकार की सूचना संकलित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

विवरण-I

श्रेणी	खर्च की गई राशि (रुपयों में)	प्रतिशतता
	(रोजगार समाचार/एम्पलायमेंट न्यूज को जारी किए गए विज्ञापनों पर हुए खर्च की राशि को छोड़कर)	
	1981-82	
बड़े	1,96,36,913	50.04
मझोले	1,02,89,770	26.22
छोटे	93,13,196	23.74
	1982-83	
बड़े	1,34,90,978	33.76
मझोले	1,28,26,730	32.09
छोटे	1,36,49,752	34.15
	1983-84	
बड़े	1,50,51,307	38.55
मीडियम	1,26,82,362	32.48
छोटे	1,13,10,157	28.97

विवरण-II

भाषा	1981-82 (रुपयों में)	प्रतिशतता	1982-83 (रुपयों में)	प्रतिशतता	1983-84 (रुपयों में)	प्रतिशतता
अंग्रेजी	11842645	30.18	7241349	18.12	8808870	22.56
हिन्दी	10031103	25.56	13332897	33.36	12624664	32.33
उर्दू	2661522	6.79	3566958	8.93	2962265	7.59
पंजाबी	842642	2.15	1253976	3.14	1043720	2.67
सिंधी	168621	0.43	153199	0.38	142179	0.36
गुजराती	2123436	5.41	2214647	5.54	2064187	5.29
मराठी	2134718	5.44	2527699	6.33	2533879	6.49
बंगला	3306235	8.43	2663472	6.67	2654095	6.80
मणिपुरी	44223	0.11	36803	0.09	41005	0.11
असमी	348039	0.89	352268	0.88	347384	0.89
उड़िया	475705	1.21	580879	1.45	639668	1.64
तमिल	1360852	3.47	2013279	5.04	1781001	4.56
तेलुगु	1076558	2.74	1092424	2.73	828419	2.12
मलयालम	1976027	5.04	1915849	4.79	1706999	4.37
कन्नड़	816183	2.08	972167	2.43	782522	2.00
मिजो/खासी	29336	0.07	21749	0.06	40558	0.10
कोंकणी	478	0.00	9335	0.02	6543	0.02
संस्कृत	1343	0.00	13354	0.03	25932	0.07
नेपाली	213	0.00	5156	0.01	9976	0.13
योग :	39239879	100.00	39967460	100.00	39043826	100.00

नोट : उपरोक्त विवरण में सरकारी तौर पर निकाले जा रहे एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को जारी किए गए विज्ञापनों की लागत शामिल नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियां पता लगाने के लिए एक आयोग

6203. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियां पता लगाने के लिए कोई आयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और इस प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास निरन्तर चलते रहते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए एक आयोग की स्थापना आवश्यक नहीं समझी जाती है।

पश्चिम बंगाल के लिए गृह-निर्माण योजनाओं हेतु धनराशि

6204. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण योजनाओं के लिए धनराशि की पश्चिम बंगाल सरकार के गृह निर्माण योजनाओं के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 की मांग पूरी नहीं की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कम धनराशि दिए जाने के कारण कलकत्ता महानगर की गन्दी बस्तियों तथा पश्चिम बंगाल के दूरस्थ गांवों में हालत बिगड़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों में हालत को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आवास के लिए निधियों की पश्चिम बंगाल शासन की मांग को 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पर्याप्त रूप से पूर्ण कर दिया गया है।

(ख) और (ग) "आवास" तथा "नगर विकास" दोनों ही राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार आवास तथा मलिन बस्ती सुधार योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वयन करने में स्वतंत्र हैं। केन्द्रीय सहायता समे-

कित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विकास शीर्ष या योजना से सम्बन्धित नहीं होती है।

केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में संशोधन

6205. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल केन्द्रीय सूचना सेवा नियम 1959 में आज तक कितने संशोधन किए गए है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में अभी तक 84 संशोधन किए गए हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

[**देखिए संख्या एल० टी०** —113 65]

मोटे अनाजों का उत्पादन

6206. **श्री जी० भूपति** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज की उत्पादकता में 1975-76 से गत्यावरोध है और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है,

(ख) क्या कृषि अनुसंधान और विकास के आधार भूत ढांचे की असफलता के कारण मोटे अनाजों की 1981-82 में प्राप्त की गई 733 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर कायम नहीं रखी जा सकी है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास विभाग में सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। 1975-76 से पिछले वर्षों की तुलना में 1983-84 में मोटे अनाजों की प्राप्त की गई उत्पादकता, काफी अधिक थी। तथापि, अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र के विस्तार, नई फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का विस्तार, अधिक उपज देने वाले संकर किस्मों के अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन, आदानों, अर्थात बीज, उर्वरक, वनस्पति रक्षण रसायनों की समय पर और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई इत्यादि के द्वारा उत्पादकता में सुधार करने के उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1983-84 में प्रति हैक्टेयर 818 किलोग्राम की उत्पादकता प्राप्त किया जाना सम्भव हुआ है।

(ग) उत्पादकता में सुधार करने के कार्यकलाप जारी हैं और अनुसंधान और विकास, दोनों पहलुओं से मजबूत किए जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के तहत कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने अधिक उपज देने वाले कई संकर/किस्मों को विकसित किया है, जो पद्धतियों के सुझाए गए पैकेज को अपनाने पर प्रति हैक्टेयर 2 से 6 मीटरी टन की उपज देने में सक्षम हैं। राज्यों के कृषि विभागों द्वारा चलाई गई विस्तार प्रणाली प्रौद्योगिकी के अन्तरण के कार्य में लगी हुई हैं।

हाल में जारी की गई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए मिनिकिट प्रदर्शनों की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन

6207. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार शीघ्र ही भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कौन-कौन सी ट्रेड यूनियनों को बुलाया जाएगा;

(ग) क्या इस सम्मेलन में भाग लेने के बारे में यूनियनों में मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कौन-कौन से विषयों पर चर्चा होगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) जी, हां। सम्मेलन का समय, गठन और कार्यसूची की मदों के बारे अभी निर्णय नहीं किया गया है।

बम्बई में पेय जल योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

6208. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की कुछ पेयजल योजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा सम्बन्धित योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध न कराये जाने के कारण ये योजनाएं लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सहायता कब तक उपलब्ध हो जाएगी और ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) ने बम्बई की प्रथम जल सप्लाई तथा मल निर्यात परियोजना के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण दिया था । यह योजना पहले ही पूर्ण हो गई है ।

विश्व बैंक ने बम्बई की द्वितीय जल सप्लाई तथा मल निर्यास परियोजना जो इस समय कार्यान्वित की जा रही है के लिए 196 मिलियन अमेरिकी डालर का दूसरा ऋण भी स्वीकृत किया है । इस परियोजना का लक्ष्य शहर की जल सप्लाई को 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन बढ़ाने का है ।

भारत सरकार ने बम्बई की तीसरी जल सप्लाई तथा मल निर्यास परियोजना के लिए भी विश्व बैंक से अनुरोध किया है । इस परियोजना का लक्ष्य जल सप्लाई को 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन बढ़ाने का है । इस परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने का मामला बैंक के विचाराधीन है ।

(घ) बम्बई की द्वितीय जल सप्लाई तथा मल निर्यास योजना का मार्च 1987 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय मरुभूमि उद्यानों का विकास

[हिन्दी]

6209. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों का विकास किया गया है और उनसे देश के विकास को गति देने में किस प्रकार सहायता मिली है;

(ख) राष्ट्रीय मरुभूमि उद्यान, जैसलमेर की अब तक की विशेष उपलब्धि क्या है; और

(ग) इससे मरुभूमि का विकास करने में अब तक कितनी सहायता मिली है और उक्त राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देश में विभिन्न पारिस्थितिक पद्धतियों की पारिस्थितिक, जीवजन्तु विज्ञान, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान तथा प्राणि-विज्ञान जैसी विशेषताओं के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिक प्रक्रियाओं तथा उत्पत्ति सम्बन्धी विविधताओं को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है । इस तरह ये देश की पारिस्थितिक सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करते हैं । देश में अब तक 54 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है । जिन स्थानों पर ये उद्यान स्थापित किए गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) जैसलमेर में स्थापित राष्ट्रीय मरुभूमि उद्यान का उद्देश्य जैसलमेर तथा

बाड़मेर जिलों में लगभग जिलों में लगभग 3000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में मरूभूमि की प्राकृतिक पारिस्थितिक पद्धति को पुन: सृजित करना तथा उसको वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में मरूभूमि के प्राकृतिक वास की सुरक्षा, मरूस्थलों पौधों का पुन: सृजन, जल संरक्षण, नदियों, उथले नालों का निर्माण, वुड फासिल उद्यान आदि की स्थापना कार्य शामिल है।

बाड़ लगाने, पुन: बीज बोने, पानी के गड्डों का विकास तथा जल संरक्षण जैसे कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं। लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि पर बाड़ लगाई गई है तथा उस पर सिवान घारा तथा मरूस्थली पौधे लगाए गए हैं। 240 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए गए हैं तथा जैसलौर जिले के अकाल स्थान पर वुड फासिल उद्यान का विकास किया गया है। छ: उथले नालों, आठ तालाबों, 2 ट्यूबवैलों तथा 5 नदियों का निर्माण किया गया है। उद्यान अभी निर्माणाधीन है अत: मरूभूमि क्षेत्रों के विकास तथा वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं के संरक्षण की दिशा में इसके योगदान का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

विवरण

1-1-1985 को भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

क्रम संख्या	राष्ट्रीय पार्क का नाम	जिला जहां उद्यान स्थित है	क्षेत्र वर्ग कि० मी० में
1	2	3	4
		असम	
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	सिबसागर तथा नाओगांव	430.00
		गुजरात	
1.	गिर राष्ट्रीय उद्यान	जूनागढ़	24.50
2.	वंसदा राष्ट्रीय उद्यान	वल्साड़	24.50
3.	मैरीन राष्ट्रीय उद्यान	जामनगर	110.00
4.	बेलावादर राष्ट्रीय उद्यान	भावनगर	17.83
		जम्मू व कश्मीर	
1.	दचीगांम राष्ट्रीय उद्यान	श्रीनगर	141.00
2.	किस्तबार राष्ट्रीय उद्यान	श्रीनगर	40.000

1	2	3	4
3.	हेमीज हाई आल्टीच्यूड राष्ट्रीय उद्यान	श्रीनगर	300.00
		कर्नाटक	
1.	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	मैसूर	874.20
2.	नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान	मैसूरकूर्ग	571.55
3.	बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान	बंगलौर (अनेकल)	104.00
		मध्य प्रदेश	
1.	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मांडला, बालाघाट	940.00
2.	माधव राष्ट्रीय उद्यान	शिवपुरी	156.15
3.	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	शहडोल	105.00
4.	संजय राष्ट्रीय उद्यान	सीधी/सरगुजा	1938.90
5.	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	होशंगाबाद	524.00
6.	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना	543.00
7.	इन्द्रावली राष्ट्रीय उद्यान	बस्तर	1258.00
8.	वन विहार भोपाल चिड़ियाघर राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	4.41
9.	फासिल राष्ट्रीय उद्यान	मांडला	0.27
10.	कगिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	बस्तर	200.00
11.	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	सिओनी	293.00
		केरल	
1.	इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान	इदूकी	97.00
2.	साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान	पालघाट	335.00
3.	पेरीयार टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान	इदूकी	350.00
		महाराष्ट्र	
1.	तदोबा राष्ट्रीय उद्यान	चन्द्रनगर	116.55

1	2	3	4
2.	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	नागपुर	257.26
3.	नौगांव राष्ट्रीय उद्यान	भंडारा	133.83
4.	बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान	बम्बई	67.97
		उड़ीसा	
1.	उत्तर सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान	मयूरभंज	303.00
		मणिपुर	
1.	केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान	मणिपुर सेन्ट्रल	40.C0
2.	सिरोही राष्ट्रीय उद्यान	पूर्वी जिला	41.30
		राजस्थान	
1.	किओलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	29 00
2.	रणथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाई माधोपुर	392.'0
3.	डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान	जैसलमेर	3162.00
4.	सरीस्का टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान	अलवर	492.00
5.	नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	जयपुर	अप्राप्य
		सिक्किम	
1.	खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर	450.00
		तमिलनाडु	
1.	गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान	मद्रास	2.71
2.	मरीना राष्ट्रीय उद्यान	गल्फ आफ मनार	
		उत्तर प्रदेश	
1.	कारबेट राष्ट्रीय उद्यान	गढ़वाल	525.00
2.	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	लखीमपुर खीरी	490.00
3.	वैली आफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान	चमोली	89.50
4.	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	चमोली	630.00

1	2	3	4
		पश्चिमी बंगाल	
1.	सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान	24-परगना	2585.00
		अंडमान तथा निकोबार	
1.	सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	32 54
2.	उत्तरी बुटोन राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	0.44
3.	मध्य बुटोन राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	0.44
4.	दक्षिणी बुटोन राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	4.04
5.	माउंट हैरियेट राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	4.66
6.	मैरीन राष्ट्रीय उद्यान	अण्डमान	26.10
		गोवा, दमन तथा द्वीप	
1.	भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान	मोलेम	107.00
		अरुणाचल प्रदेश	
1.	नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान	तिरप	1807.82
		हिमाचल प्रदेश	
1.	ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	सिराज व तिरथन	अप्राप्य

पशुपालन और डेरी विकास क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि

[अनुवाद]

6210. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपालन और डेरी विकास क्षेत्र के लिए वर्ष 1985- 86 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों को उक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश को उक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी धनराशि आवंटित की गई थी,

तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) पशुपालन और डेरी विकास क्षेत्र के लिए 1985-86 में निर्धारित धनराशि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पशुपालन तथा डेरी विकास के लिए मध्य प्रदेश के योजना आयोग द्वारा आबंटित की गई की धनराशि के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:—

(लाख रुपए)

	1983-84	1984-85
पशुपालन	508·00	644·00
डेरी उद्योग	94.00	115.00
योग—	602 00	759.00

खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों और उनके नियोजकों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन

6211. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता है जिनमें खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों और नियोजकों के बीच कार्य के बारे में हुए समझौतों का पालन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) ऐसे मामलों में क्या कदन उठाए गए हैं; और

(घ) समझौतों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य-करारों को बदलने के कुछ मामलों के बारे में सूचित किया गया है। ये शिकायतें सामान्यत: मजदूरी में कमी करने और कौशल का ग्रेड कम करने से संबंधित होती हैं।

(ग) शिकायतों के प्राप्त होने पर, मामले को तत्परता से विदेश में संबंधित भारतीय

दूतावास के साथ उठाया जाता है ताकि वह विदेशी नियोजक के साथ और यदि आवश्यक हुआ तो वहां की सरकार के साथ उस मामले को उठाएं। शिकायतों की तब तक पैरवी की जाती है जब तक कि उन्हें निपटा नहीं दिया जाता।

(घ) यह आवश्यक है कि भर्ती दस्तावेजों को विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा अधिप्रमाणित तथा भारत में उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाय।

नये सहकारी चीनी एककों की स्थापना के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

6212. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सहकारी चीनी कारखाने चल रहे हैं और उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) सहकारी क्षेत्र में चीनी के नए कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार के पास मंजूरी हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त आवेदन पत्र मंजूरी के लिए कब से लम्बित पड़े हैं तथा उन्हें निपटाने के लिए समय सीमा क्या है ;और

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी नीति में परिवर्तन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक ऐसा कर दिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण-I संलग्न है जिसमें भारत में सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्य-वार संख्या दी गई है।

(ख) और (ग) पांच आवेदन पत्र-महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दादर और नगर हवेली तथा असम प्रत्येक से प्राप्त एक-एक आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है। एक विवरण-II संलग्न है जिसमें लंबित पड़े आवेदन-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(घ) चूंकि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त 24 सितम्बर, 1984 के प्रेस नोट द्वारा पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं, इसलिए इस समय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 30.9.1985 तक लागू रहेंगे।

विवरण-I

सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार कुल संख्या

क्रम सं०	राज्य	स्थापित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	26
2.	बिहार	—

1	2	3
3.	पंजाब	4
4.	हरियाणा	7
5.	पश्चिम बंगाल	—
6.	असम	1
7.	नागालैंड	—
8.	राजस्थान	1
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	उड़ीसा	2
11.	महाराष्ट्र	75
12.	गुजरात	15
13	गोआ	1
14.	तमिलनाडु	11
15.	कर्नाटक	16
16.	पांडिचेरी	1
17.	आन्ध्र प्रदेश	18
18.	केरल	2
19.	मणिपुर	—
20.	दादर तथा नगर हवेली	—
	जोड़ अखिल-भारत	183

विवरण II

सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सरकार के पास लम्बित आवेदन पत्रों की राज्यवार कुल संख्या

क्रम सं०	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख
1	2	3
1.	सह० सिल्वासा, जिला दादर तथा नगर हवेली (दादर तथा नगर हवेली)	8.10.1984

1	2	3
2.	तह० पेधाम्बे, तालुक चिपलुम (जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य)	29.8.1983
3.	फतेहबाद, जिला हिसार हरियाणा	20.10.1984
4.	तह० फूलपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	29.1.1985
5.	तह० डूम-डूम, जिला डिबरूगढ़ असम	6.4.1985

कृषि विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन के साथ समेकित करने का प्रस्ताव

6213. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के साथ कृषि विकास कार्यक्रम को समेकित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को किस तरह किया जाएगा;

(ग) सातवीं योजना में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या सातवीं योजना में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति से गरीबी उन्मूलन और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मूल्यांकन किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है जिसमें नीति, लक्ष्यों आदि का ब्यौरा दिया गया है।

कृषि विकास कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम परस्पर सम्बंधित हैं। विशेष रूप से ग्रामीण भूमिहर रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के घटकों में भूमि विकास, मृदा संरक्षण, भूमि सुधार जैसे कृषि विकास निर्माण कार्य, लघु सिंचाई निर्माण कार्यों और जल से संबंधित अन्य संरचना सहित क्षेत्रीय नालियों का निर्माण कार्य आदि शामिल है। 'सातवीं" पंचवर्षीय योजना 1985-90 से सम्बंधित दृष्टिकोण कागजात में ग्रामीण निर्धनता का उन्मूलन करने संबंधी कार्यक्रमों सहित कृषि विकास कार्यक्रमों का एकीकरण

करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास के लिये अपनायी जाने वाली प्रस्तावित नीति की प्रमुख संरचना में कृषि समुदाय के गरीब वर्ग के लोगों पिछड़े क्षेत्रों और कम उत्पादन देने वाली फसलों के आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया जायेगा तथा सिंचाई क्षमता के अत्याधिक उपयोग, बारानी खेती की पद्धतियों को गहन उपयोग, स्थायी मूल्यों पर सुनिश्चित कोटि के आदानों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धि और पर्याप्त विपणन समर्थन सहित कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और "मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका" के बीच हुआ समझौता

6214. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और "मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका" के बीच हाल ही में हुए उस समझौते की मंजूरी दे दी है जिसके अन्तर्गत अमेरिका में बनी 100 फिल्मों का भारत में आयात किया जाना है;

(ख) क्या पिछले वर्ष इसी प्रकार के समझौते पर बातचीत असफल रही थी और यदि हां, तो किन कारणों से बातचीत असफल रही और बाधाओं को किस प्रकार दूर किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने आयात की जाने वाली फिल्मों के चयन हेतु कोई मार्ग दर्शन निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की फिल्मों के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है जिनसे हिंसा सैक्स की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है और मूल्यों का ह्रास होता है; और

(ङ) क्या अमेरिका और अन्य देशों से कुछ इस प्रकार की फिल्मों के आयात से जो हमारी जीवन पद्धति के ठीक विपरीत हो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थिरता का स्वरूप बिगड़ता है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) फीचर फिल्मों के आयात एवं वितरण तथा आयातित फीचर फिल्मों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के अनुसरण में, भारत सरकार ने 1.2.1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 75—100 फिल्मों का आयात करने के लिए एम० पी० ई० ए० ए० (मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ अमरीका) के साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किये गये करार को मंजूरी दे दी है।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा एम० पी० ई० ए० ए० के बीच काफी लम्बे समय से बातचीत चल रही थी। शुरू में जिन कुछ मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद था, उनमें एम० पी० ई० ए० ए० द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को दिए जाने वाले कैनेलाइजेशन शुल्क की राशि तथा एम० पी० ई० ए० ए० समूह कम्पनियों द्वारा वापिस की जाने वाली राशि शामिल थी। बातचीत जारी रही और अन्ततः समझौता हो गया।

(ग) सरकार द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, करार में एक ऐसा खंड है जिससे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम आयात की जाने वाली फिल्मों की कोटि सुनिश्चित कर सकता है।

(घ) और (ङ) हिंसा, आदि की प्रशंसा करने वाली फिल्मों के आयात पर कोई विशेष पाबन्दियां नहीं लगाई गई हैं, परन्तु एम० पी० ई० ए० ए० द्वारा आयात की गई फिल्मों सहित सभी फिल्मों को चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्म प्रमाणन का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और स्तरों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील रहे। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह भी व्यवस्था है कि फिल्मों को प्रमाणित करते समय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिंसा जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा न दिया जाए और औचित्यपूर्ण न ठहराया जाए तथा मानव संवेदनशीलता को अशिष्टता, अश्लीलता तथा धृष्टता द्वारा ठेस न पहुंचायी जाए।

शहरी अवसंरचना वित्त पोषण संस्थान

[हिन्दी]

6215. **श्री अजय विश्वास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पालिका प्रशासनों की मदद के लिए शहरी अवसंरचना वित्त पोषण संस्थान की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसलिए, जब तक सरकार द्वारा इस संस्थान को स्थापित करने का निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक इसके ब्यौरे बतलाना सम्भव नहीं है।

तमिलनाडु में पोरटोनोवों में एक मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

6216. **डा० वल्लल पेरुमन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु दक्षिण अरकाट जिले में पोरटोनोवों में एक मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से पोरटोनोवों में माल उतारने के छोटे केन्द्र का निर्माण करने संबंधी प्रस्तावों को तैयार करने का अनुरोध किया गया । मुहैया की जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे तैयार करने के लिए स्थान का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किया जाना है ।

बीड़ी मजदूरों को भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किया जाना

6217. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 लाख बीड़ी मजदूरों को वर्ष 1980 से अपने नियोजकों से उनका भविष्य निधि अंशदान प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को 31 मई, 1977 से बीड़ी श्रमिकों पर लागू किया गया था । कुछ बीड़ी निर्माताओं ने बाद में इस अधिनियम को बीड़ी उद्योग पर लागू करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने वर्ष 1980 में आदेश दिया कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इस अधिनियम के उपबंधों को बीड़ी उद्योग पर लागू करने वाली अधिसूचना के प्रचालन को स्थगित रखा जाए । स्थगन आदेश के परिणाम स्वरूप, बीड़ी श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन भविष्य निधि के लाभ नहीं मिल रहे हैं । तथापि, इस मामले में सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कपास का उत्पादन और निर्यात

6218. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस वर्ष उत्पादकों से कपास की खरीद संबंधी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कपास का निर्यात किया गया ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का उत्पादन नीचे दिया गया है :--

	उत्पादन
वर्ष	लाख गांठें—प्रत्येक गांठ 170 कि० ग्रा० की
1981-82	78.84
1982-83	75.34
1983-84	65.82

वर्ष 1984-85 के दौरान कपास उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी कुछ राज्यों से प्राप्त होने हैं। तथापि, प्राथमिक अनुमानों से पता चलता है कि 1984-85 के दौरान उत्पादन 78 तथा 80 लाख गांठों के बीच हो सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमानों के अनुसार 1983-84 मौसम के दौरान कपास की 3.57 लाख गांठों का निर्यात हुआ। इस निर्यात की लागत का अभी पता नहीं है। 1984-85 कपास मौसम के लिए सरकार ने 2 लाख गांठों के निर्यात का कोटा निर्मुक्त किया है।

महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने

6219. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्रमशः इस समय कितने-कितने चीनी कारखाने कार्य कर रहे हैं;

(ख) नये सहकारी चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) प्रस्तावित सहकारी चीनी कारखानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार इन मामलों में कब तक निर्णय कर लेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) महाराष्ट्र में 86 स्थापित चीनी फैक्ट्रियां हैं। इनमें से 11 निजी क्षेत्र में और 75 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र में स्थित तहसील पेधाम्बे, तालुक, चिपलुन, जिला रत्नागिरी में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए केवल एक आवेदन-पत्र लम्बित पड़ा हुआ है।

इस मन्त्रालय की जांच समिति ने 22 अक्तूबर, 1984 को हुई अपनी बैठक में इस आवेदन-पत्र पर बिचार किया था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि मौके पर जाकर निरीक्षण करके इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक सक्षमता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उप-समिति गठित की जाये। उप समिति ने हाल ही में प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री के क्षेत्र का दौरा किया है और उप समिति की रिपोर्ट पर जांच समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार किए जाने की संभावना है।

साकेत में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

6220. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री साकेत में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के बारे में 6 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन मकानों का निर्माण नवम्बर, 1984 तक चरणों में पूरा किया जाना था उनका निर्माण अब तक पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनके बारे में 31 दिसम्बर, 1984 को ड्रा निकाला गया था यदि हां, तो ये मकान कब तक पूरे हो जायेंगे और आबंटियों को सौंप दिये जाएंगे; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से हुए अनुचित विलम्ब के कारण हुई किसी वृद्धि का भार आबंटियों पर न पड़े ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है तथा त्रुटियां, कमियां तथा ठेकेदार द्वारा छोड़े गए कतिपय निर्माणकार्य विभागीय तौर पर किए जा रहे हैं। इसके 30 मई, 1985 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है विलम्ब ठेकेदार की ओर से है जिसने न्यायालय से रोक आदेश भी ले लिया था जिसकी वजह से निर्माण कार्य 3 सप्ताह के लिये बन्द रहा।

(ग) साकेत में श्रेणी-II तथा श्रेणी-III के 381 फ्लैटों के लिए ड्रा 31 दिसम्बर, 1984 को निकाला गया था। मांग-एवम्-आबंटन पत्र जारी किए जा रहे हैं। पृथक-पृथक आबंटियों से बकाया भुगतान तथा अपेक्षित कागजात उपलब्ध कर लिए जाने के बाद शीघ्र ही फ्लैटों का कब्जा देने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(घ) फ्लैटों के मूल्य को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है।

दूरदर्शन पर मलयालम कार्यक्रमों का दिखाया जाना

6221. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लोगों से दूरदर्शन पर मलयालम कार्यक्रम यदाकदा ही दिखाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन मलयालम कार्यक्रम दिखाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय संजाल के कार्यक्रम संजाल के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किये जाते हैं। दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली के अन्य कार्यक्रमों को इनसेट-1 बी या माइक्रोवेव लिंकों के माध्यम से जुड़े सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। दर्शकों के विभिन्न समूहों से दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों में मलयालम सहित दर्शकों के उनकी सम्बन्धित भाषाओं में और कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्र पर उपलब्ध प्रेषण समय तथा निर्माण सुविधाओं के अन्दर इन अनुरोधों को स्थान देने के प्रयास किये जाते हैं और विभिन्न भाषाओं को यथासंभव समान प्रतिनिधित्व देने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम बारी-बारी के आधार पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के सेवा क्षेत्रों के अन्दर मलयालम कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए उस केन्द्र पर अन्तरिम कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं चालू की गई हैं।

समाचार-सम्पादकों को दूरदर्शन सैट और सीधे टेलीफोन कनेक्शनों की सप्लाई

[हिन्दी]

6222. **श्री केशवराव पारधी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित हो रहे समाचार बुलिटनों को देखने के लिए अंग्रेजी समाचार सम्पादकों और प्रोड्यूसरों के कमरों में दूरदर्शन सैट और सीधे टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या, हिन्दी समाचार सम्पादकों और प्रोड्यूसरों के लिए भी इसी प्रकार के प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के प्रबन्ध कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार बुलेटिनों के लिए सांझा समाचार कक्ष है।

मानिटर करने के लिये टी०वी० सैटों की मौजूदा सुविधाएं और सीधे टेलीफोन कनेक्शन दोनों भाषाओं के बुलेटिनों के समाचार सम्पादकों और प्रोड्यूसरों को उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

साकेत में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 66 मकानों का आबंटन

[अनुवाद]

6223. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री साकेत में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 66 मकानों के आबंटन के बारे में 13 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1984 को उक्त प्लाटों के लिये लाटरी निकाली गई थी और इन दो मकानों को लाटरी में शामिल गया किया था;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन दो मकानों सहित 66 में से शेष बचे मकानों में से कोई मकान बाहर के व्यक्तियों को आबंटित करने से पहले उन वर्तमान आबंटियों को दिए जाएंगे जो अपनी वैयक्तिक समस्याओं के कारण आबंटित मकानों को बदलना चाहते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मालवीय नगर (एक्स्टेन्शन) जहां कि दो फ्लैटों की कमी थी, के आबंटितियों को समायोजित करने के लिए दो फ्लैट आरक्षित रखे थे, बाद में निरस्तीकरण के कारण उसी योजना में दो फ्लैट उपलब्ध हो गये, इसलिए पहले दो फ्लैटों को लाटरी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं रही।

(ग) इस समय आबंटन के लिए कोई फ्लैट उपलब्ध नहीं है।

गुजरात में दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत लाये गये क्षेत्र

[हिन्दी]

6224. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस दूरदर्शन केन्द्र का नाम क्या है जिसके विस्तार से धन ढेका बोटड, गढ्डा और अमरेली क्षेत्रों को दूरदर्शन के कार्यक्रम पहुंच सकेंगे और क्या इस क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रम साफ दिखाई देते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जब अहमदाबाद के ट्रांसमीटर की शक्ति शीघ्र ही बढ़कर 10 किलोवाट हो जाएगी तब धन्‌का और गोधरा को दूर-

दर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। बोटड और अमरेली राजकोट के ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के छोर पर पड़ते हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर दिखाया जाना

[अनुवाद]

6225. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो अथवा दूरदर्शन पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रति सप्ताह कितने घंटे समय दिया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी से परिवार कल्याण पर एक सप्ताह में औसतन 100 घण्टे से अधिक अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

दूरदर्शन भी परिवार कल्याण पर कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है।

(ख) जी, हां। आकाशवाणी द्वारा 1982-83 के दौरान 11 सर्वेक्षण किए गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देवनगर में सरकारी क्वार्टरों का रखरखाव

6226. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देव नगर में सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव बहुत निम्न स्तर का है;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य किया गया था और यदि हां, तो टाईप-3 और टाईप-5 के एक मंजिला क्वार्टरों में प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या बड़े पैमाने पर की गई इन मरम्मतों के बाद इनका कोई निरीक्षण किया गया था और यदि हां, तो किसके द्वारा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। कुछ वर्ष पूर्व थोड़े से क्वार्टरों का नवीकरण किया गया था तथा प्रत्येक टाइप-III तथा टाइप V क्वार्टरों के लिए सिविल तथा विद्युतीय कार्य का आनुपातिक व्यय क्रमशः 12,000 रुपए तथा 23,500 रुपए था।

(ग) जी, हां। अप्रैल, 1981 में तकनीकी परीक्षक ने निरीक्षण किया था।

"हुडको" द्वारा केरल में अध्यापकों के लिए मकानों की व्यवस्था

6227. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में अध्यापकों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना "हुडको" के विचारार्थ भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) केरल स्कूल अध्यापक एवम् गैर अध्यापक स्टाफ वेलफेयर निगम लि० ने मई 1984 में संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार राज्य के 15 नगरों में 1000 मकानों के निर्माणार्थ हुडको को 15 योजनाएं प्रस्तुत की थीं। त्रिचूर तथा नैयथिन्करा नगरों प्रत्येक में 80 मकानों के निर्माण की योजनाएं 46.24 रुपए लाख की ऋण सहायता से अगस्त, 1984 में स्वीकृत की गई थी योजनाओं पर पहले ही स्वीकृत योजनाओं की सन्तोषजनक प्रगति की शर्त पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	आवास योजना का नाम	रिहायशी एककों की संख्या	ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	त्रिचूर	80	23.12
2.	नैयती नकरा	80	23·12
3.	त्रिवेन्द्रम	80	23.12
4.	क्वीलन	80	23.·2
5.	कोटाराकरा	80	23.12

1	2	3	4
6.	नैदुमंगद	70	19.82
7.	कायमकुल्लम	70	19.82
8.	अलवाय	70	19.82
9.	तैल्लीचेरी	70	19.82
10.	कन्नानोर	70	19.82
11.	अत्तिंगल	50	14.46
12.	पथनमतिथा	5 0	14.46
13.	मवालीकारा	50	14.46
14.	तिरूर	50	14.46
15.	कोजीकोडे	50	14.46
	योग :	1000	287.00

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों का संग्रह

6228. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के संग्रह में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम है, जिन्होंने पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के संग्रह और उन्हें संसाधित करने के लिए परियोजना ब्यौरा तैयार किया है;

(ग) क्या पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के संग्रह सम्बन्धी सभी समस्याओं को हल करने के लिए कोई विचार गोष्टी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों/तेलों के विकास कार्यक्रम के लिए तैयार की गई एक स्कीम जिसमें आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, 2 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छठी पंचवर्षीय

योजना में शामिल की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान इस योजना को मजबूत करने तथा इसमें और अधिक तेजी लाने का विचार किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षमूल के तिलहनों का और अधिक उपयोग करना है। इस उद्देश्य के लिए इस स्कीम में आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं, जैसे भण्डारण गोदामों का निर्माण परिवहन सुविधाएं, सड़क संचार, आदि का विकास करने का विचार किया गया है।

शुरू में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए तीन राज्य, अर्थात बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश चुने गए हैं, जहां इन तिलहनों की बहुतायत है। इन राज्यों से परियोजना ब्यौरे मिल गए हैं। इन सभी परियोजनाओं को, प्रत्येक को एक करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ मंजूर किया जा चुका है।

(ग) वृक्ष तथा वन-मूल के तिलहनों से सम्बन्धित विषय पर कई सम्मेलनों में, जैसे आयल टैक्नोलोजिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के सहयोग से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ दि इन्टरनेशनल सोसाइटी फार फैट रिसर्च, सितम्बर, 1982 में हिन्दुस्तान लीवर-रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित तिलहन उत्पादन; बाधाएं और अवसर से सम्बन्धित सम्मेलन, आदि में उठाया गया था।

(घ) इन तिलहनों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों के विकास के बारे में एक उच्च स्तरीय अन्तर-मन्त्रालय समन्वय समिति गठित की गई है, जिसमें सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग तथा सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में कुछ उप समितियां भी गठित की गई हैं।

पेट्रोलियम उत्पादकों की बजट पूर्व दरों पर बिक्री

[हिन्दी]

6229. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं के बजट पूर्व भण्डार को पुरानी दरों पर बेचा जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग) जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, बजट के प्रस्ताव,--बजट पूर्व स्टाक पर भी प्रभावकारी हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान बाट तथा माप मानक (पैकज में रखी वस्तुएं), नियम, 1977 के संगत प्रावधानों की ओर दिलाया है जिनके अनुसार उन पैकेजों को, जिन पर यह अंकित हो कि वे मार्च,

1985 जिस माह में बजट प्रस्ताव घोषित किए गए थे, से पहले पैक किए गए हैं, मूल रूप में मुद्रित कीमतों पर बेचा जाना है, क्योंकि उन्हें उत्पाद शुल्क की संशोधन पूर्व की दरों पर भुगतान किए जाने के पश्चात निर्मुक्त किया गया था। आम बजट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे उन दोषी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें जो अधिक कीमत वसूल कर रहे थे।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए राज्य

[**अनुवाद**]

6230. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों के किन-किन जिलों को सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के माध्यम से किस प्रकार की सहायता दी गई है और उनका क्या क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सघन कृषि जिला कार्यक्रम की योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में शहरी गंदी बस्तियों में रहने वालों को आश्रय देने की व्यवस्था

6231. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कार्यवाही की त्वरित योजना प्राप्त करने के कुछ निर्देश दिए हैं ताकि देश में शहरी गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने के छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) शहरी मलिन बस्तियों के व्यापक उन्मूलन या पुर्नस्थापना की अपेक्षा उनके पर्यावरणीय सुधार पर ध्यान देना सरकार की वर्तमान नीति है। छठी पंचवर्षीय योजना में शहरी मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत 10.00 मिलियन मलिनबस्ती निवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

तथापि, 8.33 मिलियन का राज्य वार लक्ष्य योजना आयोग ने निर्धारित किया था तथा शेष लक्ष्य को राज्यों के अपने योजना परिव्यय के अनुसार पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया था। चूंकि, योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं था इसलिए केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए राज्यों में प्रोत्साहन अनुदान योजना आरम्भ की। राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का घनिष्ठ प्रबोधन मन्त्रालय में किया जाता है तथा राज्य अब पर्याप्त सुधार दिखा रहे हैं।

राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों का प्रकाशन

6232. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 1975 से अब तक अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा महात्मा गांधी की रचनाओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय एकता लाने हेतु विभिन्न भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियां प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1975 से प्रकाशन विभाग द्वारा कुल मिलाकर 872 पुस्तकें, 354 अंग्रेजी में तथा 518 विभिन्न भारतीय भाषाओं में, प्रकाशित की गई हैं।

(ख) महात्मा गांधी की रचनाओं को प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रकाशन विभाग की इस प्रकार की जीवनियां प्रकाशित करने की एक नियमित स्कीम है जिसके अन्तर्गत अभी तक विभिन्न भाषाओं में 69 जीवनियां प्रकाशित की गई हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और भविष्य में बहुत सी और जीवनियां प्रकाशित की जाएंगी।

तमिलनाडु जल और जल निकास बोर्ड के लिए रिग

6233. **श्री एन० डेनिस** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु जल निकास बोर्ड के लिए और अधिक संख्या में रिग प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च क्षमता के 10 ड्रिलिंग रिग प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा उसे ई० ई० सी० के साथ विचारार्थ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 रिगों (10 कम्बीनेशन रिग तथा ओडेक्स उपकरण सहित 2 डी० टी० एच० रिग) की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु सरकार से एक अनुरोध भी प्राप्त हुआ है। यूनिसेफ से प्राप्त सहायता सीमित होने के कारण तमिलनाडु सरकार का अनुरोध अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ तमिलनाडु में भूवैज्ञानिक प्रारूपों के लिए रिगों की उपयुक्तता तथा उपलब्धता एवम् विद्यमान रिगों के प्रभावी उपयोग यूनिसेफ मद्देनजर रखा जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सम्बोधित पत्रों की पावती भेजने की व्यवस्था

6234. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सम्बोधित पत्रों अभ्यावेदनों की पावती भेजने और उसके पश्चात उन पर उपयुक्त कार्यवाही करने और शिकायत करने वाले पत्र अथवा व्यक्ति को इसके बारे में सूचित करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण में कोई व्यवस्था है;

(ख) क्या पत्रों की पावती भी नहीं भेजी जाती है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) फरवरी और मार्च, 1985 के दौरान पंजीकृत डाक से प्राप्त हुए उपाध्यक्ष को सम्बोधित कितने पत्रों की पावती अभी तक नहीं भेजी गई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में सभी पत्रों/अभ्यावेदनों की पावती भेजने की पद्धति है। विधान मण्डलों/प्रतिनिधि निकायों/एसोसिएशनों तथा संस्थानों इत्यादि के सदस्यों से प्राप्त पत्रों सहित महत्त्वपूर्ण पत्रों की पावती स्वयं उपाध्यक्ष भेजते हैं। अन्य पत्रों की पावती विभागाध्यक्षों द्वारा भेजी जाती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत पार्टी को, उनके अभ्यावेदनों पर की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित करना उपाध्यक्ष के लिए व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) 1 जनवरी, 1985 से 20 मार्च, 1985 तक उपाध्यक्ष के कार्यालय में 148 पंजीकृत पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी पर कार्यवाही की जा रही है।

विकास सदन, नई दिल्ली में आगन्तुकों के लिए शेल्टरों की व्यवस्था

6235. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में आई० एन० ए० कम्पलैक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास सदन नामक नये भवन पर कुल कितना खर्चा हुआ है;

(ख) क्या इस भवन के वास्तकारों ने मौसम के उन दिक्कतों की ओर ध्यान नहीं दिया जो खासतौर पर मई जून की चिलचिलाती धूप और वारिश के मौसम में बिना किसी शरण स्थल (शेल्टर) के भूतल पर बनाये काउंटरों पर पत्र देने अथवा पूछताछ करने अथवा फार्म आदि खरीदने के लिए इस कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों को झेलने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भवन में डाक और पूछताछ काउंटरों के साथ उचित प्रतीक्षा शेड अथवा शेल्टर की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) आई०एन०ए० कम्पलैक्स में सदन नामक अपने नए भवन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1985 तक 688.86 लाख रुपए व्यय किए हैं।

(ख) और (ग) फार्मों की बिक्री, पत्र देने तथा पूछताछ के काउण्टरों की भवन के भीतर ही ब्लाक "सी" के भूमितल पर व्यवस्था की गई है।

आटा मिलों द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं उत्पादों की दरें

6236. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों को उचित दर डिपो के माध्यम से बिक्री के लिए सरकार को गेहूं उत्पादों की सप्लाई किस दर पर करनी पड़ती है और खुले बाजार में गेहूं उत्पादों की बिक्री दर क्या है; और

(ख) आटा मिलों को गेहूं किस दर पर दिया जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश अपने राज्यों की रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए गेहूं के उत्पादों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण रख रही हैं। गेहूं के उत्पादों के मूल्य उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मिलों के लिए यह जरूरी होता है कि वे अपने उत्पाद उचित दर की दुकानों को अथवा खुले बाजार में ऐसे मूल्य पर बेचें जो कि इनके लिए निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक न हों। एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मैदा और सूजी, जोकि गेहूं के प्रमुख उत्पाद हैं, के लिए

निर्धारित किए गए निकासी मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है। तथापि, इस समय रोलर फ्लोर मिलों द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए गेहूं से तैयार किए गए गेहूं के उत्पादों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

(ख) इस समय रोलर फ्लोर मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए स्टाक से 172 रु० प्रति क्विंटल के एक समान मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। तथापि, चालू विपणन मौसम के दौरान मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने का वैकल्प दिया गया है बशर्ते कि वे गेहूं की खरीदारी ऐसे मूल्य पर करती हैं जोकि इस मौसम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से कम न हो।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किए गए मैदा और सूजी के निकासी मूल्य को बताने वाला विवरण (10.8.1984 से गेहूं का निर्गम मूल्य 172/-रुपये प्रति क्विंटल है)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	निकासी मूल्य	
1	2	3	4
		मैदा	सूजी
1.	आन्ध्र प्रदेश	241.93	244.89
2.	असम	238.71	233.60
3.	गुजरात	234.00	234.00
4.	हरियाणा	236.00	236.00
5.	हिमाचल प्रदेश	230.00	230.00
6.	जम्मू तथा कश्मीर	226.00 (K)क 230.00 (J) ज	226.00 (K)क 230.00 (J) ज
7.	कर्नाटक	232.50	232.50
8.	केरल	252.00	247.00
9.	महाराष्ट्र	233.33	244.33
10.	मेघालय	242.00	242.00
11.	नागालैण्ड	253.00	245.00

1	2	3	4
12.	उडीसा	247.00	255.00
13.	पंजाब	230.00	230.00
14.	राजस्थान	235.00	235.00
15.	तमिलनाडु	231.58	231.58
16.	उत्तर प्रदेश	233.00	233 00
17.	दिल्ली	227.00	233.00
18.	पांडिचेरी	236.67	236.67
19.	मणिपुर	237.00	235.00
20.	मध्य प्रदेश	230.00	235.00
21.	पश्चिमी बंगाल	234.00	240.00
22.	चण्डीगढ़	236.00	236 00
23.	बिहार	242.00	242.00
24.	त्रिपुरा	242.00	242.00
25.	गोवा	237.77	240.00
26.	सिक्किम	252.00	300.00

दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कथा चित्र

6237. **श्री आर० एम० भोये :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रीय कथा चित्रों के नाम क्या हैं जिन्हें आगामी तीन महीनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जाने की संभावना है;

(ख) ऐसी कितने कथा चित्रों में साथ-साथ हिन्दी अनुवाद देने की व्यवस्था होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका साथ-साथ हिन्दी में अनुवाद करने मे क्या कठिनाईयां रही हैं और जिसके कारण लोगों को हमारी अन्य सह भाषाओं की संस्कृति सीखने से वंचित होना पड़ रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली हर महीने के प्रथम रविवार को राष्ट्रीय संजाल पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय भाषा की एक फीचर फिल्म टेलीकास्ट करता है। हर महीने के दूसरे और तीसरे रविवार को दिल्ली से

प्रस्तुत की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्में दिल्ली के कार्यक्रमों पर निर्भर करने वाले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले की जाती हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार अगले तीन महीनों में टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्मों के शीर्षक इस अवस्था पर नही बताए जा सकते क्योंकि यह टेलीकास्ट करने के लिए प्रस्तावित फीचर फिल्मों की उपलब्धता और इनकी उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) किसी फीचर फिल्म की हिन्दी या किसी अन्य भाषा में डब करना या उसके उप-शीर्षक देने का काम केवल वही पार्टी कर सकती है जिसके पास फिल्म के नेगेटिव और स्क्रिप्ट के पूर्ण अधिकार हैं। तथापि, दूरदर्शन द्वारा प्रत्येक फिल्म को टेलीकास्ट करने से पहले क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के हिन्दी में लघु सार दिया जाता है।

सेवारत सेना कर्मियों की भूमि

6238. **प्रो० नारायण चंद पाराशर : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवारत सेना कर्मियों की भूमि को विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत काश्तकारों द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने से छूट देने के लिए एक आदर्श विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह विधान संसद में कब तक पूरा स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो, उसके क्या कारण हैं और उन राज्यों में जहां अभी तक इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, सेवारत सैन्य कर्मियों की पैत्रिक भूमि की पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग सभी राज्यों के भूमि सुधार कानूनों में सेवारत प्रतिरक्षा कर्मियों की भूमि के बारे में उनके हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान मौजूद हैं।

न्यू अशोक नगर कालोनी (गांव चिल्ला) में सुविधाएं

[हिन्दी]

6239. **श्री सत्य नारायण पवार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चिल्ला गांव (सरोदा) दिल्ली-9 में कितनी एकड़ भूमि अधिगृहित की है, कब अधिगृहित की है तथा वहां कितनी एकड़ भूमि अभी बची हुई है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1979-80 और 1981-82 के दौरान किसानों द्वारा बेची गई भूमि पर बने मकानों को गिरा दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने चिल्ला गांव की न्यू अशोक नगर कालोनी में जहां 80 प्रतिशत मकान बन चुके हैं बिजली, पानी, सड़कों, स्कूलों आदि जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि चिल्ला (सरोदा) गांव में भूमि अर्जित की गई थी और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया गया था; इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

गांव	अवार्ड संख्या	अर्जित क्षेत्र (एकड़ों में)	अवार्ड घोषणा की तारीख
चिल्ला सरोदा बांगर	39182-83	185.32	30-9-82
—वही—	52171-72	24	6-3-1972
चिल्ला सरोदा बांगर	52ए171-72	51	30-1-73
—वही—	52बी171-72	30	10-5-74
—वही—	52सी171-72	38	29-6-74
—वही—	52डी171-72	5	7-2-77
—वही—	52ई171-72	220.5	23-3-77
चिल्ला सरोदा खादर	17183-84	11.8	30-6-83
—वही—	879172-73	32.1	30-6-83
	योग :	597.72	

तदापि, 19.5 एकड़ माप के क्षेत्र पर कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि इस पर संरचनाएं बनी हुई हैं।

(ख) कुछ अनधिकृत निर्माणों का 1-10-1982 और 11-11-1982 को हटा दिया गया था।

(ग) नया अशोक नगर अर्जित भूमि पर चिल्ला सरोदा गांव में पड़ता है। सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय के रोकादेशों का लाभ उठाकर अवैध रूप से अनधिकृत संरचनाएं बना ली हैं। इस अनधिकृत कालोनी को नियमित करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह सरकार की विद्यमान नीति के अन्तर्गत नहीं आती है। कालोनी को विभिन्न सुविधायें प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुल सिंचित क्षेत्र

[अनुवाद]

6240. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में सिंचित क्षेत्र कुल कितना था; और

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 मे वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई और उनके कितने प्रतिशत क्षेत्र में बुआई की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) निवल सकल सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़ों सहित भूमि उपयोग के आंकड़े लगभग 3 वर्ष के समय के बाद राज्यों से प्राप्त हुए हैं, 1981-82 की नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में निवल सिंचित क्षेत्र 397.3 लाख हेक्टेयर था। यह उसी वर्ष के दौरान बोए गए निवल क्षेत्र का 28 प्रतिशत बनता है।

सूखा प्रवण क्षेत्र

6241. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य-वार, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अब तक किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ख) वर्ष 1982 से अब तक प्रत्येक ऐसे राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) उसके क्या परिणाम रहे, प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र को स्थायी रूप से सूखे से मुक्त कर दिया गया है;

(घ) क्या सतत आधार पर इस समस्या से निपटने के लिए कोई केन्द्रीय एजेन्सी बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजनाएं तैयार की गई हैं तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) से (ङ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि भूमि, जल, मानवीय और पशुधन संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योजनायें आरम्भ करके सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं में भूमि तथा जल संरक्षण, शुष्क भूमि पर खेती, वनरोपण तथा चरागाह विकास, बागवानी, पशुधन विकास आदि शामिल हैं। यह कार्यक्रम सामान्य राज्य प्लान योजनाओं में केवल एक पूरक स्वरूप का है। इसका उद्देश्य उत्पादी कृषि तथा विविध प्रकार की गति-विधियों के लिए आधारभूत ढांचे का सृजन करना है ताकि वर्षा की अनिश्चितता पर कम निर्भर रहने वाले किसान की आय बढ़ाई जा सके।

यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसका व्यय सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। चूंकि, कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं एक विशेष स्थान के लिए शुरू की जाती हैं इसलिए राज्य तथा जिला स्तरीय एजेंसियों को योजनाओं के तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए एक मुख्य भूमिका निभानी है। समग्र नीति तथा मार्गदर्शिकाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन बातों को देखते हुए, वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक समझी गई तथा इस प्रयोजन हेतु कोई अलग से केन्द्रीय एजेंसी बनाने का विचार नही है।

यह कार्यक्रम अब 13 राज्यों में 80 जिलों के 615 खण्डों में चल रहा है, कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रों की सूची विवरण-1 पर दी गई है 1982 से लेकर प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता विवरण-2 में दर्शायी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1114/85]

चूंकि मानसूनों की अनिश्चितता एक आवर्ती प्राकृतिक घटना है इसलिए सूखे के प्रभाव को रोकना बिल्कुल संम्भव नहीं है, तथापि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए विभिन्न उपायों से यह आशा की जाती है कि इससे सूखे की प्रचंडता कम होगी और सूखे के कारण आय में होने वाली कमोबेशी में कमी आएगी। इन योजनाओं के परिणाम मिलने में समय लगता है और इसलिए इनके प्रभाव का तुरन्त पता नहीं चलता है। तथापि विभिन्न बंटनों के प्रभाव का जायजा लेने हेतु किए गए कुछेक अध्ययनों से अब तक प्रोत्साहनात्मक रुख का पता चला है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धियां विवरण-3 में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिए संख्या एल० टी० 1114/85]

बिहार में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना

6242. **श्री गौरीशंकर राजहंस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में इस समय कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं;

(ख) बिहार में इस तरह के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या बिहार राज्य में वर्ष 1984-85 और 1986-87 के दौरान और अधिक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बिहार राज्य में किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के ट्रांसमीटर लगाए जाने की सम्भावना; और

(ङ) इनसे बिहार राज्य के कितने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक दूरदर्शन प्रसारण पहुंचेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन ट्रांसमीटर बिहार के निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं : रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, धनबाद, जमशेदपुर, पूर्णिया तथा भागलपुर।

(ग) और (घ) दरभंगा और बेतिया में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटरों की स्थापना करने और पटना के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट करना 1985-86 के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित स्कीमें हैं। 1985-86 और 1986-87 के दौरान अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करना सातवीं योजना अवधि पर निर्भर करेगा।

(ङ) बिहार में दूरदर्शन सेवा इस समय लगभग 37% ग्रामीण जनसंख्या और 61 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को उपलब्ध है। चल रही स्कीमों के 1985 के दौरान पूरा हो जाने पर यह ग्रामीण जनसंख्या के 74 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 84 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सितारगंज में गाय-फार्म की स्थापना

[हिन्दी]

6243. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के सितारगंज में एक गाय फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फार्म वहां कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और क्या विदेशों से मंगाई गई उधार गायें भी वहां रखी जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो कितनी और किस नस्ल की गायें वहां पर रखी जायेंगी; और

(घ) क्या उक्त फार्म में पहाड़ी क्षेत्रों की उपर्युक्त गायें भी रखी जायेंगी;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने यूरोप से प्रस्तावित उपहार में प्राप्त की जाने वाली गायों के लिए फार्म स्थापित करने हेतु एक सम्भावित स्थान के रूप में सितारगंज का चयन किया है। तथापि, यह मामला अभी समन्वेषी स्थिति में है।

अलमोड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

[अनुवाद]

6244. **श्री हरीश रावत**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1985-86 के दौरान 14 स्थानों पर कम-शक्ति के दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये ट्रांसमीटर लगाए जायेंगे;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में इस प्रकार का एक दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त जिले की अधिकतर आबादी को दूरदर्शन रिले केन्द्र का लाभ प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोदत्तूर, नजीरा, दरभंगा, बेतिया, भुज, पून्छ, कोरबा, सिंगरौली, जगदलपुर, खंडवा, उखरूल, सतारा, भवानीपटना और नेवेली।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अल्मोड़ा जिले सहित कवर न हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजना अवधि में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

6245. श्री हरीश रावत : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका में दिहाड़ी और तदर्थ आधार पर कितने चपरासी (चतुर्थ श्रेणी) का कार्य कर रहे हैं और वे कब से कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमति करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) विभिन्न तारीखों से मस्टर रोल पर 26 चपरासी तथा तदर्थ आधार पर 24 चपरासी कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसे ही सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने तथा सृजन करने पर लगी रोक को हटाया जाएगा, उनके नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता

[अनुवाद]

6246. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, मध्यम आय वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए वर्ष 1984-85 में कितने मकानों का निर्माण किया गया।

(ख) उपरोक्त वर्ष में सामाजिक आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र, बैंकों और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर : (क) 'आवास' राज्य का विषय है। अपने अनुमोदित योजना परिव्ययों के भीतर, राज्य सरकारें । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी आवश्यकताओं तथा योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजना बनाने एवं उनका कार्यान्वियन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना के कार्यक्रम, जिसे 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, का प्रबोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और 1984-85 के दौरान इस योजना के तहत निर्मित मकानों की संख्या 183656 थी।

(ख) और (ग) आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी शीर्ष या योजना परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। हुडको, जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम द्वारा भी आवास के लिए धनराशि दी जाती है। वर्ष 1984-85 के दौरान इन संगठनों द्वारा दिया गया ऋण इस प्रकार था :—

संस्था का नाम	ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)
हुडको	239.61
जीवन बीमा निगम	67.96
सामान्य बीमा निगम	19.50

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शनों के अनुसार, 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की राशि आवास के लिए उद्दिष्ट की गई हैं।

शिल्पकारों और दस्तकारों के आर्थिक पुनर्वास की योजना शुरू करना

6247. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण शिल्पकारों और दस्तकारों के आर्थिक पुनर्वास और उनका स्तर ऊंचा करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पकारों और दस्तकारों के उत्थान के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों से ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(घ) ग्रामीण शिल्पकारों और दस्तकारों को वर्ष 1985-86 के दौरान आधारभूत सुविधाएं

उपलब्ध कराने के लिए क्या विभिन्न उपाय करने का विचार है;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के शिल्पकारों और दस्तकारों को सहायता उपलब्ध है।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

(ग) छठी योजना अवधि अर्थात् 1980-85 के दौरान इस योजना के तहत कुल लक्षित आबंटन 1500 करोड़ रुपया था।

(घ) समेकित ग्रामीण विकास योजना के तहत सहायता उपलब्ध की जाती है।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल की गई फसलें

6248. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किन फसलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या कुछ वाणिज्यिक फसलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन वाणिज्यिक फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नयी वृहद फसल बीमा योजना में, जो खरीफ, 1985 मौसम से क्रियान्वित की जा रही है, शुरू में मुख्य धान्य अर्थात् धान, गेहूं और कदन्न तथा दलहन और तिलहन जैसी बारानी फसलें शामिल की जायेंगी।

(ख) से (घ) इस समय इस योजना को वाणिज्यिक फसलों पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, धान्य फसलों, दलहनों और तिलहनों के संबंध में योजना की प्रगति की संवीक्षा करने के बाद इसके वाणिज्यिक फसलों सहित अन्य फसलों को विभिन्न चरणों में शामिल किया जाएगा।

चने के उत्पादन में कमी

6249. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान और विकास तंत्र की असफलता के कारण चने की उत्पादकता 1978-79 में 745 किलो प्रति हेक्टेयर से कम होकर 1982-83 में 705

कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर हो गई है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य यूनिट नई खोजों और नई किस्मों और उच्च उत्पादकता के बहुत से दावे करते रहे हैं, जो आधारहीन पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) जी नहीं, श्रीमान।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संबंध अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा प्रौद्योगिकी के विकास से है। कई अधिक उपज देने वाले रोगरोधी चने की किस्म विकसित की गई हैं जो कि अच्छे प्रबन्ध के अन्तर्गत 25-35 क्विंटल/हैक्टेयर उपज देने की क्षमता रखती हैं जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 7.5 क्विंटल हैक्टेयर है। उत्पादन एक जटिल मामला है तथा कई तथ्यों पर निर्भर करता है जैसे बीज की गुणवत्ता, उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का उपयोग विशेषकर फास्फेटिक, समय से सिंचाई, कीट नियंत्रण उपाय आदि। यदि किसान सिफारिश किये गए अच्छे प्रबन्ध के अन्तर्गत फसल उगाता है तो वह निश्चित रूप से अधिक उपज प्राप्त करेगा। वर्ष 198?-83 के दौरान संशोधित आकलन के अनुसार चने का उत्पादन केवल 715 कि० ग्रा०/हैक्टेयर हुआ जो कि 1978-79 में 745 कि० ग्रा०/हैक्टेयर था। उपज में ठहराव का मुख्य कारण चने की खेती को नगण्य निवेशों के उपयोग से सीमान्त बारानी भूमि में स्थानान्तरित करना है। किसानों के खेतों में मिनीकीट्स के वितरण तथा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के माध्यम से सिफारिश की गई कृषि क्रियाओं से अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। किस्मों की पहचान/रिलीज करने से पहले सभी नई विकसित किस्मों की कई स्थानों पर 3-4 वर्ष तक अखिल भारतीय समन्वित किस्म परीक्षण के अंतर्गत जांच की जाती है। विभिन्न प्रावलों के लिए वार्षिक कार्यशाला बैठकों में इनके उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है तथा जो उपज, रोग/कीट रोधी आदि के संबंध में श्रेष्ठ पायी जाती है उन्हें केन्द्र/राज्य किस्म रिलीज समिति को रिलीज करने के लिए सिफारिश की जाती है। कुछ नई अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की गई हैं जिनमें एस्कोचाइटा अंगमारी की प्रतिरोधी गौरव, एच जी 75-35, जी एन जी 146, बी जी एम-408, मुरझान के प्रतिरोधी पूसा-212, पी 35, एच (डब्ल्यू आर) 355 तथा सूखे के प्रतिरोधी चफा, एन-59, सी 214, सी 233, एच 208 शामिल हैं। इनमें से कुछ किस्में पहले से ही फसल स्तर, अधिसूचना तथा रिलीज से संबंधित केन्द्रीय उप समिति द्वारा रिलीज की गई है।

(ग) जांच तथा रिलीज पद्धति की प्रणाली को देखते हुए केवल प्रमाणित किस्में रिलीज की जाती है तथा इस प्रकार कोई उपचारी उपाय का प्रस्ताव नहीं है।

मक्का का प्रति हैक्टेयर उत्पादन

6250. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मक्का का उत्पादन जो 1970-71 में 1279 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, 1982-83 में घटकर 1102 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गया है और यदि हां, तो इतनी भारी कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) 1970-71 में मक्का की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1279 किलोग्राम थी जो 1982-83 में कम होकर 1145 किलोग्राम रह गई। मक्का सहित मोटे अनाज का उत्पादन सामान्यतया वर्षा सिंचित परिस्थितियों तथा लघु और सीमान्त किसानों द्वारा उर्वरकों, पौध संरक्षण आदि जैसे आदानों का न्यूनतम उपयोग कर के किया जाता है। अतः मक्का की उत्पादकता मुख्यतः मौसमीय परिस्थितियों और मानसून के रुख पर निर्भर करती है। 1982-83 के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पड़े सूखे और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से फसल को भारी क्षति हुई थी।

(ख) मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाएं और उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, पौध संरक्षण आदि जैसे आदानों को समय पर सप्लाई करने की भी व्यवस्था करें। इसके अलावा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कदन्नों (मक्का सहित) के मिनीकिट प्रदर्शन की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है ताकि विस्तार कार्यकर्त्ताओं आदि के लिये नई प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण का प्रसार किया जा सके जिसका उद्देश्य फसल उत्पादन और उसकी उत्पादकता में सुधार करना है।

कोटा में सोयाबीन से तेल निकालने वाला संयंत्र

[हिन्दी]

6251. **श्री शांति धारीवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) के लिए सोयाबीन के तेल निकालने वाले एक संयंत्र की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की स्थापना के सम्बंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड) को सोयाबीन के तेल का उत्पादन करने के लिए कोटा (राजस्थान) में एक संयंत्र लगाने हेतु एक आशय पत्र संख्या 822 (82), दिनांक 9 नवम्बर, 1982, जारी किया गया है।

(ख) इस बारे में अब तक हुई प्रगति निम्नवत है :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ ने परियोजना के लिए कोटा में 39.4 हेक्टेयर भूमि ले ली है।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ परियोजना के कार्यान्वियन के लिए टर्न की परियोजना सलाहकारों के साथ एक समझौते को अन्तिम रूप दे रहा है।

(3) सिविल निर्माण-कार्य, राजस्थान राज्य पुल और निर्माण निगम लि० को सौंपा जा रहा है।

(4) परियोजना के अन्तर्गत सहकारी विकास सेवाएं योजना के कार्यान्वियन के लिए 16 तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां बनाई गई हैं; जो आदानों के प्रबंध में तथा सोयाबीन की अधिप्राप्ति के लिए किसानों की सहायता करेंगी।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राजस्थान को आबंटित धनराशि

6252. **श्री शांति धारीवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पूरी धनराशि का उपयोग किया है या इसे अन्य कार्यों पर खर्च किया है; और

(ग) राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, अर्थात 1980-81 से 1984-85 तक, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में राजस्थान सरकार को 17.54 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) राजस्थान सरकार ने 2.76 लाख रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा शेष 14.78 लाख रुपये की राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने हैं। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रखी गई राशि का किसी अन्य उद्देश्य या कार्यक्रम आदि के लिए प्रयोग करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 1-4-1980 से 31-3-1985 तक, 988 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अन्तर्गत सिंचाई वाली भूमि और शुष्क भूमि के लिए अधिकतम सीमा

[अनुवाद]

6253. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत सिंचाई वाली भूमि और शुष्क भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कुछ राज्यों में इन उपबन्धों में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में अधिकतम भूमि सीमा संबंधी नियमों को पूर्ण रूप से लागू किया गया है; और

(घ) भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने के बाद कुल कितनी कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हुई है और कितनी भूमि पुनः वितरण हेतु उपलब्ध की गई है और विभिन्न राज्यों में इसके पुनर्वितरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वियन में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। संशोधित तथा पूर्व-संशोधित भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमि के स्वामियों द्वारा दर्ज कराई गई 15,43-306 विवरणियों में से 5,18,030 विवरणियां निपटा दी गई हैं तथा केवल 24,276 विवरणियां निपटाने के लिए लम्बित है उनमें 98 प्रतिशत से अधिक विवरणियों के निपटाए जाने का पता चलता है।

भूमि सीमा कानूनों को लागू करने के परिणाम स्वरूप 72,00 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र फालतू घोषित कर दिया गया था। इसमें से 43.95 लाख एकड़ भूमि 32.56 लाख पात्र परिवारों में वितरित कर दी गई है। फालतू घोषित भूमि तथा वितरित भूमि में 28.05 लाख एकड़ का अन्तर है। इसमें से 16.19 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई है तथा 8.90 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है या सामाजिक वानिकी अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग कर दी गई है। अतः केवल 2.96 लाख एकड़ भूमि शेष है जिसका वितरण किया जाना रहता है। राज्यों से प्राप्त राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-I विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

संशोधित भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा

राज्य का नाम	सिंचित	असिंचित
आंध्र प्रदेश	10 से 27 एकड़	35 से 54 एकड़
असम	50 बीघा (16-2/3 एकड़)	50 बीघा (16-2/3 एकड़)
बिहार	15 से 5 एकड़	30 से 45 एकड़
गुजरात	10 से 27 एकड़	20 से 54 एकड़
हरियाणा	7.25 हेक्टेयर से 10.9 हेक्टेयर	21.8 हैक्टेयर
हिमाचल प्रदेश	10 से 15 एकड़	30 से 70 एकड़
जम्मू और कश्मीर	8-13/14 से 12.5 एकड़	14-12/17 से 22-8/11 एकड़
कर्नाटक	10 से 30 एकड़	54 एकड़
केरल	12 से 15 एकड़	12 से 15 एकड़
मध्य प्रदेश	18 से 27 एकड़	54 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 36 एकड़	54 एकड़
मणिपुर	5 हैक्टेयर	6 हैक्टेयर
उड़ीसा	10 से 15 एकड़	30 से 45 एकड़
पंजाब	7 से 11 हैक्टेयर	20.5 हैक्टेयर
राजस्थान	18 से 27 एकड़	54 से 175 एकड़
सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	12.550 एकड़
तमिलनाडु	12 एकड़	60 एकड़
त्रिपुरा	4 से 12 हैक्टेयर	4 से 12 हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश	7.30 हैक्टेयर	10.95 से 18.25 हैक्टेयर
पश्चिमी बंगाल	5 हैक्टेयर	7 हैक्टेयर

विवरण II

फालतू घोषित क्षेत्र, वितरित क्षेत्र, अयोग्य भूमि या सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अलग की ई भूमि या मुकदमेबाजी में फंसी भूमि तथा वितरण के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	अन्तर क्षेत्र (4) (2) (3)	सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अथवा अलग की गई भूमि अथवा कृषि हेतु अयोग्य भूमि	मुकदमेबाजी में फंसा क्षेत्र	कुल (5+6)	उपलब्ध कुल क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1039842	332025	707817	72325	576854	649179	58638
असम	565297	388032	177265	141000	—	141000	36265
बिहार	296887	190046	106841	—	90000	90000	16841
गुजरात	228094	95032	133062	—	96583	96583	36479
हरियाणा	157638	134366	23272	—	18391	18391	4881
हिमाचल प्रदेश	283994	3335	280659	241194	24836	266030	14629
जम्मू और कश्मीर	450000	450000	—	—	—	—	—
कर्नाटक	296355	115661	180694	—	176000	176000	4694
केरल	121385	58443	62942	17532	40220	57752	5190

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	301391	134999	166392	53676	91258	144934	21458
महाराष्ट्र	702030	56 21	140909	20235	91462	111697	29212
मणिपुर	1029	424	605	—	—	—	605
उड़ीसा	162390	127273	35117	5577	25726	31303	3814
पंजाब	148189	99247	48942	176	48677	48853	89
राजस्थान	588719	386110	202609	103744	77119	180863	21746
तमिलनाडु	162631	132137	30494	—	23199	23199	7295
त्रिपुरा	2011	1500	511	—	68	68	443
उत्तर प्रदेश	500267	385608	114659	58774	53807	112581	2078
पश्चिम बंगाल	1180157	794563	385594	173000	181426	354426	31168
दादरा और नगर हवेली	8958	3751	5207	2868	2179	5047	160
पांडिचेरी	2560	942	1618	—	1247	1247	371
दिल्ली	1009	569	440	—	440	440	—
योग :	7200833	4395184	2805649	890101	1619492	2509593	296056

प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां

6254 श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 को राज्यवार, कितनी प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां थी;

(ख) समितियों के कितने सदस्य हैं और ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है तथा उनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सदस्यों की देयता और उन पर पुरानी बकाया राशि कितनी है तथा उन्हें 1 जनवरी, 1985 तक कितना ऋण दिया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सहकारी संस्थानों के ब्यौरे सहकारिता वर्ष, जो 30 जून, को समाप्त होता है, के लिए एकत्र किए जाते हैं 30 जून, 1984 के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समितियों की संख्या	सदस्य सं० हजार	कर्ज लेने वाले सदस्यों की सं० (हजार में)	कुल सदस्यों में से कर्ज लेने वालों का प्रतिशत	ऋण अतिदेय	अग्रिम ऋणों का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7148	8021	1721	21.4	76.92	229.19
2.	असम	2367	2318	42	2.0	7.03	5.01
3.	बिहार**	6757	5778	2795	48.4	58.64	35.77
4.	गुजरात	6679	2002	745	37.2	99.72	180.50
5.	हरियाणा	2350	1291	687	53.02	86.74	222.86
6.	हिमाचल प्रदेश	2109	673	113	16.8	5.12	12.72
7.	जम्मू व कश्मीर**	1473	417	164	39.2	3.92	2.11
8.	कर्नाटक	4741	3250	717	22.0	86.05	150.84

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	1566	5172	2461	47.6	68.66	297.40
10.	मध्य प्रदेश	5572	4500	1445	32.1	128.78	201.67
11.	महाराष्ट्र	18353	5883	1560	26.5	240.00	353.61
12.	मणि पुर	685	182	117	64.3	2.10	0.07
13.	मेघालय	180	72	44	61.1	2.04	0. 8
14.	नागालैंड**	229	12	5	41.7	उ० नहीं	1.80
15.	उड़ीसा	2795	2747	860	31.3	60.25	88.04
16.	पंजाब	3060	1756	1086	61.8	108.15	340.58
17.	राजस्थान	5078	3737	1362	36·4	77.57	144.50
18·	सिक्किम	—	—	—	—	—	0.08
19·	तमिलनाडु	4645	5676	2569	45.3	134.44	98.83
20.	त्रिपुरा	373	200	7	3.5	3.37	1.26
21.	उत्तर प्रदेश	8620	10092	2984	29.6	204.23	325.66
22.	पश्चिम बंगाल	7677	2823	762	27.0	132.11	46.42
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	45	4	3	75.0	—	0.13
24.	अरुणाचल प्रदेश	17	6	उ० न०	—	—	0.08
25.	चण्डीगढ़	33	5	3	60.0	0.03	0.02
26.	दादरा और नगर हवेली	11	6	1	16.7	0.07	0.01
27.	दिल्ली **	193	42	4	9.5	0.74	0.09
28.	गोवा, दमन और दीव	105	69	6	8.7	0.89	0.70
29.	लक्षद्वीप	7	4	1	25.0	0.04	0.16
30.	मिजोरम	12	1	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	55	26	4	15.4	0.88	1.19
		92917	66765	22268	33.3	1588.53	2742.18

आंकड़े अनंतिम हैं

** आंकड़े 1982-83 से सम्बन्धित हैं

उ० न०—उपलब्ध नहीं

तिलों और सरसों की कम उत्पादकता

6255. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में तिलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घटकर 181 किलोग्राम रह गई थी, जो वर्ष 1958-59 में 228 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरसों की उत्पादकता जो वर्ष 1974-75 में 612 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वह 1982-83 में घटकर 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई थी; और

(ग) क्या सरकार के पास कृषि में अनुसंधान और विकास तंत्र का पुनर्निरूपण करके उपरोक्त स्थिति से उबरने की कोई योजना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं। तिलों की उत्पादकता 1958-59 के 228 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1982-83 में 249 किलोग्राम हेक्टेयर तथा इसके बाद 1983-84 में और बढ़कर 283 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है।

(ख) तोरिया और सरसों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1974-75 में 612 किलोग्राम और 1982-83 में 577 किलोग्राम और 1983-84 में 659 किलोग्राम थी। 1982-83 में मौसम अनुकूल न होने की वजह से फसल की उपज प्रभावित हुई।

(ग) तिलहनों का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1983-84 तक चल रही तिलहन विकास योजनाओं और विशेष परियोजनाओं का नवीकरण और समेकन करके वर्ष 1983-85 के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना नाम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना मंजूर की गई है। इस परियोजना के तहत गहन नीति को तिलहन फसलों अर्थात् मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के अलावा तिल, कुसुम और रामतिल पर लागू किया गया है। सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

देश में दुग्ध उत्पादक जिलों का चयन

6256. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आनन्द पद्धति अपनाने और क्रियान्वित करने के लिए अब तक कितने दुग्ध उत्पादक जिलों का चयन किया गया है;

(ख) इन जिलों में दूध का उत्पादन बढ़ाने और दूध एकत्र करने के लिए राज्यवार कुल कितने परिव्यय का प्रावधान किया गया है; और

(ग) इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) आपरेशन फ्लड-2 के तहत "आनन्द पद्धति" पर डेरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए 155 दुग्ध शालाओं का चयन किया गया है।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-2 के तहत कार्यवाही मद संख्या 2 तकनीकी आदान, कार्यवाही मद संख्या 4 ग्राम सहकारी समितियों को सहायता और कार्यवाही मद संख्या 8-रोग नियंत्रण और दुग्ध उत्पादन वर्धन के तहत दुग्ध उत्पादन और एकत्रीकरण के लिए कुल आबंटन और निधि का राज्यवार संवितरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है सरकार ने आपरेशन फ्लड-2 के तहत धन राशि के आबंटन की मदवार मंजूरी दी है। राज्यवार आबंटों को भारतीय डेरी निगम के बोर्ड, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, की स्वीकृति प्राप्त है। जनवरी, 1985 तक "आनन्द पद्धति पर 32,896 डेरी सहकारी समितियां गठित की गई हैं । आपरेशन फ्लड-2 के तहत दुग्धशालाओं द्वारा दुग्ध अधिप्राप्ति का स्तर जनवरी, 1985 में दैनिक लगभग 77 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया है।

विवरण

आपरेशन फ्लड-2 के तहत दूध के उत्पादन बढ़ाने तथा संचयन के लिए
कुल आवंटन तथा राज्यवार धनराशि का संवितरण

कुल आबंटन तथा संवितरण

(लाख रुपये)

1. कार्यवाही मद	नियतन	प्रारम्भ से जनवरी, 1985 तक (अनंतिम)
1	2	3
2. तकनीकी आदान	10845.6	3080.19
4. ग्राम सहकारी समितियों के लिए मदद	6514.9	1076.27
8-रोग नियंत्रण तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अवस्थापनात्मक मदद	2580.0	2052.57

2. प्रारम्भ से जनवरी, 1985 तक राज्यवार संवितरण

(लाख रुपये)

राज्य	कार्यवाही की मदें	
अण्डमान और निकोबार	7.87	2.55
आंध्र प्रदेश	128.36	86.57
असम	90.20	11.59
बिहार	104.77	56.51
गोवा	12.51	5.32
गुजरात	561.31	96.87
हरियाणा	201.39	43.89
हिमाचल प्रदेश	8.68	6.32
कर्नाटक	32.83	18.22
जम्मू और कश्मीर	5.81	6.61
केरल	174.59	74 87
मध्य प्रदेश	319.96	82.87
महाराष्ट्र	148.82	70.79
नागालैण्ड	1.00	—
उड़ीसा	190.48	36.34
पाण्डिचेरी	10.57	3.00
पंजाब	322.74	262.21
राजस्थान	21.96	—
सिक्किम	24.82	8.78
तमिलनाडु	328.88	79.11
त्रिपुरा	8.42	5.71
उत्तर प्रदेश	92.18	68.73
पश्चिम बंगाल	282.04	49.41

टिप्पणी :—कार्यवाही मद संख्या 8 सम्बन्धी व्यय भारतीय डेरी निगम का प्रत्यक्ष व्यय है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्य सहायता

6257. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम ने देश के विभिन्न भागों में बसे हुए लोगों और श्रमिकों के लिए अधिक खाद्य सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर): (क) और (ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों, राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के अधिवासियों और पौषणिक तथा आहार कार्यक्रमों के लिए जिंसों के रूप में सहायता प्रदान करता रहा है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किसी अतिरिक्त जिंस सहायता का वचन नहीं दिया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न चालू परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम राज्यवार आधार पर सहायता नहीं देता है।

विवरण

भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम की परियोजनाएं-1985

संख्या और शीर्षक	विश्व खाद्य कार्यक्रम की वचनबद्धता			विवरण
	जिस	मात्रा (मी० टन)	लागत (अमरीकी डालर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	*(5)
चालू परियोजनाएं				
259-व्यय-2- राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को खाद्य सहायता	डी०एस०एम०	1,460	16,330,300*	राजस्थान नहर में कार्यरत श्रमिकों को प्रचलित बाजार मूल्य के आधे पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल आगे परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा। यह विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का तीसरा चरण है। इस नहर के पूरा होने पर 30 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।
	वनस्पति तेल	4,240		
	दालें	2,920		
	गेहूं	31,600		

* इसे आगे और बढ़ाए जाने की सम्भावना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
372-व्यय-2, महाराष्ट्र में वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास।	गेहूं खाद्य तेल दालें	43,200 4,320 4,320	17,899,000	जंगल साफ करने और सागोन-वृक्षारोपण के कार्य में लगे कार्यकर्त्ताओं, जो अपनी मजदूरी का 25 प्रतिशत स्वेच्छा से 'कल्याण-निधि' में दें, की मजदूरी की अनुपूर्ति करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों का वितरण। इस विधि का इस्तेमाल कार्यकर्त्ताओं और उनके परिवारों के कल्याण के लिए दिया जाएगा। परियोजना का यह तीसरा चरण है।
614, कर्नाटक राज्य में शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों में आहार कार्यक्रम।	गेहूं डी०एस०एम० खाद्य तेल	21,600 2,166 2,166	8,531,800**	शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों में 90,000 लाभानुभोगियों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ पदार्थों की सप्लाई। सरकार द्वारा आवंटित राशि से बचत की गई निधियों का इस्तेमाल संस्थानों की भौतिक सुविधाओं का सुधार करने के लिए होगा।

** यह परियोजना अब तक विश्व खाद्य कार्यक्रम की सम्पूर्ण वचनबद्धता का इस्तेमाल कर चुकी है, तथापि, विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता के फलस्वरूप अर्जित निधियों को अभी पूरी तरह खर्च नहीं किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चालू परियोजनाएं				
615, महाराष्ट्र राज्य में शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थाओं में आहार कार्यक्रम।	गेहूं	35,987	14,364,600**	शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों के 95,000 लाभानुभोगियों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की सप्लाई। सरकार द्वारा आवंटित राशि में से बचत की गई निधियों का इस्तेमाल संस्थानों की भौतिक सुविधाओं का सुधार करने के लिए होगा।
	डी० एस० एम०	4,254		
	खाद्य तेल	3,824		
	एस० एफ० बी/ एस० एफ०एस० जी०	100		
620, कर्नाटक राज्य में गैर-सरकारी शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों को खाद्य सहायता।	गेहूं	13,276	5,643,000**	गैर-सरकारी शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों के 35,000 लाभानुभोगियों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की सप्लाई। सरकार द्वारा आवंटित राशि में से बचत की गई निधियों का इस्तेमाल संस्थानों की भौतिक सुविधाओं का सुधार करने के लिए होगा।
	डी० एस० एम०	1,693		
	खाद्य तेल	1,401		

** यह परियोजना अब तक विश्व खाद्य कार्यक्रम की सम्पूर्ण वचनबद्धता का इस्तेमाल कर चुकी है। तथापि, विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता के फलस्वरूप अर्जित निधियों को अभी पूरी तरह खर्च नहीं किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2299, महाराष्ट्र में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास।	गेहूं खाद्य तेल डी० एस० एम०	72,730 800 652	19,485,400	जयकवाडी और भीमा सिंचाई योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को रियायती दरों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री। 357 कि०मी० की प्रमुख नहर और 680 कि० मी० लघु नहरों के निर्माण के लिए 573 लाख घन मीटर भूमि की खुदाई करने में विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से मदद मिलेगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री से प्राप्त निधियों का इस्तेमाल अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
2303, कर्नाटक में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास।	गेहूं खाद्य तेल डी० एस० एम०	29,900 2,000 2,448	12,825,300*	मालाप्रभा और अपर कृष्णा (चरण-1) सिंचाई योजनाओं तथा उनके कमान क्षेत्रों में फार्म पर आवश्यक विकास कार्यों में लगे श्रमिकों को रियायती दरों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों की बिक्री से प्राप्त निधियों का इस्तेमाल अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।

* इसे और बढ़ाए जाने की संभावना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2600, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नए अधिवासियों के लिए खाद्य सहायता।	गेहूं	31,018	13,108,800	विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का उद्देश्य राजस्थान नहर द्वारा हाल ही में सिंचित क्षेत्र में आवास की गति को तेज करना है। पांच वर्षों की अवधि तक 190,000 हेक्टेयर भूमि का सुधार करने और उसमें खेती करने वाले तीस हजार परिवारों को उनके बसने के प्रारम्भ के 18 महीनों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे।
	खाद्य तेल	2,482		
	दालें	2,482		
स्वीकृत मगर अभी चालू नहीं हुई परियोजनाएं				
2206-व्यय-4, स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम।	एस० एफ० बी०	87,065	43,353,900	12 राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार के आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के तहत 21.2 लाख स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को मौके पर आहार देने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के जिंसों की सप्लाई।
	खाद्य तेल	10,305		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2664, हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में ग्रामीण विकास।	गेहूं खाद्य तेल दालें	17904 1,790 1,790	7,151,100	कुछ उप-परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी आंशिक भुगतान के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम के जिंसों की सप्लाई, जबकि कुछ अन्य परियोजनाओं में विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थ विशेष दुकानों या सहकारी स्टोरों के माध्यम से सहायता प्राप्त दरों पर बेचे जाएंगे। रोजगार के 87 लाख मानव दिनों का सृजन करने के अलावा, यह परियोजना महेन्द्रगढ़ जिले के समेकित ग्रामीण विकास में योगदान देगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता के फल-स्वरूप उपार्जित निधियों का इस्तेमाल परि-योजना क्षेत्र का आगे और सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने में किया जाएगा।
2683, बिहार में वानिकी कार्य-कलापों के माध्यम से सामाजिकार्थिक विकास।	गेहूं खाद्य तेल दालें	53,940 5,394 5,394	21,888,900	जंगल साफ करने और भागोन तथा इमारती लकड़ी की प्रजातियों के वृक्षारोपण कार्य में लगे ऐसे मजदूरों, जो अपनी मजदूरी का 25 से 40 प्रतिशत कल्याण निधि में देंगे, की मजदूरी की अनुपूर्ति करने के लिए विश्व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				खाद्य कार्यक्रम के साथ पदार्थों का विवरण, इस निधि (अनुमानतः 470 लाख रु०) का इस्तेमाल मजदूरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किया जाएगा। पोषक आहार के अतिरिक्त, इस परियोजना के अन्तर्गत नौ जिलों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में मुख्यत: अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लगभग 45,000 वन-श्रमिकों के लिए यह पंचवर्षीय परियोजना रोजगार के लगभग 426 लाख मानव दिन प्रदान करेगी।
2684, मध्य प्रदेश में वानिकी कार्य-कलापों के माध्यम से सामाजिकार्थिक विकास।	गेहूं	45,544	37,045,900	जंगल साफ करने और सागोन तथा इमारती लकड़ी की अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण कार्य में लगे ऐसे मजदूरों, जो अपनी मजदूरी का 25 से 40 प्रतिशत कल्याण निधि में देंगे, की मजदूरी की अनुपूर्ति करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों का वितरण। इस निधि (अनुमानतः 700 लाख रुपए) का इस्तेमाल मजदूरों और
	चावल	25,332		
	खाद्य तेल	7,088		
	दालें	7,088		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				उनके परिवारों के कल्याण के लिए किया जाएगा। पोषक-आहार के अतिरिक्त, इस परियोजना के अन्तर्गत 23 जिलों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लगभग 53,900 वन श्रमिकों के लिए यह पंचवर्षीय परियोजना रोजगार के लगभग 537 लाख मानव दिन प्रदान करेगी।
2685, उड़ीसा में वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से सामाजिकार्थिक विकास।	गेहूं	41,235	25,134,900	जंगल साफ करने और सागौन तथा इमारती लकड़ी की अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण कार्य में लगे ऐसे मजदूरों, जो अपनी मजदूरी का 25 से 40 प्रतिशत कल्याण निधि में देंगे, की मजदूरी की अनुपूर्ति करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों का वितरण। इस निधि (अनुमानतः 390 लाख रु०) का इस्तेमाल मजदूरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किया
	चावल	11,465		
	खाद्य तेल	5,270		
	दालें	5,270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				जाएगा । पोषक आहार के अतिरिक्त इस परियोजना के अन्तर्गत के 7 जिलों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लगभग 46,000 वन-श्रमिकों के लिए यह पंचवर्षीय परियोजना रोजगार के लगभग 432 लाख मानव-दिन प्रदान करेगी ।

सब्जी और फलों के विपणन के लिए निगम

6258. श्री विजय एन० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताजी सब्जियों और तेलों के विपणन के लिए एक राष्ट्रीय निगम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो निगम की संरचना और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस निगम की प्रबन्ध परिषद में देश के सभी क्षेत्रों के प्रगतिशील कृषक और बागवानी विशेषज्ञ शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने ताजे फलों और सब्जियों का विपणन करने के लिए कोई राष्ट्रीय निगम स्थापित नहीं किया है।

आधारभूत सेवाएं देने के लिए समन्वित कार्यक्रम

6559. श्री महेन्द्र सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में निर्धन लोगों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए समन्वित कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना में यूनीसेफ की सहायता से नगरीय गरीबों को मूलभूत सेवाओं के विस्तार के लिए एकीकृत नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम का सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

देश के चयनित जिलों में प्रस्तावित नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों तथा अवस्थाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 10 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में नगरीय विकास के प्रभारी राज्य सचिवों तथा जिला कलेक्टरों का सम्मेलन हुआ था।

(ख) राज्य सचिवों के सम्मेलन ने आयोजना के एक एकक के रूप में जिलों को लेने तथा जिला कलेक्टर को अपने जिले में नगरीय मूलभूत सेवा के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होने का निर्णय लिया था। यूनीसेफ ने 1985-86 के कार्यकरण की बृहद योजना के दौरान 9.2 मिलियन डालर की सहायता का वचन दिया है। सम्मेलन में विभिन्न परियोजना पूर्व औपचारिकताओं के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई नामतः—

(i) विस्तृत कार्यात्मक मार्ग निर्देशनों को यूनीसेफ के परामर्श से मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ii) नगरीय मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक रूप से चयनित जिलों के बारे में 15 मई, 1985 तक राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि।

(iii) 15 मई 1985 तक राज्य सरकारों द्वारा सम्बंधित जिलों के नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयकों का चयन।

(iv) नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयक हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम लेंगे।

(v) नगरीय मूलभूत सेवा समन्वयक अपने प्रशिक्षण के बाद कार्य की योजना बनायेंगे तथा 15 जुलाई, 1985 तक इस मन्त्रालय को उसे भेज देंगे।

झींगा मछलियों का उत्पादन

6260. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित परिस्थितियों में झींगा मछली का राज्यवार कितना उत्पादन होता है;

(ख) इस तरीके से झींगा मछली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकती है;

(ग) इस क्षेत्र में अनुसंधान विकास और विस्तार सेवा के लिए कितना निवेश किया गया है; और

(घ) प्राकृतिक परिस्थितियों में झींगा मछली के उत्पादन में तेजी से कमी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के संबंध में धीमी प्रगति प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) भण्डारण के लिए प्रयोगशाला में पाले गये पोस्ट लार्वा का उपयोग करके क्षेत्रीय मछली पालन प्रयोगों में 602 किलोग्राम/हैक्टेयर/54 दिवस तक की उत्पादन दर प्राप्त की गई है। तथापि, 40,000/हैक्टेयर में पी मोनोडोन जूवेनाइलस का चुनींदा भण्डारण करके 1200/किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष तक उपज दर से टेबल आकार की झींगा मछली की तीन फसलें पैदा करना अब संभव हो गया है। सुन्दरबन में ककद्वीप फार्म में आयोजित किये गये खारे जल की मछली और झींगा मछली के पोलीकल्चर के प्रयोगों से लगभग 2500 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष का उत्पादन दर प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) खारे जल में मछली और झींगा पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए मार्ग-

दर्शी फार्मों की स्थापना करने संबंधी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र तटीय राज्यों को 121 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा छठी योजना अवधि के दौरान कुल 996 लाख रुपये के परिव्यय से सितम्बर, 1982 में क्षेत्र विकास अवधारणा से खारे जल में मत्स्य/झींगा पालन के विकास को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना, जिसमें छठी योजना के दौरान खारे जल के 1500 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने का विचार है, के अंतर्गत सरकार द्वारा कुल लगभग 800 हैक्टेयर क्षेत्र आवृत करते हुए संस्वीकृति जारी कर दी गयी है। तटीय जल के प्राकृतिक स्रोतों से झींगा मछली के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

'हुडको' द्वारा कर्नाटक में आवास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का दिया जाना

6261. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर और राज्य के अन्य भागों के आवास विकास के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से 300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर विकास प्राधिकरण ने जिसके द्वारा 237 करोड़ रुपये की लागत से 35,000 प्लाटों का विकास किया जायेगा, कुछ परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या 'हुडको' ने वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य में 9 आवास योजनाओं के लिए केवल 3.41 करोड रुपये मंजूर किए हैं; और

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार को आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 'हुडको' कितनी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा 35000 प्लाटों के विकास करने सहित आवास तथा नगर विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए हुडको से 645 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की आवश्यकता बताई गई थी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के दौरान हुडको ने 3.41 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से कर्नाटक आवास बोर्ड की 9 योजनाओं को मन्जूरी दी है।

(घ) हुडको ने कर्नाटक राज्य के लिए 1985-86 के लिए 23.00 करोड़ रुपये का न्यूनतम नियतन उद्दिष्ट किया है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन

6262. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण कार्यक्रम के लिए वर्तमान प्रशासकीय प्रबंध की पुनरीक्षा करने के लिए उच्चाधिकार समिति के समक्ष कुछ तथ्य रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कर्यान्वियन के लिए सरकार का कौन-से उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) उच्च स्तरीय समिति ने अभी हाल ही में अपना कार्य आरम्भ किया है और यह समिति मंत्रालयों तथा राज्यों से शीघ्र ही तथ्य और सुझाव मंगवाएगी।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे चल रहे ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रम 1985-86 के दौरान भी जारी रखे जायेंगे।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा देना

6263. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन समाचार पत्रों को 1985 की पहली तिमाही के लिए उन्हें आबंटित अखबारी कागज का कोटा अभी नहीं दिया गया है; उससे उनके मन में डर पैदा हो गया है ; कि यह आबंटन भी उस बकाया अखबारी कागज में जुड़ जाएगा जो पिछले चार वर्षों से जुड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े अखबार के प्रकाशकों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है और यह भी आरोप लगाया है कि राज्य व्यापार निगम स्टाक उपलब्ध होने के बावजूद भी कोटा जारी नहीं कर रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और समाचार पत्रों में अखबारी कागज का कोटा जल्दी दिलाने के लिए राज्य व्यापार निगम से बातचीत की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अखबारी कागज के आबंटनों और वास्तविक रिलीज के बीच अन्तर है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम विदेशी मुद्रा संसाधनों के अभाव के कारण भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी कागज के किए गए वास्तविक आबंटनों के अनुसार अखबारी कागज की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं था, तथापि 1984-85 के दौरान अखबारी कागज की समग्र उपलब्धता सन्तोषजनक थी।

आवास योजनाओं के लिए जर्मनी से सहायता

6264. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन संघीय गणराज्य ने निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत को सात करोड़ रुपये की सहायता दी है जैसा कि 18 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी जर्मनी ने यह ऋण 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस ऋण का किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा और इस योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए कितने नगरों को इसके अन्तर्गत लिया जाएगा; और

(घ) यह राशि किस समय तक उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने क्रीडिटांसटल्ट फर वाइडरापवा (के० एफ० डब्ल्यू०) के माध्यम से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले कस्बों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए स्थल तथा सेवा, कोर के स्कैलटन आवास के लिए 20 डी० एम० मिलियन 8.00रुपये के बराबर (का ऋण मंजूर किया है।

(ग) 44 परियोजनायें जो समझौते में निर्धारित मापदण्ड को पूरा करती है अनुमोदन के लिए के० एफ० डब्ल्यू० के अधिकारियों के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से अभी तक 6 कस्बों की 10 योजनाओं को उनके द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया है।

(घ) समझौते के अनुसार ऋण का लाभ 31 दिसम्बर, 1987 तक उठाया जा सकता है।

भविष्य-निधि कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

6265. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सारे देश में भविष्य निधि कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि कर्मचारी संगठन की क्या मांगें हैं ;

(ग) क्या सरकार ने संगठन की मांगों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहें हैं और स्थिति को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने आगे क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) आल इंडिया एम्पलाइज प्राविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन (बंगलौर) ने, जो एक मान्यता न प्राप्त निकाय है और इसकी सम्बद्ध यूनियनों 18 से 4.1985 से 23.4.1985 तक रिले भूख-हड़ताल और 2.5.1985 को सांकेतिक हड़ताल का नोटिस दिया था।:कुछ क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कुछ कर्मचारियों ने 18.4.1985 से 23.4.1985 तक रिले भूख हड़ताल की/धरना दिया।

(ख) फेडरेशन का मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं : —

(i) वेतन-मानों में संशोधन;

(ii) कार्य भार में कमी;

(iii) अधिकतम सीमा के बिना 20 प्रतिशत बोनस की अदायगी;

(iv) यंत्रीकरण को समाप्त करना;

(v) निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि ; और

(vi) आल इंडिया एम्पलाइज प्राविडेंट फंड स्टाफ फैडरेशन (बंगलौर) और इसकी सम्बद्ध यूनियनों को मान्यता प्रदान करना।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (i) से (v) में उठाए गए मसलों पर उस समय उचित ध्यान दिया जाएगा जब कभी इन मसलों को किसी व्यक्तियों के ग्रुप या किसी एक व्यक्ति द्वारा उठाया जाए ।

फैजाबाद में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

6266. **श्री निर्मल खत्री** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फैजाबाद में स्थापित किये गये नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में फैजाबाद जिले के मसोधा खंड में और बाराबंकी जिले के रुदौली खंड में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या मानदण्ड हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फैजाबाद जिले के मसोधा खण्ड तथा बाराबंकी जिले के रूदौली खंड में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने के प्रश्न पर सातवीं योजना के दौरान विचार किया जा सकता है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है :—

(1) राज्य सरकार को कम से कम भली भांति विकसित 50 एकड़ का फार्म देना चाहिए ।

(2) परिषद द्वारा एक बार कृषि विज्ञान केन्द्र को चरणबद्ध किए जाने पर राज्य सरकार/कृषि विश्वविद्यालय को इसे चलाने के लिए सहमत होना चाहिए ।

(3) जिले में एक अनुसंधान आधार होना चाहिए जहां से कृषि प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में सूचना मिलती रहे ।

(4) क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच करने के लिए गठित समिति का स्थान की सिफारिश करनी चाहिए ।

(5) जिले में कृषि के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण संस्था नहीं होनी चाहिए ।

फिल्म निगमों की स्थापना करना

6267. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों में पृथक-पृथक फिल्म निगम स्थापित करने का विचार है;

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय फिल्म निगम द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं और उसकी क्या राय है; और

(ग) यदि संबन्धित राज्य सरकारें क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण के लिए सहायता देने हेतु फिल्म वित्त निगम की स्थापना करती है तो क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए कोई सहायता प्रदान करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सभी राज्यो में फिल्म निगमों की स्थापना करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्यों में फिल्म वित्त निगमों की स्थापना करना संबधित राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की पहले ही राज्य फिल्म विकास निगमों के साथ थियेटर निर्माण तथा फिल्म वित्त पोषण गतिविधियों के बारे में सहयोग करने की एक योजना है। फिल्म समारोह निदेशालय, जो राष्ट्रीय फिल्म विकास का अंग है, राज्य फिल्म विकास निगमों की सम्बन्धित राज्यों में समारोहों के आयोजन करने में भी सहायता करता है। राज्य फिल्म विकास निगमों को यह सहायता दी जानी जारी रहेगी।

लोक सभा में मौखिक उत्तर दिये जाने वाले प्रश्नों का रेडियो/टेलीविजन पर प्रसारण

6268. **श्री निर्मल खत्री :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करेगी कि लोक सभा के प्रश्न-काल के दौरान पूछे गए सभी मौखिक प्रश्नों और सम्बन्धित मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनिवार्य रूप से प्रसारित किया जाये; और

(ख) क्या समाचार एजेंसियों और दैनिक समाचार पत्रों से भी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) संसद में प्रश्न काल संबंधी समाचारों को उनके महत्व तथा समाचारिक मूल्य के आधार पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता है।

प्रसारण/टेलीकास्ट के समय की सीमितता के अन्दर, दिए गए सुझाव को स्वीकार करना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) भारत में प्रेस स्वतन्त्र है तथा समाचार एजेन्सियों और दैनिक समाचार पत्रों को इस बात के लिए मजबूर करना संभव नहीं होगा कि वे संसदीय कार्यवाहियों, विशेषकर लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान पूछे गए मौखिक प्रश्नों तथा दिए गए उत्तरों को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें। इस समय भी दैनिक समाचारपत्र लोक सभा में उठाए गए अनेकों प्रश्नों और उत्तरों को उनके समाचारिक मूल्य, अन्य समाचारों तथा उपलब्ध स्थान पर निर्भर करते हुए कवर करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम के गेहूं वसूली केन्द्र

6269. **श्री निर्मल खत्री :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं और धान की वसूली के लिए केन्द्र खोले जाते हैं;

(ख) ये वसूली केन्द्र खोलने में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने गेहूं वसूली केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए लम्बी दूरी तय न करनी पड़े, राज्य सरकारें प्रत्याशित वसूली के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम सहित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा गेहूं और धान की वसूली करने के लिए क्रय केन्द्रों की संख्या और उन स्थानों, जहां वे खोले जाने होते हैं, के बारे में निर्णय करती हैं ।

(ग) रबी विपणन मौसम 1985-86 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीदारी करने के लिए 4884 केन्द्र चलाने का निर्णय किया है जिनमें से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियों को क्रमशः 353 तथा 4531 केन्द्र आबंटित किए गए हैं ।

मंगलौर मेरकारा और मैसूर में मिनी-दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

[अनुवाद]

6270. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर मेरकारा और मैसूर में मिनी दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अल्प शक्ति वाले रिले केन्द्र मंगलौर और मैसूर में कार्य कर रहे हैं । मेरकारा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने या इन स्थानों पर निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में टैगोर और नजरूल के गीतों का प्रसारण

6271. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान टैगोर और नजरूल के कितने गीतों का प्रसारण किया गया है; और

(ख) क्या दूरदर्शन वर्तमान पीढ़ी के लाभ के लिए कांग्रेस के इस शताब्दी वर्ष में, टैगोर के उन गीतों पर प्रकाश डालने के लिए जिनका कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सम्बन्ध रहा है, टैगोर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के बारे में कार्यक्रमों का

सम्पादन करने और उनको प्रस्तुत करने पर विचार करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन द्वारा 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट किए गए टैगोर और नजरूल के गीतों की संख्या इस प्रकार है :—

रवीन्द्र संगीत	
1983-84	9 गीत
1984-85	15 गीत
नजरूल गीत	
1983-84	3 गीत
1984-85	2 गीत

(ख) दूरदर्शन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित डाकुमेंट्री फिल्में हर पखवाड़े में पहले ही टेलीकास्ट कर रहा है । ये स्वतन्त्रता आन्दोलन में रवीन्द्र नाथ टैगोर सहित विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की भूमिका को चित्रित करती हैं । टैगोर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर एक दूरदर्शन कार्यक्रम पर भी विचार किया जा रहा है।

निदेशकों (समन्वय) के पदों का सृजन

6272. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रमों के प्रभावी स्तर तथा उपयोगी योगदान को बनाये रखने के लिए समाचार माध्यम और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के साथ समन्वय रखने हेतु निदेशक (समन्वय) पद सृजित करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के पदों का सृजन कब किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

6273. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उनमें कमजोर वर्ग के बालकों की संख्या अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में श्रम आयुक्त की राय मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) देश में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे बालकों की संख्या का पता लगाने के लिए श्रम मन्त्रालय ने कोई विशेष व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई धनराशि

6274. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से क्षेत्रों को सूखा प्रवण क्षेत्र माना है;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल में शुरू किये गए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1985-86 से पश्चिम बंगाल के तीन जिलों अर्थात पुरुलिया, मिदनापुर तथा बांकुरा के उपखण्डों, जो कि संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। छठी योजना के दौरान उपर्युक्त तीनों जिलों के केवल 29 खण्ड ही शामिल थे।

(ख) छठी योजना के दौरान, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को 8.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) छठी योजना के दौरान कार्यक्रम हेतु 24.00 करोड़ रुपये के कुल आबंटन के मुकाबले 17.21 करोड़ रुपये का व्यय (जनवरी, 85 तक) सूचित किया गया है। वनरोपण, चरागाह विकास, सिंचाई क्षमता का सृजन तथा भू-संरक्षण सहित कृषि इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है।

इस अवधि के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार भू-संरक्षण के अन्तर्गत 4400 हैक्टेयर भूमि और वनरोपण तथा चरागाह विकास में 31000 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई तथा 9900 हैक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता का भी सृजन किया गया। 67 लाख श्रम दिनों का रोजगार भी सृजित किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम से 40000 परिवारों के लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया है जिनमें से 17000 से अधिक परिवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल खण्डों की सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	खंडों की संख्या	खण्डों का नाम
1.	पुरुलिया	20	बलरामपुर, बड़ाबाजार, बर्दवान, हुरा, जयपुर, माल्दा-1, काशीपुर, मनबाजार-1, मनबाजा 2, नेतुरिया, पारा, पुंचा, पुरुलिया-1, पुरुलिया-2, रघुनाथपुर-1, रघुनाथपुर-2, संतुरी, माल्दा-2,* आरशा*, बागमुदी*।
2.	मिदनापुर	7	झारग्राम, जाम्बनी, बीनापुर-2 गोपीबल्लवपुर-1, गोपीबल्लवपुरसंक्रिल, नयाग्राम ।
3.	बांकुरा	7	छातना, मेजीहा, सल्तोरा, इन्दपुर, रानीबन्ध, खातरा-2* गंगाजलघाटी*।

*1985-86 मे पुनः शामिल।

महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रमों के प्रसारण की अवधि

6275. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इस समय कितने प्रतिशत समय रखा गया है;

(ख) इन कार्यक्रमों की अवधि कितनी है; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों की बारम्बारता और अवधि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) आकाश-

वाणी में भाषित शब्द कार्यक्रमों के लिए आबंटित कुल समय का 3.73% और 2.98% समय क्रमशः महिलाओं के कार्यक्रमों तथा बच्चों के कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। भाषित शब्द कार्यक्रमों का कुल समय कुल प्रसारण समय का 39.07 प्रतिशत है।

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए महिलाओं के कार्यक्रम की अवधि 20 से 45 मिनट है; विभिन्न केन्द्रों से इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवृत्ति एक सप्ताह में एक से छः दिन है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बच्चों के कार्यक्रम की अवधि 20 से 64 मिनट है; विभिन्न केन्द्रों से इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवृत्ति एक सप्ताह में एक से सात दिन है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों को नियमित करना

6276. **श्री गदाधर साहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्र में नियमित प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों के कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिए कितने नैमित्तिक प्रोडक्शन ऐसिस्टेन्ट अर्हत थे/कितनों ने आवेदन किया और वास्तव में कितने लोग चुने गए;

(ख) कितने नैमित्तिक एसिस्टेन्टों ने आवेदन किया परन्तु नहीं चुने गए और चार वर्षों से अधिक समय से नैमित्तिक चले आ रहे हैं; और

(ग) नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों के नियमितीकरण के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) इस समय दिल्ली में निर्माण सहायकों की कोई रिक्तियां नहीं हैं, क्योंकि सभी 12 रिक्तियों को चयन बोर्ड द्वारा चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति करके दिसम्बर, 1984 में भर दिया गया था। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में कार्यरत 11 नैमित्तिक निर्माण सहायकों में से 10 ने नियमित चयन के लिए आवेदन किया था तथा उनमें से सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 10 में से 8 नैमित्तिक निर्माण सहायकों को नियुक्ति के लिए चुना गया था।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) अब निर्माण सहायकों को एक वर्ष में 120 दिन की समय सीमा के अधीन एक महीने में अधिक से अधिक 10 दिन की अवधि के लिए कार्य आधार पर लगाया जाता है। नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने का मानदंड यह है उनमें से जिन्होंने 1974-75 और 1979-80 के बीच एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन या तीन लगातार वर्षों में 365 दिन कार्य किया था, वे नियमित

करने हेतु विचार किए जाने के लिये पात्र हैं। इस प्रयोजन के लिए अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1980 है।

आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भावी योजनायें

[हिन्दी]

6277. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या भावी योजनायें हैं;

(ख) क्या मकानों का निर्माण करने और उन्हें ग्रामीणों को आबंटित करने के लिए एक 'ग्रामीण आवास बोर्ड' की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) अब तक किन-किन संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए राज्य-वार, कितनी धनराशि आबंटित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) देश में आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनायें सातवीं योजना जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है; में शामिल करने के लिये तैयार की जा रही हैं।

(ख) 'आवास' राज्य का विषय है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आवास बोर्डों का गठन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें ग्रामीण आवास बोर्डों का गठन भी शामिल है।

(ग) योजना नियतनों के अतिरिक्त, आवास के लिये निधियां हुडको और जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम द्वारा दी जाती हैं। ग्रामीण आवास के लिए इन संगठनों द्वारा मंजूर किये गये ऋण की स्थिति को दिखाने वाले विवरण I तथा II में दिये गये हैं।

विवरण-I

31-3-85 **तक ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत धनराशि**

क्र० सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.13
2.	बिहार	6.00

1	2	3
3.	गुजरात	37.13
4.	हरियाणा	0.63
5.	कर्नाटक	35.07
6.	केरल	35.66
7.	मध्य प्रदेश	4.04
8.	महाराष्ट्र	4.49
9.	उड़ीसा	7.49
10.	पंजाब	[5.25
11.	राजस्थान	17.28
12.	तमिलनाडु	17.90
		203 07

टिप्पणी : हुडको ने वर्ष 1977-78 से आवास के लिये ऋण सहायता देना शुरू किया है। उपर्युक्त राज्यों के अलावा अन्य राज्य हुडको द्वारा वित्त पोषित किसी ग्रामीण आवास योजना के लिये आगे नहीं आये।

विवरण-II

छठी योजना अवधि (1980-1985) के दौरान ग्रामीण/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना के लिये जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम के नियतन

(लाख रुपयों में)

सं० क्र०	राज्य का नाम	जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	478.00	1018.40
2.	असम	51.00	96.20
3.	बिहार	226.00	520.80
4.	गुजरात	277.00	649.00

1	2	3	4
5.	हरियाणा	56.00	159.00
6.	हिमाचल प्रदेश	57.00	132.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	62.00	207.00
8.	कर्नाटक	486.00	832.00
9.	केरल	408.00	865.80
10.	मध्य प्रदेश	194.00	441.00
11.	महाराष्ट्र	172.00	269.80
12.	मणिपुर	28.80	56.40
13.	मेघालय	32.40	66.40
14.	नागालैण्ड	4.00	27.00
15.	उड़ीसा	223.60	323.00
16.	पंजाब	174.00	409.00
17.	राजस्थान	171.80	425.50
18.	सिक्किम	12.00	31.00
19.	तमिलनाडु	460.00	1034.00
20.	त्रिपुरा	58.00	136.00
21.	उत्तर प्रदेश	719.00	1459.70
22.	पश्चिम बंगाल	599.20	1804.00
		4946.00	1,0163.00

मेडिकल और सेल्स रिप्रजेन्टेटिव के लिए स्थायी समिति

[अनुवाद]

6278. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष फेडरेशन आफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रजेन्टेटिव्स आफ इण्डिया द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप मेडिकल और सेल्स रिप्रजेन्टेटिव्स के लिए अपने मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्थायी समिति के गठन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्थायी समिति की पिछले एक वर्ष के दौरान कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के चैनल "ए" और "बी" पर विज्ञापनों का प्रसारण

6279. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के चैनल "ए" और "बी" में विज्ञापनों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक दिन ऐसे विज्ञापनों की समयावधि क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता "ए" केन्द्र पर पांच, दस, पन्द्रह और तीस मिनट के प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापनदाताओं को दर-सूची (रेटकार्ड) भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समय स्थानीय कलाकारों को उपलब्ध काफी समय कहीं विज्ञापनों में तो नहीं चला जायेगा; जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय प्रतिभा निरूत्साहित होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी, कलकत्ता के चैनल "ए" पर विज्ञापन देना 22.2.1985 से आरम्भ कर दिया गया है। ये विज्ञापन कलकत्ता केन्द्र के चैनल "बी" से अभी आरम्भ नहीं किये गये है।

(ख) आकाशवाणी, कलकत्ता ने अभी तक अपने प्राथमिक चैनल पर विज्ञापनों का समय प्रतिदिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) विज्ञापन दाताओं के बीच प्रचार के लिए अन्य संबंधित केन्द्रों के साथ-साथ आकाशवाणी, कलकत्ता को भी आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा एक परिपत्र भेजा गया था।

(घ) जी, हां। किसी भी कार्यक्रम में विज्ञापन देने से अन्य कार्यक्रमों पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि विज्ञापन का समय किसी विशिष्ट कार्यक्रम की वास्तविक अवधि का अंग होता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाना

6280. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो गत कुछ वर्षों में इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलकत्ता केन्द्रों में कितने नये कलाकारों को अवसर दिया गया; और

(घ) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में काफी समय से स्वर-परीक्षा नहीं की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) स्थानीय कलाकारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ख) वार्ताओं, परिचर्चाओं, लघु कहानियों, आदि जैसे भाषित शब्द कार्यक्रमों के मामलों में, अधिकांशतः व्यक्ति की विशेषज्ञता और विशेषज्ञता के क्षेत्र पर निर्भर करते हुए स्थानीय प्रतिभा का उपयोग किया जाता है । संगीत, नाटक और युववाणी कार्यक्रमों में कलाकारों के लिए आवधिक रूप से स्वर परीक्षा ली जाती है तथा जिन्हें स्वर परीक्षण समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है, उनको कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है । इसके अलावा, युवा कलाकारों को पता लगाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष में एक बार संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

[हिन्दी]

6281. श्री आर०एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन से समूचे देश में हिन्दी

समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस प्रसारण को बन्द करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) दिल्ली से प्रातः 8.00 बजे और रात्रि 8.45 बजे प्रसारित किये जाने वाले केन्द्रीय हिन्दी समाचार बुलेटिनों को आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा अनिवार्य रूप से रिले किया जाता है।

दूरदर्शन द्वारा हिन्दी में एक राष्ट्रीय बुलेटिन प्रतिदिन रात्रि 9.00 बजे टेलीकास्ट किया जाता है तथा उसे दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास को छोड़कर शेष अन्य सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण बन्द करने के लिए राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गये निर्णय को क्रियान्वित करना

[अनुवाद]

6282. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने फरीदाबाद में पत्थर की खानों में काम करने वाले बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों के बारे में एक निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से इस मामले को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद भी उक्त निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय की अवमानना न होने देने और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करके उक्त मामले को कितने समय में हल कर लिया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 16-12-1983 के निर्णय में फरीदाबाद में पत्थर खदानों तथा क्रसरों के श्रमिकों के बारे में 21 निदेश दिए हैं।

(ख) और (ग) इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई और उसके कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करते हुए केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा सरकार ने प्रति-शपथ पत्र दायर किये। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में न्यायालय में इस मामले में अवमानना याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने अपने 24-4-1985 के आदेश में केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वे पहले दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम स्थिति बताते हुए प्रति-शपथ पत्र दायर करें। जिन निर्देशों से केन्द्रीय सरकार संबंधित थी, उनके बारे में नवीनतम स्थिति स्पष्ट करते हुए एक प्रति-शपथ पत्र उच्चतम न्यायालय में 7 मई, 1985 को दायर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार अपना प्रति-शपथ पत्र अलग से दायर कर रही है।

पत्रकारों की सेवानिवृत्ति आयु

6283. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पत्रकारों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजनायें

6284. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने केरल में नारियल के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं को, बिना किसी परिवर्तन के मंजूरी दे दी गई है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20.77 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से नारियल विकास के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केरल के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर 6 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ख) केरल के लिए प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें ये हैं : रोपण और पुन: रोपण सहायता, परिसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादक सहकारी समितियों को सिंचाई की सुविधायें और वित्तीय सहायता मुहैया करना ।

(ग) सातवीं योजना के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

नारियल विकास बोर्ड में रिक्त पदों को भरना

6285. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) नारियल विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है । राज्य सरकारें और अन्य संबंधित विभागों तथा संगठनों को पत्र लिखे गये । इनमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे विभिन्न वर्गों की सदस्यता के तहत नामांकन के संबंध में अपनी सिफारिश भेजें । बहुत से मामलों में उनकी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं । नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत बोर्ड में शामिल किये जाने के लिए पुनर्गठित लोक सभा के दो सदस्यों को भी चुना गया है । इस मामले को तत्परता से आगे बढ़ाया जा रहा है और नारियल विकास बोर्ड का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा ।

नियोक्ताओं द्वारा भारतीय श्रमिकों की खाड़ी देशों में सीधी भर्ती

6286. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोक्ताओं द्वारा खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की सीधी भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिए भर्ती की गई; और

(ग) क्या सरकार नियोक्ताओं द्वारा स्वयं ही इस प्रकार की सीधी भर्ती को प्रोत्साहित करेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) नियोजकों द्वारा कुवैत, बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सउदी

अरब में रोजगार हेतु वर्ष 1983 और 1984 में अनुमानतः क्रमशः 63,000 श्रमिक सीधे भर्ती किए गए ।

(ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन, नियोजक या तो सीधे ही या भारत में पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की तहत भर्ती कर सकते हैं ।

कस्बों और शहरों के विकास के लिए बृहद योजनायें

6287. **श्री बृज मोहन मंहती** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्बों और शहरों के स्वास्थ्यकर और योजनाबद्ध विकास के लिए कितनी बृहद योजनाएं तैयार की गई हैं और उनमें से कितनी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उन कस्बों और शहरों का ब्यौरा क्या है, जिनकी बृहद् योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ग) बृहद योजनाओं को क्रियान्वित न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं सुनियोजित विकासार्थ विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई सांविधिक विकास योजनाओं द्वारा भारत में लगभग 700 नगरीय क्षेत्र लाभान्वित किए गए हैं । इन योजनाओं के कार्यान्वियन की एक अन्तःनिर्मित प्रक्रिया है ।

(ग) उचित समय पर भूमि की अनुपलब्धता, अननुरूप उपयोग का परिवर्तन, भूमि अर्जन के लिए धन की कमी, अध संरचना आदि की अपर्याप्तता जैसी बहुत-सी कठिनाइयों का कार्यान्वियन अभिकरणों के द्वारा सामना किया गया है परिणामस्वरूप कार्यान्वियन में कुछ विलम्ब हुआ है ।

नई दिल्ली नगर पालिका की इमारत की पूर्णतः जांच

6288. **श्री कमल नाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ पर स्थित 'चन्द्रलोक' नामक इमारत में दरारें पड़ गई हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने 10 लाख रुपये की लागत से इस इमारत को मजबूत बनाने का कार्य आरम्भ किया है;

(ग) क्या वर्ष 1970 में सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांच अधिकारी के कक्ष द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका की इमारतों की पूरी तरह से जांच की गई थी और उसके द्वारा अनेक अनियमिततायें बताई गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस कक्ष द्वारा किन-किन इमारतों की जांच की गई और प्रत्येक के

बारे में उनकी क्या रिपोर्ट थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि कुछ त्रुटियां ध्यान में आईं और 10.92 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विशेष मरम्मतें की गई हैं।

(ग) जी, हां। सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांच अधिकारी कक्ष ने फरवरी, 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और कुछ अनियमितताओं का होना बताया था।

(घ) जिन भवनों की जांच की गई, वे निम्नलिखित थे :—

(i) चाणक्यपुरी में होटल भवन (अकबर होटल)।

(ii) जनपथ में सर्विस होम (चन्द्र लोक भवन)।

(iii) चाणक्यपुरी में कार्यालय ब्लाक।

(iv) बहुमंजिले गैराज (मयूर भवन)।

(v) मोहन सिंह प्लेस

(vi) चाणक्यपुरी (यशवन्त प्लेस) में विपणन तथा सिनेमा प्लेस।

मुख्य तकनीकी जांच अधिकारी की टिप्पणियों पर गृह मंत्रालय तथा नई दिल्ली नगर पालिका के मध्य एक दूसरे की टिप्पणियों पर टिप्पणियां देने के बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि इन भवनों की 2.57 करोड़ रुपये की कुल लागत की तुलना में 64,000 रुपये तक की उपयुक्त वसूलियां की जायें। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इन सभी वसूलियों को सम्बन्धित ठेकेदारों वस्तुकों पर लगाया था इनमें से अधिकाशों पर या तो निर्णय हो गया है या मध्यस्थों के हवाले है।

टी० वी० प्रोडक्शन प्रोग्राम, नई दिल्ली के क्षेत्र में नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों को नियमित करना

6289. **श्री गदाधर साहा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में 4 वर्षों, 7 वर्षों से कुल कितने नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्ट कार्य कर रहे हैं और वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक तथा और आगे, वर्ष-वार ऐसे कितने एसिस्टेन्टों को नियमित प्रोडक्शन एसिस्टेन्ट के रूप में चुना गया है;

(ख) वर्ष 1974-75 से 1979-80 की अवधि के दौरान नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों के नियमितीकरण के लिए कितने पदों का विज्ञापन दिया गया और इस हेतु कितने कर्मचारियों का साक्षात्कार किया गया और चयन किया गया; और

(ग) नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों के नियमितीकरण हेतु चयन के लिए पात्रता की क्या

शर्तें रखी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जिन प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों को 1974-75 से 1979-80 तक के दौरान एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन या तीन लगातार वर्ष में 365 दिन लगाया गया था, वे नियमित किये जाने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं ।

नई दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्ट्स की सेवाओं को नियमित करने के लिए मानदण्ड

6290. **श्री गदाधर साहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने निर्धारित मानदण्ड और अहर्त्ता की शर्तें पूरी करने वाली नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्ट्स की सेवायें नियमित करने के लिए अनुदेश आदेश जारी किए हैं, यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड और अहर्ता निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री को सम्बोधित नैमित्तिक प्रोडक्शन एसिस्टेन्ट्स का एक ज्ञापन उनके मंत्रालय में प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उसका पाठ क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1979-80 में ये अनुदेश जारी किये गये थे कि नैमित्तिक निर्माण सहायकों सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे नैमित्तिक कलाकार, जिन्होंने 1974-75 से 1979-80 तक तीन लगातार वित्तीय वर्ष में 365 दिन या 31-3-1980 तक किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन कार्य किया था उपलब्ध रिक्तियों के लिए नियमित करने हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे ।

(ख) दिनांक 12 फरवरी, 1985 के अभ्यावेदन में, कुछ उन नैमित्तिक कलाकारों, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न हैसियत से लगाया गया था, ने ऐसे नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने के लिए अनुरोध किया था जिन्होंने ऊपर (क) में उल्लिखित दिन 31 मार्च, 1980 के बाद पूरे कर लिये हैं और यह कि सीधी भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए । उन्होंने हाल ही में दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर में फ्लोर सहायकों तथा दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली में निर्माण सहायकों के चयन में उनकी की गई उपेक्षा की भी शिकायत की है ।

उन नैमित्तिक कलाकारों, जो ऊपर (क) में उल्लिखित मानदंड के अनुसार नियमित किए जाने के लिए पात्र नहीं थे, को नियमित करने के लिए अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है किन्तु उनको स्वीकार नहीं किया गया ।

जहां तक इस शिकायत का सम्बन्ध है कि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में निर्माण सहायकों के

हाल ही में चयन में नैमित्तिक कलाकारों की उपेक्षा की गई है, मामले की जांच की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में डेरी विकास

6292. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में जैसे सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र में डेरी विकास को उच्च प्राथमिकता देकर लोगों की तकलीफ को दूर करने की एक योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार का अनन्तपुर जिले में केडिन में दुग्ध प्रशीतन केन्द्र (मिल्क चिल्लिंग सेंटर) की स्थापना करने का विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण में वृद्धि करने और वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति में छूट देने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनन्तपुर जिले में पशु और डेरी विकास के लिए 105.87 लाख रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत केडिन में दुग्ध प्रशीतन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 1983-84 में हिन्दुपुर स्थित दुग्ध प्रशीतन केन्द्र का प्रतिदिन 6000 लीटर से विस्तार करके 12,000 लीटर करने का एक कार्यक्रम मंजूर किया गया।

(ग) डेरी विकास कृषि से सम्बद्ध कार्यकलाप है, अतः यह प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत जिला ऋण योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं के जरिए विभिन्न बैंकों को विशिष्ट लक्ष्य आबंटित किए जाते हैं। तथापि, केवल डेरी क्षेत्र हेतु ऋण बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा अलग से कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

किसानों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालना

6293. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन किसानों को दिये गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने पर विचार करेगी जिन्होंने कुएं खुदवाने के लिए कृषि विकास बैंकों से ऋण लिए थे परन्तु उनके द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बाद कुओं से पानी नहीं निकला; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में किसानों को मुआवजा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जो किसान बैंकों से कुओं के निर्माण के लिए आवधिक ऋण लेते हैं वे कुओं से पानी न निकलने की वजह से कभी-कभी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मामलों में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक ने कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं और राज्य सरकारों को पानी रहित कुआं मुआवजा निधि स्थापित करने की सलाह दी है। कुछ राज्य सरकारें किसानों को पहले ही सहायता दे रही हैं। भारत सरकार का सातवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पानी रहित कुआं मुआवजा निधि स्थापित करने में राज्य सरकारों की मदद की जा सके।

प्रचार-माध्यम संबंधी राष्ट्रीय नीति

6294. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रचार माध्यम संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) नई माध्यम नीति पर विचार विमर्श करने के लिए माध्यम नेताओं की एक बैठक बुलाई जा रही है। इस प्रकार की नीति तैयार करने का प्रयोजन राष्ट्रीय निर्माण और आर्थिक विकास के कार्य में रचनात्मक राष्ट्रीय निर्माण और आर्थिक विकास के कार्य में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाचार माध्यम की सहायता करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों के लिए रिहायशी आवास

6295. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों के लिए रिहायशी आवास आबंटन के नियम क्या हैं;

(ख) ये नियम कब बनाये गये थे और इनमें कितनी बार संशोधन किया गया है; और

(ग) क्या कोई वरिष्ठता सूची रखी जाती है और चिकित्सकों को सूचित किया जाता है ताकि किसी प्रकार की हेरा-फेरी अथवा कदाचार न किया जा सके ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख का प्रशासन करना संबंधित राज्य सरकारों की सांविधिक

जिम्मेदारी है, सिवाय दिल्ली में जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वयं ही चिकित्सा देख-रेख करता है। राज्य सरकारों के अधीन नियोजित डाक्टरों को आवास आबंटन करने के लिए राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। जहां तक दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों को आवास का आबंटन करने का प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिल्ली में सामान्य पूल आवास का आबंटन करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के नियमों को अपनाता है।

(ग) जी, हां। दिल्ली में डाक्टरों को आवास आबंटन करने के लिए एक अग्रता सूची हर साल तैयार की जाती है और उसे डाक्टरों में परिचालित किया जाता है।

मसालों के सम्बन्ध में अनुसंधान

6296. **डा० के०जी० अदियोडी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार व मसाले-वार कितने मसाला अनुसंधान केन्द्र हैं और वे किस-किस तारीख से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ प्रयोगशालाएं दूर-दराज स्थानों में स्थापित की गई हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उचित कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें फार्मों को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मसालों पर 15 अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं। जिनमें से 13 "काजू तथा मसालों" पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना है तथा दो केन्द्र केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत हैं। राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	फसल				
	मिर्च	इलायची	अदरक तथा हल्दी	मसाला	मसाले सामान्य
1	2	3	4	5	6
1. केरल	1 (1971)	1 (1971)	1 (1980)	— —	1* (1975)
2. कर्नाटक	1 (1980)	2 (1971) (1974)	—	—	—

1		2	3	4	5	6
3.	आन्ध्र प्रदेश	1 (1980)	—	—	1 (1975)	— —
4.	तमिलनाडु	—	1 (1975)	—	1 (1975)	— —
5.	उड़ीसा	—	—	1 (1975)	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	1 (1975)	—
7.	राजस्थान	—	—	—	1 (1975)	—
8.	हिमाचल	—	—	1 (1971)	—	—

*कालीकट तथा पेरूवन्नामुझी में केन्द्र के दो कम्पलेक्स हैं ।

टिप्पणी : लघुकोष्ठकों में आंकड़े स्वीकृत वर्ष तथा चालू केन्द्र को दर्शाते हैं ।

(ख) कुछ केन्द्र अपेक्षाकृत दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं क्योंकि ये वे स्थान हैं जहां मसाले व्यवसायिक स्तर पर उगाये जाते हैं ।

(ग) तथा (घ) किसानों के खेतों में इनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये अनुसंधान केन्द्र हैं तथा संस्थानिक स्तर पर अनुसंधान कार्य के लिए ये स्थापित किये गये हैं ।

स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को मकानों के आबंटन के लिए योजना

6297. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को फ्लैटों/मकान आबंटन करने में प्राथमिकता देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इस प्रकार की प्राथमिकता देने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, नहीं । फ्लैटों के आबंटन के लिए संसद सदस्यों के लिए 3 प्र० श० तथा स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए 1 प्र० श०

का कोटा 1-1-1979 तक लागू था लेकिन बवेजा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2-1-1979 से इसे समाप्त कर दिया गया था। तथापि, चौथी एवम् पांचवीं स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों के लिए 3 प्र०श० फ्लैटों का आरक्षण है।

महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों के पंजीकरण की नीति

6298. श्री हुसैन दलवाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में नए चीनी कारखानों के पंजीकरण को हतोत्साहित करने की है;

(ख) महाराष्ट्र में नई चीनी फैक्टरियों के विकास पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार नए सहकारी चीनी कारखानों से सम्बन्धित वर्तमान प्रतिबन्धात्मक नीति में ढील देने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सही-सही क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अब तक मंजूर की गई 60 नई परियोजनाओं में से, महाराष्ट्र के लिए सभी 22 नई परियोजनाएं सहकारी क्षेत्र में मंजूर की गई है।

संतुलित अन्तर्क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए, चीनी उद्योग को लाइसेन्स देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की पुनरीक्षा करना आवश्यक समझा गया था। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत 24 सितम्बर, 1984 के एक प्रेस नोट द्वारा जारी किए गए हैं।

(ग) चूंकि लाइसेन्स देने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों, जो 30-9-1985 तक लागू हैं, में मुख्यत: सन्तुलित अन्तर्क्षेत्रीय विकास की कल्पना की गई है, अत: इस समय इनमें ढील देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केवल एक आवेदन-पत्र, अर्थात् परशुराम सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, तालुक चिपलुन, तहसील पेधाम्बे, जिला रत्नागिरी, सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में रुई का उत्पादन

6299. श्री हुसैन दलवाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रुई का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) महाराष्ट्र में बिनौले का कुल उत्पादन कितना होता है;

(ग) महाराष्ट्र में निर्यात कोटि की रुई का उत्पादन न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार यह समझती है कि महाराष्ट्र में एकाधिकार रुई क्रय योजना से अपने खेतों में रुई उगाने वाले छोटे किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार महाराष्ट्र की रुई एकाधिकार क्रय योजना को दीर्घावधि आधार पर नियमित करने का है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में 1983-84 के दौरान कपास उत्पादन का अनन्तिम अनुमान 11.76 लाख गांठें लगाया गया था। वर्ष 1984-85 के लिए उत्पादन के अन्तिम अनुमान उपलब्ध नहीं हैं तथापि, आसार हैं कि उत्पादन 16 लाख गांठों से अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) महाराष्ट्र एच-4, वारालक्ष्मी तथा एम० सी० यू० 5 जैसी निर्यात की किस्मों सहित कपास की विभिन्न किस्में उगाता है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार समझती है कि कपास की एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना किसानों के हितों की रक्षा करने में काफी हद तक उनकी मदद करती है। कपास की एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना पिछली बार 30 जून, 1986 तक दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी। इस योजना की वर्तमान अवधि समाप्त होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी और तदनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

राज्यों में खेती के अधीन भूमि की तुलना में सिंचाई सुविधाएं

6300. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों में कितने हैक्टेयर भूमि को खेती के अधीन लाने का विचार है; और

(ख) सरकार का उसके लिए सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देश में सकल सस्यगत क्षेत्र 1981-82 के 1770 लाख हैक्टेयर के अनुमानित स्तर से बढ़कर सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989 90 तक 1910 लाख हैक्टेयर तक हो जाने की आशा है। कृषि के तहत लाई जाने वाली प्रस्तावित भूमि का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारें स्वयं बनाती और उन्हें कार्यान्वित करती हैं। राज्य सरकारों से सातवीं योजना के दौरान पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था करके चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने का अनु-रोध किया गया है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों में पड़ा पुराना स्टाक

6301. **श्री गदाधर साहा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में सरकारी उपक्रमों के खराब हो गए उर्वरकों और चीनी का वास्तव में कितना स्टाक जमा पड़ा है और वह कितने समय से वहां है; और

(ख) सरकारी/सहकारी क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा पुराना खराब हो गया स्टाक हटाने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है तथा स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के विभिन्न भाण्डागारों में 1,467 मीटरी टन खराब चीनी और 12,090 मीटरी टन खराब उर्वरक एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं।

(ख) कारपोरेशन ने संबंधित जमाकर्ताओं को इन भण्डारों को उठाने के लिए कहा है। तथापि, जमाकर्ताओं ने अभी तक ये भण्डार नहीं उठाये हैं। कारपोरेशन उनके साथ इस मामल को उठा रही है।

देवनगर में क्वार्टरों के सामने कूड़े का ढेर

6302. **प्रो० एम० आर० हालदर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देवनगर क्वार्टरों में कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये ठेकेदारों ने घटिया स्तर की सामग्री का प्रयोग किया है, और कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया है और एक महीने के बाद ये क्वार्टर पहले जैसी फटीचर हालत में हैं;

(ख) क्या ये ठेकेदार क्वार्टरों के सामने या गलियों में कूड़े का ढेर छोड़ जाते हैं जिसे न तो ये ठेकेदार और न ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी साफ करते हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों को कूड़ा उठाने के लिए अलग से अदायगी की जाती है या कूड़ा उठाने के कार्य को मूल संविदा में शामिल किया जाता है;

(घ) क्या अधिकारियों को यह अनुदेश हैं कि वे क्वार्टरों का निरीक्षण करें विशेषकर जबकि ठेकेदार क्वार्टरों में कार्य कर रहे होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन क्यों नहीं किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आर० सी० सी० कड़ियां, आर० एस० कड़ियां, ओल्ड स्टोर स्लैब, ईंटें आदि जैसी विभागीय सामग्रियां इकरार नामे की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को मरम्मत/नवीकरण करने के लिए जारी की जाती हैं। मरम्मत के पश्चात् क्वार्टरों की हालत में सुधार होता है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है। मलबा/भवन का काठ कबाड़ हटाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अनुदेशों का भावनाओं तथा स्फूर्ति के साथ पालन किया जाता है।

पंडारा रोड, नई दिल्ली में पानी की कमी

[हिन्दी]

6303. **श्री केशवराव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडारा रोड के 'ए' ब्लाक में टाइप-चार के फ्लैटों की ऊपरी मंजिल में सवेरे केवल 6.00 और 8.45 के बीच तथा शाम को 6.00 और सायं 8.30 के बीच बहुत कम दबाव पर पानी की सप्लाई की जाती है और इसके कारण ऊपर रखी गई फ्लैश टंकियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता है; और

(ख) उक्त इलाके में ऊपरी मंजिल के आबंटियों के लिए पानी की कमी और उनके द्वारा उठाई जा रही अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या तात्कालिक और स्थाई उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) स्वच्छ जल प्रात: 5.30 बजे से 9.30 बजे तक तथा सायंकाल 5.00 बजे से 9.00 बजे तक सप्लाई किया जाता है। तथापि, गर्मियों के दौरान उच्च अमल के कारण कुछ अवसरों पर पानी का दबाव बनाए रखने में कठिनाई हुई है।

(ख) जल सप्लाई में वृद्धि की जा रही है।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में मछली पकड़ने की नौकाएं खरीदने के लिए राज-सहायता

[अनुवाद]

6304. **श्री हुसेन दलवाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की नौकाएं खरीदने के लिए मछुओं को राज-सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी क्षेत्रों में रह रहे मत्स्य-नौकाओं के मालिकों को यह राज सहायता देने से इन्कार कर दिया गया है;

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि सभी मत्स्य नौकाएं एक समान समुद्र में ले जायी जाती हैं, राज सहायता देने के मामले में निवास स्थान के आधार पर मछुओं के बीच भेदभाव क्यों किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार मत्स्य विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण मछुए के आधार पर पैदा किए गए इस भेदभाव को दूर करने पर विचार करेगी और इस तकनीकी भेदभाव को समाप्त करेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय कम्पनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार पंजीकृत भारतीय शिपयार्ड को, जिनके पास आर्डर दिए गए हैं, देश में विनिर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लागत मूल्य पर 33 प्रतिशत राज-सहायता देती है।

समुद्र तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की गई यन्त्रीकरण योजना के अन्तर्गत मत्स्यन ट्रालरों के ढांचा, इन्जिन और गियर जैसे विभिन्न उपकरणों के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में गेहूं की रोलर आटा मिलों की समस्याएं

6305. **श्री राधाकांत डिगाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में गेहूं की रोलर आटा मिल उद्योग की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं; और

(ग) उन्हें हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गेहूं रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग की कोई विशिष्ट समस्याएं सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में टी० वी० और आकाशवाणी कार्यक्रम पहुंचाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना तैयार करना

6306. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाओं और कार्यक्रमों का पता लगाकर तथा उसके लिए धनराशि निर्धारित करके, आदिवासी उपयोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इनका डिवीजन-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के नीति सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों को विशेषकर मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र को दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रम पहुंचाने हेतु क्या कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी की छठी योजना स्कीमों को तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने में देश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर करने के लिए समुचित महत्व दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित आदिवासी जिलों में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को स्थापित करने का काम चल रहा है :—

क्रम सं०	राज्य	जिला	स्थान
1.	असम	सिवसागर	नेजीरा
2.	उड़ीसा	कालाहांडी	भवानीपटना
3.	मध्य प्रदेश	(1) बस्तर	(1) जगदलपुर
		(2) पूर्वी निमाड़	(2) खंडवा

आकाशवाणी की उन परियोजनाओं, जिन पर कार्य चल रहा है और जिनके वर्ष 1985-86 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करने वाली आकाशवाणी की वे परियोजनाएं जिनके वर्ष 1984-85 के दौरान तैयार हो जाने की उम्मीद है।

1. **अरुणाचल प्रदेश :**

(1) ईटानगर—अन्तरिम ढांचे के साथ 100 किलोवाट का रेडियो स्टेशन।

2. **असम :**

(1) डिब्रुगढ़ —मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 100 किलोवाट से बढ़ाकर 300 किलोवाट करना।

(2) गोहाटी —मौजूदा क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करना।

3. **आंध्र प्रदेश :**

(1) आदिलाबाद—एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों से युक्त स्थानीय रेडियो स्टेशन।

4. **बिहार :**

(1) रांची—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना।

5. **मेघालय :**

(1) शिलांग —मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 1 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना।

संग्रहण केन्द्र स्टाफ क्वार्टर।

(2) शिलांग —उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई एकीकृत सेवा के लिए स्टूडियो सुविधाओं के साथ 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर की स्थापना करना।

(3) तुरा —20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टर के साथ नया रेडियो स्टेशन।

6. उड़ीसा :

(1) क्योंझर —एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन।

वर्ष 1985-86 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों की स्थापना

6307. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) किन-किन राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ये अस्पताल खोलने का विचार है;

(ग) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में बरबिल/बोलनी अथवा किनबेर क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव 1985-86 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 26 अस्पतालों में निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं पर चल रहा है। जिन राज्यों में ये अस्पताल स्थापित किये जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं :—

क्रम सं०	राज्य	अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	3
6.	कर्नाटक	3
7.	केरल	3
8.	मध्य प्रदेश	1

1	2	3
9.	महाराष्ट्र	2
10.	पंजाब	1
11.	उत्तर प्रदेश	6
12.	पश्चिमी बंगाल	2
	योग :	26

इनमें से वर्ष 1985-86 के दौरान 16 अस्पतालों का पूरा हो जाने और उनमें काम शुरू हो जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नारियल के बीजों का पैकेज कार्यक्रम

6308. श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1984-85 के दौरान अधिक उपज वाले नारियल बीजों के पैकेज कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान उड़ीसा में किए गए नारियल विकास उपायों का क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नारियल विकास के पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1984-85 में 37.27 लाख रुपये की धन-राशि नियुक्त की गई थी जिसमें टी० एक्स० डी० और डी० एक्स० टी० संकर पौधे के उत्पादन और वितरण और संकर बीज बागों और श्रेष्ठ फार्मों की स्थापना करने संबंधी घटक शामिल हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1984-85 में उड़ीसा के लिए 6.20 लाख रुपये की धन-राशि मंजूर की गई थी जिसमें 3.10 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। 120 प्रदर्शन किए गए जिनमें प्रत्येक प्रदर्शन के अन्तर्गत 0.25 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया साथ ही संकर पौध का उत्पादन और वितरण कार्य भी शुरू किया गया था।

छठी योजना के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात

6309. श्री हरिहर सोरन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान वर्ष-वार कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया;

(ख) उन फिल्मों की भाषा-वार संख्या कितनी है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) भारतीय फीचर फिल्मों के बारे में सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान निर्यात की गई फिल्में (भाषा-वार)

क्र० सं०	भाषा	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1.	बंगला	25	13	19	16	16
2.	भोजपुरी	1	—	—	—	—
3.	अंग्रेजी	—	1	5	3	2
4.	गुजराती	10	2	4	2	2
5.	हिन्दी	1275	1267	901	800	509
6.	कन्नड़	3	—	—	3	1
7.	कोंकणी	—	—	—	—	—
8.	मलयालम	112	115	91	88	74

1	2	3	4	5	6	7
9.	मराठी	1	2	3	2	1
10.	पंजाबी	12	6	15	15	5
11.	राजस्थानी	—	—	1	—	—
12.	तमिल	251	237	260	226	174
13.	तेलुगु	22	14	14	20	54
14.	उर्दू	—	—	—	1	—
	योग :	1712	1657	1313	1176	838
सभी देशों के वीडियो अधिकारियों का निर्यात		—	24	130	217	163
कुल योग		1712	1681	1443	1393	1001

नोट: यह सूचना निर्यात के विभिन्न सौदों में शामिल फिल्मों की संख्या के बारे में है, न कि फिल्मों के शीर्षकों की संख्या के बारे में ।

हुडको के एल० आई० जी० और एम० आई० जी० श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण

6311. **श्री सनत कुमार मण्डल**
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पृथक-पृथक कितने हुडको फ्लैटों का निर्माण किया जाना है;

(ख) दिल्ली में इन फ्लैटों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाना है;

(ग) इन फ्लैटों के मूल्यों में कितनी प्रत्याशित वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(घ) फ्लैटों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) हुडको योजना (पंजीकरण-1979) के अन्तर्गत लगभग 7200 निम्न आय वर्ग और लगभग 6200 मध्यम आय वर्ग के मकान प्रक्रियाधीन हैं तथा 1985-86 के दौरान इनके शुरू होने की सम्भावना है।

(ख) पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों की कुछ कालोनियों के अतिरिक्त ये अधिकांशत: रोहिणी और पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं।

(ग) फ्लैटों के पूर्ण होने पर उनकी बिक्री लागत निकाली जाती है। यह कुर्सी क्षेत्र, विशिष्टयों, दी गई सुविधाओं और जिस दर पर ठेकेदार ने कार्य का निष्पादन किया है। उस पर निर्भर करता है।

(घ) फ्लैटों के निर्माण को शीघ्र करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं जिसमें कार्य भार का यौक्तिकीकरण और इंजीनियरी स्कन्ध को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं। निर्माण कार्य की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों द्वारा समन्वय बैठकें की जाती हैं।

दिल्ली में दूरदर्शन समाचार में "रिपोर्टिंग यूनिट" की स्थापना

6312. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूरदर्शन समाचार में समाचार और सम्पादकों हेतु सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में विद्यमान यूनिट की तरह की कोई रिपोर्टिंग यूनिट है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी और अंगेजी के अलग-अलग कितने संवाददाता हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में दूरदर्शन समाचार में ऐसी एक यूनिट स्थापित करने का है और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में फाइल किए गए समाचार वृत्त

6313. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में दिखाए जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के समाचार वृत्त फाइल नहीं किए जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये समाचार वृत कौन फाइल करता है;

(ग) प्रत्येक समाचार वृत्त किस भाषा में फाइल किया जाता है;

(घ) क्या समाचार वृत्त फाइल करने वाले व्यक्ति व्यावसायिक रूप से ये समाचार-वृत्त फाइल करने में समक्ष हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस कार्य के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम व्यक्ति नियुक्त करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में दृश्य कवरेजों के लिए, समाचार केन्द्र के समाचार सम्पादकों, संवाददाताओं, आदि के सहयोग से फाइल किए जाते हैं। जहां तक बड़े कवरेजों का संबंध है, समाचार समाचार एजेंसी की कापियों और आकाशवाणी की पूल कापियों पर आधारित होते हैं। समाचार बुलेटिन की भाषा पर निर्भर करते हुए, समाचार अंग्रेजी या हिन्दी में लिखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) समाचार सम्पादक, संवाददाता, आदि पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक जानकारी रखते हैं। दूरदर्शन के लिए समाचार रिपोर्टिंग ढांचे का विस्तार करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन पर धर्म ग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम

6314. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन से धर्मग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम के बारे में 1 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष अवसरों पर धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु बौद्ध धर्मग्रन्थों की सूची में बौद्ध धर्म के दो अन्य महत्वपूर्ण धर्म ग्रन्थों अर्थात सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र और बोधिचर्यवितार को शामिल करने के लिए भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि उक्त दोनों धर्मग्रंथ महायान बौद्ध-धर्म के अनुयायियों जो भारत के सीमावर्ती जिलों में काफी बड़ी संख्या में हैं, के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं तथा इन धर्म ग्रन्थों को धम्पापाड़ा के समकक्ष सम्मान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन 1982-85 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

6315. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के शिमला केन्द्र के मूल प्रसारण केन्द्र में कितने जिले आते हैं;

(ख) क्या शिमला केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में न आ सकने वाले क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश में एक दूसरा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी शिमला के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की प्राथमिक ग्रेस की दिवाकालीन सेवा सोलन, शिमला, बिलासपुर के जिलों और हमीरपुर, मण्डी, ऊना और सिरमोड़ जिलों के भागों में उपलब्ध है। इसके अलावा, आकाशवाणी, शिमला का 2.5 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर हिमाचल प्रदेश के समूचे राज्य में समर्थन सेवा उपलब्ध करता है।

(ख) से (घ) अनुमोदित छठी योजना में हिमाचल प्रदश में रेडियो का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कसौली में दूरदर्शन रिले केंद्र का निर्माण

6316. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कसौली (हिमाचल प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र के निर्माण की अद्यतन प्रगति क्या है;

(ख) इस रिले केन्द्र से कितने क्षेत्र में प्रसारण होगा और क्या असाधारण रूप से बड़े भूगर्भीय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में एक और रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र की मंजूरी कब तक दिये जाने और उसे कब तक खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी॰ एन॰ गाडगिल) : (क) इससे पूर्व कि 115 मीटर ऊंचे टावर का निर्माण कार्य पूरा हो, कसौली में 1 किलोवाट की न्यूनीकृत शक्ति का टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर चालू करके दिनांक 3.10.84 से अन्तरिम सेवा आरम्भ की जा चुकी है। टावर का निर्माण-कार्य चल रहा है। चालू वर्ष के दौरान निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) कसौली का 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगभग 9450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करता है। यहां 10 किलोवाट के पूर्ण शक्ति के ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर उक्त कवरेज क्षेत्र बढ़कर 13900 वर्ग किलोमीटर हो जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू में भी अल्प शक्ति प्रेषित कार्य कर रहे हैं। राज्य में अतिरिक्त दूरदर्शन प्रेषित्रों को लगाया जाना सातवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में तूफान और ओला-वृष्टि

6317. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष अप्रैल के तीसरे सप्ताह में उड़ीसा में भारी तूफान आया था और ओला-वृष्टि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तथा धान और अन्य रबी की खड़ी फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित क्षेत्र में हुई क्षति का ब्यौरा क्या है तथा लगभग कितना नुकसान हुआ; और

(घ) क्या कोई राहत कार्य शुरू किए गए हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों तथा किसानों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विज्ञापन

6318. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री दूरदर्शन पर विज्ञापन के बारे में 21 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेयों का प्रचार करने वाली सिनेमा-विज्ञापन-फिल्मों में सांविधिक नोटिस का स्पष्ट श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सांविधिक नोटिस पर अमल के लिए कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अगस्त, 1984 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, शीतल पेयों संबंधी सभी विज्ञापन फिल्मों में फूड प्रोडक्ट आर्डर, 1955 के अन्तर्गत सांविधिक चेतावनी शामिल होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कालोनियों की मार्किटों का रख-रखाव

6319. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में रामाकृष्णा पुरम, साऊथ मोतीबाग, नानकपुरा, मोतीबाग-1 आदि जैसी सरकारी कालोनियों के बीच बनी मार्किटों की मरम्मत और रख-रखाव तथा विशेषकर वहां बनी सार्वजनिक सुविधाओं की प्रतिदिन सफाई और फ्लोरिंग के लिए कौन प्राधिकारी उत्तरदायी है; और

(ख) क्या सम्पदा निदेशालय ने इस प्रयोजन के लिए कोई एजेंसी बनाई है और यदि हां, तो वह अवैध कब्जों पर ही नहीं बल्कि प्रदूषण रोकने के लिए भी सफाई के उचित स्तर बनाए रखने पर निगरानी क्यों नहीं रखती जिसके कारण इन मार्किटों के निकट बने सरकारी क्वार्टरों में गंदगी फैलती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) रामकृष्णा पुरम, दक्षिणी मोतीबाग (नानकपुरा) में मार्किटों की मरम्मत एवम् रख-रखाव का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास है। मोती बाग-1 में मार्किटों के रख-रखाव का कार्य नई दिल्ली नगरपालिका के पास है।

सार्वजनिक सुविधाओं की प्रतिदिन सफाई और फ्लशिंग का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों अर्थात् उस क्षेत्र में कार्यरत दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका का है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए सम्पदा निदेशालय के पास इस प्रकार का कोई अभिकरण नहीं है।

मध्य प्रदेश में पानी की अत्यधिक कमी

6320. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय का ध्यान 21 अप्रैल, 1985 के "जनसत्ता" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबरों "मध्य प्रदेश पर अकाल की परछाइयां" और "आर्मी आस्कड टू हैल्प सप्लाई वाटर" की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पानी के अकाल के बारे में बताया गया है और केन्द्र से सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या 1981-90 को अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल सप्लाई और स्वास्थ्य रक्षा दशक घोषित किया गया है और सरकार सभी व्यक्तियों को साफ पानी उपलब्ध कराने और उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए वचनबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में की गई प्रगति का ब्यौरा दें?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जिन क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर कमी है उनमें पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय सेना प्राधिकारियों को टैंकर/टैंक/केनवास/ बैग मुहैया कराने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध की सिफारिश रक्षा मंत्रालय को की गयी है। मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने की व्यवस्था करने के लिए इन दो राज्यों को भारत सरकार (कृषि मन्त्रालय) द्वारा सूखा राहत सहायता दी गई :--

	1984-85	1985-86
उत्तर प्रदेश	227.64 लाख रुपये	--
मध्य प्रदेश	336.00 लाख रुपये	173.00 लाख रुपये

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गये पूरक ज्ञापन के आधार पर अप्रैल, 1985 में एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि मंत्रालय शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय लेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्पूर्ण देश में पेयजल मुहैया करने की प्रगति नीचे दी गई है:—

उप-क्षेत्र	31-3-1981 की स्थिति के अनुसार लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता	छठी योजनावधि के अन्त तक लाभान्वित की जाने वाली सम्भावित जनसंख्या की प्रतिशतता
नगरीय जल पूर्ति	77%	81%
ग्रामीण जलपूर्ति	31%	53.9%
नगरीय स्वच्छता	27%	33%
ग्रामीण स्वच्छता	0.5%	0.95%

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

6321. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य**
श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम को रद्द करने का सुझाव दिया है क्योंकि यह प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करता है और औपनिवेशिक प्रशासन की देन है;

(ख) यदि हां, तो प्रेस परिषद के अध्यक्ष के सुझावों और अवलोकनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार का क्या विचार है; और

(घ) क्या सरकार शासकीय गुप्त बात अधिनियम को अधिक उदार बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) भारतीय प्रेस परिषद ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। मोटे तौर पर उन्होंने निम्नलिखित बातों को गुप्त बातें मानने हेतु सिफारिश की हैं :—

(1) राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा;

(2) विदेशी सम्बन्ध;

(3) मुद्रा नीति, विदेशी मुद्रा नीति, आर्थिक योजनाएं तथा नीतियां, वाणिज्यिक या वित्तीय सूचना, जिनके असामयिक प्रकट हो जाने से राष्ट्रीय हित को हानि हो सकती है या निजी हाथ में गैरकानूनी वित्तीय लाभों के लिए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

(4) वह सूचना जिससे '(क) अपराध करने में सहायता मिलने की संभावना हो (ख) कानूनी हिरासत में भागने की सुविधा में सहायक हो सकने वाली या जेल सुरक्षा के प्रतिकूल हो सकने वाली हो; (ग) अपराधों को रोकने या पकड़ने या गिरफ्तारी या अपराधियों पर मुकदमें चलाने में बाधक हो सकने वाली हो।

(5) विश्वास में सरकार को गोपनीय सूचना देना;

(6) व्यापार सम्बन्धी गुप्त बातें।

सरकार ने इन सुझावों पर अभी कोई दृष्टिकोण नहीं बनाया है।

(घ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम को और उदार बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि दूसरे प्रेस आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे रही है।

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वस्तुओं की अचानक जांच

6322. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली चालू लाइसेंसों के अन्तर्गत कारखाने और बाजार से वस्तुओं की अचानक जांच के लिए बार-बार नमूने लेता है;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 और 1984-85 के दौरान अचानक जांच में वर्ष-वार इस प्रकार के कितने लाइसेंसों की जांच की गई;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रयोगशालाओं में उत्पादों की जांच के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध थीं तथा विभागीय प्रयोगशाला में और बाहर की प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के जांच कार्यों पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(घ) किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ये परीक्षण बाहर की प्रयोगशालाओं में कराए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभागीय प्रयोगशाला और बाहरी प्रयोगशालाओं में कितने नमूनों की जांच की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एकत्र किये जाने वाले नमूने अलग-अलग उत्पादों के मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की निरन्तरता उत्पाद के स्वरूप और बाजार में उपलभ्यता के आधार पर लिए जाते हैं। सामान्यतः प्रयास यह किया जाता है कि लगभग चार नमूने कारखाने से और चार मण्डी से लिये जायें।

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान लाइसेंसधारियों पर की गई आकस्मिक पड़तालों की संख्या निम्नवत थी:—

अवधि	आकस्मिक पड़तालों की संख्या
1983-84	19564
1984-85	21438

(ग) भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाओं में, प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आने वाले अधिकतर उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रबंध मौजूद हैं। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाओं में बहुत अधिक काम है, वहां मान्यता प्राप्त भारी प्रयोगशालाओं का लाभ उठाया जाता है। 1983-84 और 1984-85 में परीक्षण पर किया गया वार्षिक व्यय निम्नवत था :—

(दस लाख रुपये में)

अवधि	परीक्षण पर किया गया व्यय	
	भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाएं	बाहरी प्रयोगशालायें
1983-84	5.740	1.906
1984-85	6.667 (अनुमानित)	2.200 (अनुमानित)

(घ) बाहरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता अगले पृष्ठ पर दिए गए कारणों से होती है :—

(1) भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं का उपलब्ध न होना;

(2) परीक्षण के विशिष्ट स्वरूप; और

(3) भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाओं की वर्तमान क्षमता से अधिक नमूनों का प्राप्त होना।

(ङ) भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाओं और बाहरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षित नमूनों की संख्या निम्नवत है :—

अवधि	भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशालाएं	बाहरी मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं
1983-84	22365	5781
1984-85	24560	7763

मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधायें

6323. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र से तेज ड्रिलिंग करने वाले अतिरिक्त ड्रिल तत्काल देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्यों की आवश्यकताओं के सम्पूर्ण मूल्यांकन और ग्रामीण जलपूर्ति क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए हुई बैठक में विचार विमर्श के आधार पर दो एटलस कोप्को रोटामैक-50 रिग और वर्तमान रिग के लिए 115 डब्ल्यू० ओडेक्स अटैचमेंट का एक सैट खरीदने और मध्य प्रदेश सरकार को सप्लाई करने के लिए यूनिसेफ कार्यवाही कर रहा है।

बिहार में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज

[हिन्दी]

6324. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है; और

(ख) निकट भविष्य में गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान बिहार में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 1554 किलोग्राम थी। वर्ष 1984-85 के लिए क्षेत्र और गेहूं उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) राज्य में गेहूं की उपज बढ़ाने के किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं (1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए क्षेत्र में वृद्धि; (2) फसल के तहत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि; (3) उर्वरक का अधिकतम प्रयोग; (4) फसल उत्पादन की नाजुक स्थिति में सिंचाई के लिए कुशल जल प्रबन्ध; (5) सूक्ष्म-पोषकों की कमी को दूर करना; (6) खरपतवार नियंत्रण; (7) विशिष्ठ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों और उपयुक्त टेक्नालॉजी के विकास के लिए अनुसंधान में तेजी; (8) विस्तार कामगारों और किसानों के प्रशिक्षण द्वारा नई गेहूं उत्पादन टेक्नालॉजी का प्रचार; (9) आदानों और अल्पकालीन ऋण का आसान और पर्याप्त उपलब्धता; (10) लाभदायक कीमतों की व्यवस्था।

सराय रोहिल्ला क्षेत्र की कालोनियों में नागरिक सुविधायें

6325. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सराय रोहिल्ला क्षेत्र की पूर्वी मोतीबाग, नई बस्ती कश्मीरी बाग और बाग कड़े खां कालोनियों में सभी नागरिक सुविधायें दी गयी हैं और उन्हें नियमित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इन कालोनियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें नियमित करने में कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली की सराय रोहिल्ला क्षेत्र की पूर्वी मोती बाग, नई बस्ती, कश्मीरी बाग तथा बाग कड़े खां कालोनियों में स्लम क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार की योजना स्कीम के अन्तर्गत मल निर्यास, जल की मुख्य लाइन तथा सी०सी० गलियों में खड़ंजे आदि जैसी नागरिक सुविधायें मुहैया की जा रही हैं।

(ख) सरकारी आदेशों के अनुसार कि क्रमशः 30-6-77 तथा 16-2-77 तक निर्मित रिहायशी एवम् वाणिज्यिक संरचनाओं को एक उचित विन्यास नक्शे के अनुरूप बना कर नियमित किया जाए के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली नगर निगम कालोनियों को नियमित करने के लिए विचार करते हैं। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कालोनियों को नियमित करना सम्भव नहीं है। इन क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिये योजना तैयार की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशेष न्यायालयों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामले

[अनुवाद]

6326. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों के शीघ्र विचारण के लिए किन-किन राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1984-85 में इस अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और कितने मुकदमें चलाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में नजरबन्दी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें बिना मुकदमें के किसी व्यक्ति को नजरबंद करने का कोई उपबंध नहीं है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 1984 और 1985 (मार्च, 1985 तक) के दौरान चलाये गये मुकदमों की संख्या निम्नवत है :—

वर्ष	चलाये गये मुकदमों की संख्या
1984	5,000
1985 (मार्च, 1985 तक)	739

विवरण

जमाखोरों और चोरबाजारियों के विरुद्ध चलाये गए आवश्यक वस्तु अधिनियम सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु जिन राज्य सरकारों ने विशेष अदालतें गठित की हैं, उनके नाम :

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष अदालतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	8
3.	गुजरात	18

1	2	3
4.	हरियाणा	9
5.	कर्नाटक	20
6.	मेघालय	1
7.	नागालैण्ड	10
8.	पंजाब	3
9.	राजस्थान	27
10.	तमिलनाडु	6
11.	त्रिपुरा	3
12.	उत्तर प्रदेश	57
13.	पश्चिमी बंगाल	24
14.	दिल्ली	4
15.	गोआ, दमन व दीव	1
16.	पांडिचेरी	1
17.	सिक्किम	1
18.	मणिपुर	1
19.	चंडीगढ़	1
20.	उड़ीसा	13
21.	जम्मू और कश्मीर	20
22.	महाराष्ट्र	27
23.	हिमाचल प्रदेश	2
24.	बिहार	33
25.	केरल	1
26.	मध्य प्रदेश	45

केरल में फलों से खाद्य पदार्थ तैयार करने हेतु संयंत्र

6327. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा केरल में फलों से खाद्य पदार्थ तैयार करने हेतु/फल रस संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार, राज्य में भारी मात्रा में अनेक प्रकार के फलों की उपलब्धता को देखते हुए वहां ऐसा कोई एकक स्थापित करने पर विचार करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस प्रकार का यूनिट स्थापित करने के बारे में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो जाने और उसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में वनस्पति बनाने के लिए आशय-पत्र

6328. **श्री एम० वेंकटेशरत्नम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने अनन्तपुर में वनस्पति बनाने के लिए आशय-पत्र हेतु आवेदन किया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के किसी सहकारी एकक ने भी इस आशय-पत्र के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का आशय-पत्र मंजूर करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश के किसी भी सहकारी एकक ने अनन्तपुर के लिये आवेदन नहीं किया है ।

(ग) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह मामला इसी प्रकार के अन्य आवेदनों के साथ प्रथम दृष्टि में अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि इस समय आंध्र प्रदेश में क्षमता सृजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

पश्चिम बंगाल के लिये ग्रामीण विकास योजना

6329. श्री चित्त महाता : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में राज्य सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 परियोजनायें प्रस्तुत की हैं :—

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजनायें (193.390 लाख रुपये)	
2.	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण (213.730 लाख रुपये)	407.120
3.	5 जिलों में ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण	411.569
4.	लघु सिंचाई स्त्रोतों का निर्माण तथा 4 जिलों में जल निकास नालियों का सुधार	129.401
5.	चार जिलों में लघु सिंचाई स्रोतों का विकास तथा जल निकास नालियों का सुधार	158.175
6.	2 जिलों में भूमि सुधार तथा वनरोपण	16.242
7.	5 जिलों में ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण	452.853
8.	मछली फार्मों के विकास तथा मुहानों, झीलों और तालाबों के सुधार से संबंधित परियोजना	56.238

1	2	3
9.	पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में लघु सिंचाई तथा जल निकास नालियों के सुधार से संबंधित परियोजना।	69.465
10.	2 जिलों में प्राथमिक स्कूलों के भवनों का निर्माण	197.072
11.	15 जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण	3565.236
12.	15 जिलों में लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण	478.002

ये सभी परियोजनायें केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

राष्ट्रीय पोषक-आहार बोर्ड स्थापित करना

6330. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय पोषक-आहार बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने 1964 में खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड स्थापित किया था। यह बोर्ड मुख्य रूप से एक सलाहकारी निकाय है, जोकि पोषाहार तथा इससे सम्बद्ध मामलों पर सलाह देता है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा कुछेक अन्य संगठनों के अलावा इस बोर्ड के सदस्य खाद्य और नागरिक पूर्ति, कृषि और ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों से लिए गए हैं।

मंत्रालय का कोई अन्य बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में वनस्पति उत्पादन

6331. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों को जम्मू में वनस्पति का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या काश्मीर घाटी के लोग काश्मीर में ऐसा एक या अधिक एकक स्थापित करने के लिए आगे आए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जम्मू में दो निजी पार्टियां वनस्पति का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) कश्मीर घाटी के कुछ व्यक्तियों ने कश्मीर में वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। ये मामले प्रथम दृष्टि में ही नामंजूर कर दिये गये हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

संसाधित फलों के निर्यात के लिए जटिल प्रक्रिया

6332. श्री आनन्द पाठक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधित फलों के व्यापारियों को इस प्रकार के उत्पादों का निर्यात करने से पूर्व फल उत्पाद आदेश प्राधिकारियों से तीन बार स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है—पहले उक्त प्राधिकारियों से कारखाने के लिए लाइसेंस लेना, दूसरे, निर्यात के लिए माल तैयार करते समय उसका निरन्तर निरीक्षण करवाया जाना तथा तीसरे, जहाज में माल लादने से पूर्व उसका निरीक्षण करवाना; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) फल उत्पादों के निर्यातकों को किसी माल का निर्यात करने से पहले निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन एक गुण संबंधी प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है यदि वस्तुओं के हो रहे उत्पादन अथवा अन्यथा के समय निरन्तर निरीक्षण के आधार पर गुण संबंधी प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो जब तक पहले से जारी किया गया गुण संबंधी प्रमाण-पत्र वैध है, तब तक गुण संबंधी और प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात के प्रयोजन से, तैयार फल उत्पादों का विधायन और उनकी पैकिंग केवल उसी व्यक्ति द्वारा की जानी अपेक्षित होती है जिसके पास फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन लाइसेंस हो। इन अपेक्षाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद मानक किस्म के हों।

भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबन्धक (इंजीनियरी) के पदों पर भर्ती

6333. श्री वी० वेंकटेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) ने वर्ष 1984 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सहायक प्रबन्धक (इंजीनियरी) के दो पद

सामान्य उम्मीदवारों से भरे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमानुसार इन पदों को सक्षम प्राधिकारी से अनारक्षित कराया गया था और सम्पर्क अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो 1984 में सहायक प्रबन्धक (इंजीनियरी) के कुल कितने पद पदोन्नति से भरे गए और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार थे; और

(घ) इस मामले विशेष में भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सहायक प्रबन्धक (मैकेनिकल) के एक पद, जोकि आरक्षित स्थान के रूप में रोस्टर में एकमात्र रिक्ति पड़ती थी, को सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित माना गया था और उसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा सामान्य उम्मीदवार द्वारा भर लिया गया था। इस मामले से संबंधित अनुदेशों के अनुसार इस रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से भरने के लिए तीन प्रोन्नति वर्षों तक आगे ले जाया जाएगा। कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सहायक प्रबन्धक (इलेक्ट्रिकल) के अन्य पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा राज्यों में आपरेशन फ्लड 1 और 2

6334. **श्री पी० पंचालैया** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्रत्येक राज्य में शीर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से आपरेशन फ्लड 1 और 2 परियोजनायें चलाता है;

(ख) क्या यह शर्त केवल गुजरात के मामले में हटाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य सहकारी डेरी संघों की सहायता करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्येक व्यस्क के लिये एक कमरे की व्यवस्था

6335. **श्री शांताराम नायक** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सन् 2000 तक प्रत्येक व्यस्क भारतीय नागरिक के लिए एक कमरे की व्यवस्था करने का कोई लक्ष्य है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक योजना तैयार करने पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस प्रकार की योजना जैसा भी आवश्यक एवम् व्यवहार्य हो, सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा बाद की योजनाओं में प्रदर्शित की जायेगी । सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है ।

"अन्न बचाओ" अभियान के अन्तर्गत लाये गये राज्य

6336. **श्री राधाकांत दिगाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "अन्न बचाओ" अभियान किस वर्ष शुरू किया गया;

(ख) अब तक कितने राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अन्न सुरक्षा अभियान को एक नियमित योजना के रूप में 1969-70 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) मंत्रालय के सतरह अन्न सुरक्षा अभियान दल हैं जोकि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में स्थित हैं । इनमें से कुछ दल निकटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा भी करते हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अन्न सुरक्षा अभियान के अधीन उड़ीसा में किए गए कार्य का ब्यौरा बताने वाला विवरण

क्र० सं०	कार्य की मद	उड़ीसा में अप्रैल, 1976 से आरम्भ की गई गतिविधियों से मार्च, 1985 तक किए गए कार्य
1	2	3
	(क) प्रशिक्षण	
1.	**किसानों के लिये वृत्तिका प्रशिक्षण :**	
	(क) आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या	79
	(ख) प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या	3,900
2.	**राज्य सरकार के ग्राम स्तर और एक्स्टेंशन वर्करों के लिये गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण**	
	(क) आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या	116
	(ख) प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या	2,535
3.	**स्वयं सेवकों के लिये गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण**	
	(क) आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या	652
	(ख) प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या	12,687
	(ख) निदर्शन	
4.	खाद्यान्नों का प्रधूमन-भंडारण आधानों की संख्या, जिनमें प्रधूमन किया गया	37,000
5.	खेतों में मूषक नियंत्रण-चूहों के बिलों की संख्या, जिनमें प्रधूमन किया गया।	7,72,840
6.	घरेलू मूषक नियंत्रण उपायों के अधीन लाए गए घरों की संख्या	2,11,241

1	2	3
7.	उन भंडार परिसरों की संख्या जिनका रोग-निरोधी उपचारों द्वारा पीड़क अन्तुनाशन किया गया	61,544
8.	किसानों को बेचे गए धातु के बिनों की संख्या	7,734
9.	निर्मित किए गए गैर-धात्विक भंडारण ढांचों की संख्या	765
10.	उन वर्तमान/देशी भंडारण ढांचों की संख्या जिनमें सुधार किया गया है	1,743
	(ग) प्रचार	
11.	प्रसारित की गई रेडियो वार्ता	27
12.	टेलीकास्ट किए गए टी०वी० कार्यक्रम	9
13.	वितरित किए गए पर्चों और इश्तिहारों की संख्या	42,(58
14.	ग्राम/ब्लाक स्तर पर आयोजित की गई प्रदर्शनियां	64
15.	आयोजित किए गए फिल्म और स्लाइड शो	73
16.	डाक द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से की गई पूछताछ, जिनके बारे में कार्रवाई की गई	7,081

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रसारित "हम लोग" के आपत्तिजनक दृश्य

6337. **श्री के० कुजम्बू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन द्वारा दिखाई जा रही पारिवारिक श्रृंखला "हम लोग" में हाल ही में कुछ ऐसे आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए थे जो केरल की स्त्रियों के नैतिक चरित्र पर कलंक थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या कोई ऐसी स्क्रीनिंग समिति है जो टेलीविजन पर इन दृश्यों को दिखाने से पूर्व इनकी जांच करती है;

(घ) क्या इस मामले में ऐसी स्क्रीनिंग हुई थी; और

(ङ) भविष्य में टेलीविजन पर ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा 30 मार्च, 1985 को टेलीकास्ट किए गए "हम लोग" टी० वी० शृंखला के 83वें एपीसोड में, "माध्वी", केरल की एक लड़की का सन्दर्भ दिया गया था। उस सन्दर्भ का अभिप्राय "माध्वी" को न तो उसके वैयक्तिक रूप में और न ही केरल की लड़की के रूप मे बदनाम करने का बिल्कुल नहीं था। तथापि, क्योंकि इस सन्दर्भ को दर्शकों के एक वर्ग द्वारा अनावश्यक समझा गया था, अतः दूरदर्शन ने 9-4-85 को "हम लोग" के 86वें एपीसोड को टेलीकास्ट करने से खेद व्यक्त किया।

(ग) से (ङ) मैसर्स टाइम स्पेस एण्ड वीडियो कम्यूनिकेशन इस टी० वी० शृंखला "हम लोग" का निर्माण करते हैं तथा इसको प्रायोजिकता की सामान्य शर्तों पर दूरदर्शन पर प्रायोजित करवाते हैं। तथापि, दूरदर्शन शृंखला के प्रत्येक एपीसोड की जांच पड़ताल करता है। इस जांच पड़ताल को और गहन कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए भूसंरक्षण योजना

6338. **श्री गंगा राम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगरा और मध्य प्रदेश में मुरैना जिलों में चम्बल नदी के दोनों ओर डाकुओं वाले और पिछड़े तंगघाटी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए भू-संरक्षण की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इसका कार्यान्वित के चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना की क्रियान्वित की समय-सीमा क्या है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) यमुना तथा चम्बल नदियों के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के दस्यु प्रवण जिलों में ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के विकास की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना में ऊबड़-खाबड़ भूमि में आगे होने वाले विस्तार को नियन्त्रित करके ऊबड़-खाबड़ भूमि का विकास तथा सुधार, पठारी भूमि का उपचार, उथली ऊबड़-खाबड़ भूमि का सुधार तथा मध्यम तथा गहरी तंग घाटियों

में बनरोपण करना शामिल है। इसके क्रियान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्यों, वित्तीय आवंटन तथा क्रमबद्ध कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिए जाने हैं। इस योजना को सातवीं योजना के दौरान शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

ट्रे में घास उगाने वाली मशीन

6339. श्री हुसेन दलवाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक अमरीकी कम्पनी ने ट्रे में घास उगाने वाली एक नई मशीन बाजार में बेचनी शुरू की है;

(ख) क्या उक्त मशीन प्रतिदिन 1 टन घास उगाती है;

(ग) क्या इस मशीन का उन सूखा प्रवण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने का विचार है जहां हरा चारा कम पैदा होता है; और

(घ) क्या सरकार का उक्त घास उगाने वाली मशीन का इस दृष्टि से परीक्षण करने का विचार है कि उसका अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सके ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों को एशियाड फ्लैटों का बेचा जाना

6340. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों को एशियाड गांव में फ्लैट देने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) यदि उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं, तो इन फ्लैटों के निपटान सम्बन्धी योजनाएं क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) प्रत्युत्तर नगण्य है। सरकार के दिनांक 6-6-83 के निर्णय के अनुसार 599 फ्लैट विदेशी मुद्रा से अनधिवासी भारतीयों को बेचे जाने थे। आवेदन आमन्त्रित किए गए थे परन्तु बावजूद समय बढ़ाने के केवल 95 आवेदन ही अनधिवासी भारतीयों से प्राप्त हुए थे। 67 आवेदन वापस ले लिए गए हैं। शेष 28 आवेदकों में से जिनको फ्लैट आबंटित किए जा चुके हैं, विदेशी मुद्रा में पूरा भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद 8 फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है।

(ख) शेष फ्लैटों को शीघ्र ही बेच दिए जाने की सम्भावना है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों की खरीद

6341. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए खाद्य तेलों के खरीद मूल्य पिछले एक वर्ष में दुगने हो गए हैं। (9 अप्रैल, 1985 का "फाइनेंशियल एक्सप्रेस", नई दिल्ली देखें);

(ख) यदि हां, तो देश के खाद्य तेलों के आयात बिल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) खाद्य तेल कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य जून, 1984 तक बहुत ऊंचे स्तर पर थे। जुलाई, 1984 में मूल्यों में काफी कमी (150 अमरीकी डालर प्रति मी० टन से अधिक) आई और उसके बाद मूल्य, जिनमें नवम्बर-दिसम्बर, 1984 में वृद्धि हुई थी और जनवरी-फरवरी, 1985 में गिरावट आ गई थी, लगभग उसी स्तर पर बने रहे।

(ख) और (ग) खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा, देशी तेलों की उपलभ्यता, खाद्य तेलों की संभावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करती है। आयात-बिल पर खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी कितनी मात्रा आयात की जाती है।

खाद्य तेलों की उपलब्धता और कीमतें

6342. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति और खाद्य तेलों की बिक्री और वितरण 1 जून, 1984 से योजना लागू किये जाने के बावजूद खुदरा बाजार में उनकी कीमतों का बढ़ना जारी है और ये उचित दर दुकानों पर भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है तथा अब तक क्या परिणाम निकले हैं और जनवरी, 1984 से आज तक विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में कितनी वृद्धि/कमी हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) स्वैच्छिक समझौते के परिणामस्वरूप वनस्पति की फुटकर कीमतें निश्चित की गई थीं। कुल मिलाकर वनस्पति उद्योग स्वैच्छिक मूल्य अनुशासन का पालन कर रहा है। राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए

आयातित खाद्य तेल का आबंटन पूर्व निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। इसे उचित दर की दुकानों के जरिये राज्यों द्वारा निश्चित की गई कीमतों पर उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाता है। सामान्यतः वनस्पति और आयातित खाद्य तेलों की उपलब्धता संतोषजनक है। तथापि, अस्थायी स्थानीय कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित करने के लिए, अपने राज्यों के स्थानीय वनस्पति एककों से 30% वनस्पति अधिप्राप्त करें।

दिल्ली में बहुत ऊंची इमारतें

6343. श्री मुरलीधर माने : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश बहुत ऊंची इमारतों में वास्तुशिल्प सम्बन्धी कमियां हैं और उनमें आग से बचाव की भी व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इन भवनों में रहने वालों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करती है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह सत्य नहीं है कि दिल्ली में अधिकांश ऊंची-ऊंची इमारतों में गम्भीर वास्तुकीय त्रुटियां हैं। इन भवनों का डिजाइन अर्हता प्राप्त जाने-माने वास्तुकों द्वारा तैयार किया जाता है जिनके पास उचित लाइसेन्स है और वास्तुक परिषद् के अधीन पंजीकृत हैं। उनके भवन नक्शों को अग्नि सुरक्षा उपायों की दृष्टि सहित भवन उपनियमों के अन्तर्गत जांचा-परखा जाता है। संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत गठित दिल्ली नगर कला आयोग वास्तुकीय, भू-सौन्दर्यता व शहरी आकार के दृष्टिकोण से अपना अनुमोदन देता है। उसके बाद इन योजनाओं को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित अग्नि सलाहकार समिति को भेजा जाता है जो कि भवन की विस्तृत अग्नि सुरक्षा जांच करती है। दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से भी अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

अग्नि सलाहकार समिति की सलाह पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा सुझाये अनुसार भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली की फिटिंग का उत्तरदायित्व भवन के मालिक (पट्टाधारी) का है। तथापि, ऐसे भवनों की दखल का प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जाता है जब यह प्रणाली फिट कर दी गई हो और उसे चालू अवस्था में देख लिया गया हो। दखल प्रमाण पत्र को देते समय इन फिटिंगों के कार्य सामर्थ्य तथा उनके सुचारू होने के बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(ख) और (ग) दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित अग्नि सलाहकार समिति पहले ही

निर्मित तथा दखल में लिए गए भवनों में मुहैया कराई गई अग्नि सुरक्षा प्रणाली पर भी विचार कर रही है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई वस्तुओं के मूल्य

6344. श्री मोहन भाई पटेल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनके मूल्य वसूली और न्यूनतम समर्थन मूल्यों के विषय में कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन वस्तुओं के मूल्यों की आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है उन वस्तुओं के अलावा दूसरी वस्तुओं को भी देश के अन्दर मूल्य प्रवृत्ति में स्थिरता लाने के उद्देश्य से शामिल किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तोरिया और सरसों, कपास, पटसन और तम्बाकू के लिए अधिप्राप्ति और समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार आलू तथा प्याज के लिए बाजार में दखल देने संबंधी सांकेतिक मूल्य निर्धारित करती रही है।

(ख) और (ग) आयोग जिन जिन्सों की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है उनमें सभी मुख्य फसलें शामिल है। तथापि आयोग के विचारार्थ विषय के अनुसार सरकार आयोग को किसी अन्य कृषि जिन्स का मूल्य नीति के प्रश्न की जांच करने के लिए कह सकती है।

शिक्षा के लिए अलग चैनल

6345. डा० कृपासिंधु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजनावधि के दौरान अन्तरिक्ष में इनसैट II की सहायता से शिक्षा के लिए एक अलग चैनल का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय मामले की स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस प्रकार

. का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साल बीजों से तेल निकालने के संयंत्र

6346. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में साल-बीजों से तेल निकालने के कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) इनमें से कितने संयंत्रों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और यह उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा में साल-बीज का संसाधन करने वाले विलायक निष्कर्षण संयंत्रों की संख्या सात है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में स्थित साल-बीज का संसाधन करने वाले विलायक निष्कर्षित तेल एककों के नाम व पते

क्र० सं०	लाइसेंस संख्या	फैक्ट्री का नाम व पूरा पता	उत्पादन शुरू होने की तारीख	1984 में इन संयंत्रों के उत्पादन का ब्योरा
1	2	3	4	5
1.	337-बी	मैसर्स उड़ीसा आयल इंड०, सेसन, जिला सम्बलपुर।	जून, 1975	संसाधित साल-बीज 17860 मी० टन
2.	358-सी	मैसर्स भतार साल्वेंट एक्स० उद्योग, लि०, आजाद बाजार, बालासोर।	दिसम्बर, 1975	उत्पादित साल-वसा 12859 मी० टन
3.	388-सी	मैसर्स दि उड़ीसा स्टेट कोआप० मार्के०, लि०, सालवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, बारगढ़, जिला सम्बलपुर।	अक्तूबर, 1976	साल से निष्कर्षण 14559 मी० टन

1	2	3	4	5
4.	419-सी	मैसर्स आस्का सेंट्रल मल्टीपरपज कोआप० गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा।	जुलाई, 1977	
5.	499-सी	मैसर्स उड़ीसा वैजिटेबल आयल काम्पलैक्स लि०, केसिंगा, डिस्ट्रि० कालाहांडी, आफिस : 11, जे०, लारिस रोड, भुबनेश्वर-751014,	फरवरी,1980	
6.	573-सी	मैसर्स उत्कल सोप प्रोडक्ट्स लि०, सी-2, इंड० एरिया, पो० औ० झारगुगुडा-768201, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर।	सितम्बर, 1981	
7.	598-सी	मैसर्स उत्कल आयल्स लि०, पो० औ० अम्बागुडा जेपोर, डिस्ट्रिक्ट कारापुट	जून, 1982	

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के गेस्ट हाउस

6347. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास आनन्द स्थित एक गेस्ट हाउस के अतिरिक्त दो गेस्ट हाउस एक नई दिल्ली में और दूसरा ऊटी में है;

(ख) दिल्ली एवं ऊटी स्थित गेस्ट हाउसों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे कितने हैं तथा उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों की दर तथा उनसे होने वाली आय कितनी है;

(ग) प्रत्येक गेस्ट हाउस का आच्छादित क्षेत्र कितना है और इन सम्पत्तियों का वाणिज्यिक वार्षिक बाजार किराया मूल्य कितना है; और

(घ) इन गेस्ट हाउसों में से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना निवेश हुआ ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

क्लूसा तिलहन परियोजना का प्रतिवेदन

6348. श्री श्रीहरि राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने क्लूसा तिलहन परियोजना, जो कि 1978 से बिना संवीक्षा के चल रही है, के मूल्यांकन प्रतिवेदन की जांच की है और यदि हां, तो सरकार ने इससे क्या निष्कर्ष निकाले तथा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं। उठानेक । विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : यह कहना सच नहीं है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका (क्लूसा) के सहकारी संघ की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है और कनाडा का सहकारी संघ (सी० यू० सी०) बिना जांच के चल रहा है। वास्तव में परियोजना का मूल्यांकन 1983 में एक संयुक्त दल द्वारा किया गया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहकारी संघ। संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। भारत सरकार। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड शामिल हैं। सरकार ने दल की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच की है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति, केन्द्रीय कृषि और सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मोटे तौर पर परियोजना की रिपोर्ट संतोषजनक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में किया गया विकास कार्य

[हिन्दी]

6349. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कितने विकास कार्य मंजूर किए गए हैं;

(ख) उक्त निर्माण कार्यों में से कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हुए हैं; और

(ग) इन निर्माण कार्यों के अधूरे रहने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों का चयन तथा अन्तिम रूप से अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी राज्य के लिए मंजूर किये गये तथा पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या के बारे में सूचना वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है जिनके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद दो महीने का समय दिया जाता है। तदनुसार यह सूचना राज्य सरकार से अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

कोटा दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव

6350. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा दूरदर्शन केन्द्र (राजस्थान) के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसारण क्षेत्र को बूंदी और बरान तक बढ़ाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्दू समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन

[अनुवाद]

6351. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे समाचार पत्रों को सामान्य तौर पर और विशेषकर उर्दू समाचार पत्रों को, विज्ञापन देने सम्बन्धी डी० ए० वी० पी० की नीति क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार डी० ए० वी० पी० के माध्यम से उर्दू समाचार पत्रों को सरकारी क्षेत्र के कुछ विज्ञापन देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से रिलीज किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापनों सहित सरकार के विज्ञापन समाचार पत्रों के लिए वित्तीय सहायता का साधन नहीं है। इस प्रकार के विज्ञापनों को प्रचार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। इस सम्बन्ध में उर्दू में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों सहित लघु और मझौले समाचार पत्रों का वर्धित उपयोग किया जा रहा है।

फल उत्पाद आदेश का लागू होना

6352. **श्री आनन्द पाठक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल उत्पाद आदेश अनेक उत्पादों पर लागू होता है, विशेषकर वातित जल पर ही, जिसमें की कोई फलांश नहीं होता है और जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या वातित जल पर खाद्य उत्पादन आदेश का चिन्ह अंकित होता है;

(ग) फल उत्पाद आदेश बनाने के कारण और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) फल उत्पाद आदेश की ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण

अधिनियम प्राप्त नहीं कर सका और फल उत्पाद आदेश विभाग पर कितनी धनराशि व्यय होती है; और

(ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यकलाप के दोहराव से बचने के लिए फल उत्पाद आदेश को समाप्त न कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) फल उत्पाद आदेश, 1955 में आदेश के अधीन "फल उत्पाद" के रूप में पारिभाषित वस्तुएं आती हैं। इनमें कृत्रिम पेय, सिरप और शर्बत; कृत्रिम सिरका और वे मीठे वातित जल, जिनमें कोई फल-तत्त्व नहीं होता है, भी शामिल हैं। ऊपर उल्लिखित कृत्रिम उत्पादों सहित आदेश के अधीन लाइसेंसशुदा सभी उत्पादों के बारे में फल उत्पाद आदेश के प्रतीक को प्रदर्शित करना जरूरी होता है। इस आदेश के अधीन शामिल की गई सभी वस्तुएं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन भी शामिल हैं। तथापि, यदि किसी निर्माता ने उक्त आदेश के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है।

(ग) फल उत्पाद आदेश का मुख्य उद्देश्य इसकी परिधि में जो उत्पाद आते हैं, उनकी किस्म को विनियमित करना है।

(घ) और (ङ) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के विपरीत, फल उत्पाद आदेश में, इस आदेश में शामिल किए गए उत्पादों की किस्म से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत विनिर्दिष्टियां निर्धारित की गई हैं और इस प्रकार यह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन किए जा रहे विनियामक नियन्त्रण के पूरक के रूप में काम करता है। अनुमान है कि 1984-85 के दौरान इस आदेश का संचालन करने के लिए लगभग 21.50 लाख रुपये का कुल खर्च किया गया था।

वैगनों की कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता

[हिन्दी]

6353. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के विभिन्न भागों में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ता कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं क्योंकि रेलवे वैगनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो वैगनों की कमी को दूर करने लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं का कार्यकरण

[अनुवाद]

6354. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाएं अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं की कितने प्रतिशत विश्लेषण क्षमता अप्रयुक्त रही है;

(ग) इनकी क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए नमूनों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(घ) ये प्रयोगशालाएं किन कारणों से अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ङ) क्षमता उपयोग को अधिकतम करने और/अथवा क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) 1982-83, 1983-84 के दौरान और सितम्बर, 1984 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या, उनकी उर्वरक विश्लेषणात्मक क्षमता, विश्लेषित नमूनों की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) कर्मचारियों और उपकरण के पर्याप्त स्तर का न होना, बिजली और जल का अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध न होना, क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नमूनों की आवश्यक संख्या सप्लाई न करना, मानक रसायनों और कांच की वस्तुओं की गैर उपलब्धि, कुछ मामलों में प्रयोगशाला का उपयुक्त भवन न होना, उन प्रमुख कारणों में से कुछ कारण हैं जो प्रयोगशाला की स्वीकृत क्षमता का उपयोग न होने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ङ) देश में उर्वरक प्रवर्तन और गुण नियन्त्रण सम्बन्धी अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने संबंधी सातवीं योजना के प्रस्तावों के अलावा भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी कहा है कि वे अपनी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली और उर्वरक गुण नियन्त्रण निरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य की भी समीक्षा करें ताकि सम्बन्धित राज्यों में सृजित किए गए उर्वरक सम्बन्धी नमूनों के विश्लेषण की क्षमता के उपयोग में वृद्धि की जा सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय उर्वरक गुण नियन्त्रण और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रवर्तन और विश्लेषण कर्मचारियों को इस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई सीटों के अनुसार भेजें ताकि उनके कार्य क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जा सके।

विवरण

1982-83, 1983-84, तथा 1984-85 के दौरान प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या, उनकी उर्वरक विश्लेषण की कुल क्षमता तथा विश्लेषित नमूनों की कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1982-83			1983-84			1984-85		
		प्रयोग-शालाओं की संख्या	कुल विश्लेषण की क्षमता	विश्लेषित वास्तविक नमूनों की संख्या	प्रयोग-शालाओं की संख्या	कुल विश्लेषण की क्षमता	विश्लेषित वास्तविक नमूनों की संख्या	प्रयोग-शालाओं की संख्या	कुल विश्लेषण की क्षमता	विश्लेषित वास्तविक नमूनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	6300	5178	5	6300	4147	5	7000	2700**
2.	असम	1	120	27	1	120	42	1	120	17
3.	बिहार	1	2000	553	1	2000	354	1	2000	121
4.	गुजरात	2	4000	4701	2	4000	4450	2	4000	1490
5.	हरियाणा	1	1200	1299	1	1200	1602	1	1500	698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1000	622	2	1500	590	2	2000	179
7.	जम्मू और कश्मीर	2	1000	386	2	1000	156	2	1600	159
8.	कर्नाटक	2	4800	3560	2	4800	4931	2	4800	2930
9.	केरल	2	4000	1458	2	4000	1705	2	4000	420
10.	मध्य प्रदेश	2	3000	उ०न०	3	4000	2553	3	4000	1237
11.	महाराष्ट्र	2	3500	1183	4	5500	3142	4	6500	1600*
12.	उड़ीसा	2	3000	2130	2	3000	905	2	5000	600*
13.	पंजाब	1	1000	790	1	1000	453	1	1500	856
14.	राजस्थान	2	4000	2420	2	4000	2997	2	4000	1160
15.	तमिलनाडु	4	7000	8551	6	8000	7576	6	11000	4000*
16.	उत्तर प्रदेश	3	4000	3556	3	4000	2826	3	4000	1500*
17.	पश्चिम बंगाल	2	2500	44	2	2500	765	2	2500	400*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	पाण्डिचेरी	1	350	429	1	500	354	1	600	215
19.	केन्द्रीय उर्वरक गुणनियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान	1	5000	2902	1	5000	3303	1	5000	2500
	कुल	37	57770	40089	43	62420	42853	43	71120	22782***
	प्रतिशतता क्षमता का उपयोग			69.39 प्रतिशत			68.65 प्रतिशत		64.07 प्रतिशत	

** = प्रथम तिमाही तिमाहियों अर्थात 1/2 वर्ष के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रतिशतता उपयोग तदनुसार आंका गया

* = अनुमानित आंकड़े

*** = 6: महीनों के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि केवल दो तिमाहियों के आंकड़े ही उपलब्ध हैं।

नौकरियों के नाम पर लाखों का घोटाला

6355. डा० बी० एल० शैलेश : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1985 के ब्लिट्ज में छपी प्रेस रिपोर्ट "नौकरियां दिलाने के बहाने लाखों का घोटाला" (मल्टी मिलियन जाब रैकेट) की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच करने तथा इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट किया गया है।

उड़ीसा में भंडारण सुविधाएं

6356. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उपलब्ध वर्तमान भण्डारण और भाण्डागार सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में भण्डारण और भाण्डागार की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भाण्डागार निगम के पास उड़ीसा में खाद्यान्नों और सामान्य भाण्डागारण के लिए उपलब्ध भण्डारण क्षमता निगमों की मौजूदा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझी जाती है। अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने उड़ीसा में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया है और आशा है कि वे 1985-86 के दौरान 60,000 मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करेंगे।

खाद्य तेलों का उत्पादन और राज्यों की जरूरतें

6357. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1985-86 के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे खाद्य तेलों की आंतरिक मांग कहां तक पूरी हो जायेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य को, विशेषकर महाराष्ट्र को स्थानीय उत्पाद कितनी मात्रा में भेजा जाता है तथा उनकी कितनी मांग आयातित तेल से पूरी की जाती है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी मांगें इस समय पूरी नहीं की जा रही हैं; और

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 136 लाख मीटरी टन (प्रस्तावित) निर्धारित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए नागरिक आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यकारी दल द्वारा गठित किए गए खाद्य तेलों से सम्बन्धित उप-दल द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार खाद्य तेलों की मांग और देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता में लगभग 13 लाख मीटरी टन का अन्तर होगा।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार राज्यों को देशी खाद्य तेलों का वितरण नहीं करती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का माह दर माह आवंटन, इनकी मांग, खपत के स्वरूप, त्यौहार के मौसम, उस राज्य/क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा अन्य सम्बन्धित बातों, जिनमें पूर्व आवंटित खाद्य तेलों को उठाने की गति भी शामिल है, के आधार पर किया जाता है। राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और यह राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है।

आयातित खाद्य तेल के भंडार में कमी

6358. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों का आयात करने वाली प्रमुख और अकेली संस्था है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के खातों में दर्ज खाद्य तेलों की मात्रा में तथा उनके वास्तविक भण्डार की मात्रा में भारी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो मात्रा और मूल्य के हिसाब से यह अन्तर कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्य तेल का आयात 2-12-1978 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था;

(ख) वित्त वर्ष 1983-84 के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा खाते में दिए स्टाक और वास्तविक स्टाक के आंकड़ों का समाधान कर लिया गया है। वर्ष 1984-85 के बारे में समाधान कार्य चल रहा है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जकार्ता में गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों की सिफारिशें

6359. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जकार्ता में 26 से 30 जनवरी 1984 को हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों (सी० ओ० एन० आई० एन० ए० सी०) के सामान्य सम्मेलन और कैरो में मार्च 1984 में हुई गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एन० ए० एन० ए० पी०) की तकनीकी समिति की बैठक की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) अब तक इनका किस हद तक कार्यान्वयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जकार्ता में जनवरी, 1984 में हुए निर्गुट देशों के सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन ने निर्गुट देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा आपसी सहयोग के सिद्धान्तों के महत्त्व पर बल दिया था।

सम्मेलन ने निर्गुट समाचार एजेंसी पूल, निर्गुट देशों के प्रसारण संगठनों, दूर संचार दर को कम करने तथा मुद्रण माध्यमों एवं फिल्मों में सहयोग से सम्बन्धित कारंवाई कार्यक्रम पारित किया था। इसने यह भी सिफारिश की थी कि दूर संचार दर को कम करने के बारे में व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्गुट समाचार एजेंसी पूल के पुनर्वितरण केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे देशों के संचार मन्त्री तथा सूचना मन्त्री बाद में 1984 में मिले। तदनुसार, काहिरा में मई, 1984 में हुए सम्मेलन में भारत ने समाचार पूल हेतु विकासीय प्रेस बुलेटिन सेवा, रियायती प्रेस बुलेटिन सेवा दरों की आधी दर पर चालू करने के अपने निर्णय की घोषणा की। यह 16 जुलाई 1984 से लागू हुआ था।

गुटनिरपेक्ष समाचार एजेन्सी पूल के पुनर्वितरण केन्द्रों के रूप में कार्य करने वाली समाचार एजेन्सियों की काहिरा में 24-25 मार्च, 1984 को हुई बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ डाटा संजाल स्थापित किए जाएं; वर्ष 1985 को निर्गुट समाचार एजेन्सी डाटा वर्ष के रूप में मनाया जाए; गुटनिरपेक्ष समाचार एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक निर्गुट देश के भीतर घटने वाली घटनाओं के समाचार फोटो प्राप्त करने की सुविधाओं को पेशकश की जाए; और एच० एफ० केन्द्रों के पूल का विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए प्रयोग करना जारी रखा जाए।

इन निर्णयों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। निर्गुट देशों के सूचना और संचार के समन्वय के लिए अन्तःशासकीय परिषद् के कार्यों के अनुसार, परिषद् जकार्ता सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने में सूचना और संचार के क्षेत्रों में निर्गुट देशों की गतिविधियों के समन्वय करेगी, माध्यम सहयोग के क्षेत्र में निर्गुट देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए विकास और प्रगति को

मानीटर करेगी तथा ऐसी गतिविधियां शुरू करेगी जिनसे सम्मेलन द्वारा स्वीकृत कार्रवाई कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में सुविधा हो।

नारियल जटा और काजू उद्योग में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी

6360. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में नारियल जटा और काजू जैसे उद्योगों में सरकार का क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन जटा नारियल और काजू जैसे उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने के लिए राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं। तथापि, जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्रियों के 31वें सम्मेलन के अनुसरण में, मजदूरी दरों को निर्धारित/पुनरीक्षित करते समय, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसी प्रकार के नियोजन में मजदूरी दरों में व्यापक असमानता से अन्य राज्यों में, विशेषकर पड़ोसी राज्यों में, उस उद्योग पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखें।

कुक्कुट (मुर्गा-मुर्गी) और अंडों का उत्पादन

6361. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में कुक्कुट और अंडों का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) क्या अरब देशों में इनके निर्यात के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती है; और

(ग) कौन-कौन से राज्यों में विकसित मुर्गीपालन की आधुनिकतम वैज्ञानिक विधियों का प्रचार करने के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) अरब देशों सहित सभी गंतव्य स्थानों के लिए "चिकन एसेन्स" कुक्कुट मांस, जिन्दा चूजों और सेने जाने वाले अंडों सहित कुक्कुट उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में सुविधाएं, जिसमें नकद क्षतिपूर्ति सहायता, आयात क्षतिपूर्ति आदि शामिल हैं, उपलब्ध हैं।

(ग) देश में कुक्कुट उत्पादन करने वाले सभी प्रमुख राज्यों में उन्नत कुक्कुट उत्पादन

की नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध है।

देश में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय

6362. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय में वन विद्या विषय को शामिल किया जाएगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन राज्यों का उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय शुरू करने का विचार है उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश भी उनमें से एक है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली वाले क्षेत्र में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनाएं क्या हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की किसी बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की योजना नहीं है। राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश ने एक बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश से किसी ऐसे प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) तथा (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

काली मिर्च के वर्गीकरण के लिए उत्पादक सहकारी समितियां

6363. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में काली मिर्च के वर्गीकरण तथा अन्य सम्बन्धित

कार्यों के प्रयोजन के लिए उत्पादक सहकारी समितियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में काली मिर्च की सघन खेती की योजना

6364. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काली मिर्च की सघन खेती करने की कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उक्त योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केरल में केरल कृषि विकास परियोजना के एक घटक के रूप में विश्व बैंक की सहायता से काली मिर्च की खेती का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है।

(ख) और (ग) यह परियोजना अप्रैल, 1977 से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें 16743 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। अब तक पैनियूर-1 की जड़युक्त कलमें और स्थानीय किस्में क्रमश: 4.36 लाख और 12.00 लाख वितरित की गई है।

बरेली में इफको का कारखाना

6365. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली जिले (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जा रहे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव के कारखाने की धीमी प्रगति के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का वहां पर उत्पादन शीघ्र शुरू होना तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को समय पर उर्वरकों का उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माण कार्य की प्रति प्रगति को तेज करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कारखाने में नियुक्ति के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाहर से केवल उन्हीं व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी, जो जिले में उपलब्ध नहीं हैं और जिलाधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य पर कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए कोई एहतियाती उपाय किये हैं;

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) बरेली जिले में इफको की ओनला परियोजना के कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है। परियोजना की निर्धारित तिथि 1 अक्तूबर, 1984 ही थी। इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यह संयंत्र अप्रैल, 1985 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगा।

(ङ) और (च) सभी रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालय में भेज दी जाएंगी और रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों को अन्यों की तुलना में तरजीह दी जाएगी।

(छ) से (झ) इफको प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। इफको ने विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान से भी अनुरोध किया है कि वह पर्यावरण सम्बन्धी अपगामी पद्धति और संरक्षण उपायों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करें। इफको ने हरित पट्टी के विकास के लिए कुल 1258 एकड़ भूमि में से 330 एकड़ भूमि निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वानिकी विभाग के कुछ शर्तों के साथ परियोजना को मंजूरी दी है जिन्हें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

दिनांक 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : लोक सभा में 25-3-1985 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर में, नियमित कालोनियों एवं प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या गलती से 537 और 14 की बजाए क्रमश: 538 और 13 बताई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई कालोनियों की सूची के संकलन के दौरान एक कालोनी को दो बार लिखे जाने के

कारण यह गलती हुई है। तदनुसार, उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित 607 अनधिकृत कालोनियों के बारे में ठीक-ठीक स्थिति इस प्रकार मानी जाए :—

प्राधिकरण	नियमित की गई कालोनियां	नियमित न की गई/रद्द की गई कालोनियां	प्रक्रियाधीन मामले
दिल्ली विकास प्राधिकरण	137	7	11
दिल्ली नगर निगम	400	49	3
योग :	537	56	14 = 607

2. यह गलती पहले सही नहीं की जा सकी क्योंकि यह लोक सभा में 15-4-85 को बाद के अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के उत्तर के साथ उपर्युक्त प्रश्न के दिए गए उत्तर का मिलान करते समय ध्यान में आई।

3. असुविधा के लिए खेद है।

11.15 म० पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केरल कृषि उद्योग निगम सीमित, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : "मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं;

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल कृषि-उद्योग निगम सीमित, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम सीमित, त्रिवेन्द्रम, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 901/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 के अधीन अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (वर्ष 1984-85 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1985 जो 25 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 382 (अ) में प्रकाशित हुआ था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 902/85]

(2) गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1984, जो 7 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 10 (अ) में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 903/85]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985 और कर्मचारी भविष्य-निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1985

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 188 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य-निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1985, जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 363 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 904/85]

11.17 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 6 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

> "कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा 2 अप्रैल, 1985 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में दिए गए प्रयोजनों के लिए लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के नाम से दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाए और संकल्प करती है कि यह सभा उस संयुक्त समिति में भाग ले और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उस संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से पांच सदस्य चुनने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य इस समिति के लिए विधिवत चुने गए हैं :

1. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
2. श्रीमती मोनिका दास
3. श्री सोहन लाल धूसिया
4. श्री बी० कृष्ण मोहन
5. श्री पुट्टपागा राधा कृष्ण

11.18 म० पू०

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से..........

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में विचार करेंगे क्योंकि उन्होंने बैलट निकाल लिया है। श्री सुरेश कुरूप जी बैलट में आपको प्रथम प्राथमिकता प्राप्त हुई है। अतः आप नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ कीजिए।

11.19 म० पू०

दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेन्सियों की असफलता के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों के कायरतापूर्ण आक्रमणों से देश स्तब्ध रह गया है। राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य भागों में, हम एक बहुत ही

सुविचारित योजना देखते हैं, जिसको योजनाबद्ध ढंग से उग्रवादियों का कोई संगठित केन्द्र चला रहा है । शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन देश में इन उग्रवादियों के कायरतापूर्ण हमले होते रहे। हमारे ध्यान में एक महत्त्वपूर्ण बात यह ध्यान में आई है कि यद्यपि उग्रवादी भली-भांति योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे और गत कई दिनों से वे इसकी तैयारी कर रहे थे । अन्त में गत कई दिनों से सरकार का समूचा आसूचना तंत्र·········

अध्यक्ष महोदय : कुरूप जी, जरा रुकिए । मुझे सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा में पहले ही चार बजे म० प० एक चर्चा होगी । हमें इसे चार बजे से पूर्व समाप्त करना है, क्योंकि गृह मंत्री महोदय को वहां भी जाना है । हमें इस पर उपलब्ध समय के अनुसार ही चर्चा करनी होगी ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह समझ गये हैं । वह तब तक बोल सकते हैं ।

श्री सुरेश कुरूप : महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि उनका पता लगाने में हमारी सरकार की सारी मशीनरी । सारा सरकारी तन्त्र असफल रहा है, यद्यपि वे इसकी योजना बना रहे थे । प्रेस ने पहले ही यह रिपोर्ट दी थी कि उग्रवादी अमुक योजनाएं बना रहे हैं और जोर शोर से अफवाहें भी थीं । मेरी समझ में नहीं आता कि उग्रवादियों की सुविचारित योजना का पता लगाने में हमारी गुप्तचर एजेन्सियां असफल क्यों रहीं ।

महोदय, 'ब्लू स्टार आपरेशन' से पूर्व यह आम धारणा थी और गुप्तचर अभिकरणों का भी यही विश्वास था कि स्वर्ण मन्दिर इन उग्रवादियों का अड्डा है और सरकार ने काफी विलम्ब से इन उग्रवादियों का मुकाबला किया । और स्वर्ण मन्दिर पर सैनिक कार्यवाही शुरू हो गई । इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन उग्रवादियों की गतिविधियों के किसी अन्य केन्द्र का भी पता लगाया है । राजधानी में और भारत के अन्य भागों में हुई इन घटनाओं से पता चलता है कि इस गतिविधि का कोई सु-संगठित केन्द्र है । वह कौनसा है ? इसके पीछे किसका हाथ है ? इस सबसे तो यही पता चलता है कि कुछेक सौ या कुछेक प्रशिक्षित सशस्त्र छापामार राजधानी में आकर इसे अपनी गतिविधियों का मैदान बना सकते हैं । नई दिल्ली में वास्तव में यही सब हुआ, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं । अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने तो हर संभव कठोर उपाय किए थे, लेकिन इस सबके बावजूद उनकी गतिविधियां सुनियोजित ढंग से चलीं और वे साफ बच निकले ।

और अब प्रैस से हमें पता चलता है और एक समाचार-पत्र में तो यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार गए किए लोगों के नाम न देने का निवेदन किया है, परन्तु किसी अन्य पत्र में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के नाम जिनमें एक वकील है । दिए गए हैं ।

इससे तो केवल यही पता चलता है कि यहां तक कि हमने समझौते के लिए कदम उठाए हैं और जब यह समस्या राजनीतिक हल के कगार पर थी तो यह सब उस प्रयास को असफल करने हेतु सुनियोजित ढंग से किया गया है । मैं उनसे सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि यह सही कदम है । कुछ

[श्री सुरेश कुरुप]

सुझाव पहले भी दिए गये हैं कि ये गतिविधियां सरकार द्वारा समझौते के लिए किए जा रहे उपायों के कारण हो रही हैं क्योंकि सरकार ने समस्या को हल करने या कोई राजनीतिक हल ढूंढने हेतु कुछ पहल की है। इससे यह पता चलता है कि जनता सरकार के साथ थी और है। इसीलिए उग्रवादियों ने ऐसी ये गतिविधियां की हैं। देश के अधिकांश सिखों ने इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए सरकार की पहल का स्वागत किया है। यह तो जनता को डराने और देश में साम्प्रदायिक भावना भड़काने के लिए ही इन उग्रवादियों ने बम विस्फोट करने और ऐसी ही अन्य गतिविधियों के लिए यह समय चुना है। सरकार या गृह मन्त्री महोदय इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। मैं बारम्बार यह पूछ रहा हूं कि हमारे गुप्तचर अभिकरणों को क्या हो गया ? क्या उनको यह पता नहीं था कि जब इस प्रकार के समझौते के कदम उठाए जा रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार के कार्यकलाप हो सकते हैं ? आप जानते हैं कि जब कभी भी इस समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूंढने के लिए कोई प्रयास किया गया है, इस प्रकार के प्रहार किए गए हैं। ये पहले भी होते रहे हैं, दो दिन पूर्व ही लोक दल के नेता और एक भूतपूर्व सांसद की हत्या कर दी गई थी। यह स्वाभाविक है कि हमारे गुप्तचर संगठन को ऐसी आशा रही होगी कि देश में ऐसी घटना भी घट सकती है। परन्तु कुछ नहीं किया गया। सैकड़ों लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग देश के विभिन्न भागों के अस्पतालों में पड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए हैं। मैं जानता हूं कि यदि ऐसी ही घटना किसी गैर कांग्रेसी शासित प्रदेश में घटी होती तो सत्तापक्ष के लोग क्या कहते। इस प्रकार की घटना की तो बात ही क्या है, यदि मामूली सी भी घटना वहां घटी होती तो वे तुरंत सरकार की बर्खास्तगी और केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग करते।

पूरे दो दिनों तक उग्रवादी हमारे देश में तबाही करते रहे, देश के बेगुनाह लोगों को मारते रहे, और सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो गरीब लोग इन उग्रवादियों द्वारा मारे गए, बमों द्वारा मारे गए और जो चोट लगने के कारण अस्पतालों में पड़े हैं उनको सरकार क्या मुआवजा देना चाहती है ? मैं सरकार को एक दफा पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि वह राजनैतिक हल ढूंढने में पीछे न रहे और समझौता वार्ता से पीछे न हटे, मैं अकाली नेताओं से वे कोई भी हों अपील करूंगा कि मैं नहीं जानता कि आजकल नेतृत्व भिंडरवाले के पिता के हाथ में है या लोंगोवाल और उनके साथियों के हाथ में—वे भी उग्रवादियों के इस कायरतापूर्ण कार्य की निन्दा करें। समय की यही मांग है। देश की जनता उनसे ऐसा ही करने की मांग करती है। यह सभा, सभी राजनैतिक मतभेदों को मिटाकर, उग्रवादियों के इस हमले की निंदा करती है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं कि वह स्पष्ट करें कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है और हमारी गुप्तचर एजेंसियों को इसकी पूर्व सूचना क्यों नहीं मिली।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, लखनऊ से गंगानगर तक पिछले तीन

दिनों में हिंसा का जो ताण्डव हुआ है, जो नृशंस दरिंदों द्वारा जो संहार हुआ है, उसकी किसी भी शब्दों में भर्त्सना की जाय थोड़ी है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ ? बात स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि पंजाब के बाहर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तमाम अन्य भागों में हिन्दू और सिखों के दंगे उभर पड़ें, इन भागों के हिन्दू हिंसा के कारण क्रोधित होकर सिखों पर जूझ पड़ें, उन्हें मारें और वे भागकर पंजाब जाएं, उसके बाद पंजाब में हिन्दुओं पर आक्रमण हों ताकि वे वहां से भाग जायें।

सारे देश में हिन्दू और सिखों का नरसंहार शुरू हो जाए और देश की एकता टूट जाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हुआ। आतंकवादियों का यह पहला निशाना असफल इसलिए हुआ कि दिल्ली की जनता ने, गंगानगर, राजस्थान की दूरदराज जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब बेकसूर लोगों की हत्या का जवाब बेकसूरों की हत्या से नहीं दिया बल्कि शान्ति और गंभीरतापूर्वक दिया इसलिए कि इस सरकार के अन्तर्गत जो नीति चलाई गई, जो नीति इन्दिरा जी ने चलाई थी और जो नीति राजीव गांधी जी चला रहे हैं, उस नीति के अन्तर्गत हम इस बात पर बराबर जोर देते आ रहे हैं, कि यह झगड़ा हिन्दू और सिखों का नहीं है। यह झगड़ा है सिखों के कुछ उन नेताओं का, अकाली दल के उन नेताओं का सिखों का नहीं, जो हमारे सामने मांगें रखते थे, धार्मिक मांगें और कुछ और मांगें रखते थे लेकिन उस के पीछे उनकी भूख है राजनीतिक। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर जब स्वर्गीय इन्दिरा जी ने उनकी धार्मिक मांगें मान ली थीं और आज गुरवाणी शब्द सुनाई पड़ते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह सब कुछ किया जा रहा है। वास्तव में जो उनकी धार्मिक मांगें थीं और दूसरी जो मांगें थीं इसके अलावा अकाली दल की. सिखों की मांग नहीं है, कि उनका सिख धर्म राज हो। वे कहते हैं कि उनका झगड़ा हिन्दुस्तान के हिन्दुओं से या पंजाब के हिन्दुओं से नहीं है। उनका झगड़ा तो दिल्ली में रहने वालों से है। किससे है और दिल्ली में कौन रहते हैं ? दिल्ली में भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और यह संसद है और जनतंत्रीय सरकार है और उसके प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी हैं। झगड़ा इनसे क्यों है ? इसलिए झगड़ा है कि ये कहते हैं कि हम आपकी धार्मिक मांगों को मान चुके हैं, चंडीगढ़ आपको दिया जाए, यह मान चुके हैं लेकिन पानी या कुछ इलाकों का जो प्रश्न है, वह प्रश्न सिर्फ पंजाब का नहीं है, वह प्रश्न हरियाणा का भी है। जनता वहां भी रहती है, जनता यहां भी रहती है और दर्द वहां भी है और दर्द यहां भी है। इसलिए इनका सुलझाया जाना आप के मन के अनुसार नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच के द्वारा जरूरी है। उनकी दूसरी सारी मांगें मान ली गई हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वे सबको मालूम हैं। असल में जो उनकी दूसरी मांगें हैं, वे अकाली दल के कुछ व्यक्तियों की मांग हैं और उन मांगों को सहारा मिल रहा है न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर अथवा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आका अमेरिका में। आज वे धर्म राज की मांग करते हैं और वे कहते हैं कि झगड़ा हमारा दिल्ली से है और पंजाब और हिन्दुस्तान के हिन्दुओं से नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातों को न समझ सके। वह सब समझती है और इसके पीछे जिनके हाथ हैं, वे हाथ बराबर हिन्दुस्तान के खिलाफ उठते आए हैं। आज अफ़सोस इस बात का है कि हमारे देश में हमारे देश के कुछ व्यक्तियों ने उन के साथ यह साजिश कर ली है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनको वह वापस ले ले लेकिन मैं अपनी

[श्री भागवत झा आजाद]

सरकार से यह कहता हूं कि प्रश्न सिखों का नहीं है, प्रश्न नरम दल का नहीं है बल्कि प्रश्न आतंकवादियों का है। आज यह चुनौती सिख जनता ने नहीं, यह चुनौती अकाली दल के नरम दल ने नहीं दी है बल्कि यह चुनौती आतंकवादियों ने दी है, मुट्ठी भर या मुट्ठी भर से कुछ अधिक लोगों ने दी है और हिन्दुस्तान को तोड़ने के लिए और पंजाब को हिन्दुस्तान से अलग करने के लिए दी है। इसलिए आज दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो यह है कि राजीव गांधी जी अपनी नीति को चलाएं और हम उस का समर्थन करते हैं और इसके साथ-साथ दूसरा प्रश्न यह है कि आतंकवादियों ने यह चुनौती भारत राष्ट्र को दी है, यह चुनौती भारत सरकार को दी है और इसलिए इस चुनौती का मुकाबला किया जाए। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें समझाएं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने खास तौर पर उनके साथ मेल-मोहब्बत की बात की। एक दिन वह भी आया, मुझे याद है वह दिन जब उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल की मीटिंग बुलाई। मैं भी था उसमें। इन्दिरा जी उस मीटिंग में आई और उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक मैंने पंजाब के सिख बन्धुओं और अकालियों से मेल-मिलाप की बात की, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज मुझे यह आज्ञा देनी पड़ी कि स्वर्ण मन्दिर में फौज जाए। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे। वह एक मां भी थीं। वह देश की नेता भी थीं। मगर देश को एक रखने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ा।

अब श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह था कि वे भी वही नीति चलाते या उसमें संशोधन या परिवर्तन करते। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री के लिए वह नीति चलाना आसान काम है। बिना कोई बात किए हुए उन्हें वाह-वाही मिलती। लेकिन इस देश के नौजवान प्रधान मंत्री ने हिम्मत के साथ आगे आकर कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कोई इस नीति को कमजोरी समझे या कुछ और समझे तो यह उसकी गलती है।

मैं प्रधान मंत्री से यह कहूंगा कि पंजाब के सिख, पंजाब के अकाली भी हिन्दुस्तान के अंग हैं। हम उन्हें हिन्दुस्तान में रखना चाहते हैं। अगर इस गलत बात को आगे भी करना पड़े तो कीजिए, उनसे बात कीजिये, उन्हें समझाइए, लेकिन आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

इसलिए प्रधान मंत्री के सामने दो ही रास्ते थे। हमारे प्रधान मंत्री जीभ को मन के अन्दर रखकर बात नहीं करते। उन्होंने वाह-वाही लूटने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने उस नीति में परिवर्तन किया। जो लोग इसको गलती मानते है वे यह भूलते हैं कि प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं। वे पंजाब के भी प्रधान मंत्री हैं। वे उन सिखों और ईसाइयों के भी प्रधान मंत्री हैं जो इस देश में रहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इसलिए यह प्रयत्न किया कि उनसे फिर से बातचीत की जाए और उन्हें

बातचीत के मंच पर वापस लाया जाए। लेकिन उन आतंकवादियों से जिन्होंने राष्ट्र को चुनौती दी है उनका मुकाबला किया जाना चाहिए।

मेरे मित्र कहते हैं कि अकाली दल से बात की जाए। मैं नहीं जानता कि प्रधान मन्त्री किससे बात करें ? वे अकाली दल लोंगोवाल से बात करें या तोहड़ा से बात करें जो फिर से अपने पद पर वापस आ गए हैं या श्री बादल से बात करें जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिया है। अर्थात् नर्म दल चला गया है। अब अकाली दल में कौन है ? आज छुरेबाजों ने बाकायदा मंच पर दखल कर लिया है। आतंकवादी जिनके पास बम हैं, गोले हैं हथियार हैं वे आगे आ गए हैं। जिस ट्रांजिस्टर से हम प्रेम और भक्ति के गीत सुनते हैं आज उनसे मौत की आवाज होती है, मौत के गीत निकलते हैं।

मैं नर्म दल या गर्म दल की बात नहीं जानता। प्रश्न यह है कि वहां किसके साथ बात की जाए। पंजाब में हिन्दू भी हैं, पंजाब में सिख भी हैं। उनके साथ हम बात करें। उनके प्रतिनिधि कौन हैं, प्रधान मंत्री इसके सम्बन्ध में विचार करें। लेकिन आप नर्म दल या गर्म दल की बात छोड़ दीजिए। इस देश में जिन लोगों ने हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री जी की हत्या की, उन हत्यारों को आज मालाएं पहनाई जाती हैं। ऐसे हत्यारों के साथ ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी बातचीत नहीं की जा सकती।

इन आतंकवादियों को समझाना होगा कि यह देश लकड़ी या लोहे का कोई टुकड़ा नहीं है जिसे किसी भी चीज से उड़ा दिया जाए। इस देश की शक्ति यहां के जन-जन में है और वह शक्ति आतंकवादियों के सामने नहीं झुक सकती। इस बात को हमें स्पष्ट करना होगा।

प्रधान मन्त्री को इस देश में विश्वास दिलाना होगा और जो वह दिला रहे हैं कि इस देश में आतंकवादियों के सामने सरकार घुटने नहीं टेकेगी। इसलिए प्रश्न एक तरफ इनके साथ बात करने और दूसरी तरफ आतंकवादियों के साथ निपटने का है। यह राष्ट्र की परीक्षा की घड़ी है। हम बंदूक और बम की आवाज नहीं समझते। लेकिन वह हम पर लादी जाती है तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। इसकी आवश्यकता आज है। इस देश में बार-बार कंसेन्सस की नीति की बात की जाती है। अब मधु दंडवते जी मेरी बात सुन लें। मैं कोई समालोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि अपने हृदय की बात कहना चाहता हूं कि जिस समय भी इन्दिरा जी के वक्त में यह प्रश्न बार-बार लोक सभा में आया और जब भी किसी नीति को बरतने की आवाज की गई या किसी कांग्रेस के सदस्य ने आवाज लगाई कि क्या स्वर्ण मन्दिर में फौज भेजी जाए और क्या मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और गिरिजाघर ये तमाम पूजा तथा इबादत के लिए हैं या वहां पर हथियार रखने के लिए। मधु दंडवते जी, आवाज का जवाब नहीं मिला। कभी यह नहीं कहा कि मन्दिर में कौन रहता है ? वहां हत्यारे हैं और वहां जाया जाए। एक सदस्य ने इसी बैंच से पूछा हम नहीं जानते आप इस प्रश्न पर निर्णय कीजिए, लेकिन मन्दिर में फौज नहीं जाए, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक विरोधी नेता अमृतसर के मन्दिर में पांच दिन ठहरे। जिस मन्दिर में शस्त्रों का अम्बार था और जहां अस्त्र-शस्त्र अन्धे को भी दिखाई पड़ता था, पांच दिन

[श्री भागवत झा आजाद]

रहने के बाद वह विरोधी दल के सदस्य वापिस आ गए। बोले स्वर्ण मन्दिर में कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है। जनता ने उनको हरा दिया। वह थे···**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी का भी नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : उसी दल के एक बड़े नेता आज वहां पर घूमते हैं। पाकिस्तान जाते हैं और लम्बी-लम्बी बात करते हैं। लेकिन इस आतंक और हिंसा की भर्त्सना नहीं करते हैं। आज भी घूम रहे हैं, लेकिन क्यों। यह कौन नहीं कहेगा कि कन्सेंसस निकालें। इस तरह की दो रंगी नीति या चाल से इसका समाधान नहीं हो सकता है। मेरा, इस समस्या का वह रूप था जो देश के अन्दर है। देश के बाहर इसका एक वृहद रूप है। हम सिर्फ यह कह दें कि आतंकवादियों का सफाया करो और उन्हीं के कारण यह काम हो रहा है, यह कहना गलत होगा। आतंकवादी देश के अन्दर मिटाए जा सकते हैं। इनको आज पंजाब में पाकिस्तान का सहारा है। इनको अमेरिका का सहारा है जो अब तक यह नहीं भूला है कि उसका सातवां बेड़ा और जब उसने पदमा और सुन्दरवन के जहाज पर हथियार रखकर पाकिस्तान भेजे थे और यह कहा था कि इसके अन्दर ट्रांजिस्टर है। सन् 1971 की वह शाम मुझे नहीं भूलता जब हमारे विदेश मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह अतिथिशाला में भोजन करके बोइंग विमान से अमेरिका से दिल्ली उतरे और उतरते ही यह कहा कि बड़ी सुन्दर वार्ता हुई। सारे संसार में यह गूंज गया कि पदमा और सुन्दरवन नामक दो जहाज हथियारों से लदकर पाकिस्तान जा रहे हैं। स्टेचू आफ लिबर्टी की नीति वालों को यह नहीं भूलता कि किस प्रकार उनकी हेजीमनी होगी और तभी उसकी प्रतिष्ठा होगी। एक बहुत पुरानी बात है जब हमने पी० एल० 480 का गेहूं खाया था। आज हमारा गेहूं अमेरिका की पीड़ित और भूखी मानव जनता के लिए है। हमने इसे उगाया है। वह इस बात को नहीं भूलते कि हिन्दुस्तान को चार हजार मील की जमीन के फ्रंट को और चार हजार मील के समुद्र की फ्रंट को बचाना है। पाकिस्तान को वह कुछ नहीं है। यह सब मेरिन किसलिए है। अफगानिस्तान की थल-सेना पर रखने के लिए, बार-बार इस बात को कहा जाता रहा है।

मैंने सुना है कि अमरीकी साम्राज्यवादी, बम, पिस्टल भेजने वाले कहते हैं कि इतने बड़े मैसिव मैंडेट के बाद भी हिन्दुस्तान में डीस्टेबिलिटी है। जो कहता है कि डीस्टेबिलिटी है वह देखे, स्टेचू आफ लिबर्टी के पूजक, वियतनाम पर बम गिराने वाले अगर समझते हैं कि वियतनाम का हारा हुआ पैटन टैंक और कंबोडिया का मारा हुआ सेवर जैट, अगर उसको युद्ध भूमि चाहिए तो वह हिंदुस्तान में नहीं होगी। अगर उन्होंने हमला किया तो उसका जवाब हमारे कीलर ब्रदर्स, हमारे क्रिश्चियन भाई,

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारा वीर हमीद खेमकरण में उसका जवाब देगा और लाहौर की भूमि पर उनको गिराया जायेगा, न कि हिन्दुस्तान की भूमि पर।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बाहरी शक्तियां जो आतंकवादियों का समर्थन कर रही हैं, अमरीका का पूंजीवादी विकृत चेहरा कैपेटिलिज्म की यह सारी साजिश, सामंतवादी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए हिन्दुस्तान पर इस नाम पर एक नए राज्य की स्थापना खालिस्तान की हो, वह कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा हम समझते हैं कि प्रधान मन्त्री की नीति ठीक है। प्रधानमन्त्री अपनी उस उस नीति में किसी ऐसी समालोचना के कारण परिवर्तन न करें, लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, प्रधानमन्त्री आज यह बता दें देश को, देश की जनता को, संसार को कि आतंकवादी और होते हैं, जनता और होती है। अपनी प्यारी जनता, अपने प्यारे देश और प्यारे पंजाब से बात करने के लिए हम बराबर आतुर हैं व्याकुल हैं, व्यथित हैं, लेकिन हम आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे।

बंधुओ, इसलिए आज हम सभी मिलकर इस बात पर विश्वास करें। मैं यह कहना चाहता हूं आपको मधु दण्डवते जी---

समर शेष है, नहीं पाप का अपराधी, है व्याध,
जो तटस्थ हैं, समय गिनेगा उनका भी अपराध

इसलिए आवश्यक यह है कि अपनी नीति पर हम चलें, जिस प्रकार मुंह में वेद (वाणी) और पीठ पर तरकश लिए हुए।

अहं ब्राह्मण, अहं छात्र,
शादापि शरादपि।

इस तरह से हम अपनी नीति पर चलें, अगर जरूरत पड़े तो शावापि और शारादपि के जरिए भी हमें विश्वास है कि सरकार अपनी नीति चलाएगी। देश एक रहेगा, देश को आतंकवादी तोड़ नहीं सकते, हम इसमें सफल होंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, उन लोगों के साथ जो बम विस्फोटों की घटनाओं में दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं।

अध्यक्ष जी, शासन में आने के बाद और उसके पहले जब हम चुनाव लड़ रहे थे लोक सभा का, हमारे प्रधानमन्त्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि पंजाब की समस्या को सुलझाना उनकी टाप प्रायरिटी में शामिल होगा और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद उन्होंने इसको टाप प्रायरिटी में रखा भी। एक बहुत बड़े बहुमत का उपयोग जो जनता से उनको मिला था, जो शक्ति

[श्री जैनुल बशर]

जनता ने उनको दी थी, उसका उपयोग उन्होंने पंजाब के लोगों को दबाने, उनको कुचलने के लिए नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग उन्होंने इस ढंग से करना चाहा कि पंजाब की समस्या का शांतिमय समाधान हो जाए और पंजाब में जो कुछ नाराजगी है, वह दूर हो जाए। इसी वजह से उन्होंने पंजाब में बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए अपनी तरफ से शुरूआत की। पंजाब की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं कीं। जो अकाली नेता जेलों में बंद थे, उनको छोड़े जाने की कार्यवाही की और अखिल भारतीय सिक्ख विद्यार्थी फेडरेशन जो थी, उस पर जो पाबंदी थी, उसको हटाया गया, जिससे ऐसा वातावरण पैदा हो कि पंजाब के बारे में बात-चीत हो सके, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला। मुझे दुख है अध्यक्ष जी कि जिस नियत के साथ प्रधान मन्त्री जी ने यह कार्यवाही की थी, उसी नीयत के साथ इसका जवाब अकाली दल के लोगों की तरफ से नहीं मिला।

जब वे जेलों से छोड़े गए तो उन्होंने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिये जिससे बातचीत की कोई संभावना नहीं रह गई। इस सबसे बढ़कर जब हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जघन्य हत्या हुई तो कुछ अकाली नेताओं ने उनकी हत्या की निन्दा करने की बजाए परोक्ष रूप से उन हत्यारों की तारीफ करना शुरू कर दिया, बल्कि कुछ नेताओं ने खुले तौर पर उन हत्यारों की तारीफ यह कह कर की कि सिक्खों की परम्परा में इस प्रकार की बात है, उस प्रकार की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नेक नीयती को अकाली दल के नेताओं और उग्रवादियों ने सरकार की कमजोरी समझा और उसका पूरा-पूरा फायदा उठाने की कोशिश की।

अकाली दल के अध्यक्ष लोंगोवाल साहब ने पहले तो इस बात पर कुछ खुशी का इजहार किया कि उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है और वे अपना मोर्चा पहली जून तक के लिए स्थगित कर देंगे। लेकिन उनके मोर्चा स्थगित करने का नतीजा यह निकला जो आज हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। क्या वे इस तरह से मोर्चा स्थगित करना चाहते हैं, कायरतापूर्ण कार्यवाही करके, बेगुनाह लोगों को मार कर, निरीह लोगों की हत्या करके, जिनका उनसे कुछ लेना-देना नहीं है, लोगों को मार कर जख्मी करके। इस प्रकार की घटनाएं करके वे अपनी कौन सी मंशा पूरी करना चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है।

अध्यक्ष जी, मैं ही नहीं, सारा देश जान गया है कि अकाली दल अब बात चीत करना नहीं चाहता। उसकी मंशा कुछ दूसरी ही प्रतीत होती है। अकाली दल इस देश में विघटन की कार्यवाही करना चाहता है, इस देश की एकता को, अखण्डता को भंग करना चाहता है। यह बात कहना कि अकाली दल में कुछ मौडरेट लोग हैं, कुछ उग्रपंथी लोग हैं, गलत है। यदि अकाली दल में कुछ मौडरेट लोग होंगे भी तो अब उनकी उसमें कुछ चलती नहीं है। अकाली दल पर अब उग्रवादियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और अकाली दल में यदि कभी नर्मवादी रहे होंगे भी, तो अब उनका अकाली दल में, पंजाब की राजनीति में और सिक्खों की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अब हमें इस बात को इस तरीके से लेना होगा कि पंजाब की समस्या अब बातचीत के जरिए से सुलझने वाली नहीं

है, क्योंकि इसके पीछे केवल अकाली दल नहीं है, केवल सिक्ख उग्रवादी नहीं हैं, इसकी रस्सी कहीं और पर है, इसकी रस्सी किसी और ने पकड़ी हुई है। जिसने इस रस्सी को पर्दे के पीछे पकड़ा हुआ है, हमारी सरकार और जनता को उसे पहचानना होगा।

अभी थोड़े दिन हुए जब इसी लोक सभा में, पार्लियामेंट में हमारा बजट पेश हुआ था तो पश्चिमी देशों के अखबारों ने उसकी काफी प्रशंसा की थी। स्वयं प्रेजीडेंट रीगन ने उसकी प्रशंसा की थी कि अब हिन्दुस्तान में एक नया आर्थिक दौर शुरू हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने भी सरकार की प्रशंसा की थी कि एक नई बात हिन्दुस्तान में हो रही है। लेकिन पिछले दिनों जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उसमें साफ तौर पर घोषणा की कि हम समाजवाद के रास्ते पर चलेंगे, हमें नेहरू जी और इन्दिरा जी ने जो रास्ता दिखाया है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की आर्थिक नीति को मजबूत करने वाला जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम उसका अनुसरण करेंगे, उन पर चलने के लिए कटिबद्ध होंगे तो आज पश्चिमी देशों में उसकी आलोचना शुरू हो गई। भारत की सरकार को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, सरकार को डीस्टेबिलाइज करने की कार्यवाही शुरू हो गई। इसलिए इन सारे कांड के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है, पंजाब के उग्रवादियों की रस्सी उनके हाथ में है और पंजाब के उग्रवादी उनके हाथ की कठपुतली बने, सिर्फ नाच, नाच रहे हैं।

अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में भी आया था कि पाकिस्तानी कमाण्डोज पंजाब में और कश्मीर में घुस आये हैं। वे दो-चार की संख्या में नहीं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में हिन्दुस्तान में घुसे हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न को यहां उठाने की कोशिश भी की थी लेकिन आपने अपनी विसडम से उसको एलाव नहीं किया। फिर भी इतनी बात, सत्य है कि पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग चल रही है पाकिस्तान में उनको आतंकवाद की कार्यवाही करने के तरीके सिखाये जा रहे हैं और पिछले दो दिनों में जो कुछ हमारे देश में हुआ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ करता वह जाहिर है कि उन लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड करके ही यहां भेजा गया है, वे कोई अनाड़ी लोग नहीं है, वे इम्मैच्योर लोग नहीं हैं, वे पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं और इसकी उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग पाई हुई है, उस ट्रेनिंग का उपयोग उन्होंने यहां किया है ताकि आतंक फैलाया जा सके।

ये टैरर वे क्यों फैला रहे हैं, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, उनकी मंशा यह है कि देश के दूसरे भागों में भी खून खराबा शुरू हो जाए। वे यह क्यों चाहते हैं ? उनकी स्पष्ट मंशा यह है कि पंजाब के हिन्दू तंग आकर दूसरे भागों में चले जाएं। और दूसरे भागों के सिख तंग होकर पंजाब में चले जाएं इसलिए इस प्रकार से वे एक डर पैदा कर रहे हैं।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उन लोगों ने समझा था कि पंजाब के हिंदू तंग आकर पंजाब से बाहर चले जाएंगे और देश के दूसरे हिस्सों में बसे सिक्ख पंजाब में आ जाएंगे, किन्तु उनके नापाक इरादे सफल नहीं हुए। वे तो यही चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी किया था। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है।

[श्री जैनुल बशर]

मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी इस बात की है कि देश की जनता ने इन बमकाण्डों की घटनाओं पर दुख तो प्रकट किया है, लेकिन प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की है। मैं तो चाहता हूं कि इसके लिए देश के लोगों की तारीफ करनी चाहिए। इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए, अध्यक्ष जी, आज पानी नाक से ऊपर आ गया है और जब पानी नाक से ऊपर आ जाता है, तो दम घटने लगता है। अपने को इस घुटन से बचाने के लिए और इस पानी को हटाने के लिए सरकार को कोई न कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और हमारी इंटेलिजेंस को इसकी कोई खबर नहीं, यह आश्चर्य की बात है। इसलिए हमको चाहिये कि हम अपनी इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाएं। क्योंकि अब ये लोग इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे, बल्कि किसी और तरीके से, किसी दूसरे स्थान को इस काम के लिए चुन सकते हैं, दूसरे प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकते हैं।

इसके लिए भी हमको सतर्क रहना चाहिए।

अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि इस देश की एकता और अखण्डता कभी समाप्त नहीं हो सकती है। राजीव जी के पास जहां नरम दिल है वहीं राजीव जी के पास कठोर हाथ भी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्होंने अभी तक नरम दिल का नतीजा देख लिया है और अब उन्हें अपने कठोर हाथों का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कठोर हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो देश की जनता ने आपको यहां इतने भारी बहुमत से भेजा है, उसकी भावनाओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब आप अपने कठोर हाथ का इस्तेमाल करें, जो आपने रामलीला मैदान में दिखाया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कठोर हाथ का इस्तेमाल मजबूती से करें क्योंकि अब सही समय आ गया है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिय मित्र श्री भागवत झा आजाद ने रामलीला मैदान में जो हुआ। उसका ठीक ही हवाला दिया है। दो बैठकें हुई थीं पहली ही सभा में इस देश को प्यार करने वाले लोगों ने, उन लोगों ने जो देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना चाहते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की उस नेता के प्रति जो देश में हुए आम चुनावों में जिसमें सभी दलों ने भाग लिया चुनावों में जीत कर आएं हैं। उन्होंने अपनी निष्ठा हमारे नेता के प्रति व्यक्त की है।

दूसरी सभा में, एक दूसरे विपक्षी दल ने इस अवसर का लाभ यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि क्या वे हमारे देश की बहुसंख्या का लोकतांत्रिक निर्णय स्वीकार करने को तैयार हैं या वे गैर-लोकतांत्रिक प्रतिरोधवाद, गड़बड़ी या वे सड़क की राजनीति के समर्थक हैं। मेरे माननीय मित्र श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने एक गलत रास्ता चुना है। जब वह यहां अपने दल के नेता थे, तो मैंने उन्हें सत्ता

में आने के लिए बहुत जल्दबाजी करने की नीति अपनाने हमारे देश के लिए गलत नीतियों के विरुद्ध चेतावनी दी थी।

12.00 मध्याह्न

उसके दल तथा उस दल की नीतियों के विरुद्ध जनता द्वारा प्रदर्शन किये जाने के बाद भी, प्रतीत यह होता है कि उसने कोई सबक नहीं सीखा है।

बल्कि महोदय, मैं इस बात से उस समय खिन्न हुआ, जब विरोधी दल के हमारे मित्रों ने आज प्रात: इस सभा में इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने का विचार किया। क्या स्थगन प्रस्ताव के बारे में सोचने की भी कोई आवश्यकता है? स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है सरकार पर दोषारोपण करना।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

प्रो० एम० जी० रंगा : यदि उन्हें सफलता मिल जाती तो इस प्रश्न पर सरकार और विरोधी दल के बीच बहुत कटु विरोध हो जाता। इसीलिए स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता है। वे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह एक ऐसा अवसर है जबकि प्रत्येक देश भक्त को सरकार का पक्ष लेना चाहिए। मेरे समान कोई भी व्यक्ति विरोधी दल से यही आशा करेगा कि वे सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस पार्टी के साथ मतैक्य होकर यह कहे कि हम सब एक हैं, हम लोग सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे एकता का प्रदर्शन हो आम जनता में देश की एकता की भावना प्रकट हो। ऐसा करने की अपेक्षा वे लोग स्थगन प्रस्ताव लाने की बात सोचते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक होना अभी तक नहीं सीख पाए हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हम राष्ट्र-विरोधी हैं?

प्रो० एम० जी० रंगा : स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी वे लोग इस सभा में अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सके हैं, अपने देश के ये दुश्मन यह झूठा प्रचार करते रहे हैं कि भारतीय संसद में एकता नहीं है और विरोधी दल इस विशेष मामले में सरकार पर लांछन लगाना चाहते हैं। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस चर्चा से विरोधी दल तथा सरकार दोनों को ही यह प्रदर्शित करने का अवसर मिला है कि हम सब एक हैं। महोदय, क्या हम सभी आतंकवाद से लड़ने के लिए एक नहीं हैं? क्या हम सभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि इस देश में फैले आतंकवाद से, कोई भी दल, किसी भी दल का कोई ग्रुप, जनता का कोई भी वर्ग भारतीय जनता के इस निश्चय को और भारतीय लोकतंत्र में नहीं मिटा सकता है? क्या यह सच नहीं है कि हमारे नये प्रधान मन्त्री द्वारा पद ग्रहण किये जाने के बाद से अकाली दल का एक वर्ग देशद्रोह, असहयोग और गैर भारतीयता का जो कृत्य करता रहा है, उसका हम सभी विरोध करते हैं? मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद हाल ही में देश

[प्रो० एन० जी० रंगा]

को बता चुके हैं कि हमारी सरकार ने उनके प्रति कितना उदार रवैया अपनाया है और उनसे बातचीत करने की चेष्टा की है। किंतु उन लोगों ने शांति का मार्ग नहीं अपनाया। उनके एक नेता ने यह कहने की धृष्टता की है—मैं इसे धृष्टता ही कहूंगा—कि वह अपने ही तरीके से, अपने विचार से दिल्ली के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने वाले हैं। उनके कहने का क्या अर्थ है ? क्या उसके कहने का यह तात्पर्य है कि वह दिल्ली की सरकार के, इस संसद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेगा ? क्या वे लोग देश की एकता को नष्ट करना चाहते हैं और तत्पश्चात् पूरे भारत में राज्य करना चाहते हैं और सम्पूर्ण भारत को अपने तख्त के चरणों में झुकाना चाहते हैं ? क्या वे लोग यही कहना चाहते हैं ? यदि वे लोग यही करना चाहते हैं तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वे असम्भव बात करना चाहते हैं। हम लोग मुगलकालीन युग में नहीं रह रहे हैं। हम लोग अंग्रेजों के शासन काल में नहीं रह रहे हैं; अपितु हम लोग भारतीय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं जहां की 70 करोड़ जनता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की और हमारी संसद की मौन अनुयायी है और जहां की भारतीय जनता एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर और उत्सर्ग करने को तत्पर है और भारत और भारतवासी इस देश की सेवा उसी संभ्रांत तरीके से उसी ऐतिहासिक तरीके से करने को तैयार हैं जैसे कि इन्दिरा जी ने अपना जीवन बलिदान करके की है, जो जीवन अमूल्य है, जो जीवन 70 करोड़ जनता के हृदय और मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित होता है जनता के जिन लोगों ने हमें वोट दिया, जिसने विरोधी दल को वोट दिया, वे सभी भारतीय है, सभी जाति के हैं, सभी धर्मों के हैं किंतु भारत के लोकतंत्र, भारत की एकता और भारत की अखण्डता के लिए एक हैं और एकत्र होकर खड़े हैं। इसलिये, हमारे ये मित्र हमारे लोकतंत्र के पाठ से सबक लें।

इसके अलावा, सम्पूर्ण सिख समुदाय से मेरी अपील है। क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सिख अकाली हैं ? जो सिख अकाली नहीं हैं; वे बहुत ही समझदार, देश भक्त, उदार, और भले हैं और सभी अन्य भारतवासियों के अच्छे मित्र हैं तथा वे लोग हमारे इन मित्रों के समान उज्जड़ तरीके से नहीं चिल्लाते हैं। वे भारतीय भी हैं; और वे सिख भी हैं तथा उन्हें चाहिये कि वे लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करें। जब कभी समय आयेगा, ये अकाली यह देखेंगे कि पंजाब के मामले में, समय आने पर हम लोग चुनौती का उत्तर देने को तैयार हैं, इन सिखों के अलावा, पंजाब में सिखों के अतिरिक्त हिन्दू भी हैं और इसी प्रकार पूरे भारत में सिख भी हैं, क्या उन्हें उन लाखों सिखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो उद्यमी हैं, उत्साही हैं, प्रगतिशील हैं, तथा उदार प्रकृति वाले हैं और भारत के शेष भागों में बस गये हैं ? क्या उन्हें अपनी ही स्वतंत्रता, अपनी ही सुरक्षा, अपनी ही प्रगति और अपने ही हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैंने तीन वर्ष उन लोगों के बारे में उन्हें चेतावनी दी थी। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उनको कोई चिंता नहीं है। मैं भारतवर्ष के सभी सिखों से यह अपील करता हूं कि अब वह समय आ चुका है जबकि वे लोग इस बात को खुले आम प्रकट कर दें कि वे लोग एक ही व्यक्ति के दिखलाये हुए मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हैं जैसा कि किसी समय ईसाइयों को एक ही पोप को संपूर्ण विश्व का एक तानाशाह मानने से इनकार करना पड़ा था।

अतः अब वह समय भी आ गया है जब सिखों को यह महसूस करना चाहिए कि छः ग्रन्थी और राजनीतिक नेता उन्हें आदेश क्यों दें। वे भी सिख हैं, वे भी धर्म को मानते हैं, वे भी अपने दस गुरुओं पर कसमें उठाते हैं, उन्हें भी अपनी भारतमाता की रक्षा करने का अधिकार है क्योंकि पंजाब उनकी मातृभूमि है।

मैं पंजाब में रहने वाले हिन्दुओं को कष्ट, अशान्ति, भय और सभी ओर से खतरा तथा उन पर थोपी गई हिंसा से भरे इन तीन वर्षों के दौरान अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं, वे वहां से भागे नहीं, उन्होंने भारत के अन्य किसी भाग में शरण नहीं ली। उन्होंने साहस रखा। मुझे उन पर गर्व है। मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं अब शेष भारत और विशेष रूप से अपने माननीय मित्र प्रो० दण्डवते से अपील करता हूं कि वे पंजाब के हिन्दुओं और सिखों का साथ दें, मैंने काफी समय पहले भी उनसे अपील की थी और अब फिर उसे दोहराता हूं कि आओ, हम सब इन आतंकवादियों के विरुद्ध उठ खड़े हों। मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद पहले ही हमें चेतावनी दे चुके हैं। वास्तव में इन्दिरा जी पिछले तीन वर्षों से हमें चेतावनी दे रही थीं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हमारे कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने जिन्हें जिम्मेदार होना चाहिए था गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण अपनाया और इन्दिरा जी पर आरोप लगाया कि वह विदेशी ताकतों की अन्तर्ग्रस्तता का प्रश्न निरर्थक ही उठा रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इन विदेशी ताकतों की भारत के पतन में भारत की तबाही में दिलचस्पी है। विश्व में जो कुछ हो रहा है क्या हम उससे इतने अनभिज्ञ हैं ? 10—12 वर्ष पूर्व जब मेरे मित्र श्री दिनेश सिंह विदेश मन्त्री थे, तब उन्होंने हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के लिए काम किया। उसी समय से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं परंतु आज हिन्द महासागर युद्ध और अशान्ति का क्षेत्र बन गया है।

इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? रूस नहीं, अमरीका जिम्मेवार है। रूस तो केवल अनुकरण करता है। वे एक दूसरे के विरोधी हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु रूस के हम मित्र है क्योंकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका ने हमारा विरोध करने के लिए इसे एक मुद्दा बना लिया है। वह एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जो सम्पूर्ण मानवता के विरुद्ध है।

मैं आप सबसे, सभा में उपस्थित तथा सभा से बाहर विपक्ष से यह अपील करता हूं कि, आओ, हम विश्व को दिखा दें कि जिस प्रकार हमारी सुरक्षा सेनाएं एक हैं, जिस प्रकार हमारी पुलिस और अन्य बल कठिनाई के समय एक होते हैं, उसी प्रकार संसद भी एक है। यद्यपि हमारी संसद का लोकतान्त्रिक स्वरूप है, जिसमें कई राजनीतिक दल हैं परन्तु राजनीतिक मतभेदों और एक दूसरे के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैये के बावजूद, हम सब एक हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान के आक्रमण के समय हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया जिस प्रकार चीन के आक्रमण के समय हमने जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया, उसी प्रकार अब भी हम अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक हैं। आओ हम दिखा दें कि हम एक हैं, भारत के साथ हैं और एकता के सूत्र में बंधे भारत को अमरीका और उसके मित्र

[प्रो० एम० जी० रंगा]

राष्ट्र तथा इसी प्रकार सोचने वाले अन्य राष्ट्र कभी पराजित नहीं कर सकते ।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर चर्चा करते हुए बहुत दुःख होता है । हम लोगों ने यह कभी न समझा था कि एडजार्नमेंट मोशन कोई सैन्सर मोशन होता है । मैं यह नहीं समझता था कि इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा दोष देना होता है । ठीक है, सरकार की खामियों की ओर ध्यान दिलाना कोई बुरी बात नहीं है । हम सैन्सर नहीं करना चाह रहे थे । अगर कोई कहता है कि हम लोग सैन्सर करना चाह रहे थे । इसलिए हम मोशन लाए तो मैं यह कहूंगा वे सठिया गए हैं । मैं उसको नहीं मानता हूं । रूल्स साफ हैं, क्योंकि अब जो हम डिसकशन कर रहे हैं, वह लगभग एडजार्नमेंट मोशन पर ही डिसकशन हो रहा है । ठीक है, वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने बिजनैस को एडजार्न किया है ।

मेरी अर्ज यह है कि यह बहुत दुःखदाई बात है । दो तीन दिन पहले दिल्ली में और दूसरे प्रांतों में बम के फटने से लोग मारे गये हैं, बेगुनाह लोग मारे गये हैं । बच्चे, बूढ़े, औरतें इनका क्या कसूर था ? कोई सफर कर रहा था, यहां से कोई पिलानी सफर कर रहा था, मेरठ के लिए बसों में सफर कर रहा था, रेलगाड़ियों में सफर कर रहा था । ऑटो-रिक्शा में सफर कर रहा था, इन लोगों को मारने की क्या नीयत थी ? क्यों ऐसा किया गया ? इन्सान द्वारा ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है । मैं समझता हूं कि इसी चीज का नतीजा है कि लोग काफी फरस्ट्रेटिड हो गए हैं । जो कुछ वे चाह रहे थे, उनको मिला नहीं, तो वे टैरेरिज्म पर उतर आए हैं । मैं आजाद जी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं । कि एक सैन्ट्रल आर्गेनाइजेशन है, जो इनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं । पाकिस्तान जाते हैं और बोर्डर पर उनको कोई रोकता तक नहीं है । बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस बारे में कोई मदद नहीं कर रही है । यह सब हम लोग जानते हैं । मगर हमें यह सोचना चाहिये कि ये लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में नाअहली है । हममें कोई खामी है, हमारी सरकार में खास तौर से जो हमारी इन्टैलीजैंस एजेन्सी है, उसमें कोई खास खामी है ।

आज सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो हुआ इसकी खबर हमको पहले से क्यों नहीं हुई ? हमारी इन्टैलिजैंस के एजेन्ट्स उनके अन्दर क्यों नहीं घुसे ? दूसरी कन्ट्रीज में ऐसा होता है कि जहां टैरेरिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वहां इंटैलिजैंस के एजेन्ट्स उनके अन्दर घुस जाते हैं और उनके वाक्यात गवर्नमेंट को बतलाते हैं जिससे गवर्नमेंट के लिए टाइमली एक्शन लेना आसान हो जाता है । 15 - 20 दिन पहले पंजाब से यह खबर आई थी कि वहां कुछ टैरेरिस्ट्स आये हुए हैं और कुछ गड़बड़ होने वाली है । लेकिन उस खबर के बावजूद भी सरकार की तरफ से उस पर कोई अमल नहीं किया गया । इसका मतलब है कि हमारी इन्टैलिजेंस के लोग सो रहे हैं । आज जरूरत इस बात की है कि उनको एक्टिवाइज किया जाय । आपकी होम मिनिस्ट्री को भी एक्टिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कल शाम जो चेन्जेज लाई गई हैं वे नाकाफी हैं । आप ने एक मिनिस्टर आफ स्टेट को लाकर होम मिनिस्ट्री में

कुछ जिम्मेदारी दी है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी अर्ज यह है कि इन्टरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से मिनिस्ट्री होना चाहिए।

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्वतन्त्र प्रभारी मन्त्री होना चाहिए।

[हिन्दी]

जिसके पास होम मिनिस्ट्री के दूसरे काम जैसे पालिटीकल मैटर्स या एप्वान्टमेन्ट्स या ट्रांस्फर्स वगैरह का काम नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

वह पूर्णरूपेण कानून और व्यवस्था का प्रभारी होना चाहिए।

[हिन्दी]

जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक यह काम मुश्किल है।

दूसरी बात --यहां पर पंजाब के बारे में काफी चर्चा हुई है। इस डिबेट को पंजाब पर डिबेट की शक्ल में बदलने की हमारी कोई मंशा नहीं है। जो कुछ वहां हुआ है, क्यों हुआ है, इस वक्त उसमें जाना ठीक नहीं है और मैं इसको मुनासिब भी नहीं समझता हूं। आजाद साहब ने ऐसा कुछ जरूर कहा है जो मुझे टेम्प्ट करता है कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन उस बारे में इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं—पंजाब के मसले को हल करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है उसमें हम आपके साथ हैं और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल दो महीने से कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाय। अपोजीशन पार्टीज के लीडरान के साथ कई बार मीटिंग हुई और कोशिश की गई कि किसी तरह से इस मसले को हल किया जाय। उनकी इस कोशिश का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ-साथ यह दरख्वास्त भी करता हूं किटैरेरिज्म को रोकना चाहिए। आप इसके लिए क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, इसके लिए आप सोचिए। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो किसी से भी सलाह लीजिए, मगर इसको रोकना चाहिये, क्योंकि टैरोरिस्ट्स से किसी को कोई हमदर्दी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि अकाली भी उनके खिलाफ हैं। वे जानते हैं कि अगर टैरेरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जायेगी तो उनकी क्या हालत होगी। इसलिए टैरेरिज्म को अकालियों की डिमाण्ड्स से या पंजाब के मसले से बिलकुल अलग रखा जाय। टैरेरिज्म के खिलाफ आप जो भी एक्शन लेना चाहें सख्ती से लीजिये। आप जो भी एक्शन लेना चाहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन पंजाब के मसले को इसके साथ न मिलायें।

पंजाब के मसले को हल करने के लिए आपने कुछ कदम उठाए हैं। किसी से बात करने की

दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में हुए बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति तथा देश में गुप्तचर एजेन्सियों की असफलता के बारे में चर्चा

[श्री सी० माधव रेड्डी]

जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त वहां कोई बात करने वाला नहीं है। आजाद साहब अभी बतला रहे थे कि वहां कोई बात करने वाला नहीं है, फिर किससे बात की जाएगी। इसलिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने सोच समझकर जो कदम उठाये हैं उन पर किसी से बात किए बिना इस मसले को हल करना बिलकुल सही कदम है। आप ने जो एनाउन्समेन्ट्स की हैं उनका पूरा कीजिए। आप जो देना चाहते हैं और समझते हैं कि पंजाब के लिए कन्सीड करना है उसको कर दीजिए, अगर खुद आप ऐसा करेंगे तो पंजाब के लोग आपके साथ होंगे और तब आप टैरेरिस्ट्स के साथ जो बर्ताव करेंगे, लोग उसमें उनका साथ नहीं देंगे। इससे ज्यादा कुछ कहने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं।

मैं फिर एक बात साफ कर देना चाहता हूं—एडजार्नमेंट मोशन लाकर गवर्नमेंट को सेन्सर करने का हमारा मकसद नहीं था, हम उस पर डिस्कशन चाहते थे।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर बम-विस्फोट की घटना, जिसमें अनेक लोग मारे गए हैं, कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे बताया गया है कि लगभग 100 लोग मारे गए हैं तथा 200 से अधिक लोग अंगहीन हो गए हैं और वे अस्पताल में हैं। आतंकवादियों का यह घिनौना कृत्य हमें इसकी याद दिलाता है कि हमारे लिए और देश के लिए उनके मन में क्या छिपा हुआ है, इस देश की एकता और स्वतन्त्रता पर यह एक सीधा प्रहार है और जितना जल्दी हम इस चुनौती का मुकाबला करेंगे, पूरे देश के लिए और स्वयं सिखों के लिए भी उतना ही अच्छा होगा।

अतः, इसके प्रकाश में······(व्यवधान)

श्रीमन्, मुझे खेद है कि संसदीय कार्य मंत्री ने मेरी बातों में व्यवधान डाला। इस प्रश्न पर मैं यह कह रहा था, सारी सभा इस पर सहमत है, विपक्ष के अधिकांश सदस्य सहमत है जो पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि समूचे देश के लिए यह एक चुनौती है और यदि हम समय पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाएगी, हो सकता है हाथ से ही निकल जाए। किंतु इस हिंसा की मात्र निंदा, पंजाब के मुट्ठी भर लोगों द्वारा इस आतंकवादी, फासिस्टवादी कार्यवाही की निंदा करना पर्याप्त नहीं है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक सामान्य, राष्ट्रीय और देशभक्तिपूर्ण नीति अपनानी होगी क्योंकि इस चुनौती से हमारे राष्ट्र के आधार को खतरा है, उन मूल्यों को खतरा है जिनको हमने स्वतन्त्रता संघर्ष के बाद के दशकों में विकसित किया है। उन पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है, उन पर प्रहार किया जा रहा है। यह केवल यहां-वहां हुई घटनाओं का प्रश्न नहीं है। इसके लिए, मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि हम इस आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें, जो 'धर्म युद्ध' के नाम से शुरू हुआ था यह राजनीतिक आंदोलन नहीं था।

प्रधान मन्त्री ने हाल ही में जो घोषणाएं की, सारी सभा ने उनकी सराहना की। वास्तव में प्रधानमन्त्री ने तनाव को कम करने के लिए जो कार्यवाही की, उसके लिए उन्हें सहज और अत्यधिक प्रशंसा मिली है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस राष्ट्र ने, भारत की जनता ने बड़े से बड़ं बलिदान बड़े-से-बड़े त्याग, जो हम कर सकते थे, किए हैं। देश की अखंडता और साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसके पश्चात्, भारत की जनता ने दिखा दिया कि यह देश हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। विशेषकर कांग्रेस जनों ने, जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ें और विपक्षी मित्रों ने भी, जिन्होंने इस देश की एकता व अखंडता के लिए संघर्ष किया, इस कार्य में तनिक भी समय नहीं गंवाया वे सभी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, चाहे वह देश के भीतर के आतंकवादियों की ओर से हो या आतंकवादियों के विदेशी सलाहकारों की ओर से हों। किंतु जब मैं यह कहता हूं तो मैं यह भी चाहूंगा कि यह सभा इस संकट की उत्पत्ति पर भी गौर करे। यह गड़बड़ पंजाब में 'धर्मयुद्ध' के रूप में आरम्भ हुई। इसका क्या उद्देश्य है? राजनीतिक आन्दोलन की समूची प्रक्रिया को साम्प्रदायिक रूप-रंग देना। मांगें महत्वपूर्ण नहीं थीं, फासिस्टवादी गिरोह ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। आरम्भ में, अकाली शोर मचा रहे थे किंतु बहुत शुरू में ही भिंडरावाले की अगुआई वाले फासिस्टवादी समूह ने नेतृत्व ले लिया, और आपमें से बहुत से मेरे साथ सहमत नहीं होंगे किन्तु मेरे लिए अकालियों और तथाकथित उग्रवादियों में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। अन्तर केवल उतना ही है जितना सांपनाथ और नागनाथ में, उनमें कोई अन्तर नहीं है। जब अकाली बोलते हैं, हमारे देश की एकता और अखन्डता को चुनौती भी उन्हीं लोगों द्वारा दी जाती रही है जो शांतिपूर्ण समझौते की बात करते हैं। और अगली बार, कुछ ही क्षणों बाद जब वह बोलते हैं, जब कभी भी बोलने का अवसर आता है वे वही राग अलापते हैं जो राग पहले उग्रवादी अर्थात् अकाली अलाप चुके हैं, वे केवल सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं। अब शहादत की धारणा को लीजिए, वे कहते हैं कि पंथ की एकता के लिए, पंथ के हित के लिए जो भी अपना जीवन अर्पित करेगा उसे शहीद माना जाएगा, और इस नीति का पालन करने में, इस खतरनाक, मध्यकालीन, बर्बर नीति के पालन में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या को महिमा प्रदान की गई थी और की जा रही है। अतः जब भी आप बातचीत आरम्भ करते हैं, जब भी आप बातचीत करने की सोचते हैं, आपको सोचना समझना होगा कि आपको किन लोगों के साथ बातचीत करनी है। आप क्या बातचीत कर रहे हैं ? क्या आप उन मूल सिद्धांतों पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यह राष्ट्र बना है, जिनसे यह राष्ट्र जीवित है ? भारत की एकता धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और अखण्डता के मूलभूत तत्वों पर आधारित है और अकाली उन सब चीजों के विपरीत चलने की बात कहते हैं जिनके लिए हमने बलिदान किए हैं और इन मूलभूत मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए इस देश के हजारों लोगों ने अपने जीवन को अर्पित किया है और वीरोचित बलिदान किए हैं।

इसलिए हमें यह बात बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं। क्या हम इन मौलिक मूल्यों पर बातचीत करने जा रहे हैं मुझे बहुत खुशी है कि विरोधी दल के मेरे कुछ दोस्तों ने विशेषकर सदन में साम्यवादी दल एक ऐसा रुख अपनाता रहा है जो कि उग्रवादियों की

[प्रो० के० के० तिवारी]

गतिविधियों की सीधी निंदा करता है। निस्संदेह उन्होंने मांग की है कि अकाली नेताओं को उग्रवादियों से अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाने की गुंजाइश कहां है ? वे अपने आप अलग नहीं हो सकते हैं। और अब पंजाब में क्या बचा है ? अकाली नेतृत्व अचानक ही समाप्त हो गया है। अकालियों का नेतृत्व कहीं नहीं है। पाकिस्तान, अमरीका और इग्लैंड में इनके परामर्शदाता हैं जो इस उग्रवादी गुट पर नियन्त्रण करते हैं। वे उग्रवादियों को प्रोत्साहन, समर्थन, धन तथा हर प्रकार की सहायता देते हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के बारे में समूची नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है, कि क्या कोई विशेष राजनीतिक कुछ राजनीतिक दल शिकायतों के नाम पर इस प्रकार का घातक आंदोलन जिसके वर्धन का औचित्य धर्म के नाम पर हो; या धर्म के नाम पर हत्या का औचित्य हो तथा धर्म के इतिहास की खोज की हो चलाने के लिए गुरुद्वारे, मंदिर गिरजाघरों का उपयोग कर सकता है; यह कहा गया है कि जिन लोगों ने इस धर्म पर वार किया या उन पर वार किया है जिन्होंने इस धर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, उनकी भी युगों से यही हालत हुई है।

लोगोंवाल जिनका इस सदन में और सदन के बाहर बहुत से लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में उन्होंने क्या कहा ? जेल से छूटने के बाद श्री तोहरा ने क्या कहा ? श्री बादल ने क्या कहा ? उन सभी का एक ही मत था। आप इस पर विचार कीजिए; इस मांग पर नहीं बल्कि इस पर देश को विचार करना होगा। यह बहुत धक्का पहुंचाने वाला कष्ट-दायी अनुभव है कि जब इन सभी नेताओं ने जिनके साथ लोग कहते हैं कि बातचीत शुरू की जाए, विशेषकर लोगोंवाल ने कहा कि एक पापी को दण्ड मिल गया; लोगों को यह मालूम होना चाहिये; इससे इस देश के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिये। उन्होंने कहा, एक दुष्ट पापी का खात्मा हो गया और जो भी उसकी नीति का अनुसरण करेगा उसकी भी वही गति होगी। यह व्यक्ति उग्रवादियों से अलग किस प्रकार है जो कि अपने हाथों में बन्दूक, बम रखता है और निर्दोष लोगों की हत्या करता है? इसलिए यदि आप मेरी सच्ची राय के बारे में पूछें तो मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के बारे में पूरी नीति, रवैया तथा विचार परिवर्तन लाना होगा क्योंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह नदी जल या कुछ एकड़ क्षेत्र के। हरियाणा में कुछेक मील क्षेत्र या गुरुद्वारों के लिए कुछेक रियायतों की मांग के कारण नहीं हो रहा है बल्कि जैसाकि आपको याद होगा इस सदन को भी याद होगा कि इस तरह का रवैया सोच-समझकर अपनाया गया है, क्योंकि यदि मैं इस पहलू के बारे में बोलता हूं तो यह बहुत समय लेगा इसलिए मैं अपने आपको इस बारे में एक या दो बातों तक ही सीमित रखता हूं। अस्थिरता पैदा करने की प्रक्रिया के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि यह भीतर और बाहर सभी जगह नारे पकड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० के० के० तिवारी : भारत में इसलिए फासिस्टवादी और धार्मिक ग्रुपों के धार्मिक

कट्टरतावाद पुनर्जागरणवाद और अस्पष्ट रवैये का सहारा लिया जा रहा है। अहमदाबाद में जो लोग विध्वंश को बढ़ावा दे रहे हैं उनके लिए ये लोग सहायता देने को तैयार है क्योंकि वे हमारी व्यवस्था को उखाड़ना चाहते हैं और हमारे शत्रुओं ने बड़ी सावधानी से इस प्रयोजनार्थ पंजाब को चुना और इसलिए धार्मिक कट्टरतावाद को बढ़ावा दिया गया तथा अकाली स्वेच्छा से मैं इसे अनिच्छा से नहीं कहूंगा—पूरी तरह से उग्रवादी तत्वों के प्रभाव में आ गए और विपक्ष के बहुत से लोग प्रो० मधु दण्डवते, मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं उनके दल का थोड़ा-सा उल्लेख करूंगा तो वह खड़े हो जाएंगे मैं अनावश्यकवाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उनकी बात पर ध्यान न देने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे ऐसी ही आशा है।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रो दंडवते कहते हैं कि वह मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते है। लेकिन लोग पूरा देश उस बात पर ध्यान दे रहे हैं जो ये नेता कह रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जब हम सब लोग इन पुनर्जागरणवाद मुद्दों और गुरुद्वारों के उपयोग की निन्दा कर रहे हैं तो क्या यह सही नहीं है कि वे लोग जिन्होंने लोकमत तैयार किया था। वे लोग जो राजनैतिक दलों के नेता कहे जाते हैं···**···जनता दल के कई लोगों में से कुछ लोग है जो और गुरुद्वारे में जाकर ठहर और जब वे उस समय गुरुद्वारे के अन्दर और बाहर जा रहे थे जबकि ये हिंसक घटनाएं व्यापक तौर पर हो रही थीं तब जनता पार्टी के नेताओं ने किसी भी उग्रवादी को वहां नहीं देखा ? और अब इन गतिविधियों के प्रकाश में गृह मन्त्री जा क्या कहना चाहते हैं ?

हमें कुछ राजनैतिक दलों की भूमिका के बारे में अशान्ति पैदा करने वाली रिपोर्ट मिली हैं। फिर एक बार, जब यह आन्दोलन वहां चल रहा था तो जनता दल के नेताओं ने जैसाकि मैंन कहा···**·· स्वर्ण मन्दिर का दौरा किया निस्सन्देह···**···वे गए थे और साथ-साथ···**··· और···**···पाकिस्तान का दौरा किया और राष्ट्रपति जियाउलहक के साथ चर्चा की। उसके बाद क्या हुआ ? मैं गृह मन्त्री जी से सीधे जानना चाहता हूं। आपकी क्या जानकारी है ? क्या यह सच नहींहै ? (व्यवधान) मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वह इस तरह नाम नही ले सकते है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमने यह सब कई बार सुना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हाल के चुनावों में प्रधान मन्त्री जी ने भी कुछ कहा था।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइए। मुझे स्थिति संभालने दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे कुछ करने की थोड़ी अनुमति दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इससे लड़ने के लिए हम एक संयक्त मोर्चा बनाने जा रहे हैं।

अतः तदनुसार अपने आपको सीमित रखें। कृपया कोई तीखी टिप्पणी न करे। नाम कार्य-वाहि वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।

प्रो० के० के०तिवारी : जब तक इसे बताय ानहीं जायेगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं ? मैं जानना चाहता हूं··· (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : हम भी बहुत कुछ बातें कहेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि यह एक उपयोगीवाद विवाद हो।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, कि क्या यह सही नहीं है कि पंजाब के आतंकवादियों को पाकिस्तान के उन्हीं शिविरो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिनमें उन उजाहिद्दीन के प्रशिक्षण के लिए खोला गया है जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं ? क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान सरकार के माध्यम से इन उजाहिद्दीन ग्रुपों को सी० आई० ए० ने लगभग 3 मिलियन के अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई की है जो एक माध्यम के रूप में काम कर रही है। उन्हीं आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों का उजाहिद्दीन और इन आतंकवादियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो हमारे देश में आतंक तथा विघटन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने यह मामला इस सदन में उठाया था और यह 30 अप्रैल के "टाइम्स आफ इंडिया" में छपा था। मैं उद्धृत करता हूं···

"कांग्रेस सदस्य श्री के० के० तिवारी···

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : यह तो बिलकुल···**···हो गया (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने जो कहा वह उचित नहीं है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप से भी कहूंगा कि आप भी छब्बे मत बनिए, चौबे ही रहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही है। इसे पहले से ही उद्धृत किया गया है। यह उद्धृत करने योग्य उद्धरण है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री आर० एल० भाटिया के कथित हमलावर द्वारा इस चिंताजनक रहस्योद्घाटन कि पाकिस्तान में कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त 300 आतंकवादी पंजाब में प्रवेश कर गए हैं पर लोक सभा में चर्चा की मांग···

(व्यवधान)

मैं केवल लेख का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें हंसने की क्या बात है··· (व्यवधान)

इस सदन में इन मामलों पर वाद विवाद हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि इन पहलुओं के बारे में गृह मन्त्रालय को कोई जानकारी क्यों नहीं है ।

ये गतिविधियां न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बार-बार कहा गया है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार तथा देश की एकता की वर्तमान चुनौतियां को अत्याधुनिक किस्म की हैं।

इसलिए हमें अपने रवैया तथा साधनों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय को अपना रवैया बदलना होगा। हमें आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहिए क्योंकि आतंकवादियों के तरीके सर्वविदित हैं। इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय को समूची आसूचना प्रणाली में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि नई चुनौतियां वास्तव में बड़ी भयावह है। अतः मैं आतंकवादियों की कार्रवाई की सख्त निन्दा करता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि अभी भी बहुत से गिरोह हैं, कुछ को गिरफ्तार किया गया है और विदेशी परामर्शदाताओं के इशारे पर वे देश में संकट की स्थिति पैदा करने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए, बहुत गंभीरता से विचार लिया जाना चाहिए और पंजाब के बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप बातचीत कर सकें। इस आन्दोलन द्वारा जो मसले उठाए गए हैं वे खतरनाक हैं और इन पर बातचीत नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया कुछ नए मुद्दे उठायें पहले उठाए गए मुद्दों को दोबारा उठाना ठीक नहीं है कृपया वे नए मुद्दों को उठाएं ताकि हम इसके अधिक बातों को ले सकें और अधिक लोग उसमें भाग ले सकें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : स्पीकर साहब, सदन के सामने बड़ा गम्भीर मामला है। पंजाब में पिछले तीन-चार सालों से फिरकापरस्ती जिस तरह से नंगे रूप में नाच रही है और इंसानी खून से नहा रही है, इससे सदन वाकिफ है। सातवीं लोक सभा में ज्यादातर टाईम हर सैशन में पंजाब के इस मसले पर खर्च हुआ है। सवाल यह है कि खून की होली क्यों खेली जा रही है। ये उग्रवादी और फिरकापरस्त क्यों अपना सिर उभार रहे हैं। हिन्दुस्तान को आजादी प्राप्त किए हुए, 38 साल हो गए। 34-35 साल तक सब मामला ठीक चलता रहा। अब गुजिस्ता तीन साल में ऐसी क्या खास बात हो गई। पंजाब और हरियाणा का मसला था। 45 मांगों से कम होते-होते तीन-चार मांगें रह गई। हमारी मरहूम प्रधानमन्त्री ने कहा था कि हम चण्डीगढ़ पंजाब को देते हैं लेकिन उसके बदले में हरियाणा को उसका हिस्सा मिलेगा। पानी के मसले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों के नापाक इरादे हैं। वे लोग फैसला नहीं चाहते हैं। उनके पीछे वह ताकतें काम कर रही हैं जिनके गिरजाघर और गुरूद्वारे अमेरिका और कैनाडा में हैं जिनके मन्दिर और शिवालय चीन के अन्दर हैं। यह सोचने की बात है। इन्दिरा गांधी जी ने इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश कीं। मौत के जालिम हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। वह ताकतें समझती थीं कि इन्दिरा जी के खून का मतलब देश की एकता छिन्न-भिन्न होगी। देश के टुकड़े होंगे और देश में दोबारा खून की होली खेली जायेगी और देश में हिन्दू-सिख का मसला पैदा हो जायेगा। हिन्दू, सिख का सिर काटेगा और सिख हिन्दू का। सिख हिन्दुस्तान के चप्पे-चप्पे में फैले हुए है। हिन्दू-सिख एक दरख्त की टहनी और पत्ते है। हिन्दुस्तान और पंजाब की जनता मुबारकबाद की मुस्तहक है क्योंकि उसने उन

दुश्मनों और उन ताकतों का सपना साकार करने की इजाजत नहीं दी औरकहीं ऐसा मसला पैदा नहीं हुआ जिसे हिन्दू-सिख का मसला कहा जाए। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जिनके नौजवान कंधों पर 70-72 करोड़ जनता का भार आ पड़ा था, एक तरफ तो मां की लाश पड़ी थी और उसका दाह संस्कार करना था। उसके बावजूद रात को एक बजे गवर्नर की कोठी पर गये, अफेक्टेड कालोनीज में गए, टेलीफोन एक्सचेंज में गए और चौबीस घण्टों के अन्दर उस आग पर काबू पा लिया जो देश में लगने जा रही थी कोई नहीं सोच सकता था, कि हिन्दुस्तान के इतने शहरों में जो आग लगी थी, राजीव गांधी उसको इतनी जल्दी काबू करने में कामयाब होंगे। उन्होंने काबू पाया और उसके बाद अपने आपको हिन्दुस्तान की जनता के सामने रख दिया। इलैक्शन हुए। हिन्दुस्तान की जनता ने कांग्रेस और राजीव गांधी की पालिसियों का समर्थन किया। ऐसा समर्थन जैसा कि आज तक कांग्रेस पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला। बड़ी शांति से इलैक्शन हुए। इलैक्शन के बाद हमारे प्रधान मन्त्री ने फिराख दिली का सबूत दिखाया और दिलेराना कदम उठाए। यूनिलेटरल फैसला करके 80 अकालियों को अन-कंडीशनली रिलीज कर दिया। उसी वक्त तीन सीनियर कैबिनेट वजीरों को मिलाकर पंजाब का मसला हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। वे भगत सिंह की समाधि पर भी गए और बाद में टोहरा साहब और जितने दूसरे लोग थे, वे आपस में मिल सकें, तबादला-ए-ख्यालात कर सकें, विचार-विमर्श कर सकें, उसका पूरा मौका दिया गया मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि किसी तरह से अकालियों के साथ समझौता हो जाए और वे राउंड टेबल करके किसी फैसले पर पहुंचे। लेकिन यह मामला अकालियों की ताकत के बाहर हो गया था। उन पर टैररिस्ट्स छा चुके थे। जिस वक्त लोंगोवाल साहब निरंकारी बाबा के कातिल के घर गये थे, उन्होंने जेल से निकलते ही भिण्डरवाले की बोली बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि शायद वे समझते थे कि भिण्डरवाले की बोली बोल कर ही वे अपनी लीडरशिप को कायम रख सकें, उनको शायद खतरा था कि अगर उन्होंने यह बोली नहीं बोली तो वे ही इंतहां पसन्दों का शिकार बन जाएंगे। यदि आप टोहरा साहब की स्पीचेज का मुलाहजा करें, तलवंडी साहब की स्पीचेज का मलाहजा करें। हमारे विरोधी दल के भाई कहते रहे कि अकाली दल से समझौता कर, पंजाब के मसले को हल करो लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि समझौता किसके साथ करें, किसको अथोरिटी मानें, किसकी लीडरशिप में समझौता किया जाए। कल ही हमारे वाजपेयी साहब ने राम लीला ग्राउन्ड में एक तकरीर की और सरकार पर इल्जाम लगाए कि सरकार इस पर फ्रन्ट पर फेल हो चुकी है. लेकिन बी जे० पी० ने जनता सरकार को गिराने में भी नुमाया रोल अदा किया था। मुझे बी जे० पी० वालों की बातों के सम्बन्ध में अकबर हैदराबादी का एक शेअर याद आता है—

अकरीबे महजब मुझसे पूछते हो उन्नी,
शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी।

आज वाजपेयी जी वैसी ही बोली बोलते हैं। यदि वे अपने अन्दर झांककर देखें कि वे कहां हैं तो उनको पता चले। अभी एक लोक दल के नेता ने कहा जब मैं अखबार पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर

[श्री चिरंजीलाल शर्मा]

गुड़ डिसमिस दी गवर्नमेंट लेकिन क्यों ? जिस प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तान की जनता का बहुमत हासिल किया है, जिस प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त किया है वह महज चन्द फिरकापरस्त उग्रवादियों या इंतहा-पसन्द लोगों के नये सिरे से खून की होली खेलने पर सरकार को डिसमिस कर दें, जिन्होंने खामोश हिन्दुस्तान के समुद्र में आग लगाने का षडयंत्र रचना शुरू कर दिया है उनके रौब में आकर राजीव गांधी लगाम डाल दें, पकड़ ढीली कर दें। इस किस्म की मांग आज वे नेता कर रहे हैं जो मसले को हल नहीं होने देना चाहते। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि इन्दिरा गांधी ने अपोजीशन को कान्फीडेंस में लेने की कोशिश नहीं की, क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि अपोजीशन ने अकालियों का साथ दिया था और क्या इस बात से भी इंकार किया जा सकता है कि जनता पार्टी के नेताओं ने वहां जाकर गुरूद्वारे में मेंजबानी हासिल नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस किस्म की बातें करें कि हकूमत को डिसमिस कर दिया जाए, यह हकूमत निकम्मी रही है, इस हकूमत की इंटैलीजैंस कमजोर रही है, स्पीकर साहब, जिस तरह से हमारे देश में टैररिस्ट्स काम कर रहे हैं, उनको जिस तरह की ट्रेनिंग मिली है हमारे हरियाणा में पीछे जो बम विस्फोट हुआ था, जो हथियार बरामद हुए थे, उन पर पाकिस्तान के निशान पाये गए हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, कि होम मिनिस्टर साहब से भी अर्ज करूंगा कि वे इसकी तहकीकात कर लें कि क्या यह सच है या नहीं हरियाणा में जो विस्फोट हुआ, वहां बम पाये गए, गन वगैरह निकली, उन पर पाकिस्तान के निशान थे या नहीं ? इसलिए जो लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, उनके कारण ही यह सब हुआ है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हिन्दुस्तान की इंटैलीजैंस फेल हो गई, हकूमत से वह चाहते हैं कि पौधे-पौधे पर पुलिस लगाई जाए, हर झाड़ी के साथ फौज बिठायी जाए लेकिन वे यह नहीं समझते कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक का फर्ज है, जिम्मेदारी है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता बनाए रखने में हकूमत का सहयोग दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि उग्रवादियोंके इरादे, उनके प्रोग्राम तो क्या जमीन की ताकत, समुद्र के तूफान और आसमान की बिजली भी राजीव गांधी के भी रास्ते में नहीं आ सकते।

उन्होंने अपनी उदारता का सबूत दिया है, फरागदिली का सबूत दिया है और अगर उस फरागदिली का फायदा उठाकर उन भाइयों ने इस मामले का एक खूबसूरत हल नहीं निकाला, तो राजीव गांधी के हाथ मजबूत हैं···घंटी···आप मुझे दो-चार मिनट देते, तो मैं और बोल लेता ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं,अब समय नहीं है।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : बहुत अच्छा, तो मैं अब खत्म कर देता हूं। मैं सारे सदन से बड़े अदब से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि यह मामला इतना गम्भीर है कि बिना लिहाज, बिना पार्टीबाजी बिना जात-पात, बिना ऊंचनीच, सभी हमारे प्रधान मन्त्री को सहयोग दें और प्रधान मन्त्री के हाथ और मजबूत करें ताकि इन मजबूत हाथों से उन इन्तिहा-पसन्दों और उग्रवादियों के इरादों को नाकाम बना दें। बस, सर मुझे आपसे इतना ही कहना है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : अयध्क्ष जी, आज हम पंजाब की एक बदली हुई परिस्थिति में और पंजाब ही नहीं बल्कि देश में इसका जो असर हुआ है, उस परिस्थिति में यहां पर बहस कर रहे हैं। सर्वप्रथम पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ, उसकी सारे सदन ने जोरदार शब्दों में निंदा की है और यह बात सारे देश में भी जानी चाहिए। इस तरह की आतंकवादियों की जो हरकतें हैं, उनका भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ये जो वायलेंट कल्ट है, ये जो आतंकवादी तरीके हैं, उनका हमारे देश की डेमोक्रेसी में क्या स्थान हो सकता है ? मैं, तो समझती हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां का इस देश की डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है। हम तो हर मसले का हल आमने-सामने बैठकर, बातचीत के द्वारा करने के लिए तैयार रहते हैं।

पहले भी, पंजाब के मामले को, हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी बातचीत के द्वारा हल कर रही थीं, लेकिन उग्रवादी नहीं माने और स्वर्ण मंदिर में जो लोग घुसे बैठे थे और वहां से आतंकवादी कार्यवाहियां कर रहे थे, उनको निकालने के लिए ब्ल्यू स्टार आपरेशन करना पड़ा जिसके माध्यम से ऐसे आतंकवादी गिरोह के जितने लोग थे उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई और उस वक्त भी काफी बड़ी संख्या में लोग अरेस्ट किए गए थे। एक सख्त कदम उस वक्त भी सरकार ने उठाया था। लेकिन हमेशा यह होता है कि कुछ समय के बाद एक नई सरकार आई और आगे क्या किया जाए इस पर विचार हुआ। नई सरकार आने के बाद प्रधान मंत्री जी ने इस मसले को हल करने के लिए फिर से अकाली नेताओं से अपील की और ए० आई० एस० एफ० से पाबंदी हटाई और कोशिश इस बात की थी कि बातचीत के द्वारा मामला हल हो सके।

अभी, आरम्भ में, हमारे विपक्ष के भाई ने बहस आरम्भ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बातचीत होनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बातचीत तो उनके साथ चल ही रही है, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं में जितने लोग मारे गए हैं, यह बहुत गलत बात है। अगर ये लोग यह समझते हैं कि हम बुलेट के सामने सरकार को झुका लेंगे, तो इस तरह से आतंकवादी शक्तियों के सामने सरकार झुक नहीं सकती है।

इस बारे में सारा देश एक होकर एक बात कह रहा है कि इस मामले में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। पहले जो ब्ल्यू स्टार आपरेशन हुआ वह सही था उसके बाद हजारों लोग हरमिन्दर साहब और अकाल तख्त से बाहर किए गए। मैं चंडीगढ़ से 11 तारीख के ट्रिब्यून अखबार से यह कोट करना चाहती हूं —

[अनुवाद]

"अखिल भारतीय सिख छात्र फेडरेशन ने कल चंडीगढ़ पुलिस से कहा कि झूठे मामलों में निर्दोष युवकों को न फंसाएं फेडरेशन की तदर्थ समिति के संयोजक श्री हरिन्दर

[डा० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी]

सिंह कल्हन ने एक बयान में कहा : 'निर्दोष युवकों की मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ्तारी और दी जाने वाली यातनायें शीघ्र बन्द की जानी चाहिए । बाबा जोगिन्दर सिंह के नेतृत्व में ए० आई० एस० एस० एफ० का पूरा विश्वास है : श्री कल्हन ने कहा कि "फेडरेशन ने अमृतसर में श्री हरमिन्दर साहिब में अपना कार्यालय दोबारा से खोलने का भी निर्णय लिया है जहां श्री चरणजीत सिंह के कार्यालय सचिव नियुक्त किया गया है ।"

[हिन्दी]

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जब कि अकाल तख्त में भिंडरावाले को जगह दी गई और उस वक्त सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । अब फिर ए० आई० एस० एस० एफ० के लोग वहां आफिस खोलना चाहते हैं, उनको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये । कारण यह है कि हमें हमेशा के लिए यह फैसला करना पड़ेगा कि इस सैकुलर भारत में कांस्टीट्यूशन चलेगा या हुक्मनामा चलेगा । संविधान के द्वारा इस देश में काम होगा और संविधान देश के हर नागरिक पर लागू होता है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, न कि सिखों का हुक्मनामा ।

ये हाईप्रिस्ट क्या होते हैं जो कि इस तरह से लोगों की जान से खेलने वाले लोगों को अकाल तख्त में रहने की इजाजत देते हैं ? अगर गवर्नमेंट कार्यवाही करती है तो कहा जाता है कि यह नवयुवकों पर अत्याचार किया जा रहा है । आज जिस तरह से इन नौजवानों ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में करीब 100 बेगुनाह औरत, मर्द, बच्चे और बूढ़ों को मार डाला और एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाही जिससे लोग अपना धीरज खो बैठें, तो फिर से हमें इसे देखना चाहिए !

दूसरी चीज, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं, आज पंजाब लीडरलैस हो गया है, नेतृत्व-विहीन हो गया है । किसी पोलिटिकल पार्टी से तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्टस हैं, जिन्होंने अकाली नेताओं पर ओवरकम कर लिया है, उनसे कैसे बातचीत की जा सकती है ?

अब जो कहा गया दूसरी ओर, "अकाल तख्त टू बी रिबिल्ट", यह दूसरा खतरा है, जिसकी ओर मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

[अनुवाद]

कार्यकारिणी समिति ने कहा कि पंथ से बाहर निकाले गए सिख द्वारा यहां ठेके के आधार पर किये गए निर्माण कार्य को एक शानदार और स्वाभिमानपूर्ण पंथ स्वीकार नहीं कर सकता।"

[हिन्दी]

हम और आप सब जानते हैं कि अकाल तख्त, किन परिस्थितियों में वहां कार्यवाही की गई थी और किन परिस्थितियों में बनाया गया था, किस तरह से बुड्ढा दल के बाबा सन्ता सिंह ने और हजारों हिन्दू और सिखों ने मिलकर अकाल तख्त को फिर से बनाया है। आज जो यह भावना है कि अकाल तख्त को गिराया जाए, यह एक नई परिस्थिति पैदा की जा रही है।

कोई बड़े से बड़ा नेता अगर इन मुट्ठीभर आतंकवादी नौजवानों के कहने पर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या एग्जीक्यूटिव ऐसा रैज्यूलूशन पास करती है, तो गवर्नमेंट का क्या फर्ज हो जाता है ? मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट को समय रहते ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि इनका दफ्तर वहां न खुलने पाये, जिससे अकाल तख्त की सुरक्षा हो सके। अगर अकाल तख्त की एक ईंट भी गिरती है तो सरकार पर फिर से जिम्मेदारी आ जायेगी क्योंकि समय रहते हमने ध्यान क्यों नहीं दिया ? मैं समझती हूं कि इस पर हमें जनमत भी तैयार करना चाहिये और साथ-ही-साथ जो दूसरी फोर्सिज हैं जिनके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, रोकना चाहिये। उस समय अकाल तख्त में जो नुकसान हुआ, अब दोबारा अगर यह गिराया जायेगा तो उसका असर बहुत खराब होने वाला है।

हम कांग्रेस के लोग, हमारी पार्टी और हमारा दल इस बात मे विश्वास करते रहे हैं और हिंदू सिख एकता को मानते रहे हैं और सारे सिख उसमें साथ रहे हैं।

अभी पिछले महीने हम कांग्रेस के लोगों ने एक अभियान शुरू किया था। आपस की सद्भावना बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से जगह-जगह पूरे पंजाब में हम लोगों ने सभाएं की और हजारों की संख्या में गांवों के लोग दूर-दूर से चल कर आये। उन्होंने हमारी बातें सुनीं। जब हम सद्भावना की बातें कहते थे तो वह सिर हिलाते थे। हमने अलग-अलग लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं, हम ऊब चुके हैं, इस तरह की घटनाओं से। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह पंजाब में शांति हो।

जब प्रधान मन्त्री जी ने हुसैनीवाला में किसानों के लिए बोनस की बात कही थी, तो एक खुशी की लहर सारे पंजाब में दौड़ गई थी। वहां पर इन्टिग्रेटेड-कोच-फैक्ट्री की बात प्रधान मंत्री जी ने कही, तो वहां की इकानोमिक डवेलपमेंट की बात से लोगों में खुशी हुई। वहां एक बड़े बांध की बहुत दिनों से मांग थी। भाखड़ा डैम के बाद एक इतने बड़े बांध को बनाने की घोषणा की गई। लेकिन जो पोलिटिकल-सीन आज वहां पर है, जिस तरह से पोलिटिकल सीन वहां पर पैदा किया गया है, उसमें यह कन्स्ट्रक्टिव बातें, ये आर्थिक बातें, जो कि वहां के जन-जीवन को त्रस्त कर रही हैं, वह चल नहीं पा रही हैं।

हमारा और आपका जो ध्यान आज इस तरफ आकर्षित किया गया है, बाम्ब-ब्लास्ट के द्वारा यह यह हमें देखना पड़ेगा। मैं तो यह सोचती हूं कि एक तरह से हमारे देश के खिलाफ यह एक षडयन्त्र रहा है, यह हिडेन इन्वेजन है, पड़ोसी राष्ट्र की तरफ से। कुछ लोगों को वहां ट्रेन्ड करके और हथियार दे

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

करके आज वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसकी रोकथाम बड़ी सख्ती से करने की आवश्यकता है। और वह बैन जो सिख स्टूडैंट्स फैडरेशन के ऊपर से उठा लिया गया था, उसको फिर से लगा देना चाहिये। वे सारे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको फिर से अपने-अपने स्थान पर पहुंचा देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझाना चाहता हूं कि अब मुझे सदन की भावना जाननी चाहिये। क्या सदन चाहता है कि मध्याह्न भोजन छोड़ दिया जाए ताकि और वक्ता भाग ले सकें।

माननीय सदस्य : जी हां।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हूं कि आज जो नाजुक और विस्फोटक स्थिति बनी हुई है उसे मद्देनजर रखते हुये इस सदन में और संसद में हम जो कुछ बोलते हैं उसकी आवाज बाहर जाएगी और जो कुछ हम इस सदन में कहते हैं उसका जो कुछ परिणाम होगा उसके लिए हममें से कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से जी नहीं चुरायेगा। इसलिए अपनी बातों को कहते समय मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।

स्पष्ट बात कहते हुए भी मैं यह अच्छा समझूंगा कि इस अवसर पर कटुता से बचा जाये। जिस हद तक बम विस्फोट हुए हैं उससे हमें सबक सीखना चाहिये। यह देखने की बात है कि बम विस्फोट किस ढंग से किये गये हैं। ये सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों और बस स्टापों पर हुये हैं और हमें यह सुनकर धक्का लगा है कि संसद के द्वार पर भी ये पाये गये हैं। उन्हें अब केवल संसद में प्रवेश करना है। बस। हमने देखा कि स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि ट्रांजिस्टर इधर-उधर रख दिये जाते हैं और जो भी इसको चालू करता है वही मारा जाता है। ट्रांजिस्टर जिनमें सुरीला संगीत बजता है वास्तव में वे अब मृत्यु का स्वर बजाता है और इस मृत्यु के इस स्वर ने हमें सचेत कर दिया है कि हमें दल के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के रूप में स्थिति का सामना करना चाहिये, चाहे कोई हमारी सदाशयता स्वीकार करे या नहीं, हमने इस देश में जन्म लिया है। हमें यहां की मिट्टी पर, अभिमान है और यदि हम एक होकर रहना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि हम सत्ता दल या विपक्ष दल से संबंधित हैं। परन्तु हमारा ऐसी भूमि से संबंध है जहां हमने जन्म लिया है और यही वह भूमि है जहां हमें अपना जीवन बलिदान करना है। इसलिए, हमें इस भूमि की रक्षा करनी है। सत्ता दल और विपक्षी दलों ने इन विस्फोटों और क्रूरतापूर्ण कार्यों की साफ-साफ निन्दा की है। मैं अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद से पूरी तरह से सहमत हूं जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने में काफी संतुलन बनाए रखा है और उन्होंने कहा है कि हमें एक ही पर सारा इल्जाम नहीं लगाना चाहिये। मैं अकाली दल के सभी सदस्यों को दोष नहीं देना चाहता हूं। स्थिति इस प्रकार की है। आत्मा की आवाज ऐसी है मृत्यु का स्वर इस प्रकार का बना हुआ है कि अत्यधिक कठोर हृदय और कठोर दिमाग भी इस

प्रकार के विस्फोटों से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रहता और वे इसको अकाली दल में भी पाएंगे और मुझे खुशी है कि अकाली दल में यह प्रभाव देखने को मिलता है । जो लोग पहले हिंसात्मक घटनाओं और आतंकवाद के बारे में सहमे-सहमे बात करते थे, मुझे खुशी है कि अब वह साफ-साफ कुछ कहने का साहस करते हैं ।

महोदय, उस दिन मैं चंडीगढ़ में था और जब मैं रेल गाड़ी में था तो विस्फोट हो रहे थे । जब पुलिस हमारे डिब्बे में छान-बीन करने के लिए आई तभी मैंने अनुभव किया कि दिल्ली में कुछ हुआ है । जब मैं चंडीगढ़ में था तब मैंने बादल जी तथा अन्य लोगों से इसके बारे में पूछा वह घर में नहीं थे, वह मुझे मिले थे और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया बताते हुए मुझे चिट्ठी लिखी थी । आपकी अनुमति से इसमें किसी प्रकार कोई मानहानि की बात नहीं है । इसके विपरीत इसमे कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाएगा मैं बादल जी द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ता हूं । यह पत्र 11 मई, 1985 को लिखा गया था :

"प्रिय श्री मधु दंडवते जी,

11 मई, 1985 को अपनी चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान दिल्ली, हरियाणा और अन्य जगहों में हुए भयंकर विस्फोटों के बारे में आपने अकाली दल और मेरी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा था ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इन विस्फोटों से गहरा धक्का लगा है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है । चूंकि ये भयंकर विस्फोट एक ही ढंग से हुए हैं, मुझे संदेह है कि इसमें कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है जो हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति लाने में दिलचस्पी रखते है । मैं इन नृशंस कार्यों की कड़ी निन्दा करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि सरकार विस्फोटों की इन घटनाओं की पूरी जांच करे ताकि देश को सच्चाई का पता चला सके"

महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इन्दौर) : निजी पत्र ही क्यों, सार्वजनिक वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया ?

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कुछ कहा है मैंने उसका पूर्वानुमान लगा लिया था । मैं श्री बादल से एक वक्तव्य भी लाया हूं और अब मैं उस वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने जारी किया है । यह बहुत दिलचस्पपूर्ण है । इसका हरेक शब्द दिलचस्पपूर्ण है ।

महोदय, आपने और मैंने इस प्रकार के वक्तव्य जारी किए है, भागवत झा आजाद ने वक्तव्य

[प्रो० मधु दंडवते]

जारी किया है। प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य जारी किया है परन्तु बादल द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में कुछ समति है। चूंकि उन्होंने कहा है कि निजी पत्र मत पढ़िए; यह कोई प्रेम पत्र नहीं था जो उन्होंने मुझे भेजा था। यह पत्र सार्वजनिक था। और इसलिए मैंने पढ़ने की आपकी अनुमति ली थी।

अध्यक्ष महोदय : मैडम यहां उपस्थित नहीं है। अन्यथा मैं उनसे पूछता।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आप उनकी अनुपस्थिति का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। विवरण पेश है। भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री सेठी कृपया सुनिए। पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बादल तथा पंजाब के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री बलवंत सिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य इस प्रकार है :

> "समूचे उत्तर भारत में भड़क रही हिंसा का स्पष्ट उद्देश्य है कि देश में अस्थिरता पैदा करना तथा एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करना है। शिरोमणि अकाली दल इन ताकतों द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की सख्त निंदा करता है। बड़े दुख की बात है कि कुछ वर्गों ने इसके लिए सिखों को जिम्मेवार ठहराने का प्रयास किया है। जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी है और उनकी देश भक्ति पर संदेह किया जा रहा है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह अपराधियों को पकड़े और पंजाब तथा शेष भारत में हिन्दू-सिख दंगों को बढ़ावा देने वाली ताकतों का पर्दाफाश किया जाए। शिरोमणि अकाली दल हर कीमत पर साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराता है।"

महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि यह वक्तव्य जारी किया गया।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : क्या आपको विश्वास है कि कल इसका खंडन नहीं किया जाएगा ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, दुर्भाग्य से मैंने महात्मा गांधी के देश में जन्म लिया है जहां मानव तथा मानव की प्रतिष्ठा जीवन का आधार है, मैं तब तक किसी पर अविश्वास नहीं करूंगा जब तक की इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाए। हम सब मिलकर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बिगाड़िए नहीं। तिवारी जी के पीछे चलने की कोशिश न करें।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं समझता हूं कि अगर आप इस संबंध में मेरे कहने अनुसार चलेंगे तो अधिक फायदे में रहेंगे। जिस सार्वजनिक वक्तव्य की आप चर्चा कर रहे हैं कल आप उससे मुकर जाएंगे।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, यह हम सबका दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद महोदय, सभी ने इसकी निंदा की है। सत्तारूढ़ दल के जिन सदस्यों ने खासकर श्री भागवत झा आजाद तथा हममें से बहुत से सदस्यों को कहा है कि देश के गंभीर सिखों के मन में परिवर्तन आने का स्वागत करेंगे। लेकिन मैं सदन में सभी को सचेत करना चाहता हूं कि हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सभी सिख अकाली हैं तथा सभी अकाली आतंकवादी हैं। इस धारणा को बदलना होगा। यह धारणा धीरे-धीरे बदल रही है। वह शुभ शकुन है। उग्रवादियों का पिछला अनुभव क्या रहा ? मैं उसे दोहराना चाहूंगा। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य मुझे विगत में सभी विपक्षी वार्ताओं तथा विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में भाग लेने का अवसर मिला है। अपने अनुभव से मैं एक अनुभव बता सकता हूं। हर बार जब भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा अथवा अकाली दल के चंद नेताओं के साथ विपक्षी दल द्वारा विचार-विमर्श करके शांति की स्थिति में उनकी समस्याओं का हल करने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है तो उग्रवादी हमेशा सक्रिय हो जाते हैं तथा उस माहौल को समाप्त करने की कोशिश करते हैं ? वातावरण में उत्तेजना भर देते हैं ? पिछली बार जब वार्ता हो रही थी तब भी ऐसा हुआ। याद करिए। पिछली बार जब वार्ता अपने अंतिम चरण पर थी, जब कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमें तितर-बितर होना पड़ा था जब प्रधानमंत्री ने कुछ स्वागतयोग्य द्विपक्षीय घोषणाएं की थी तो उग्रवादियों को लगा कि इससे अकाली दल के सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे तथा समस्या का हल होने ही वाला है। एक बार और जब विपक्षी दलों के सदस्यों तथा श्री लोंगोवाल श्री बरनाला के बीच बम्बई में बैठक हुई और उसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया और समझौते तक पहुंचने की कोशिश की गई तो वार्ता तथा समाचारपत्रों में जो कुछ लिखा गया उसके माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक बार फिर उग्रवादियों को लगा कि संभवत: प्रधानमंत्री अकाली दल तथा सरकार के मध्य एक समझौता कराने में सफल होने वाले हैं। तो उग्रवादियों ने अपनी कार्रवाईयां शुरू कर दी और हरियाणा, दिल्ली तथा और जगह लाशें मिलीं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी पंजाब समस्या को हल करने की कोशिश की गई उग्रवादियों की गतिविधियां और बढ़ गई। महोदय जिस तरह ये बम विस्फोट हुए हैं, उससे बादल जी की तरह मुझे यह संदेह है कि इनके पीछे कोई विदेशी हाथ भी है···

एक माननीय सदस्य : विदेशी भी···

प्रो० मधु दंडवते : मैं कह रहा हूं कि उग्रवादी इस तरह के आतंकवादी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें और क्या पता चलता है। वे न केवल पागल है बल्कि उनके पागलपन का एक तरीका भी है। और वह देश में यह सब करके संतुष्ट नहीं हैं। संभवत: वे विदेशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इसके कारण समस्या और खतरनाक हो जाती है। अत: इसकी जांच की जानी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि श्री बादल भी यही सोचते हैं कि जांच की जानी चाहिए। आशा है जांच की जाएगी।

महोदय, मैं गुप्तचर विभाग के बारे में भी चंद एक शब्द कहना चाहूंगा। विगत में चाहे कितनी

[प्रो० मधु दंडवते]

भी असफलताएं मिली हों तथा कमियां रही हों मैं चाहता हूं कि भविष्य में उन पर काबू पा लिया जाये, मैं गुप्तचर विभागों का मनोबल गिराना नहीं चाहता। पुलिस तथा सेना का मनोबल गिराने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति ही होऊंगा। एक बार अगर उनका मनोबल गिर गया तो रक्षा तथा सुरक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। मेरा कहना है कि कुछ गलतियां भी हुई हैं। भिंडरावाला एक आदमी ही नहीं था बल्कि वह एक चमत्कारिक व्यक्ति था। मैं अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद को याद दिलाना चाहूंगा कि 4/4/85 को इसी सदन में मैंने पंजाब पर चर्चा आरम्भ कराई थी। उग्रवादियों तथा भिंडरावाले की मैंने कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि पवित्र स्थल होने के कारण गुरुद्वारों को शास्त्रागार नहीं बनाया जा सकता तथा वहां हथियारों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस संबंध में उस समय हुई चर्चा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस समय श्री पी० सी० सेठी गृह मन्त्री थे। 4.4.84 को बोलते समय मैंने बताया था कि फरवरी 1984 के अन्त तक पंजाब में आतंकवादियों ने 220 व्यक्तियों को मौत का शिकार बना दिया है। मैंने गृह मन्त्री से इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था और कहा था, मुझे याद है मैने क्या कहा था, कि वह या तो इस तथ्य की पुष्टि कर दें अथवा इसको नकार दें। मैं पंजाब गया था। वहां समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि फरवरी 1984 के अन्त तक उग्रवादियों द्वारा 220 व्यक्तियों की हत्या की गई है लेकिन एक भी अपराधी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। महोदय, दिल्ली में रक्षा विभाग के एक अफसर के दो बच्चों की मौत हुई थी। लड़की के साथ बलात्कार किया गया था तथा लड़के की हत्या कर दी गई थी। और उसके कुछ ही दिनों के अन्दर बिल्ला रंगा को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। पुणे में हुए अभयंकर हत्याकांड, जिसमें अनेक लोगों की हत्या की गई थी, के हत्यारों का पता लगाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन पंजाब में 220 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गयीं पर एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया। बड़े शर्म की बात है कि इन सभी मामलों में सम्भवतः पुलिस विभाग तथा प्रशासन भी डर गया और उनमें इतना साहस नहीं रहा कि वे उग्रवादियों को गिरफ्तार करते। 220 व्यक्तियों की जानें गई पर एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया।

माननीय प्रधान मन्त्री मुझे गलत मत समझिये अगर मैं यह कहूं कि जब बस में निर्दोष व्यक्ति मारे गए, संसद भवन के समीप 10 बम पाए गए तब खुदा का शुक्र है कि उस दिन संसद बंद थी और हम उस दरवाजे से होकर नहीं गुजरे थे। अन्यथा पंजाब पर यहां भाषण देने के बजाय आपको पहले मृत्यु की सूचना देने की जरूरत पड़ जाती। हालत यह होती। जब यह सब हो रहा था तो गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रहीं थीं? कृपया इसके लिए मुझे माफ करें। चाहे सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य हो या विपक्ष के जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो सुरक्षा कारणों से सबकी जांच की जाती है। हां मन्त्री अपवाद हैं। लेकिन हम सबकी जांच की जाती है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की भी धातु-यंत्र (मेटल डिटेक्टर) से जांच की जाती है। लेकिन गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थीं। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटों की योजना बनाई गई और उनसे लगभग 80 लोगों की मृत्यु हुई लेकिन हमारे गुप्तचर विभाग को इसका आभास तक नहीं हुआ। महोदय, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तथा ईश्वरीय इच्छा यही थी कि ऐसा न हो। अगर कल कोई देश हमारे ऊपर

आक्रमण कर दे और ऐसा करने से पूर्व वहां के कुछ जासूस यहां आकर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दें और गुप्तचर एजेंसियां सचेत न हों तो देश की सुरक्षा का क्या होगा ? मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि गुप्तचर विभागों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं न घटें।

गुरूद्वारों में हथियार ले जाने के बाबत मैं 'ब्लू स्टार आपरेशन' के बाद जो हुआ उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे सहयोगी श्री आजाद ने मन्त्रिमण्डल में हुए अपने अनुभव का उल्लेख किया है। उसी तरह मैं ब्लू स्टार आपरेशन के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में हुए अनुभव को सुनाना चाहता हूं, बैठक में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विस्तार से बताया, उन्होंने बताया कि गुरूद्वारों में कितने हथियार पहुंचाए गए हैं। इस पर मैंने उनसे एक सीधा-सादा प्रश्न पूछा। मैंने कहा "मेडम् प्रधानमन्त्री, टेलिविजन पर हर रोज दिखाया जाता है कि कितने हथियार जब्त किए गए। क्या मैं एक छोटा-सा प्रश्न पूछ सकता हूं ? पंजाब में आपकी सरकार है तो इन सभी हथियारों को ले जाने की अनुमति कैसे दी गई। वे सहज रूप से बोलीं : यह हमारी असफलता है। लेकिन रक्षा मन्त्री उन्हें बचाने के उद्देश्य से बोले कि : "नहीं, यह असफलता नहीं है। क्या किया जाए ? गुरूद्वारों में हथियार खुले आम नहीं पहुंचाए गए बल्कि वे खाद्य-सामग्री से लदे ट्रकों में छुपा कर, चोरी-छिपे ले जाए गए हैं।" मैंने एक सीधा-सा प्रश्न पूछा :

"कल अगर दुश्मन भारत में हथियार पहुंचाना चाहें तो क्या वह पताकाएं लेकर चलेंगे तथा जलूस निकालेंगे और कहेंगे कि सावधान हम हथियार लेकर आ रहे हैं।" वे तो चोरी छिपे ही अनाज के ट्रकों में छुपाकर ही लाएंगे और ऐसा करने का उन्होंने प्रयास भी किया था। अगर हवाई जहाज में हमारी तलाशी ली जा सकती है तो गुरूद्वारे में जाने वाले हर ट्रक को इलैक्ट्रानिक फ्रेम से क्यों नहीं गुजारा जाता ताकि सिगनल मिलने पर उसी ट्रक को रोका जाए जिस पर शक हो और सारे हथियार उतरवाकर ट्रक को गुरूद्वारे में जाने की अनुमति दे दी जाए। पर ऐसा किया नहीं गया। सवाल यह है कि गुरुद्वारों में इन हथियारों को ले जाने की अनुमति क्यों दी गई ?

फिलहाल सिखों की मूल मांगें तो एक तरह से पूरी की जा रही हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। "जालंधर रेडियो स्टेशन से गुरूवाणी में कीर्तन का प्रसारण शुरू हो गया है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों का मामला सहकारिया कमीशन को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। नदी-जल विवाद के मामले को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निपटाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या के बारे में मेरा विचार है कि यह अनुच्छेद सिखों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए है। ऐसा डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था। लेकिन सिखों की शंकाएं हैं। मैं गृह मन्त्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए उसे विशेषज्ञों तथा अकाली दल सहित विभिन्न सिख निकायों को सौंपने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों ने इसके लिए सरकार की निंदा की। लेकिन मैंने सरकार को बधाई दी थी। मैंने केवल एक बात कही थी कि आप में गलत समय में सही काम करने की प्रतिभा है। जैसा

[प्रो० मधु दंडवते]

कि मैं पहले कह चुका हूं यह सही कदम है। उसके एक दिन बाद ही प्रदर्शन बंद हो गए थे तथा समस्या हल हो गई। सिखों की सभी मूल मांगों पर समझौता हो गया है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में उदारता तथा कुछ मामलों में सख्ती बरतने की जरूरत है। मैं श्री भागवत झा आजाद से सहमत हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि बातचीत की भी जाए तो किसके साथ की जाए? श्री लोंगोवाल तथा श्री बादल उग्रवादियों की गतिविधियों के मौन विरोध स्वरूप अपना त्यागपत्र दे चुके हैं, अब यदि कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो समझौते की बात की जा सकती है। जहां तक आतंकवादियों तथा विदेशी तत्वों का सम्बन्ध है, महोदय आपके माध्यम से मैं प्रधान मन्त्री जी को बता दूं कि सरकार भले ही आपकी है लेकिन देश सबका है। महात्मा गांधी के इस देश में हम सभी चाहते हैं कि हिन्दू-सिख एकता बनी रहे। बम विस्फोट हमारी जान ले सकते हैं लेकिन हमारे इस स्वप्न को नष्ट नहीं कर सकते। हमारे स्वप्न अवश्य ही सच होंगे।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारे देश की निगाहें इस सर्वोच्च सदन पर हैं और देश यह आशा करता है कि यह सर्वोच्च सदन केवल इस विषय पर चर्चा ही नहीं करेगा बल्कि एक रचनात्मक दिशा भी देश को देगा।

मैं एक बुनियादी सवाल की ओर इस माननीय सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। आज आतंकवाद का सवाल है या कुछ बम ब्लास्ट्स हुए और कुछ घटनाएं हुईं, उनका सवाल है लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि आतंकवाद पैदा कैसे होता है। आतंकवाद तब होता है जब हम अपने देश में स्थापित लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास न रखते हुए अल्पमत के द्वारा बहुमत को आतंकित करके कुछ करना चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग, जो इस देश में भी हैं और बाहर भी हैं, हमारे देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं।

1.24 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे प्रसन्नता है और मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस विषय के ऊपर चर्चा करने का स्वागत किया और मैं उन सभी वक्ताओं को, जिन्होंने बड़े संयम के साथ इस चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वे सत्ता में हों या न हों, एक बात सोचनी पड़ेगी कि अगर वे बहुमत में नहीं हैं तो और उनकी बात बहुमत से स्वीकार नहीं हुई, तो क्या वे आतंकवाद का सहारा ले

सकते हैं। हमने देखा कि पंजाब की कुछ बातों को लेकर आतंकवाद किया जा रहा है।

लेकिन यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। आज के समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि जम्मू काश्मीर के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि अगर वहां की मौजूदा सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो एक आन्दोलन शुरू करेंगे और उस आन्दोलन का नेतृत्व कुछ दिनों बाद आतंकवादियों के हाथ में चला जा सकता है। इस तरह की बात एक बड़ी गंभीर चेतावनी की बात है। होता क्या है कि किसी पार्टी का बाहरी रूप कुछ और होता है। बाहर से वह राजनीति की बात करती है लेकिन अन्दर से उसका सम्बन्ध गलत तत्वों से होता है जो कि आतंकवाद को बढ़ाने की बात करते है। हमने देखा कि पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आतंकवादियों से सम्पर्क स्थापित किया, हमने देखा कि आतंकवादियों के रिश्तेदारों का सम्मान किया गया। उस वक्त किसी ने इस प्रकार की हरकतों की निन्दा नहीं की। मैं सरकार से, खास कर प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात की पक्की व्यवस्था करें कि पंजाब के बाद जम्मू काश्मीर के आन्दोलनकारियों का नेतृत्व कहीं आतंकवादियों के हाथ में न चला जाए। अभी से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की पुलिस की जिम्मेदारी है। हमने एक पुलिस कमीशन बनाया था। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। उसमें बहुत से सुझाव दिये गए हैं। उनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको अगर मान लिया जाए तो न कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, न सरकार को कुछ खर्च करना पड़ेगा। ऐसे सुझावों को हमें फौरन मान लेना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिये। उनके अमल में हमें प्रदेश सरकारों को भी शामिल करना चाहिए। प्रदेश सरकारों का चूंकि यह जिम्मेदारी है इसलिए उनका इन्वोल्वमेंट होना चाहिए, चीफ सेक्रेट्रीज, डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस को भी उनमें इन्वोल्व करना चाहिए। इसके लिए अगर कोई वित्तीय व्यवस्था करनी हो तो वह भी करनी चाहिए। किसी भी बीमारी को होने से पहले ही अगर रोका जाए तो ठीक रहता बजाए इसके कि बीमारी आने के बाद उसका इलाज किया जाए। हम देश में एक सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें अपनी गुप्तचर संस्थाओं को भी आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में हमें जहां पुलिस और गुप्तचर संस्थाओं की आवश्यकता है वहां हमें एक नागरिक सुरक्षा तन्त्र की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में नागरिकों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम बराबर देखते आ रहे है कि अराजकतावादी और आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकने में नागरिक शासन की कितनी मदद कर सकते है। जितनी मदद नागरिक कर सकते हैं उतनी और कोई नहीं कर सकता है।

हमारी प्रधान मन्त्री की हत्या के बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई और जिस रूप में देश को बांटने और निर्दोष लोगों का खून बहाने की कोशिश की गई, उस वक्त हमारी सरकार की जागरूकता और दृढ़ता से उस चीज को रोका गया। अभी कुछ बेगुनाह लोगों की हत्या के बाद भी देश

[श्री ब्रह्मदत्त]

शांत रहा, उसकी देश के नागरिकों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमें आज भी यह सोचना पड़ेगा कि चाहे वह रिजर्वेशन की बात हो चाहे वह रिजर्वेशन के खिलाफ बात हो, इसके पक्ष में आन्दोलन हो या इसके खिलाफ आन्दोलन हो, चाहे वह किसी भी प्रदेश में आंदोलन हो या किसी भी प्रदेश की वह समस्या हो, हमें उनको लोकतांत्रिक ढंग से हल करना होगा। हमें इन समस्याओं के मामले में न तो किसी आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है और न किसी आतंकवादी से कोई बात करनी है। और लोगों से बातचीत चलती रहे। यह बात सभी राजनीतिक दलों के लिए भी आवश्यक है, उन राजनीतिक दलों के लिए भी जिन्होंने कि आज तक पंजाब के आतंकवादियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आज सभी दलों के द्वारा उनकी निंदा की जा रही है यह एक अच्छी बात है। हमें इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। जहां हमें दृढ़ता के साथ आतंकवाद का दमन करना चाहिए वहां यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के तत्वों को चाहे वो विदेशों में हों, कुछ विरोधी शक्तियां उन्हें मदद दे रही हों उन्हें अलग-थलग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों से भी यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे अपनी एक आचार संहिता बनायेंगे कि वे किसी भी हालत में आतंकवाद का सहारा नहीं लेंगे और किसी आतंक-वादी का साथ नहीं देंगे।

फिर मैं एक दफा जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने जो कुछ कहा उसको दोहराना चाहता हूं।

मान्यवर, आज के ही समाचार पत्र में है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाय। अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है --

[अनुवाद]

> जो आन्दोलन हमने शुरू किया है वह उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जिन पर मेरा काबू नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जम्मू-कश्मीर में भी उसी तरह बम विस्फोट होंगे जैसे हम दिल्ली तथा अन्य राज्यों में देख रहें हैं।"

[हिन्दी]

इससे लगता है कि सरकार को गिराने के लिए उनकी आंदोलन चलाने की नीयत है। सरकार को आंदोलन से गिराने की बात जब भी पैदा होती है तब यह स्थिति पैदा होती है। सरकार को गिराने की जगह विधानसभा है, सड़क नहीं है, आंदोलन नहीं है। दूसरा इससे यह भी साबित होता है कि वहां ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे या जिनको सौंप दिया जाएगा। यह एक बड़ी गम्भीर बात है, इसलिए मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। आज दिल्ली में हुआ, आस-पास

हुआ और एक बहुत संवेदनशील इलाका है जम्मू-कश्मीर का, जहां बाहर के लोग प्रवेश करते हैं और जहां हमेशा हमे निगाह रखनी पड़ती है, वहां के जिम्मेदार नेता ऐसी बात कहें, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं अपने माननीय विरोधी दल के नेताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि वे अपने बीच गम्भीरता से विचार करें और यह बात तय करें कि आतंकवाद जहां भी हो, आतंकवाद का सहारा जहां भी लिया जाए, हिन्सा का सहारा जहां भी लिया जाए, जोर जुल्म का सहारा अपनी बात को मनवाने के लिए जहां भी लिया जाए, उसकी निन्दा करनी चाहिए। मैं सरकार से आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए अपील करता हूं साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि हर जगह, हर प्रदेश में, हर कौम में जो सेनर एलीमेंट्स हैं, जो विचारशील लोग हैं, उनको विश्वास में लिया जाए, उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, चाहे वे देश में हैं या विदेशों में हैं और उन विदेशी शक्तियों को जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, उनको भी चेतावनी देने की मांग करता हूं, क्योंकि भारतवर्ष इस स्थिति में है। भारतवर्ष खाली एक देश नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है जहां उन लोगों के आर्थिक स्वार्थ हैं। उन लोगों के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता अपनी आन्तरिक सुरक्षा को दृढ़ करने की है। चाहे इसके लिए एक आन्तरिक सुरक्षा गुप्तचर विभाग अलग से बनाया जाए, चाहे एक आन्तरिक सुरक्षा सूचना मंत्री अलग से बनाया जाए। उसमें जो लोग रहें, उनको आधुनिक यंत्रों से, साधनों से लैस किया जाए। हमें पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए, मांउट आबू में हमारी इंटरनल सिक्यूरिटी अकेडमी है, उसमें बहुत सी जानकारी है, उस जानकारी को इस्तेमाल करना चाहिए, नई फोर्स तैयार करनी चाहिए, जिसका विशेष काम जनता का विश्वास प्राप्त करना, देश की आन्तरिक सुरक्षा को दृढ़ करना होना चाहिए और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना चाहिए, चाहे विदेशी शक्तियों का सामना करना हो, चाहे अंदरूनी दुश्मनों से मुकाबला करना हो, देश के नागरिक सबसे ज्यादा सहायता कर सकते हैं सबसे ज्यादा सूचना दे सकते हैं, खतरे, की बात बता सकते हैं, आने वाले खतरे की सूचना दे सकते हैं और उससे निपटने के लिए सरकार की सहायता कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि यह चर्चा देश को नई दिशा देगी, सरकार को मार्गदर्शन देगी और राजनीतिक दलदल से ऊपर उठकर, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर कुछ ठोस दिशा दे पायेंगे, ताकि भविष्य में हम आतंकवाद से हिंसा से निपटने के लिए देश के अन्दर और बाहर के शत्रुओं से निपटने में सफल हों सकें।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह न तो राजनीतिक मसला है और न ही वैचारिक मसला। पिछले कई वर्षों से जो घटनाएं हमारे मुल्क में, हमारे देश में हो रही हैं, उनसे यह साबित होता है कि यह साजिश है हमारे देश को तोड़ने की अभी और हाल ही में जो वारदातें हुई, उनके मकसद भी यही थे। बातचीत बंद हो जाए और धीरे-धीरे जो नेतृत्व है जो लीडरशिप है, वह अकालियों के हाथ से निकलकर जो उग्रवादी हैं, जो एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं, उनके हाथ में चली जाए। मैं इस बात को मानता हूं कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स इस काम में कामयाब हो चुके हैं, बातचीत भी एक तरह से टूट गई और आपने देखा कि जैसे ही बातचीत होने को होती है, उसी समय देश के अन्दर कोई ऐसी घटना हो

[श्री ललित माकन]

जाती है, कहीं किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, किसी नेता को मार दिया जाता है और वह सिलसिला रुक जाता है। अभी हाल ही में जब बातचीत चल रही थी और वातावरण बन रहा था देश की हालत ठीक बनाने के लिए, उन्हीं दिनों श्री आर० एल० भाटिया जी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उनका कत्ल करने की साजिश की गई, उन पर हमला किया गया और अभी ये जो वारदात हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये, कई जख्मी हुई, इसका मकसद भी यही था कि ऐसे हालात पैदा कर दिये जाए कि सरकार बातचीत करने से मना कर दे। और इस प्रकार से जो अकाली नेता हैं उनमें इतनी मायूसी पैदा हो जाए कि वह खुद-ब-खुद पीछे हट जाएं और जो उग्रवादी हैं, वह पूरी लीडरशिप अपने हाथ में ले लें। बादल और लोंगोवाल ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, वह इस बात का सबूत है कि देश के अन्दर जो उग्रवादियों का मकसद था, उसमें वह धीरे-धीरे कामयाब हो जाएं। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या अकालियों से इस माहौल में बातचीत करने का फायदा होगा। यह कहना कि उन्होंने कुर्बानी दी है और बलिदान दिया है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोंगोवाल या बादल ने कोई कुर्बानी की है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वे कायर हैं और कमजोर हैं। आज मैं इस बात को बड़ी बदकिस्मती मानता हूं कि हिन्दूस्तान में एक भी अकाली ऐसा नहीं है जो हिम्मत के साथ यह कह सके कि उग्रवादी गलत काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ जोरों के साथ आवाज उठायेंगे। आज हिन्दुस्तान में एक भी अकाली नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो खड़े होकर पूरी आवाज के साथ इस प्रकार की बात कह सके। सरकार ने यूनिलेटरल डिसीजन लेकर अकाली नेताओं को छोड़ा और सिख यूथ फैडरेशन के ऊपर से बैन हटा दिया। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जबसे उनको छोड़ा है तब से आज तक अगर आप केअरफुली और माइन्यूटली देखें तो आप इस बात को मानेंगे कि तब से आज तक कत्ल के मामले बढ़े हैं, लोग जख्मी हुए हैं और इस प्रकार की वारदातें हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि हर अकाली एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत से अकाली नेता ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह गलत है। बहुत से सिख भाई मानने हैं कि देश की अखण्डता को तोड़ने की कोशिश हो रही है,। वह गलत है लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक भी अकाली नेता ऐसा नहीं है जो खड़ा हो कर यह कह सके कि मैं इन उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं और इस बात की इजाजत नहीं दी जायेगी कि देश के अन्दर हिन्दू-सिख की एकता को तोड़ा जाएगा। ऐसे मौके पर सरकार को यह फैसला करना होगा कि सरकार इन अकालियों से बात करेगी। 17 तारीख को जो अकाली दल की मीटिंग होने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे हालात यह है कि भिण्डरावाला जिसने, मैं समझता हूं कि देश की अखण्डता को तोड़ने की कोशिश की और ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से इन्दिरा जी का कत्ल हुआ। क्या उसके पिता को अकाली दल का नेता बना दिया जाए तो क्या सरकार उसके साथ बात करने के लिए तैयार हो जायेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि भिण्डरावाले के पिता को नेता बनाने का अर्थ यह है कि वह सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते। वह समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। वे तो टकराव करना चाहते हैं। जो आवाज ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तान की उठी है, उस खालिस्तान को हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं। कब तक हम इंतजार करेंगे कि इन अकाली नेताओं को अकल आयेगी। कब तक इंतजार करेंगे कि ये

अकाली नेता खड़े होकर इन उग्रवादियों का विरोध करें और सरकार से बात करें। पिछले चार साल से हम यही देख रहे हैं। चार सालों में सैकड़ों हजारों लोगों की लाशें बिछा दी गई। इन्दिरा जी की जान की कीमत भी हमको देनी पड़ी क्योंकि सरकार यह चाहती थी कि अकालियों से बातचीत हो। अकालियों में हिम्मत नहीं है। वे, डर की वजह से घरों में घुसे हुए हैं। उनमें हिम्मत नही कि उग्रवादियों का विरोध कर सकें। मन्दिरों में हथियार इकट्ठे होते रहे, उनकी आंखों के सामने लाशें बिछा दी गई, लेकिन विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। ऐसे लोग, जिनके हाथ में लीडरशिप नहीं हैं, वे खड़े होकर देश की एकता की बात नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो देश में हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे अगर आप बात कर लेते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस बातचीत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। जहां तक ग्रंथियों का सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे हुकमनामा कब देते हैं जब उनकी आंखों के सामने लाशें बिछाई जाती हैं। उनकी आंखो के सामने पूरे हिन्दुस्तान में मासूम लोगों की हत्याएं हुई, फिर भी वे खामोश रहे। जगह-जगह पर बम फटे हैं तब भी ग्रंथी खामोश हैं। आज वह हुकमनामा जारी नहीं करेंगे। वह तब जारी करेंगे जब कि देश के राष्ट्रपति को तनखैया घोषित करना होगा या सरदार बूटा सिंह जी को तनखैया घोषित करना होगा। देश के अन्दर लाशें बिछती रहेंगी, उसका विरोध नहीं करेंगे। अकालियों को हुकमनामा नहीं देंगे कि उग्रवादियों का विरोध किया जाए। ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रंथियों की पीठ के पीछे बन्दूक की नाली लगा दी गई है।

अकालियों की पीठ के पीछे बन्दूक की नाली लगा दी गई है और उसके डर की वजह से ग्रंथी और अकाली नेता अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए उन लोगों से सरकार का बातचीत करना बिल्कुल व्यर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वह समय आ गया है जब कि हमें हिन्दुस्तान की सरकार को धर्म को राजनीति से अलग करना पड़ेगा। पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा कि ग्रंथियों ने फैसला किया है कि फलां व्यक्ति अकाली दल का नेता नहीं रखा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ग्रंथी ही आकाली दल को चलाते हैं। इसी प्रकार कल को यह भी होने लगेगा कि जगद्गुरू शंकाराचार्य कहने लगेंगे कि राजीव गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रखा जाए। यदि कल को धर्म के ये बड़े-बड़े ठेकेदार ऐसा फैसला करने लगें कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसको रखा जाए, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, जनता पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाए या अकाली दल का अध्यक्ष किसे बनाया जाए तो हमारे देश में कैसे काम चलेगा। इसलिए आज वक्त आ गया है कि हमें दो टूक यह फैसला करना पड़ेगा कि धर्म को संविधान से अलग कर देना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए, पौलिटिक्स से अलग करने के लिए यदि हमें कानून भी बनाना पड़े तो हमें वह कानून बनाना चाहिए। वरना हमारे देश में इस प्रकार की वारदातें होती रहेंगी और हमारे धर्म और मजहब के ठेकेदारों की तरफ से इसी तरह के बयानात आते रहेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जितनी भी कम्यूनल पार्टियां हैं, जैसे सिक्ख यूथ फैडरेशन है या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिन कम्यूनल पार्टीज का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मेरी जोरों से मांग है कि उन सबको बैन किया जाए और एक कानून बनाना चाहिए ताकि

[श्री ललित माकन]

जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको सरकार के नियन्त्रण में लाया जा सके और उन धार्मिक स्थानों में धर्म के ठेकेदारों को सरे-आम राजनीति की बातें करने की बिल्कुल कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिन्दुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। एक कानून बनाकर तमाम हिन्दुस्तान के रिलीजस प्लेसेज को, धार्मिक स्थानों को सरकार अपने अधीन ले ताकि वह इस बात की देखभाल कर सके कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कहीं कोई गड़बड़ी न कर पाए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष, आज जितने भी उग्रवादी पकड़े जा रहे हैं, जिनके पास से अवैध रूप से बन्दूकें मिल रही हैं, अवैध बम मिल रहे हैं मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक नया कानून बना कर यह प्रावधान किया जाए कि जो भी एक्स्ट्रीमिस्ट पकड़ा जाए, या इस तरह की एक्टीविटीज में संलिप्त पाया जाए, जिससे अवैध हथियार बरामद हों, बन्दूकें बरामद हों, राइफलें बरामद हों, एक्सप्लोसिव्स बरामद हों, उनके लिए सीधे डैथ पैनल्टी होनी चाहिए, इससे कम उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर अवैध बन्दूकें रखता है, बारूद रखता है, बम के गोले अवैध रूप से रखता है, स्पष्ट बात है कि उसका उद्देश्य 10-20 लोगों की हत्या करना है और जो व्यक्ति 10-20 व्यक्तियों की हत्या करना चाहता है उसके लिए फांसी की सजा के अलावा कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। यदि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स एक्टीविटीज को जोरों से दबाया जाए उनको काबू में किया जाए तो मैं मांग करता हूं कि ऐसा एक नया कानून बनाने का समय आ गया है। जिनके घर से एक्सप्लोसिव्स निकले, बंदूकें निकलें, अवैध हथियार बरामद हों, उन्हें डैथ पैनल्टी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां किसी की निन्दा करने के उद्देश्य से या किसी का विरोध करने के उद्देश्य से नहीं कहना चाहता, लेकिन आज अगर हम यह कहें कि एक्सट्रीमिस्ट्स को विदेशों से मदद मिल रही है, हिन्दुस्तान के लोगों से कोई मदद नहीं मिल रही है, हिन्दुस्तान के कोई नेता उनकी पीठ के पीछे नहीं है तो वह गलत बात होगी और हम अपनी आंखों पर पर्दा डालने वाली बात करेंगे मगर यह जरूर है कि हम इसकी तह में जाएं और यह समझने का प्रयत्न करें कि आज जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, क्या उसमें कुछ राजनैतिक दलों का हाथ है, क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ है। जिस तरह से आज गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए जा रहे हैं, देश के अन्दर वोटों को हासिल करने के लिए चाहे लोगों की लाशें बिछानी पड़े, क्या ऐसे लोगों की वजह से मामला गड़बड़ाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय इन्दिरा जी जिन्दा थीं उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस समय सदन में नहीं हैं, उनकी तरफ से बार-बार यह कहा जाता था कि इन्दिरा जी सो रही हैं कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं और जब उन्होंने ठोस कदम उठाया और पंजाब में फौज भेजी आर्मी भेजी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उन भारतीय जनता पार्टी के नेता वाजपेयी जी ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वहां फौज नहीं भेजी जानी चाहिए थी सिर्फ पुलिस के डण्डे से ही काम लेना चाहिए था। हर जगह वोट पाने के उद्देश्य से इसी तरह से जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी ने भी आर्मी भेजने का विरोध किया,

उनका बयान अखबारों में भी आया है।

अखबारों में उनका बयान आया है और यह कहा है कि वहां पर जो आर्मी भेजी गई है, वह गलत भेजी गई है। इससे क्या एक्स्ट्रीमिस्टों को बल नहीं मिलता, क्या उनकी इससे हिम्मत नहीं बढ़ती ? जो कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, नशे की दवाएं और गोला-बारूद इकट्ठा करते थे ? क्या इस बात से इन एक्स्ट्रीमिस्ट्स को यह विश्वास नहीं होता है कि इस देश में हमारी पीठ थप-थपाने वाले राजनीतिक दल मौजूद हैं और क्या इससे उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती ? इस देश में इन उग्रवादियों का मुकदमा लड़ने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, मैं समझता हूं उस समय मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लेखी जी ने इन्दिरा गांधी के हत्यारे को छुड़वाने का फैसला किया, क्या इससे इनकी मर्यादा की कोई सीमा रही, सारी दुनिया की मर्यादाएं इन्होंने तोड़ दीं। मैं जानना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं होगी कि प्रधान मन्त्री की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए कोई मुकदमा लड़ने जाए ? मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती और यह भी उस समय जब कि जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन में जिक्र किया है कि जो व्यक्ति इन्दिरा गांधी का कत्ल करेगा उसको एक लाख डालर इनाम दिया जाएगा। उसके पहले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान नहीं दिए और जब इन्दिरा गांधी जी ने अपने मरने से कुछ दिन पहले यह कहा कि देश को अंदरूनी और बाहरी ताकतों से खतरा है, तो इन लोगों ने कहा कि देश को न अंदरूनी और न बाहरी ताकतों से खतरा है, बल्कि देश को इन्दिरा गांधी से खतरा है। चौधरी चरण सिंह ने उनकी मौत के कुछ दिन पहले कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो वह इन्दिरा गांधी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी के कत्ल का अगर कोई जिम्मेदार है, तो यह राजनीतिक माहौल जिम्मेदार है। इसी राजनीतिक माहौल ने महात्मा गांधी की जान ले ली। ऐसा फिरकापरस्ती माहौल पैदा किया गया जिसने महात्मा गांधी की जान ले ली और अब श्रीमती इन्दिरा गांधी की जान ले ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की वे विरोधी पार्टियां भी इस मामले को खराब करने के लिए पूरी जिम्मेदार हैं। और देश में बैठे हुए उग्रवादियों को यह भरोसा है कि जब भी हम किसी की जान लेंगे तो वोट लेने की राजनीति में संलिप्त चंद भूखी पार्टियां हमारा साथ देंगी।

आज हम रामलीला मैदान में खड़े होकर यह कहना चाहते हैं कि सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, और सरकार निकम्मी साबित हुई है, तो ऐसी वोट लेने की भूखी पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने इन बिछी हुई लाशों के ऊपर अपने महल खड़े करने की कोशिश की है और इनको जब भी मौका मिला है कभी एक कम्युनिटी के लोगों को खुश करने की कोशिश की है, और कभी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हम कांग्रेस के लोगों ने और सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि हमसे कोई नाराज होगा, इन्दिरा गांधी को मालूम था कि वे अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रही हैं और किसी भी समय पता नहीं किस ओर से किस रिवाल्वर की गोली उनके शरीर को छूकर उनकी जान ले ले, लेकिन इन्दिरा गांधी ने उसकी चिंता नहीं की और देश के लिए अपनी जान दे दी।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में विजिलेंस पूरी तरह से फेल हुई है और

[श्री ललित माकन]

इस मामले में देश में जगह जगह पर बम रखे गए और कम से कम इस षड़यन्त्र को करने के लिए 200 आदमी जरूर सम्मिलित हुए होंगे क्योंकि देश के अन्दर बीसियों जगह पर बम रखे गए और इन बीसियों जगह पर बमों को रखने में कम से कम 200 आदमी हायर किए गये होंगे और उन 200 व्यक्तियों की गतिविधियों का पता हमारी इंटेलिजेंस को नहीं चला यह बड़ी अजीब बात है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश के अन्दर इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाए और इतना मजबूत किया जाए कि इस प्रकार का कोई वातावरण पैदा न होने पाए।

इन शब्दों के साथ-साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि इन उग्रवादियों की हरकतों को कुचल देना चाहिए और इस समय फैसला कर लेना चाहिए कि जब अकाली नेतृत्वहीन हो गया है और भिण्डरा वाले के पिता बनने वाले अकालियों के नेता इन्दिरा गांधी के हत्यारे बनने वाले हैं, तो सरकार को यह फैसला करना होगा कि अकालियों से बात नहीं करेंगे, उग्रवादियों से बात नहीं करेंगे और इनके आन्दोलन को कुचल देंगे और देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, शुक्रवार तथा शनिवार को घटी घटनाओं के कारण जिन व्यक्तियों की जानें गईं उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी तथा सदन के अन्य सदस्यों की पूरी-पूरी सहानुभूति है। प्रश्न काल स्थगित करके तथा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की स्वीकृति देकर सरकार ने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इसी से पता चलता है कि सरकार इस समस्या के प्रति कितनी चिंतित है।

प्रश्न उठता है कि उग्रवादी कौन हैं। इस बारे में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। अकाली वैसे तो उग्रवादियों की निंदा कर रहे हैं लेकिन हिंसा के इन कामों में शामिल उग्रवादियों का सम्मान भी कर रहे हैं। जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई तो अकालियों ने इसकी निंदा करने के लिए एक वक्तव्य जारी किया। लेकिन दूसरे ही दिन वक्तव्य वापस ले लिया गया और वे चुप बैठ गए। पंजाब मे हिंसा के जनक संत भिंडरावाले का अभिनंदन सिख-संघर्ष के नायक के रूप में किया गया। श्री लोंगोवाल ने इस हिंसा की निंदा की लेकिन दूसरे ही दिन दिल्ली में अपने दौरे के दौरान उन्होंने श्रीमती गांधी के हत्यारों, जो कि देशद्रोही हैं, का स्वागत किया। अकालियों तथा आतंकवादियों के बीच अन्तर करने वाली विभाजन रेखा इतनी बारीक है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अकाली है और कौन उग्रवादी। मैं श्री मधु दंडवते की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सभी सिख अकाली और सभी अकाली उग्रवादी नहीं हैं। लेकिन अकाली नेताओं के कथनों से देश की जनता शंका में पड़ गई है कि अकाली दल का उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य देश की एकता को बनाए रखना है ? क्या इसका उद्देश्य पंजाब मे शांति तथा खुशहाली बनाए रखना है ? वे चाहे कुछ भी कहें। उनके कथन उनकी करनी के विपरीत हैं।

प्रो० मधु दंडवते ने श्री प्रकाश सिंह बादल का वक्तव्य पढ़ा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रेस का सहारा न लेकर सदन को चुना है इससे हमारे दिलों में शंका पैदा हो

गई है। हम जानना चाहते हैं कि इस हिंसक कार्यों की निन्दा के प्रति अकाली दल कितना गंभीर है। मेरी समझ में अकाली नेतृत्व बहुत कमजोर तथा निष्प्रभावी हो गया है और वे नहीं जानते कि जो कुछ उन्होंने शुरू किया था उसे लेकर वे कहां तक पहुंचे हैं। उस संत भिंडरावाले को शहीद कहा जा रहा है जिसने लोगों के मनों में भय पैदा किया, पंजाब में सरकारी तंत्र में भय पैदा किया तथा जो पंजाब में घटी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है उसके पिता को अकाली दल का नेतृत्व सौंप दिया गया है। श्री लोंगोवाल तथा श्री टोहरा ने कहा है कि भिंडरावाले के पिता जो कुछ करेंगे वे स्वीकार्य है। यही लोग है जिन्होंने हिंसा में विश्वास किया, अलगाववाद का मामला उठाया तथा विदेशों से सहायता ली। इस मामले को बहुत हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। अकाली दल का नेतृत्व अपने हाथों में लेने वाले उग्रवादियों की गतिविधियों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

कुछ समय पहले श्री लोंगोवाल दिल्ली आए थे। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था। मालूम नहीं उसका परिणाम क्या रहा लेकिन अगले ही रोज उन्होंने श्रीमती गांधी के हत्यारों को शहीद कहा। देश की जनता के मनों में यह शंका उत्पन्न हो गई है कि क्या अकाली नेतृत्व वास्तव में इस हिंसा को समाप्त करना चाहता है ?

प्रो० मधु दण्डवते ने अपने भाषण में अनेक मुद्दों का उल्लेख किया लेकिन जब इस हिंसा को समाप्त करने के उपाय की बात उठी तो उन्होंने केवल यह कहा कि अकाली नेतृत्व में ऐसा कोई नहीं है जिससे समझौता वार्ता की जा सके अत: इन्तजार किया जाए। देश के विपक्षी दलों का यह रवैया है। जब कभी मौका पड़ा उन्होंने बहुत अनुत्तरदायी ढंग से काम किया है। सरकार द्वारा कोई कारंवाई न करने की तो वे आलोचना करते हैं लेकिन जब उपाय सुझाने की बात आती है तो वे कहते हैं कि इंतजार करो। समस्या खुद-ब-खुद हल हो जाएगी। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे विपक्षी नेताओं के किसी भी राय या वक्तव्य के अनुसार काम न करें। देश ने उन्हें तथा उनके दल को स्पष्ट बहुमत से जिताया है।

जिस तरीके से हमने पंजाब की स्थिति को संभाला, 'ब्लूस्टार' आपरेशन किया गया जिसको व्यापक रूप से सहमति प्राप्त हुई है और इस देश के लोगों ने स्पष्ट निर्णय और स्पष्ट जनादेश दिया है और इस सरकार तथा पिछली सरकार ने जिस ढंग से पंजाब की स्थिति से निपटा है, को स्वीकृति दे दी है।

मुझे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी समझ नहीं आती। उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है और आमतौर पर लोगों ने इसकी अवश्य ही प्रतिक्रिया प्रकट की होगी परन्तु इस कठिनाई के समय में हमें तो सरकार को स्पष्ट रूप से समर्थन देने की आवश्यकता थी बजाय इसके कि एकता भंग करने वाले इस प्रकार के कार्य किए जायें जिससे जनता के मन और आत्मविश्वास और अधिक डिग जाय।

मुझे अपनी गुप्तचर एजेंसियों के बारे में एक बात कहनी है। मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन गुप्तचर एजेंसियों के कार्यकरण पर एक बार फिर से निगाह डाली जाय। भारी संख्या में अपराध किए गए हैं, बड़ी संख्या में हिंसक घटनाएं घटी हैं परन्तु आमतौर पर हम उन लोगों को पकड़ने में असफल रहे हैं। जिनका इस प्रकार की घटनाओं के पीछे हाथ रहा है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाए। ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री आवश्यक कार्यवाही करेंगे। हमें उनके नेतृत्व में पूरा विश्वास है। मैं अनुरोध करूंगा कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक प्रकार से लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हमें आम जनता को और असैनिक रक्षा बल को संगठित करना है। इस प्रकार के हिंसा के मामलों से निपटने के लिए हमें किसी सीमा तक जनता को प्रशिक्षित करना होगा। इसलिए मैं गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे असैनिक रक्षा के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव सामने लायें ताकि इस आतंकवादी कार्यवाही को दबाया जा सके।

अकाली जिन विदेशी शक्तियों के हाथ की बात पर जोर दे रहे हैं, उस बात को भी निश्चित रूप से देखना चाहिए। माननीय सदस्यों में से एक ने बताया है कि पकड़े गए बमों में से एक बम पर पाकिस्तानी चिह्न थे; यदि यह बात सच है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री इस पर गौर करेंगे।

2.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय, पंजाब समस्या का केवल राजनीतिक समाधान हो सकता है। और यह कुछ रियायतें देने से हो सकता है। अतः माननीय प्रधानमन्त्री जी ने ठीक ही मार्ग अपनाया है। हमने इसे स्वीकार कर लिया है परन्तु उन्होंने तो शायद इसे केन्द्र सरकार की कमजोरी समझा है लेकिन यह तो ठीक दिशा की ओर एक कदम था और हमें पक्का विश्वास है कि इस प्रकार की रियायतें देकर हम अकाली नेताओं की मांगों का पर्दाफाश कर सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि वे केवल सत्ता ही चाहते हैं। उनकी कल्याणकारी योजनाओं में कोई रुचि नहीं है और न ही उनकी समस्या के समाधान में रुचि है।

श्री पी० कुलन्दई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने दल की ओर से और तमिलनाडु के लोगों की ओर से बम विस्फोटों के कारण दुखी परिवारों को हम अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। वास्तव में हाल की घटना अर्थात हाल के बम विस्फोट और धमाके राष्ट्र को एक चुनौती है। यह चुनौती नौजवानों को है, हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी को है जो नवयुवक हैं, और जो अपनी गतिविधियों में सक्रिय और गतिशील हैं। लेकिन हम इतिहास द्वारा जानते हैं कि उग्रवाद और आतंकवाद हमेशा असफल रहेगा और यह बुरी तरह से असफल रहेगा। आतंकवाद के संकट को जो अब उभर कर आ गया है, इसके लिए आम सहमति की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में दोहरी नीति के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि आतंकवादियों को पंजाब समस्या के समाधान से बिलकुल कोई दिलचस्पी नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य तो देश में भय, तनाव, और गड़बड़ी पैदा करना है। अतः उनको अपराधी कहा जाना चाहिए और वे भारत के विरोधी हैं। मैं अवश्य कहूंगा कि तमिलनाडु के लोग सदैव प्रधानमन्त्री के साथ हैं और वे उनके सभी विकास सम्बन्धी उपायों में और उग्रवाद तथा आतंकवाद को समाप्त करने में उनकी सहायता करने को तैयार हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आतंकवाद विरोधी प्रशासनिक व्यवस्था में तुरन्त सुधार किया जाय। इस दिशा में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। यह समझ लेना गलती होगी कि अपराधी हत्या करने वाले जत्थे होते हैं

जो हर जगह एक ही तरीका अपनाएंगे। लेकिन वे अन्य भी तरीके अपना सकते हैं।

अतः अब आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने का उपयुक्त समय है। आतंकवाद चाहे किसी प्रकार का हो, यदि आवश्यक हो तो उसे सख्ती से कुचल दिया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, यदि वह आतंकवादी है तो उसे तुरन्त ही हिरासत में लिया जाए।

मैं यह बात निष्ठापूर्वक कहना चाहता हूं, चूंकि हमारे माननीय प्रधान मंत्री गतिशील है वह शीघ्र ही 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहते हैं और वह हर क्षेत्र में देश की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस आतंकवाद और आतंकवादियों का दमन कर दें जो देश की प्रगति में बाधक हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो लोग आतंकवाद के मामले के बारे में जान-बूझकर टाल-मटोल करना चाहते हैं; उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में मान्यता अथवा आदर न दिया जाये। मैं अपने दल की ओर से यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में अत्यधिक दुःख के साथ बोलने को खड़ा हुआ हूं। मुझे उन निर्दोष व्यक्तियों के लिए अत्यधिक दुःख है, जिनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जिनका उस कारण से कोई सम्बन्ध नहीं था, जिस क्रूर कारण का सम्बन्ध एक ग्रुप के लोगों से है। मैं इस बात को ध्यान कर शर्म से नतमस्तक हूं कि इस देश में ऐसे भी क्रूर, पापी और हृदयहीन व्यक्ति हो सकते हैं। इस अत्याचार से मेरा मस्तक झुका जाता है।

हमारी गुप्तचर एजेंसियां सूचना एकत्र करने में असफल रही हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मैं किसी विद्वेष अथवा आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं। मुझे पता है कि हमें क्या-क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन यह स्थिति दो या तीन वर्ष से ही उत्पन्न हुई है और इसकी चरम परणति ब्लू स्टार आपरेशन थी और तदन्तर चरमसीमा के बाद एक दूसरी चरमसीमा हमारी श्रद्धेय, और प्रिय भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या से हुई। यह बात सभी को विदित है कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां विशेषकर इस बात का पता किसी भी प्रकार से नहीं चला पाई कि इन सब कृत्यों के पीछे किन लोगों का हाथ रहा है और विशेषकर अन्तिम दिनों में जब अकाली संगठन में आतंकवादी ग्रुप के अनेक नेता पाये गये और उन्होंने अकाली दल के कार्यकलापों को अपने हाथ में ले लिया। यह तो स्वाभाविक ही था और हमें यह आशा भी करनी चाहिए थी वे लोग न केवल अकाली दल का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे अपितु और भी कुछ न कुछ करेंगे। हमारी गुप्तचर एजेंसियां इन वर्षों के दौरान इसी प्रश्न में उलझी रही हैं। उन्हें इन व्यक्तियों के ग्रुपों का पता लगाना चाहिए, किस क्षेत्र में उनका परिचालन होता है और अच्छा तो यह होता कि वे लोग इन संगठनों में घुसपैठ करते तथा पहले से ही इस बात का पता लगा लेते कि क्या होने वाला है जिससे सरकार सचेत हो जाती और उपचारात्मक उपाय किये जा सकते थे। किन्तु हम लोगों को सदा अचम्भित होना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि क्या सरकार को भी आश्चर्यचकित नहीं होना पड़ा है। यही पहला मुद्दा है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यह बात रचनात्मक आलोचना की भावना से कह रहा हूं।

दूसरी बात जो समाचार पत्रों को पढ़कर हम लोग जान सके हैं, वह यह है जिस दिन पहला बम फटा था, उस दिन उस शहर के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया कि वहां इस प्रकार कि कोई घटना घटी भी है। यह घटना उस शहर के दूसरे हिस्से में भी हो सकती थी। हम लोग आकाशवाणी

[श्री जी० जी० स्वैल]

की सहायता ले सकते थे। हम लोग अन्य साधनों से जनता को चेतावनी दे सकते थे कि इस प्रकार की घटना घट चुकी है और जनता को इन कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इन कायर पुरुषों ने विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांजिस्टरों की तरह दिखने वाले खोलों के अन्दर बम छिपाकर रखे थे। इस बात का पता लगाने में भी हम असफल रहे।

इस बात को बता देने के बाद, मेरे विचार से आज की यह चर्चा लाभप्रद और ठीक रही है। यह ठीक है कि सरकार ने भी जो कुछ हो रहा है, उस पर चिन्ता प्रकट की है क्योंकि सरकार प्रश्न-काल को समाप्त कर इस विषय पर चर्चा करने को सहमत हो गई है। इस प्रकार का कार्यक्रम परि-वर्तन आमतौर पर तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि जो कुछ हुआ है, उसके प्रति हम लोग बहुत अधिक चिंतित और परेशान न हों। मेरे विचार से इस सभा को यह एक अच्छा अवसर मिला है जबकि यह सभा; यथा पूर्व उन सभी घटनाओं का मुकाबला करने के प्रति पुन: अपना क्रोध, अपना आक्रोश और अपनी दृढ़ता प्रकट कर सकती है, जो घटनाएं निरंतर निर्दोष व्यक्तियों तथा अनेक प्रकार से इस देश के लिए खतरा बनी हुई हैं। मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर भाषण तो कम दिये जाएं अपितु इस अवसर का सदुपयोग साफ-साफ शब्दों में इस नृशंसता की भर्त्सना करने में की जाये और यह कहा जाय कि इस प्रकार की नृशंसता और इस प्रकार के व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए हम लोग अपने प्रधान मंत्री के तथा सरकार के और सरकार के प्रयत्नों के समर्थक हैं। मेरा सुझाव है कि इस चर्चा की समाप्ति के पूर्व, यह सभा इस प्रकार के पाशविक कृत्यों की भर्त्सना करने का संकल्प लें तथा स्पष्ट शब्दों में एकमत होकर भर्त्सना करें। (व्यवधान) हम लोगों ने केवल उन निर्दोष व्यक्तियों के जीवन के प्रति दुःख प्रकट किया है अपितु हमें इसकी भर्त्सना करने तथा सभी प्रकार से इन घटनाओं का मुकाबला करने का संकल्प लेना चाहिए और हम लोग एकमत हैं और यह संसद सरकार तथा प्रधान मंत्री के उन सभी प्रयत्नों के प्रति अपना समर्थन अभिव्यक्त करती है, जो प्रयत्न इन व्यक्तियों को तथा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किए जाते हैं।

मेरा एक और विचार है। इस प्रकार के सारे कार्य सुनियोजित ढंग से किये जाते हैं। ये व्यक्ति इस प्रकार के कार्य तदर्थ आधार पर नहीं कर सकते थे --इनमें से अनेक व्यक्ति ये ट्रान्सिस्टर कैबिनेट या केसों में बम नहीं रख सकते थे। सैकड़ों व्यक्ति होंगे। उन्होंने हर जगह के लिए योजना बनाई होगी। ऐसे स्थान भी होंगे जहां इन सभी चीजों का, इन ट्रान्सिस्टर केसों का और गुप्त बमों का निर्माण किया जाता होगा और वितरण किया जाता होगा। इन स्थानों तक सरकार की पहुंच सम्भ-वत: होगी --मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार स्पष्ट करे और हम सबको बताये यह सब काम कहां होते हैं किन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार को पता होगा कि कहां क्या हो रहा है। कल ही किसी विशेष व्यक्ति के पकड़े जाने और दो आतंकवादियों को उनके ही घर में दबोचे जाने से इस बात का संकेत मिलता है। किन्तु मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि इन आतंकवादियों के एकत्र होने के स्थान कहीं न कहीं तो होंगे ही। ऐसे व्यक्तियों का भी एक दल होना चाहिए जो इन गति-विधियों का निदेश देता है और इन पर नियन्त्रण रखता है। जब तक उनका पता नहीं लग जाता और उसे मूल रूप से नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक यह खतरा बना रहेगा। आज मैं किसी वस्तु में

छिपे बम हैं तो कल को और कुछ हो सकता है। हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में उन्होंने कुछ निपुणता प्राप्त कर ली है। कल ही हम लोगों ने अमरीकी कांग्रेस में भारत के मानव अधिकारों के उलंघन किए जाने के बारे में एक लेख पर चर्चा की थी। कुछ काल्पनिक बातें कही गई हैं और ये लोग सुनते रहे। विश्व में इस प्रकार की झूठी बातों का प्रचार किया जा रहा है कि भारत में सिखों के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है और भारत में सिखों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। हमें इन बातों का मुकाबला करना होगा। ऐसे लोग चाहे अमरीका में हों अथवा विश्व के किसी भी कोने में हों और यदि वे कहते हैं कि इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है, जिसका ये लोग प्रचार करते हैं। हमें इन बातों का मुकाबला इसी स्तर पर करना होगा। उनके इन झूठे कार्यकलापों के विरुद्ध हमें संघर्ष करना होगा। सरकार तथा सरकारी एजेंसियों को इसका पता लगाना चाहिए। आम जनता और संसद सदस्य उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। सरकार ही पूर्वानुमान लगा सकती है, जनता नहीं। इस बात को मैं बार-बार कहता रहा हूं कि चाहे देश हो अथवा विदेश, हम लोग उनकी गतिविधियों का पहले से पता लगाने में असफल रहे हैं। इन बातों का पहले से पता लगाने में हम लोग बार-बार असफल रहे हैं और घटना के घटित हो जाने पर कोई कार्यवाही कर पाये हैं। मैं प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे बहुत कुछ कहना भी नहीं है और वास्तव में बहुत कुछ कहने का कुछ है भी नहीं। अन्य सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता कि उस व्यक्ति ने यह कहा था और उसने यह। यह एक ऐसा अवसर आ पहुंचा है, जहां हमें अपने दलगत मतभेदों को, अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भूल जाना चाहिए और एकजुट होकर सरकार को सहयोग देना चाहिए। यदि प्रधान मंत्री को सहयोग की आवश्यकता है, तो वह आज चाहिए और हम लोग हर सम्भव तरीके से यह सहयोग देने का संकल्प लें।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, शनिश्चर और इतवार की रात को दिल्ली में और उसके आसपास के शहरों में जो बमों के धमाके हुए और बहुत सारे इन्सान मारे गए जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, ऐसे एक्ट करने वालों को जो कंडेम किया गया, मैं इस कंडेमनेशन में अपने आपको शामिल करता हूं। जिन सख्त से सख्त लफ्जों में भी इसको कंडेम किया जाए वह कम होगा।

हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब का मामला हल करने के लिए काफी कंसेशन दिये। उनसे बातचीत करने के लिए पहल की। उनकी जुडीशियल इंक्वायरी की जो मांग थी कि दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में जो वाकयात हुए थे, उनकी जुडीशियल इंक्वायरी हो, उसको भी कंसीड किया। एक जमात आल इंडिया सिख स्ट्यूडेंट्स फेडरेशन के मेम्बरों को रिलीज किया गया। इनके बावजूद भी ये वाकयात हुए। जैसा कि और आनरेबल मेम्बर साहेबान ने कहा कि जब कभी भी हम किसी सोल्युशन की तरफ थोड़ा-सा कदम बढ़ाते हैं और कोई थोड़ी-सी रोशनी की किरण नजर आती है कि कुछ आगे बढ़ने का समय आ रहा है तो उस वक्त ऐसा होता रहा है। अब जो लेटेस्ट तरीके अख्तियार किए गए जिसमें ट्रांजिस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। यह बात बहुत सारे साथियों ने कही।

हमें प्रेस में यह पढ़ने को मिला और उसमें यह कहा गया कि नेबरिंग कन्ट्रीज से दो-तीन सौ आतंकवादी हमारे देश में दाखिल हो गए हैं और पता नहीं वे किस जगह पर स्ट्राइक करें। यह जो

[श्री पी० नामग्याल]

ट्रांजिस्टर बमों का सिलसिला रहा, पता नहीं कहां-कहां किस-किस दफ्तर में डालने का भी उनकी मंशा रही हो।

2.20 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमेशा उनका स्ट्राइक करने का सिलसिला अलग-अलग रहा है। कभी रेलवे स्टेशंस को आग लगाना शुरू किया, मर्डर तो तकरीबन हर रोज होते रहे हैं, अब यह बमों का सिलसिला शुरू हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं, पहले समझा गया था कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादियों का नर्व-सेंटर खत्म हो गया है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उनका सेंटर देश में नहीं, बल्कि कहीं बाहर है। बाहर शिफ्ट हुआ है और वहां से बाकायदा ट्रेनिंग लेकर इनफिल्ट्रेट करके ये लोग आते रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहा है। मैं जहां तक समझता हूं, यह कोई मामूली कांसीप्रेसी नहीं है। इंटर-नेशनल आर्गेनाइज टेररिज्म और प्लान्ड टेररिज्म इसमें काम कर रहा है। इसमें किसी बहुत बड़े इम्पीरियलिस्टों का हाथ है, इसके बगैर इतने लार्ज-स्केल पर यह नहीं हो सकता जोकि हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहता है। लिहाजा हमको देखना है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। बाहर से लोग ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और हमारे देश में बहुत गड़बड़ी पैदा की जा रही है। कहा जाता है कि हमारे देश से कोई 8000 डायमंड कटर्स हैं, वे रोम के थ्रू इजराइली कौंसिल से पर्ची लेकर इजराइल गए हैं, क्योंकि यहां से तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वहां जाकर "मोसाद" जो सी० आई० ए० का काउंटर पार्ट है, उनके थ्रू ट्रेनिंग ली जाती है और कहा यह भी जाता है कि जो गुजरात में वाकयात हो रहे हैं, उसमें चन्द एक लोगों का हाथ होना बताते हैं। यह भी सरकार को देखना है कि कहां तक सच है, लेकिन यह बात चल रही है, उसके बगैर यह सब नहीं हो सकता। उनका इरादा यही है कि मुल्क में किसी न किसी रूप में कोई न कोई ट्रबल क्रिएट की जाए। पहले आसाम में काफी गड़बड़ रही, पंजाब में रही, जम्मू-कश्मीर में रही, अब गुजरात में भी तो यह किसी न किसी ढंग से कोई न कोई ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है बात करने का।

लोंगोवाल जी और दूसरे जो लीडर्स हैं, प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, तो बात किससे की जाए। एक्स्ट्रीमिस्ट्स से तो बात नहीं की जा सकती, उनको टैकल करने की जरूरत है। जैसे प्रो० दण्डवते और दूसरे साथियों ने कहा कि हर सिख एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं है, यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मेजारिटी नेशनेलिस्ट्स की है और वे नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म की ट्रबल हो। तो जो माडरेट हैं, नेशनेलिस्ट सिक्ख हैं, उनको आर्गेनाइज करके उनसे बातचीत चलाने की जरूरत है, ताकि यह सिलसिला बातचीत के जरिए से सुलझ जाए और इसके लिए जितने भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंसा हो, उन लोगों की हमें मदद लेनी चाहिए, ताकि हम कहीं सोल्यूशन की तरफ आगे आ सकें।

स्पीकर साहब बार-बार घण्टी बजा रहे हैं इसलिए मेरी यही तजवीज है कि जितने भी नेशनल सिख हैं वे आरगेनाइज्ड होकर देश की मदद करें और इस समस्या का सोल्यूशन किसी न किसी तरह निकाला जाए। जो केजुअल्टीज हुई हैं या बम ब्लास्ट में लोग मारे गए हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं और इन चन्द शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

شری پی۔ نام گیال (لداخ)

اپادھیکش مہودے شنی وار اور اتوار کی رات کو دھلی میں اور اس کے آس پاس کے شہروں میں جو بموں کے دھماکے ہوئے اور بہت سارے انسان مارے گئے جن میں عورتوں اور بچے بھی شامل تھے ایسے ایکٹ کرنے والوں کو جو کنڈیم کیا گیا ہیں اس کنڈمنیشن میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ جن سخت سے سخت لفظوں میں بھی اس کو کنڈم کیا جائے وہ کم ہوگا۔

ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پنجاب کا مسئلہ حل کرنے کے لئے اکالیوں کو کافی کنسیشن دئے۔ ان سے بات چیت کرنے کے لئے پہل کی۔ ان کی جوڈیشل انکوائری کی جو مانگ تھی کہ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو واقعات ہوئے تھے۔ ان کی جوڈیشل انکوائری ہو اس کو بھی کنسیڈر کیا۔ ایک جماعت آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبروں کو ریلیز کیا گیا۔ ان کے باوجود بھی یہ واقعات ہوئے۔ جیسا کہ اور آنریبل ممبر صاحبان نے کہا کہ جب کبھی بھی ہم کسی سالیوشن کی طرف تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں اور کوئی تھوڑی سی روشنی کی کرن نظر آتی ہے کہ کچھ آگے بڑھنے کا سمے آرہا ہے تو اس وقت ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب جو لیٹیسٹ طریقے اختیار کئے گئے جس میں ٹرانزسٹر بموں کا استعمال کیا گیا یہ بات بہت سارے ساتھیوں نے کہی۔

ہمیں پریس میں یہ پڑھنے کو ملا اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیبرنگ کنٹریز سے دو تین سو extremists ہمارے دیش میں داخل ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں وہ کس جگہ پر اسٹرائک کریں۔ یہ جو ٹرانزسٹر بموں کا سلسلہ رہا پتہ نہیں

کہاں کہاں کس کس دفتر میں ڈالنے کا ابھی ان کا منشا رہا ہو۔

14.20 hrs.

(MR. SPEAKER IN THE CHAIR)

ہمیشہ ان کا اسٹرائک کرنے کا سلسلہ الگ الگ رہا ہے۔ کبھی ریلوے اسٹیشنس کو آگ لگانا شروع کیا مرڈر تو تقریباً ہر روز ہوتے رہے ہیں اب یہ بموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پہلے سمجھا گیا تھا کہ آپریشن بلو اسٹار کے بعد آتنک وادیوں کا نرد سینٹر ختم ہو گیا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سینٹر دیش میں نہیں بلکہ کہیں باہر ہے۔ باہر شفٹ ہوا ہے اور وہاں سے باقاعدہ ٹریننگ لے کر انفلٹریٹ کر کے یہ لوگ آتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی کانسپریسی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ٹیررزم اور پلانڈ (planned) ٹیررزم اس میں کام کر رہا ہے۔ اس میں بڑے امپیریلسٹوں کا ہاتھ ہے۔ اس کے بغیر اتنے لارج اسکیل پر یہ نہیں ہو سکتا جو کہ ہمارے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے لہٰذا ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ باہر سے لوگ ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے دیش میں بہت گڑبڑی پیدا کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیش سے کوئی ۸... ڈائمنڈ کٹرس ہیں وہ دم کے تھرو اسرائیلی کونسل سے پرچی لے کر اسرائیل گئے ہیں کیونکہ یہاں سے تو ڈپلومیٹک ریلیشنس نہیں ہیں وہاں جا کر "موساد" جو سی آئی اے کا کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے تھرو ٹریننگ لی جاتی ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو گجرات میں واقعات ہو رہے ہیں ان میں چند ایک لوگوں کا ہاتھ ہونا بتاتے ہیں۔ یہ بھی سرکار کو دیکھنا ہے کہ کہاں تک سچ ہے۔

لیکن یہ بات چل رہی ہے کہ اس کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا۔ ان کا ارادہ یہی ہے کہ ملک میں کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی ٹربل کریٹیٹ کی جائے۔ پہلے آسام میں کافی گڑبڑ رہی پنجاب میں رہی جموں کشمیر میں رہی اب گجرات میں بھی کسی نہ کسی ڈھنگ سے کوئی نہ کوئی ٹربل کریٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے بات کرنے کا۔ لونگو وال جی اور دوسرے جو لیڈرس ہیں.... پریس رپورٹ کے مطابق انہوں نے استعفے دیئے ہیں تو بات کس سے کی جائے۔ ایکسٹریمسٹس سے تو بات نہیں کی جا سکتی انکو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پروفیسر دنڈا وتے اور دوسرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہر سکھ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے یہ بالکل درست بات ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں میجارٹی نیشنلسٹس کی ہے اور نہیں چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹربل ہو۔ تو جو ماڈریٹ ہیں۔ نیشنلسٹ سکھ ہیں ان کو آرگنائز کرکے ان سے بات چیت چلانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ بات چیت کے ذریعہ سے سلجھ جائے اور اس کے لئے جتنے بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہنسا ہو ان لوگوں کی مدد لینی چاہیئے تاکہ ہم کہیں سالیوشن کی طرف آگے جا سکیں۔

اسپیکر صاحب بار بار گھنٹی بجا رہے ہیں اس لئے میری یہی تجویز ہے کہ جتنے بھی نیشنل سکھ ہیں وہ اپنے آپ آرگنائزڈ ہو کر دیش کی مدد کریں اور اس سمسیا کا سالیوشن کسی نہ کسی طرح نکالا جائے۔ جو گیزوئلٹیز ہوئی ہیں یا بم بلاسٹ میں لوگ مارے

گئے ہیں ان کے ساتھ سہانبھوتی پرکٹ کرتا ہوں اور ان چند شبدوں کے ساتھ اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, आपके माध्यम से, सर्वप्रथम मैं अपने देश की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसाकि इसके बारे में विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, यह बड़ी गम्भीर बात है। इस मामले को हम लोग यों ही नहीं छोड़ सकते जबकि वर्तमान समय में हमारा देश खतरे में है। उग्रवादियों और आतंकवादियों द्वारा दिल्ली तथा उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में बम विस्फोट किये गये हैं, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र है जिसका प्रयोग हमारे देश की स्थिरता को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। इस बात को हम नजरन्दाज नहीं कर सकते। हाल में ही में जो नये सिरे से हिंसक घटना हुई है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। महोदय, बहुत समय बाद सरकार ने सही दिशा में सही कदम उठाये हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में जो हिंसक घटनाएं हुई थीं उनका पता लगाने के लिए सरकार ने न्यायिक जांच कराई थी। सरकार ने अखिल भारतीय सिख छात्र संघ से प्रतिबन्ध हटा लिया था। सरकार ने श्री लोंगोवाल और बादल जैसे अन्य नेताओं को छोड़ दिया था। श्री लोंगोवाल हाल में दिल्ली आये थे और उन्होंने कुछ अच्छी बातें कहीं कि भारत एक है और वे लोग नहीं चाहते कि भारत को विभाजित किया जाय तथा वे लोग भारत में ही रहेंगे। उन्होंने यह सब कहा किन्तु वह घटनाओं और परिस्थितियों से विवश थे। इसीलिए उन्होंने कुछ और बातें भी कही थीं। जो कुछ भी हो सरकार ने सही कदम उठाया था। किन्तु अकाली पूर्णरूपेण सहयोग नहीं दे सके क्योंकि वे परवश परिस्थिति में हैं, भारत के सभी सुविचारकों का मत था कि सरकार उचित कदम उठाने का प्रयत्न कर रही है। वर्तमान हिंसा की घटनाओं का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करना था। प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था कि दोनों दलों—सरकार और अकालियों के बीच जब कभी समाधान का अवसर आता है — और जब कभी वे लोग किसी बात पर समझौता करते हैं तभी हिंसात्मक घटना की बाढ़ आ जाती है। दिल्ली तथा भारत के उत्तरी भागों में हुई अनेक हिंसात्मक घटनाओं का उद्देश्य समाधान की सामान्य प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करना था। अब, उत्तरी भारत में एक गम्भीर भावना व्याप्त हो गई है। मैं सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार तथा हमारी जनता भी उग्रवादियों द्वारा फैलाये गए जाल में नहीं फंसना और हम लोगों को भड़कावे में नहीं आना चाहिए ताकि नवम्बर जैसी साम्प्रदायिक दंगों की आवृत्ति न हो। अन्यथा आतंकवादी यह घोषणा कर देंगे कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं हैं और वे लोग भारत में शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हैं। वे लोग यही चाल चल रहे हैं और हमें इस स्थिति को दृढ़ता से निपटना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही उग्रवादियों द्वारा बिछाये गए जाल में हम लोग नहीं फंस सकते हैं और महोदय, जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं; तो हमें उन विदेशी सरकारों और विदेशी राष्ट्रों को नहीं भूल जाना चाहिए जो उग्रवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हम न तो पाकिस्तान को भूल सकते हैं और न ही अमरीका को। 1950 के दशक से जब से भारत ने सोवियत संघ और साम्यवादी विश्व के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ 'सैंटो' और 'सीटो' में सम्मिलित होने से मना किया है, अमरीका हम लोगों से रुष्ट है। भारत तटस्थ रहना चाहता है और अमरीका भारत की गुट निरपेक्षता पसंद नहीं करता। इसलिए पूरे विश्व के प्रति अमरीकी साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण भूमिका का यह एक अंश है। हम लोगों को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि अमरीका वासियों ने ही पांच सूत्री सिद्धांतों अर्थात् पंचशील के आधार बन्डुंग में आरम्भ किये सम्मेलन को भंग करना चाहा था। पहले हुई घटनाओं को हमें नहीं

[श्री नारायण चौबे]

भूलना चाहिए और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में जो कुछ हो रहा है वह साम्राज्यवादी देशों के कार्य-कलापों का परिणाम है। क्या किया जाना चाहिए ? पिछले दिन प्रधानमन्त्री ने विरोधी दलों की एक बैठक बुलाई थी। मेरा विचार है कि सरकार धैर्य से काम ले और सरकार को आतंकवादियों के प्रति दृढ़ता से काम लेना चाहिए। कुछ साम्प्रदायिक व्यक्ति सरकार को पहले से कायर कह रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार उचित कार्यवाही करने में असफल रही है, सरकार ने कुछ अवांछित व्यक्तियों को छोड़ दिया है और इसीलिए ये सब घटनाएं हो रही हैं। वे सभी साम्प्रदायिक लोग हैं जो भावनाओं को उभारना चाहते हैं। किन्तु यह सौभाग्य की बात है कि अधिकांश भारतीय इन बातों को पसन्द नहीं करते। वे लोग चाहते हैं कि भारत अखंड रहे, आतंकवादी ताकतों को कुचल दिया जाय और इसके साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि पिछले नवम्बर में दिल्ली में जो घटनाएं हुई थीं, उनकी पुनरावृत्ति न हो। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए कि भारत में इन बातों की पुनरावृत्ति न हो।

स्थिति को सामान्य बनाने के प्रति कुछ प्रक्रिया आरम्भ तो की गई थी और समय के बीतने के साथ स्थिति सामान्य भी होती जा रही थी किन्तु आतंकवादी इस प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करने में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि सरकार न तो बहकावे में आएगी और न भयभीत होगी अपितु आतंकवाद का दमन करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेगी। सरकार को चाहिए कि जो प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है, वह यथावत चलती रहे, यद्यपि स्थिति कुछ अधिक ही जटिल हो गई है।

इस मामले के साथ श्री के० के० तिवारी के समान व्यवहार नहीं करना चाहता हूं। अपितु मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाली दल को कमजोर बनाने के सरकार के सभी प्रयत्नों के परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। लोंगोवाल और बादल इस्तीफा दे चुके हैं और अन्य व्यक्ति भी इस्तीफा दे रहे हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा है, जिससे बात की जा सके। सरकार के लिए यह खुशी की बात नहीं है। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जिससे सरकार इस समय बात कर सके। नये नेतृत्व के गठन तक प्रतीक्षा करनी होगी। अकाली दल के मध्यवर्ती ग्रुप को सशक्त बनाया गया होता, यदि सरकार ने अकाली दल के इन लोगों को अशक्त बनाने के लिए भिन्डरावाला को लाने की चेष्टा न की होती तो शायद परिस्थिति इस तरह न बदल गई होती। अकाली दल को कमजोर बनाने के सरकार के प्रयास का उल्टा असर हुआ।

मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा दल, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, पंजाब में कितनी अल्प संख्या में क्यों न हों, हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते रहे हैं और जब कभी भी सरकार कोई उचित कदम उठायेगी, हम सरकार का समर्थन करते रहेंगे। सरकार यदि उचित कदम उठाती है; तो पूरा राष्ट्र उसका समर्थन करेगा।

आतंकवादी चाहे जो करें, भारत अखंड रहेगा और 'खालिस्तान' नहीं बन पायेगा। सिख

हमारा साथ देंगे और हमारे साथ-साथ पंजाब भी भारत के साथ रहकर खुशहाल होगा। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, सरकार को सही कदम उठाने चाहिए।

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं जिन लोगों को गत कुछ दिनों के दौरान आतंकवादियों अथवा उग्रवादियों, चाहे जो कहा जाए, के हाथों परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम सभी इसको अत्यन्त गम्भीरता से लेते हैं। इसने एक नया मोड़ लिया है, आतंकवादियों द्वारा एक नये स्तर पर कार्य किया जा रहा है, और इस पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करनी होगी। किन्तु यह खेद की बात है कि पूरे देश के सामने इतनी गम्भीर समस्या होने के बावजूद विरोधी दल के पचास सदस्य भी सभा में उपस्थित नहीं हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे मामलों को वे लोग कितना महत्त्व देते हैं। अन्ततोगत्वा लोगों ने इस सभा में जो कुछ कहा है, सभा के विचार में तथा भावना में कोई अन्तर नहीं है, जो अभिव्यक्त की जा रही है और एक यही मामला है जिस पर विरोधी दल और सरकार एक मत होकर आतंकवादियों और उग्रवादियों को देश से बाहर उखाड़ फेंकेंगे।

गृह मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे और मैं उनके क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहता। मुझे विश्वास है कि वह इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्या कार्यवाही की गई है, क्या परिणाम निकले हैं; कौन-कौन से विशेष दल गठित किये गये हैं, कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं, वह उन सभी बातों का उत्तर दे देंगे जिनके बारे में उन्हें पता है कि क्या विशेष उपाय किये गये हैं और उनका प्रयोग कहां-कहां किया गया है, आदि। मुझे यह नहीं मालूम कि उनको जो भी जानकारी है, उसे वह आज सभा के समक्ष रख सकेंगे या नहीं, किन्तु जो सूचना वह खोज कार्य के कारण अथवा आगे की जाने वाली कार्यवाही के कारण वह प्रकट न कर सकेंगे, उसके बारे में मुझे विश्वास है कि जैसे ही सहूलियत होगी, किसी भी मामले में बिना किसी विद्वेष के वह सारे तथ्य यथा शीघ्र सभा में प्रस्तुत कर देंगे।

एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन और अन्य प्रशासनों ने जनता को इस बात की जानकारी दे दी है कि इस प्रकार के बम काण्ड घटित हो रहे हैं और इन उपकरणों से जनता को खतरा है। मेरे विचार से प्रशासन ने शीघ्र ही कदम उठाए हैं; क्योंकि यद्यपि अनेक बम फट गये थे, तथापि हम लोगों ने अनेक बमों पर काबू पा लिया है जिन्हें प्रचार के कारण जनता यह पहचान गई थी कि वे बम हैं। इससे खोज कार्य में सहायता मिल रही है। इसलिए यह प्रशासन की कमी न थी। वास्तव में जिस तेजी से उन्होंने प्रचार किया और जिस तेजी से इस सूचना का प्रसार हुआ उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसी के कारण अनेक बम युक्त उपकरणों को फटने से बचाया जा सका।

सदस्यों को इस बात की ठीक ही आशंका थी जिस गति से हमने आतंकवादियों की धर-पकड़ की है। हमारी कुछ रुकावटें और कुछ परेशानियां हैं। कानून के कारण भी हमारी कुछ सीमाएं हैं। कल या परसों हम इस सभा में कुछ संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं और हम लोग इस बात का विचार

[श्री राजीव गांधी]

कर रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। क्या आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे कानून पर्याप्त हैं? यदि नहीं हैं, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हम इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

एक सदस्य ने उल्लेख किया था कि आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक मंत्री होना चाहिए। महोदय मेरा निवेदन है कि हमारे पास एक ऐसा मंत्री है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हुआ आपने शक दूर कर दिया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उनका विचार है कि उन पर असुरक्षा का आरोप है।

श्री राजीव गांधी : हम इस बात की जड़ तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, जो पंजाब के लिए समस्या बनी हुई है। वास्तव में इस लड़ाई का राजनैतिक पहलू नहीं है। यही एक ऐसी समस्या है जहां भारत की एकता और अखण्डता के लिए हमें समझौते और सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए और जहां हमें नमनशील होना चाहिए।

परन्तु इसके साथ ही साथ जहां हिंसात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैदा होगा, जहां उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद की स्थिति लाने की बात होगी, जहां हमारे राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को खतरा होने का प्रश्न उठेगा तथा जहां एक भाग के अलग होने का प्रश्न उठेगा वहां हमें सख्ती से निपटना होगा। हमें सख्त बनना होगा और हमें आशा है कि सारा सदन इन दोनों नीतियों को एक साथ अपनाने में हमारे साथ होगा।

महोदय, एक दल जल, चण्डीगढ़ तथा क्षेत्र की बात कर रहा है। परन्तु हो सकता है, वास्तव में वे जिसकी बात कर रहे हैं वह सारे पंजाब क्षेत्र के सम्बन्ध में है—किस प्रकार से मुख्य मंत्री पद पर बैठ सकते हैं; जबकि एक अन्य ग्रुप है जो उसी क्षेत्र के बारे में अलग ढंग से इसे छीन लेने के बारे में बातें कर रहा है। हमें दूसरे ग्रुप के साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा; और हम ऐसा करेंगे।

प्रो० दण्डवते ने कुछ मुद्दे उठाये हैं जिनको मेरे विचार में थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके बारे में हम सबको मालूम है; इस पर हम बहुत बार वाद विवाद कर चुके हैं। उन्होंने जो अधिकांश आरोप लगाए हैं उनका अधिकाधिक उत्तर इस सदन में दिया जा चुका है। बार-बार उन पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

उन्होंने स्वर्ण मन्दिर परिसर में भोजन के साथ हथियार चोरी छिपे ले जाने का प्रश्न उठाया है—ठीक, उन्होंने भोजन के ट्रक कहा। परन्तु अगर मुझे ठीक से याद है, यह भोजन के ट्रकों मे था; परन्तु यह गेहूं की बोरियों में भी था तथा भोजन के थैलों में भी। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ट्रक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के थे, और इन ट्रकों को अन्दर आने और बाहर जाने की विशिष्ट अनुमति उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति देती थी। इस समय से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। अत: यद्यपि हम सभी यथा सम्भव निबाहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम यह नहीं भूल सकते कि ये गतिविधियां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की पूर्ण मदद के बिना नहीं हो सकती थी। अगर लोग स्वर्ण मन्दिर में गये हों, वे अकाल तख्त के अन्दर बैठे हुए थे, वे वहां पर इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें उसके अन्दर आने की प्रबन्धकों से अनुमति प्राप्त थी।

अब, एक और छोटी सी बात है। प्रो० दण्डवते जी ने कहा : हो सकता है, हम एक धातु-खोजी लगा (मेटल डिटेक्टर) यन्त्र लगा सकते हैं जिसके अन्दर पूरा ट्रक गुजर सके। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि ट्रक धातु के बने होते हैं। अत: उनका पता लगाया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इलेक्ट्रानिक यन्त्र के लिए कहा था, और धातु-खोजी यन्त्र हमारे लिए; तथा उनके लिए, इलेक्ट्रानिक यन्त्र।

श्री राजीव गांधी : जैसा कि मैंने पहले कहा, एक सदस्य ने कहा कि सभी अकाली नेता एक जैसे नहीं हैं। सभी सिख एक जैसे नहीं हैं; सभी सिख अकाली नहीं हैं। सभी अकाली दल के लोग आतंकवादी नहीं हैं। यह सत्य है, और हमें यह ज्ञात है। परन्तु सदस्यों ने यह कहा है।

प्रो० दंडवते जी ने बादल जी द्वारा लिखित एक पत्र पढ़कर सुनाया है जो, उन्होंने कहा, कि प्रेम पत्र नहीं था। हो सकता है, किसी दिन वह अपने किसी अन्य पत्र को भी पढ़कर सुनाएं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अगर यह प्रेम पत्र होता तो मैं इसे यहां पढ़कर नहीं सुनाता।

श्री राजीव गांधी : मैंने कहा है : हो सकता है, किसी दिन वह अपने किसी अन्य पत्र को भी पढ़कर सुनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसकी अनुमति देने की आपको मुझसे आशा है, महोदय ?

श्री राजीव गांधी : उनको पत्रों को जाने बिना मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

परन्तु मेरे विचार में यह हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घड़ी है; और जैसा कि

[श्री राजीव गांधी]

बहुत से सदस्यों ने कहा है, अकाली दल के सदस्य खुलकर सामने आये हैं, शायद पहली बार इतने प्रभावी ढंग से वे खुलकर सामने आये हैं। मेरे विचार में यह एक रचनात्मक कदम है; न केवल अकाली दल बल्कि पहली बार हम यह देख रहे हैं कि बहुत से सिख खुलकर इन कार्यवाहियों की निन्दा कर रहे हैं और अपने सिख भाइयों व बहनों ने इन कार्यवाहियों की खुलकर निंदा करने में जो साहस दिखाया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किसी समय उन्हें भी आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा; और सारे सदन को उन सभी सिखों को बधाई देनी होगी जिन्होंने साहस दिखाया है तथा इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सामने आये हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हमें उससे ऊपर उठना होगा जो कुछ हम सहज ही में करना चाहते हैं अथवा महसूस करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अपने विचार खुले रूप में व्यक्त करने दें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे पास आज एक विकल्प है। हमारे पास आज उग्रवादियों तथा आतंकवादियों के छोटे से ग्रुप का विरोध करने तथा भारत के शेष सिखों को अपने साथ लेकर चलने का विकल्प है। जब मैं कहता हूं 'हमारे साथ' तो मेरा अर्थ सरकार से नहीं है, मेरा मतलब सदन से है, देश से है। और हम आसानी से गलती कर सकते हैं, एक गलत कदम उठा सकते हैं और हमारे विवेक में छोटी सी भूल अथवा हमारी कार्यवाही में की गई थोड़ी सी जल्दबाजी उस सारे ग्रुप को हमारे विरुद्ध कर सकता है। और यह ऐसी स्थिति है जहां हमें पूर्ण संयम तथा बड़े धैर्य के साथ कार्यवाही करनी होगी और वास्तव में हम वह बात कर रहे हैं जो गांधी जी ने हमें शुरू से सिखाई है, अन्तिम क्षण तक अहिंसा। उन्हें हमें भड़काने दीजिए। परन्तु पहले की भांति, फिर से बहुत से सदस्यों के कहने पर चर्चा शुरू हुई, प्रत्येक बार यह शुरू होकर निर्णय की तरफ चलता है और यह शुरू होकर निष्कर्ष पर पहुंचती है और स्थिति अच्छी होने लगती है कि कुछ हो गया। हम सबने इस उत्तेजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका क्या परिणाम निकला? उसका परिणाम यह था कि जो भी प्रक्रियाएं शुरू की गई थीं उन्हें तिलांजलि दे दी गई। अब, जो कार्यवाही हमने शुरू की है उसको चालू रखने के लिए हमें साहस दिखाना होगा और हमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और उग्रवादियों को इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से अलग-थलग करने के लिए साहस करना होगा। यह काम करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जरूरत होगी। और यह ऐसा समय है जब विरोधी दल के सदस्यों को, विशेषकर विरोधी पक्ष के नेताओं को इसे सरकार के साथ अथवा किसी दूसरे दल के साथ एक राजनैतिक युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही सरल है। यह सबसे सरल तरीका है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या यहां पर आपको ऐसा युद्ध महसूस हो रहा है?

श्री राजीव गांधी : मैं इस बात पर आऊंगा। मैं प्रो० दंडवते जी की बात का जवाब दूंगा। नहीं, सदन में ऐसा नहीं हुआ है। परन्तु मैं इसकी थोड़े समय बाद चर्चा करने वाला था अर्थात्, जो कहा गया है उस पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए। जब तुरन्त ही बन्द का आह्वान किया जाता है, जब

तुरन्त ही लोगों द्वारा कार्यवाही की जाती है तो यह अधिक क्षति पहुंचाने वाला है और इसके प्रति हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। मैं दोष लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी पर भी दोष लगाना ठीक नहीं होगा। हमें उस प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना होगा जिसको हमारी कार्यवाही के प्रति, जो हम कर रहे हैं; कोई अंदेशा है। वास्तव में यही एक ठीक कार्यवाही करने का तरीका है और कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं है।

आज हमने देखा है कि अकाली दल के नेताओं, अकाली दल के परम्परागत नेताओं ने किसी हद तक एक निर्णय लिया है। हो सकता है कि हम सभी यह चाहते हों कि उन्हें और भी दृढ़ कदम उठाने चाहिए थे। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले वे इतना भी नहीं कर सकते थे। हमें तो ठोस पहलू को देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनके स्वयं के निर्माण में मदद दे सकते हैं और उनकी इस प्रकार से सहायता न करें कि हम उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा दें परन्तु हमें अपने कार्यों से उनकी सहायता करनी है न कि प्रतिक्रिया व्यक्त करके जैसा कि उग्रवादी तथा आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। वे अभी तक यही चाहते रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये और सारी कौम देश से अलग हो जाए। और आज हम ऐसी ही स्थिति से बचना चाहते हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से भी इन आतंकवादी गतिविधियों में 'विदेशों का हाथ' की बात सुनकर अच्छा लगा है। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब कभी भी सत्ता पक्ष ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने इसका बहुत ही व्यंगात्मक तरीके से विरोध किया। परन्तु तथ्य यह है कि इसमें विदेशों का हाथ है। आप यह जानते हैं, और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही इस बात को बहुत अधिक महत्त्व देने से और यह बहाना बनाने से कि यही एक समस्या है कोई बात नहीं बनती है। यह इससे ज्यादा बड़ी समस्या है और हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। एक सदस्य ने कहा है कि पंजाब नेतृत्वहीन है। मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं। अकाली दल में नेता की समस्या हो सकती है परन्तु मेरे विचार में पंजाब में नेतृत्व की कोई समस्या नहीं है। एक अन्य सदस्य ने अकाल तख्त के तोड़े जाने का उल्लेख किया। इस पर मेरा निवेदन यह है कि यह सिखों का अपना मामला है और वे अपनी धार्मिक संस्थाओं में जो कुछ करना चाहते हैं हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वे इसे हटाना चाहते हैं, वे इसे हटा सकते हैं। अगर वे एक 24 मंजिल इमारत बनाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वह वहां की नगर पालिका के नियमों के अन्तर्गत हो। अतः वे जो चाहें कर सकते हैं।

तथ्य यह है कि आज आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। अपने देश में हम पहली बार गत 2 या 3 वर्षों से आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। गत सप्ताह, इसने एक नया मोड़ लिया है, एक अधिक खतरनाक मोड़। यह सिर्फ युवा लड़कों तक सीमित था जो बंदूक या मशीनगनों के साथ आकर लोगों को निशाना बना रहे थे। जहां कहीं भी वे नजर आये या जहां भी वे दिखाई दे सके। उन्हें पकड़ा जा सका। यह एक अलग तरीका है। ऐसे बम रखे जा रहे हैं जिन्हें लोग उठाने के लिए

[श्री राजीव गांधी]

आकर्षित हों। इस कार्य को कौन कर रहा है पता लगाना इतना सरल नहीं है। जहां कहीं भी आतंकवाद इस प्रकार से आया है, किसी भी राष्ट्र में आया है, वे उसे थोड़े से समय में दूर नहीं कर सके। उसे समाप्त करने में कुछ समय अवश्य लगा है। और हमें अपने आपको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना होगा। हमें अपनी मशीनरी को मजबूत बनाना पड़ेगा चाहे वह गुप्तचर हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह प्रशासनिक हो अथवा कोई नागरिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था हो और हमें जनता में जागरूकता लानी होगी स्वयंसेवी संगठनों का और सभी राजनैतिक संगठनों का यह पता लगाने के लिए कहां गलत कार्य चल रहा है तथा कहां असामान्य चीजें रखी गई हैं, उपयोग करना होगा। जागरूकता होनी चाहिए। लोग वहां जाकर उन चीजों को झपट कर न उठा लायें और स्वयं मारे जायें। यह ऐसी बात है जिस पर हमें विचार करना है और इसके लिए कुछ करना चाहिए।

आतंकवाद तब आता है जब कोई कमजोरी होती है। हमें इस कमजोरी पर काबू पाना चाहिए। हमारे इससे पहले के प्रधानमंत्री, इंदिरा जी ने अकाली दल के हमारे मित्रों को आगाह किया था कि उन्हें अपने आंदोलनों को किस प्रकार चलाना है इस पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर मुझे ठीक से याद हो तो उन्होंने इस सदन में कहा था : "अगर आप ऐसे मार्ग पर नीचे जाना शुरू कर दें जहां से आप वापस नहीं आ सकते तो यह बहुत ही खतरनाक है।" इसी कारण, हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा हमारी कार्यवाहियां ऐसी न हों जो उग्रवादियों तथा आतंकवादियों की सहायता करती हों।

हालांकि अकाली नेतृत्व का रुख कुछ मामलों में रचनात्मक रहा है, उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसी बातें कही हैं तथा काम किये हैं जिनसे उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला है। उन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें न तो यह कहना चाहिए बल्कि उन्हें ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। और यहां पर मैं विरोधी पक्ष के अपने मित्रों से, जो उन्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, यह चाहता हूं कि वे बात करें और उन्हें संतुष्ट करें कि अगर हमें इन आतकवादियों तथा उग्रवादियो से लड़ना है तो हमें इकट्ठे होकर लड़ना होगा।

ऐसी स्थिति से आतंकवादियों को हमेशा लाभ पहुंचेगा। वे अपना समय चुनते हैं, वे अपना स्थान चुनते हैं। आज यह ट्रांजिस्टर रेडियो है, कल कुछ और भी हो सकता है जो पहचाना न जा सकता हो। हमें इसकी तह में जाकर इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। हमें उन्हें समाप्त करना होगा।

मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री ने पहले ही सख्त कदम उठाये हैं और वह और भी सख्त कदम उठायेंगे ताकि समाज से इस कैंसर को दूर किया जा सके।

यही समय है जबकि हम सभी को इससे लड़ने के लिए न केवल एक समुदाय में बल्कि सभी

समुदायों में, सभी धर्मों के लोगों में, सभी क्षेत्रों के लोगों में जनमत जुटाना होगा। इस प्रकार की हत्याएं हमारे प्रजातंत्र पर एक धब्बा छोड़ती हैं और हमें इनको समाप्त करना होगा। हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। भारत की अखंडता तथा एकता सर्वोपरि हैं तथा हम इसको प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य को नहीं होने देंगे।

अन्त में, यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में, गांधी जी तथा पंडित जी के भारत में जन्में हैं जहां उन्होंने अंग्रेजों की गोलियों लाठियों का पूर्णतया अहिंसात्मक ढंग से मुकाबला किया था। अहिंसा के लिए हिंसा से अधिक साहस व हिम्मत चाहिए, और हाल ही में जो कुछ घटनायें हुई हैं वे शौर्य के कार्य नहीं हैं वे कायरता के काम हैं और हमें इनसे अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में बम विस्फोट करने वालों ने यह अत्यधिक घृणित कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है और कई घायल हुए हैं। इस घृणित कार्य की निन्दा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। ये काम ऐसे समय में किए गए हैं जबकि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक पंजाब समस्या के समाधान के लिए केन्द्र द्वारा हाल ही में उठाये गए कदमों का अकाली दल से कोई ठोस प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजी करने के तरीके का राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। अतः मैं समझता हूं सरकार को इन लोगों के प्रति कठोर रुख अपनाना चाहिए और इन लोगों को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए। स्थिति ऐसी है कि इस संकट काल में प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा इन विरोधी तत्वों, जो हमारे देश को विखंडित करना चाहते हैं, को मात देने के लिए की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए। सिक्किम संग्राम परिषद की ओर से, हम सरकार तथा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी को, उनके द्वारा राष्ट्र विरोधी तथा अज्ञात बलों को समाप्त करने के लिए की जाने वाली हर कार्यवाही का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मुझे ज्वर हो रहा है। महोदय, इसलिए मैं जा रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब मैं गृह मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी को बुलाऊंगा।

3.00. म० प०

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष जी, पंजाब के बारे में प्रधानमंत्री जी द्वारा विस्तार से बता दिया गया है और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिस तरह से पंजाब में उग्रवादी पैदा हुए हैं उनका विस्तार सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। पंजाब में इस किस्म की बात हो रही है कि जो धार्मिक स्थान हैं, उनका इस्तेमाल जिस मतलब के लिए वे हैं, उसके लिए नहीं हो रहा है, धार्मिक स्थान के तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और मैं तो यह कहता हूं कि पंजाब के अन्दर जितने गुरुद्वारे हैं, उनकी पवित्रता को खत्म किया जा रहा है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सख्त से सख्त कदम उठाएं। इसके लिए आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगें और तभी यह काम ठीक हो सकता है।

मैं हिमाचल प्रदेश से कल रात को आया हूं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर हर गुरुद्वारे में गड़बड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं होशियारपुर जिले की बात करता हूं। मैं 5 अप्रैल से 3 मई तक वहां रहा और मैंने गांव-गांव का सफर किया है। वहां जितने गुरुद्वारे हैं, उनमें एक हरियाबला गुरुद्वारा भी है। वहां पर अस्लाह पकड़ा जाना था लेकिन हमारी जो फोर्स वहां लगी हुई है, उसको वहां दाखिल नहीं होने दिया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन आदमी ऐसे हैं, जो इस देश को विभाजित करना चाहते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां चंडीगढ़ पंजाब को देने का सवाल है, वहां पर अबहोर और फाजिलका हरियाणा को मिलना चाहिए। हमने लाखों और करोड़ों रुपए पंजाब के डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया। करोड़ों रुपये थीन डैम पर खर्च करने हैं और वहां पर रेलवे कोच फैक्टरी बनानी है और सारे हिन्दुस्तान का पैसा पंजाब के डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है लेकिन हम यह देखते हैं कि वहां पर नहरों को तोड़ने का काम किया जाता है और किसानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। कौन लोग इस काम को कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ताकि हमारे लोग जिन्दा बच सकें। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हिन्दू और सिख एक साथ रह सकें, ऐसा हमें काम करना चाहिए। गुरुओं की यह शिक्षा थोड़ी रही है कि वे आपस में लड़ें और उग्रवादिता को जन्म दें। आनन्दपुर के साथ मेरा क्षेत्र लगता है।...(व्यवधान)...मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लोग शान्ति और सुख से रह सकें, इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं आपके माध्यम से वजीरे-आजम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हालिया पंजाब के मामलात में बड़ी जुर्रतमंदी और बड़ी हिम्मत से कुछ कदम उठाए हैं और इसके बारे में कुछ हलकों से यह बात कही गई कि यह उनकी कमजोरी की अलामत है लेकिन मैं और मेरी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस यह समझती है कि जब दिल्ली रायट्स के बारे में अदालती कार्यवाही का एलान किया और जब अकाली लीडरों की रिहाई का फैसला किया और थीन डैम और दूसरी चीजें पंजाब के लोगों को देने का एलान किया, तो यह उनकी बहादुरी की अलामत है।

मैं समझता हूं कि पिछले कई साल से जब पंजाब की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, तो उस वक्त अपोजीशन ने कहा था कि पंजाब में जो माडरेट्स हैं, उनकी मदद की जाए ताकि जो इन्ताह-पसंद ताकतें हैं, उनका मुकाबला किया जा सके लेकिन उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लू स्टार की हमने मजम्मत की है और अब भी करेंगे लेकिन हम यह समझते हैं कि उस वक्त हालात ऐसे थे और इतने खराब हो चुके थे कि सरकार के पास बगैर इसके कोई चारा नहीं था। काश उसके कब्ल, सूरतेहाल बिगड़ने से पहले सरकार कुछ करती, तो इन्ताहपसन्दों को कमजोर किया जा सकता था और अगर जरूरत पड़ती तो इनके जितने अस्लाह-खाने थे, जिन पर इन्होंने अपनी ताकत जमा कर रखी थी, उनके बारे में बरवक्त कार्यवाही की जाती, तो आज ये हालात पैदा न होते। मैं मौजूदा हालात में कहता हूं कि यह इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आपरेशन ब्लू स्टार हुआ।

उसके बाद जो दिल्ली में और मुल्क के बाकी हिस्सों में लोगों का खून बहा और जिसके बारे में वह कौम यह समझती है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो उनकी साइक्लोजी या नफसियात को भी समझा जाता। आज जो इंतहा पसंद कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं जिसकी कि हम सब मजम्मत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनकी साइक्लोजी को भी समझें। उनकी नफसियात को भी समझा जाना चाहिए क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने भी इन्तहाई कुर्बानियां दी है और मुल्क की हिफाजत में वे बराबर अराबल दस्तों में रहे हैं। जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दीं, जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत को बढ़ाया, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस मुल्क को खतरा है, आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आज जा दुश्मन समझा जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कुछ अखबार, कुछ ताकतें इस तरह की बातें कहते हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए।

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

आनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हरियाणा के··········**
ने महापंजाब की······

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर काबुली आप किसी की बात सुन लिया करो।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने सबको नहीं कहा है। मैंने कहा है कि इस देश में कुछ ताकतों का यह कहना है।

[हिन्दी]

मैं यह कहता हूं कि कुछ ताकतें, इस किस्म का भेदभाव पैदा करना चाहती हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा के············**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस किस्म की बात न अपोजिशन की तरफ से आनी चाहिए, न रूलिंग पार्टी की तरफ से आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ? अब आप बैठिये साहब।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जो इन्तहा पसंद लोग पंजाब में रहते हैं, आनरेबल स्पीकर साहब अगर हमें उनके खिलाफ जंग लड़नी है तो वह न फौज से लड़ी जाएगी, न पुलिस की मदद से लड़ी जाएगी। उसके लिए हमें सिखों की मेजोरिटी का कांफिडेंस हासिल करना होगा। हमें चाहिए कि वहां पर जो लोग अक्सीरियत में रहते हैं उनका कांफिडेंस हासिल करें।

मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की अखंडता की जरूरत है। लेकिन इसको जो आज कमजोर किया गया है वह आपकी सरकार की पिछले पांच साल की······

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं हो रहा है। अब श्री पीयूष तिरकी बोलेंगे।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

میں آپ کے مادھیم سے وزیراعظم کو اس بات کے لئے مبارک باد دیتا ہوں کہ انہوں نے حالیہ پنجاب کے معاملات میں بڑی جرأت مندی اور بڑی ہمت سے کچھ اہم قدم اٹھائے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ علاقوں سے یہ بات کہی گئی کہ یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے لیکن میں اور میری پارٹی نیشنل کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ جب دلی رائٹس کے بارے میں عدالتی کارروائی کا اعلان کیا اور جب اکالی لیڈروں کی رہائی کا فیصلہ کیا اور تھین ڈیم اور دوسری پنجاب کے لوگوں کو دینے کا اعلان کیا تو ان کی بہادری کی علامت ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سال سے جب پنجاب کی استھتی خراب ہو رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن نے کہا تھا کہ پنجاب میں جو موڈریٹس ہیں ان کی مدد کی جائے تاکہ جو انتہا پسند طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے لیکن اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپریشن بلواسٹار کی ہم نے مذمت کی ہے اور اب بھی کریں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے تھے اور اتنے خراب ہو چکے تھے کہ سرکار کے پاس بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ کاش اس کے قبل صورت حال بگڑنے سے پہلے سرکار کچھ کرتی۔ تو انتہا پسندوں کو کمزور کیا جا سکتا تھا اور اگر ضرورت پڑتی تو جتنے اسلحہ خانے تھے جن پر انھوں نے اپنی طاقت جما کر رکھی تھی ان کے بارے میں بروقت کارروائی کی جاتی تو آج یہ حالات۔

پیدا ہوتے ۔ میں موجودہ حالات میں کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپریشن بلواسٹار ہوا۔

اس کے بعد جو دلی میں اور ملک کے باقی حصوں میں لوگوں کا خون بہا اور جس کے بارے میں وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ناانصافی ہوئی ہے تو ان کے سائکلاجی یا نفسیات کو بھی سمجھا جاتا۔ آج تو انتہا پسند اپنی حرکتوں سے بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں جس کی ہم سب مذمت کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو چاہیئے کہ ان کی سائکلاجی کو بھی سمجھیں۔ ان کی نفسیات کو بھی سمجھا جانا چاہیئے کیوں کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے انہوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ملک کی حفاظت میں برابر اور سراول دستوں میں رہے ہیں۔ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں دیں۔ اس ملک کی عزت کو بڑھایا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کو خطرہ ہے۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کہ آج ** کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ .....(انٹرپٹینز)....

MR. SPEAKER : It is expunged.

شری عبدالرشید کابلی : کچھ اخبار کچھ طاقتیں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا نہیں کہنا چاہیئے۔

SHRI ABDUL RASHID KABULI I did not say 'all'. I said some forces in this country have said.

** Not recorded

آنریبل پرائم منسٹر ہریانہ کے ** نے وہاں پنجاب کی.......

ادھیکش مہودے :- مسٹر کابلی آپ کسی کی بات سن لیا کرو۔

میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ طاقتیں اس قسم کا بھید بھاؤ کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ کے ** ... ...

MR. SPEAKER : No, no. Not allowed.

*(Interruptions)***

شری عبدالرشید کابلی :

اس قسم کی بات نہ اپوزیشن کی طرف سے آنی چاہیئے۔ نہ رولنگ پارٹی کی طرف سے آنی چاہیئے۔

ادھیکش مہودے :۔

اب آپ بیٹھئے صاحب۔

شری عبدالرشید کابلی

جو انتہا پسند لوگ پنجاب میں رہتے ہیں آنریبل اسپیکر صاحب اگر ہمیں ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو وہ نہ فوج سے لڑی جائے گی نہ پولیس کی مدد سے لڑی جائے گی۔ اس کے لئے ہمیں سکھوں کی میجارٹی کا کانفیڈنس حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیئے کہ وہاں پر جو لوگ اکثریت میں رہتے ہیں ان کا کانفیڈنس حاصل کریں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اکھنڈتا کی ضرورت ہے

**Not recorded

لیکن اس کو جو آج کمزور کیا گیا ہے وہ آپ کی سرکار کی پچھلے پانچ سال کی..........

.....(انٹرپشنز)..........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में यह कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री पीयूष तिरकी बोलेंगे।

(व्यवधान)**

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से सरकार ने ठीक कदम उठाया है। अपने दल, आर० एस० पी० की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा दल सरकार तथा प्रधान मंत्री जी के साथ है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। पहले कई बातें कही जा चुकी हैं। आतंकवाद का अर्थ सिखवाद नहीं है। आतंकवाद की कोई जाति या धर्म नहीं है। आतंकवादी एक ऐसा समूह है, जो किराए के आदमी हैं। आतंकवाद केवल पंजाब में ही नहीं, अपितु पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय है। हमने इसे असम आंदोलन के दौरान देखा जबकि कुछ युवा लोगों को पैसे के दबाव में अथवा ऐसे किसी अन्य तरीके से प्रलोभन दिया गया है। अतः यह केवल पंजाब में ही नहीं, अपितु प्रायः समूचे भारत के किसी न किसी भाग में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। अतः सरकार को जागरूक होना चाहिए। जब कभी शिकायतें होती हैं। सरकार की यह आदत रही है कि जब तक किसी तरह का खून खराबा न हो, यह किसी समस्या पर सोचने के लिए तैयार नहीं रहती चाहे वह श्रमिकों की समस्या हो या क्षेत्रीय समस्या। अतः इस संबंध में सरकार का रवैया बदलना चाहिए। जब कभी देश के किसी भाग में कुछ होता है, तो सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें उस मामले को अधिक बढ़ने देना अथवा खून-खराबा नहीं होने देना चाहिए।

अब हम समाज के समाजवादी ढांचे की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसा समाजवादी ढांचा? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा लोग यह जानने के बहुत इच्छुक हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। क्योंकि विशेषकर बेरोजगार लोगों को विदेशी धन शक्ति का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे युवा लोगों की कई समस्याएं हैं, उन्हें आसानी से फुसलाया जा सकता है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अतः उन्हें आतंकवाद की ओर आसानी से फुसलाया जा सकता है। अतः ऐसा नहीं है कि यह काम सिख कर रहे हैं। किसी समय यहां नक्सलवादी आंदोलन हुआ था और वह नक्सलवाद हिंदू आतंकवाद या हिंदू धर्म का नहीं था। अतः चूंकि यह आतंकवाद पंजाब में हो रहा है क्या मात्र इसीलिए सिखों पर दोष लगाया जाना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए।

जब कभी देश के किसी भाग से, किसी कोने में कोई संकट आता है, सरकार को उस पर विचार करने तथा उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उनके प्रति अपनी

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

संवेदना व्यक्त करती हूं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई और जिनकी आतंकवादियों द्वारा जानें ली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जैसा कि प्राइम-मिनिस्टर जी ने कहा और मधु दण्डवते जी ने भी कहा कि सभी सिख अकाली नहीं हैं और सभी अकाली आतंकवादी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर देखना पड़ेगा। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जयचन्दों की और मीरजाफरों की कमी नहीं रही है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े कराने में, देश को गड्ढे में ले जाने में, देश का अहित करने में, इन्होंने कभी अपने आपको कभी पीछे नहीं रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, कुछ चन्द प्रश्न मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तो बादल साहब का पत्र पढ़ा गया, मैं उस पर अविश्वास नहीं करती, उन्होंने लिखा होगा, सच में लिखा होगा, लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने है। जिस समय इन्दिरा जी के हत्यारों को सम्मान दिया जा रहा था, जिस समय हत्यारों को शहीद कहा जा रहा था, क्या उस समय बादल जी ने खुलकर उनकी निन्दा की, विरोध किया। यह एक प्रश्न हमारे सामने है। आज जगह-जगह से, पंजाब के कई भाई आए, मैं नहीं कहती कि उन्होंने सच कहा या नहीं, लेकिन उनका कहना है कि इस बात की शंका है कि बहुत से सिक्खों ने बाल कटवाकर, दाढ़ी कटवाकर हिन्दू बनना शुरू कर दिया है और हिन्दुओं को बदनाम करने के लिए बगावत कर रहे हैं। वे हिन्दुओं को बदनाम करना चाहते हैं, इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि कहीं वाकयी में यह बात सच तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हिन्दू और सिक्ख में मतभेद पैदा करना चाहते हों, ऐसे कुछ आतंकवादी, उग्रवादी लोग हों, इस बात को देखने की जरूरत है।

दूसरी बात जो गुरुद्वारे हैं, ये पूजागृह हैं। आज उनको किला बनाया जा रहा है। दिल्ली के अन्दर गुरुद्वारों के बाहर बड़ी-बड़ी दीवारें और उनके ऊपर बड़े-बड़े कांच और लाइनें बनाई जा रही हैं। मान्यवर, ये पूजा की जगह है, इनको किला नहीं बनाना चाहिए। जब यह होता है तो हमारे अन्दर शंकाएं पैदा होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जिनको देखना है। दूसरा मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी नम्र शब्दों में कि हमें अपने इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट को और सक्रिय और सक्षम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है जो हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आज गांव-गांव में इस तरह की भावनाएं लोगों में फैलाई जा रही हैं। पहले तो यह सब शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं उनसे पता लगता है कि गांव-गांव में यह विष फैलाया जा रहा है और खासतौर से महिलाओं के अन्दर इस तरह की भ्रामक भावनाएं फैलायी जा रही हैं।

अमृतसर गुरुद्वारे के स्वर्ण मन्दिर की बातें उठाकर वहां की औरतों और नौजवानों के अन्दर जहर फैलाया जा रहा है। वे अगर सही मायनों में देश के साथ आना चाहते हैं और आतंकवाद से हमारे अकाली भाई शांति चाहते हैं तो उनका फर्ज है कि गांव-गांव में जाकर उग्रवादियों को अलग अलग करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापट्टनम): महोदय, मैं यह मानता हूं कि हम सामान्य तौर पर पंजाब समस्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम विशेष रूप से हिंसा और आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न होने के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, जहां तक पंजाब समस्या का संबंध है, हमें यह जानकर खुशी है कि प्रधान मंत्री ने विपक्ष को अपने विश्वास में लिया है और इसीलिए जो भी संभव प्रस्ताव या विचार हम उनके समक्ष रखना चाहेंगे, हम उस उद्देश्य के लिए उस मंच का उपयोग करना चाहेंगे। अत: मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अकालियों के साथ बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए विपक्ष के साथ जिस तरह से बातचीत की, उससे हमें खुशी है।

महोदय इस समय मुख्य पहलू हिंसा की स्थिति का उत्पन्न होना है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चलते। हिंसा देश का लोकतांत्रिक ढांचा नष्ट करता है और हम इसका विरोध करते हैं और सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए किए जाने वाले कड़े प्रयासों का समर्थन करते हैं।

महोदय, विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है और अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समूचा विपक्ष और सत्तारूढ़ दल अर्थात पूरा सदन एक है और हम एक स्वर से हिंसा की निंदा करते हैं। हम देश के किसी भाग में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार का उसके सभी प्रयासों में पूरा समर्थन करते हैं।

महोदय, एक बात यह विचार योग्य है कि सभी सिख आतंकवादियों द्वारा अपनाये गये युद्धकारी तरीकों में विश्वास नहीं रखते। निश्चित रूप से बहुत से उदारवादी सिख उनमें हैं जो खुले रूप में उनके लोगों द्वारा देश के इस भाग में हिंसा की विभिन्न शपथें लिए जाने की निन्दा करते हैं।

महोदय, मैं एक या दो बातों पर बल देना चाहूंगा, शुरू में हिंसा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती थी। छुटपुट और व्यक्तिगत हमले होते थे। बाद में भिन्न चरण शुरू हुआ। अब सार्वजनिक स्थानों में निर्दोष व्यक्तियों की सामूहिक हत्या की जाती है। आतंकवादियों द्वारा आधुनिकतम शस्त्रों का उपयोग, विदेश तत्वों का मिला होना सिद्ध करता है। उनकी सहायता के बिना संभवत: ऐसा न हो सकता। अत: यह स्पष्ट है कि इनके पीछे तत्वों की जांच की जानी चाहिए तथा विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा न केवल पंजाब में अपितु देश के हर हिस्से में, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा अथवा देश का कोई अन्य भाग हो, वे ऐसी कार्यवाहियां करते हैं। वे सभी स्थानों पर आतंकवादी कार्यवाहियां करते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि यह भली प्रकार संगठित एवं एक केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा निर्देशित किया जाता है। अत: इससे दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से सभी आतंकवादी गतिविधियों का मजबूती से और एकजुट होकर सामना करने में सरकार का सहयोग देता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रधान मन्त्री जी के इतने संतुलित, संयमी और ओजस्वी संकल्प के पश्चात् कहने के लिए बहुत कम बचता है करीब-करीब कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गये दो-तीन दिन से जो कुछ दिल्ली के आसपास और उत्तर भारत में हो रहा है, वे चिन्ताजनक और निन्दनीय है। उसके बाद 17 तारीख को हम सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में वापस जाएंगे तो वहां हमारे क्षेत्र के लोग हमसे और कुछ बात पूछें या न पूछें, लेकिन इतना जरूर पूछेंगे कि पंजाब पर आप लोगों ने क्या बातचीत की। मुझे प्रसन्नता है और खुशी है कि राजीव गांधी साहब ने सारी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस देश को तोड़ने का यह पहला प्रयत्न नहीं किया गया है। ऐसे प्रयत्न इससे पहले भी अनेकों बार हो चुके हैं। देश की 70 करोड़ जनता ने आपको सत्ता सौंपी है और बहुत सोच-समझकर सौंपी है, किसी भावुकता या भावना में बहकर नहीं सौंपी है। इसलिए सौंपी है कि आप 70 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करें। जब यह देश बूढ़ों के हाथ में था तब नहीं टूटा तो अब अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों ने शायद समझा होगा कि किसी बच्चे के हाथ में आ जाने से इसको तोड़ दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे संसार को कह देना चाहता हूं कि देश को इतना संतुलित नेतृत्व बड़े भाग्य से मिला है। राजीव गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके लिए पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस सदन में हम सबको एक सही दिशा दी है।

पंजाब पर मैं यहां एक गम्भीर बात कह कर खत्म करता हूं और मैं अपने उन मित्रों से खड़े होकर कहना चाहता हूं जो बातचीत करने का अक्सर बार-बार अवसर मिलने पर नष्ट कर देते हैं। मैं यहां अकाली दल का नाम लेना चाहता हूं, आतंकवादियों का नाम लेना चाहता हूं जो हर अवसर को नष्ट कर देना चाहते हैं। यदि उनको कोई बात करनी है तो वह राजीव जी से ही करनी पड़ेगी। भले ही आपने पंजाब में चुनाव नहीं होने दिए हैं और वहां ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इलैक्शन्स न हो सकें फिर भी हिन्दुस्तान की जनता ने देश की 401 सीटों पर ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो राजीव गांधी जी के पीछे चल रहे हैं। उन्हें जब भी बात करनी पड़ेगी, राजीव जी से ही करनी पड़ेगी। इस वक्त तो उनको यह तैयारी करनी है कि वे बात करने को तैयार हैं या नहीं। उनकी अब तैयारी क्या है। जब उनके पास करने को शब्द नहीं है तो वे जो चाहे करते रहें। जब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो ही वे ऐसे काम करते हैं जिससे इस देश का सिर नीचा होता है। मैं आपके माध्यम से, सारे सदन के माध्यम से, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज राजीव गांधी साहब अपने हाथों में कुमकुम और गुलाल लेकर आगे बढ़े हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि अकाली या आतंकवादी बारूद लेकर आगे बढ़ेंगे तो उससे जो स्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, इस सदन की नहीं होगी। मुझे वह क्षण याद है, और मैं आपके माध्यम से राजीव जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भले ही वे उसको देख नहीं रहे थे, लेकिन 6 तारीख को जब लाखों लोगों की भीड़ के बीच में राजीव जी बोल रहे थे उस वक्त सारा माहौल हमारी नजरों के सामने था। जिस वक्त, उस दिन, हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने आगे बढ़कर यह कहा कि हमने एक नर्म हाथ बढ़ाया है और देश हम पर अगर यह उंगली उठाता है कि हमने नर्म हाथ बढ़ाया है तो मैं उस

लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि वे इसे नर्म हाथ समझते हैं तो वक्त आने पर यह नर्म हाथ सख्त भी हो सकता है। ऐसे वक्त यदि किसी ने आपका जयनाद किया, इस देश की तरफ से जयजयकार किया गया तो वह इस देश के जवानों की तरफ से हुआ, इस देश की माताओं और बहनों की तरफ से जयजयकार किया गया, सारा आकाश जयजयकार से गुंजा दिया गया। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस देश की जनता को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह केवल राजीव गांधी जी की ही समस्या नहीं है और न केवल कांग्रेस की समस्या है, न कुर्सी की समस्या है···

इस देश की 73 करोड़ जनता की समस्या है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उस वाक्य को, जो आपने चौधरी बलराम जाखड़ की हैसियत में कहा था, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, वह मुझे याद है, उस वाक्य पर मैंने आर्टिकल लिखा है, आपने कहा था जब देश में आजादी आई तब हम 33 करोड़ थे और आज हम 74 करोड़ हैं, और देश की एकता के लिए, देश की अखण्डता के लिए, देश की आजादी के लिए और देश की भावनात्मक एकता की रक्षा के लिए ये 40 करोड़ आदमी एक एक कट करके भी मर जाएं, तो भी हम देश को कटने नहीं देंगे। आपका यह वाक्य मैं आज यहां दोहराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ राजीव गांधी साहब के नेतृत्व के प्रति इस रेखांकित करने वाली पीढ़ी की ओर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के मसले पर उन्होंने संतुलित, संयमित और बहुत उच्च भावनाओं का परिचय दिया है और यह वह एक चीज है, जिसको हम इस अधिवेशन से लेकर जाएंगे और जब हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाएंगे, तो हम वहां लोगों को कहेंगे कि हम लोगों ने बड़ा जोर देकर इस बात को संसद में कहा है और इस पर बातचीत की है और सारा सदन पंजाब के मसले पर आतंकवादियों से लड़ने के मसले पर एक है। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं शुरू में सभी माननीय सदस्यों को वाद-विवाद के लिए ऊंचा स्तर बनाये रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रातः हमें आशंका थी कि यदि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो विरोधी मत समक्ष आयेंगे, जबकि इस नाजुक अवसर पर हमें एकता की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री महोदय, यह सभा बहुत उत्तरदायी है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब अध्यक्ष पीठ उत्तरदायी होती है सभा में उत्तरदायित्व स्वतः ही आ जाता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : आतंकवादी गतिविधियों के अत्यन्त नाजुक मामले पर अच्छी चर्चा हुई, जोकि एक नया चरण है।

प्रधान मंत्री ने सौजन्य पूर्वक हस्तक्षेप करके सभी मुख्य बातों का उत्तर दिया। मैं उन्हीं बातों

[श्री एस० बी० चव्हाण]

को दुहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ अन्य मामले हैं जिन पर कुछ माननीय सदस्यों ने जानकारी मांगी है, तथा यह मेरा कर्तव्य है कि सभा को यथा सम्भव जानकारो दूं।

प्रो० दण्डवते ने जोरदार भाषण दिया और कहा कि 'ब्लू-स्टार' आपरेशन से पूर्व आतंकवादियों द्वारा 220 व्यक्ति मारे गये, परन्तु उनके विरुद्ध एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया न ही किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : यह स्थिति फरवरी, 1984 के अन्त तक थी, इसकी तत्कालीन गृह मंत्री ने पुष्टि की थी।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास 1-3-1981 से 31-3-85 तक के नवीनतम आंकड़े हैं। मारे गये व्यक्तियों की संख्या 427; इन हत्याओं के सम्बन्ध में पंजीकृत मामलों की संख्या 285, ऐसे मामले जिनमें सजा हुई; 3 ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त छोड़ दिये गये; 1698 मामले न्यायालयों में विचाराधीन 137 मामले जांचाधीन अतः यह सच नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने मेरे आंकड़ों को गलत नहीं बताया। पिछली बार वाद-विवाद के दौरान मैंने इनकी पुष्टि करा ली थी। फरवरी, 1984 के अन्त तक 220 व्यक्ति मारे गए तथा एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नही चलाया गया। यह 4 अप्रैल, 1984 को दिये गये थे।

श्री एस० बी० चव्हाण : ये आंकड़े मार्च, 1985 तक के हैं।

माननीय सदस्य की यह बात सही है कि विगत में भी यही वृप्रत्ति थी जोकि इस बार दोहराई गई है जब भी समाधान निकट लगा। आतंकवादी कार्यवाही शुरू हो गई, बहुत से व्यक्तियों को मारा गया तथा पूरा वातावरण बिगड़ जाता था जिसमें कोई समाधान सम्भव न हो सके। जब अकाली नेताओं को रिहा किया गया तो उन्होंने उत्तेजनापूर्ण भाषा का उपयोग किया, हम उन हालात को समझ सकते हैं जिनमें ऐसे भाषण दिए गए। फिर भी बातचीत का कोई आधार हम खोज रहे हैं। सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं। मैं समझता हूं बहुत से व्यक्तियों से परामर्श किया गया तथा पंजाब की समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने का यत्न किया गया। माननीय सदस्य इस तथ्य की प्रशंसा करेंगे कि उसी समय आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी गई। बहुत भारी संख्या में लोग मार दिये गये तथा आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ गईं, उनको सन्देह हुआ कि देश में बातचीत से हल की सम्भावना बन रही है। यही बात मेरे कुछ साथियों ने कही कि अब हम किस से बातचीत करेंगे। अकाली नेतृत्व पूरी तरह निराश है। कोई नेतृत्व बचा ही नहीं। पूरा कार्यभार उसी भिंडरावाले के पिता ने सम्भाल लिया तथा पूरी स्थिति पर आतंकवादियों का नियन्त्रण लग रहा था। क्या हमें उनके साथ बातचीत करनी है? कुछ अन्य सदस्यों ने भी बताया कि अकाली वार्ता में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे स्वयं डरे हुए हैं। उन्हें यह भय है कि यदि वे वार्ता के लिए आते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा—वे नहीं जानते। यदि आप अन्य लोगों से वार्ता

करते हैं तो वे असम्भव शर्तें रखते हैं, जिन पर समाधान नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि अकाली दल के नेतृत्व में विद्यमान स्थिति में हमारे लिए कोई भी निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है। हम इस पर ध्यान न दें। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलता है तथा क्या वे हमारे साथ वार्ता को तैयार हैं। वास्तव में हम शीघ्र पंजाब समस्या का राजनीतिक समाधान खोजना चाहते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने के नाम पर कानून और व्यवस्था का प्रश्न कोई और देखेगा, तथा आतंकवादी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करते रहें। यह नई बात ही हुई है कि ट्रांजिस्टर के फ्रेम में उन्होंने कुछ बम डाले जिससे भारी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं जोकि गाड़ियों अथवा बसों में यात्रा कर रहे थे और जिन्होंने अनजाने में इनको लेने का प्रयास किया था जिससे उनकी मृत्यु हुई। यह नई कार्यवाही उन्होंने शुरू की है और प्रधान मंत्री ने बताया है कि यह अभी अन्त नहीं है। वे देश में अराजकता फैलाने के लिए और भी उपाय बरत सकते हैं। वे ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे देश में विभिन्न समुदायों में मैत्री-भाव विशेषत: हिन्दुओं और सिखों में समाप्त हो जाए। वे भ्रामक स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के साथ हिंसापूर्ण व्यवहार करें। इन बमों को भीड़-भाड़ वाली कालोनियों में रखने का उद्देश्य ही यही था कि जिससे भ्रम पैदा हो तथा उसकी भयानक प्रतिक्रिया हो। मैं उन कुछ माननीय सदस्यों का साथ देता हूं जिन्होंने जनता को हिंसक प्रतिक्रिया से बचने पर बधाई दी है। उन्होंने अपनी सहन-शीलता नहीं त्यागी, उन्होंने शान्तिप्रियता का परिचय दिया। वे चाहते थे कि इस प्रकार की मैत्री बनी रहे। एक दूसरे पर आरोप लगाने के स्थान पर उन्होंने सरकार को मदद दी। ऐसे 20 बम विस्फोट से पहले काबू कर लिए गए। उन्हें पहचाना गया तथा वे स्थानीय अधिकारियों को सौंपे गए, और विशेषज्ञों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ऐसा जनता के व्यापक सहयोग तथा अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही से सम्भव हुआ। मैं वस्तुत: कहना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन, चण्डीगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन, राजस्थान प्रशासन और उसी तरह इससे प्रभावित विभिन्न राज्यों के प्रशासनों ने तुरन्त कार्यवाही की और हालात को बिगड़ने से बचाया। उन्होंने समस्त स्थिति को साम्प्रदायिक नहीं होने दिया। वास्तव में आतंकवादियों का यही मुख्य उद्देश्य था। उनका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को मारना नहीं था अपितु भ्रामक स्थिति पैदा करना था, तथा विभिन्न वर्गों में शत्रुता पैदा करना था—अर्थात् इसे हमें स्मरण रखना है—ऐसे हालात में हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए अपितु स्थिति का दृढ़ता से सामना करना चाहिए, एवं शान्तिपूर्ण ढंग से बिना परस्पर आरोप लगाते हुए कार्य करना चाहिए।

जहां तक विस्फोटों का प्रश्न है बहुत से लोग हिरासत में लिए गए। पंजाब में लगभग 600, दिल्ली में 200 लोग हिरासत में लिए गए लगभग 1000-1100 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। जांच जारी है।

माननीय सदस्यों ने आज के समाचार पत्रों में दिल्ली के प्रभारी पुलिस आयुक्त द्वारा प्रेस सम्मेलन में दिये वक्तव्य को पढ़ा होगा। वास्तव में मैं समझता हूं उन्हें यह वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। उन्होने यह बताया कि उनके उद्देश्य क्या थे, तथा कुछ सामान पकड़ा गया एवं कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। सौभाग्य से उन्होंने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम नहीं बताए।

प्रो० मधु दण्डवते : इस सभा में उन पर आरोप न लगाएं।

श्री एस० बी० चव्हाण : जी नहीं—यह प्रथा नहीं है। वास्तव में यह अत्यन्त नाजुक मामला है-- जब मैं भी कोई जानकारी देता हूं, तो बड़ी सतर्कता बरतता हूं ताकि उसका जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : परन्तु इतना सन्देहशील होना भी अच्छा नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जी, नहीं। परन्तु यदि जानकारी समय पूर्व दे दी जाती है तो इससे पर्याप्त हानि हो सकती है। अतः इन मामलों में पर्याप्त सतर्कता बरतने का आवश्यकता होती है। यदि इस विशेष घटना के मैं ब्यौरे नहीं देता, तो आप मुझे क्षमा करें; उसमें कुछ अपराधी पकड़े गए हैं तथा कुछ सामग्री बरामद की गई है। यह बताना जांच के हित में नहीं है कि कौन-कौन सी वस्तुएं मिली हैं और इसके बाद हम क्या करने चाहते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उन पर कोई विदेशी निशान पाए गए हैं। क्या वे भारत अथवा पाकिस्तान के थे।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक घटना में हरियाणा में 3 व्यक्ति मारे गए, एक व्यक्ति, बम ले जा रहा था। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, बम गिर गया -- उसमें विस्फोट हुआ —वह स्वयं तथा दो अन्य व्यक्ति मारे गए। कुछ विदेशी निशान पाये गये। परन्तु इस समय यह बताना उपयुक्त नहीं है कि कौन से देश के निशान थे।

श्री भागवत झा आजाद : हमारा अनुमान है कि या अमरीका अथवा पाकिस्तान होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : एक विपक्ष के नेता कहते रहे हैं कि हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री तथा पिछले प्रधान मन्त्री अनावश्यक रूप से विदेशी खतरे और विदेशी हस्तक्षेप की बात करते रहे हैं। आप सभी बातें गुप्त रखते हैं। हम क्या करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे विचार से मैं जानकारी लेने की चेष्टा करता रहा हूं परन्तु अभी तक मुझे जानकारी मिली नहीं। कम से कम अपनी स्मृति से मैं कह सकता हूं कि एक रिवाल्वर मिला था जिसमें विदेशी निशान का है परन्तु मैं देश का नाम नहीं बताऊंगा।

श्री भागवत झा आजाद : यह अमरीका था···

श्री एस० बी० चव्हाण : पाकिस्तान भी हो सकता है। मैं संभवतः इस समय कुछ नहीं कह सकूंगा। परन्तु इन पर विदेशी छाप लगी है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। (**व्यवधान**) इस स्थिति में हमें सभा के सभी वर्गों से सहयोग की आशा करनी चाहिए। मैंने एक राजनीतिक दल के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि अभी आम जलसे करने का समय नहीं है इसके बावजूद

दुर्भाग्यवश कल उन्होंने आम जलसा किया। मुझे यह उत्तर मिला "हमारी एक राजनीतिक पार्टी है और आप एक राजनीतिक पार्टी से यह आशा नहीं कर सकते कि वह आम जलसे न करें।"

(व्यवधान)

परन्तु जब हमने देखा कि इसमें विवाद उठ खड़े होने की संभावना है तो हमने आम जलसे की अनुमति दे दी। परन्तु बात यहीं खतम नहीं हुई। वे एक शोक सभा करना चाहते थे, परन्तु वहां जैसे भाषण दिए गए मुझे पता है। हो सकता है शोक में एक पंक्ति कही गई हो परन्तु उसके बाद सब राजनीतिक भाषण बाजी हुई जिस प्रकार के भाषण हुए उसका ब्योरा मेरे पास है परन्तु मैं इस पहलू पर नहीं आना चाहता। आज सुबह भी उन्होंने बन्द का आह्वान किया था और आज उन्होंने दिल्ली में 'सम्पूर्ण बंद' रखा। मेरे विचार में उन्हें सफलता नहीं मिली। दिल्ली में जनजीवन सामान्य रहा। पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाने की केवल एक घटना हुई जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ परन्तु अब स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में सम्पूर्ण जनजीवन सामान्य है। मेरे विचार से उन्हें सफलता नहीं मिली है परन्तु मुझे हैरानी है कि इस प्रकार की स्थिति में भी ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस मौजूदा स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभा के सभी वर्गों और सभा के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों विशेषरूप से अकाली दल और उनके मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें सम्पूर्ण क्षेत्र में सामान्य वातावरण बनाने के लिए अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे स्थिति बिगड़े और यदि बिगड़ती है तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति का जहां तक संबंध है अब तक हमने अत्यन्त उदार और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया है परन्तु वे यदि इसको हमारी कमजोरी समझते हैं तो मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक आतंकवादी कार्यवाही को अत्यन्त सख्ती से निपटा जाएगा और इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही थी और मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की आतंकवादी या उग्रवादी कार्यवाही से गम्भीरतापूर्वक निपटा जाएगा और उसके लिए गुप्तचरी में या पुलिस में या अर्द्धसैनिक बल में जैसे संगठनात्मक ढांचे की भी आवश्यकता होगी हम उसे निस्सन्देह वैसा ही बनाएंगे। परन्तु इसके साथ ही मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि हमें सम्पूर्ण क्षेत्र में सामान्य वातावरण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं चलाना चाहिए जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती हो।

मेरे विचार में मुझे यहां उठाए गए बहुत से मामलों के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सदस्यों की दिलचस्पी हो तो उन्हें वे बातें बताई जा सकती हैं जो गुप्त नहीं है। परन्तु यदि आप उन बातों के बारे में विवरण चाहते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता तो मैं अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं।

3.46 म० प०

विधेयक

(एक) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक 1985*

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक 1985*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 13 मई, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.48 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मूंगफली के उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए मूंगफली की रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल) : मूंगफली के उत्पादन में कमी के कारण मूंगफली के तेल का उत्पादन कम हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस फसल में नाशक कीट लग जाता है। कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वह रोग और नाशक कीट प्रतिरोधी बढ़िया किस्म की मूंगफली विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य आरम्भ करायें।

(दो) कटिहार-जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पुर्वोत्तर सीमा रेलवे कटिहार जोगबनी खंड को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह खंड केवल बिहार के सुदूर नेपाल सीमावर्ती स्थानों को देश के बाकी हिस्से से ही नहीं मिलाती है बल्कि नेपाल का यह एकमात्र द्वार है। इसी रेल मार्ग से कलकत्ता बन्दरगाह तक पहुंचने के लिए नेपाल को सीधा, सुगम एवं सब से कम दूरी का मार्ग है। नेपाल के अलावा रेल को अपने खर्च में कमी की दृष्टि से भी इस मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता है। कलकत्ता, गोरखपुर, पटना, दिल्ली आदि स्थानों को जाने के लिए या माल को पहुंचाने के लिए कटिहार में ट्रानशिपमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि कटिहार के आगे बड़ी लाइन की रेल का रास्ता है। अतः इससे माल को निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने में विलम्ब तो होता ही है, ट्रानशिपमेंट में खर्च एवं माल का नुकसान भी अधिक होता है। फिर कटिहार में ठीक से ट्रांशिपमेंट करने के लिए और भी निर्माण करने में खर्च लगाना होगा।

वर्तमान कटिहार जोगबनी खंड का सर्वे भी हो चुका है और रेलवे के पदाधिकारियों ने सुरक्षा व्यापार एवं यात्री सुविधा की दृष्टि से इसके आमान परिवर्तन की ओरदार अनुशंसा भी की है। अतः यह मांग की जाती है कि जोगबनी कटिहार खंड (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) को शीघ्रातिशीघ्र बड़ी लाइन में बदला जाए।

(तीन) बेल्लारी जिले में हासपेट से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खरीदे जाने वाले लौह अयस्क का खरीद मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं बेल्लारी जिले में हासपेट के लौह अयस्क खान मालिकों और पूर्तिकर्ताओं की शिकायतों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

यह क्षेत्र निर्यात के लिए सभी श्रेणियों का पचास लाख टन लौह अयस्क देता है, जिसमें से बीस लाख टन इस क्षेत्र के निजी खान मालिकों द्वारा सप्लाई किया जाता है और शेष एन० एम० डी० सी० द्वारा अतः खनन उद्योग एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। इस क्षेत्र में 76 खनन ठेके हैं तथा आदमियों और मशीनों की सहायता से बीस लाख टन का उत्पादन किया जा रहा है। इस धंधे में 25,000 श्रमिक प्रत्यक्ष और 25,000 श्रमिक अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। यह दुःख की बात है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जो सारे अयस्क का एकमात्र खरीदार है, खान-मालिकों की निम्नतम मांगों को भी पूरा नहीं कर रहा है, वास्तव में, वर्ष 1983 के दौरान, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने खरीद मूल्य एक प्रतिशत घटा दिया जबकि पत्तन प्रभार, रेल माल-भाड़ा इत्यादि के लिए अधिक मूल्य दिया जाता है। लौह अयस्क को 60 रुपये प्रति टन के बहुत कम मूल्य पर खरीदा जाता है जबकि एन० एम० डी० सी० से अयस्क 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा जाता है। यह उद्योग संकट में है और जिले की अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। मैं अनुरोध करती हूं कि खनिज तथा धातु व्यापर निगम द्वारा लौह अयस्क के खरीद मूल्य में उपयुक्त वृद्धि घोषित करके शीघ्र राहत की जाए।

(चार) भोपाल के निकट हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टी० टी० नगर और बी० एच० ई० एल० क्षेत्र के लगभग तीन लाख लोगों को जो देश और प्रदेश के सभी भागों से आए हुए हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के न रुकने से अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्हें भोपाल रेलवे स्टेशन से आना जाना पड़ता है, जिसका फासला 8 से 15 कि० मी० तक है। आटो-रिक्शा तथा टैक्सी पर भारी खर्चा हो जाता है और रात्रि में आने और जाने के लिए बहुधा कोई साधन ही नहीं मिलता। बाहर जाने के लिए घंटों पहले भोपाल स्टेशन पर पहुंचना पड़ता है और रात्री की ट्रेन से आने पर रात्रि को स्टेशन पर ही रुकना पड़ता है।

भोपाल रेलवे स्टेशन पर इस कारण बहुत रश हो जाता है। उपरोक्त असुविधा के कारण चैन पुलिंग भी खूब होती है और ट्रेनें लेट हो जाती हैं।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आबादी का अधिकांश विस्तार भी उसी क्षेत्र में हो रहा है। होशंगाबाद और औद्योगिक नगर मंडीदीप जाने के लिए भी यही स्टेशन सबसे अधिक उपयोगी है।

इसलिए रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कम से कम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन पर फिलहाल दो-दो मिनट का स्टापेज करवाने की कृपा करें।

(पांच) दार्जिलिंग जिले में गोरूबथान स्थित खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा छंटनी किए गए कामगारों को बहाल करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : श्रीमन्, दार्जिलिंग जिले में गोरूबथान स्थित खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा 34 श्रमिकों की छंटनी किए जाने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। वे 1981 में विधिवत् नियुक्त किए गए थे तथा निगम जो भी चाहता था वह कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि सहित नियमित कर्मचारी वाली सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी। नियमन की अर्हक-अवधि 230 दिन पूरे होने के पश्चात भी उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति दी गयी थी।

छंटनीशुदा श्रमिक इस अन्यायपूर्ण छंटनी का विरोध कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें तथा स्थिति बिगड़ने से पहले ही छंटनीशुदा श्रमिकों को शीघ्र काम पर वापस लेकर इस विवाद का निपटारा करें।

(छः) एक रुपये के नोटों तथा छोटे सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में एक रुपये के नोटों तथा छोटे सिक्कों की भारी कमी है, जिससे आम आदमी को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। बसों में टिकट खरीदने में तथा छुटपुट खरीदारी करने में उपभोक्ता को नियम मूल्य के अतिरिक्त अपना देय पैसा छोड़ना पड़ता है अथवा खरीददारी से वंचित रहना पड़ता है। इस कमी का व्यापारी वर्ग प्रायः अनुचित लाभ उठा रहे हैं। सरकार को इस कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं और आम आदमी को इस शोषण से बचाना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस बारे में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

3.54 म० प०

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1985 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 और 10 एक साथ लेंगे। इन दो मदों के लिये दो घंटे दिए गए हैं। मैं प्रो० सोज से संकल्प प्रस्तुत करने का अनुरोध करूंगा। क्योंकि वह यहां नहीं हैं, मैं श्री काबुली से अनुरोध करूंगा कि वह संकल्प प्रस्तुत करें और उस पर बोलें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 अप्रैल, 1985 को प्रख्यापित चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।

[हिन्दी]

आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो आर्डिनेंस को पास करने के लिए बिल सरकार की तरफ से आया है, इसकी मैं दो बिन्हा पर मुखालिफत करता हूं। पहली बात तो मैं यह समझता हूं कि :

[अनुवाद]

यह प्रख्यापन संसद की गरिमा का अपमान करता है यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन यह अनुज्ञेय है, किन्तु जब एक सभा सत्र में थी तो मैं समझता हूं कि यह संविधान की आत्मा और मर्यादा के खिलाफ था।

[हिन्दी]

इस बिन्हा पर मैं यह कह रहा हूं कि जब यह हाउस चल रहा था, लोक सभा चल रही थी, राज्य सभा नहीं चल रही थी तो इस आर्डिनेंस को निकालने की जरूरत नहीं थी। हालांकि आपको इसको निकालने के अख्तियारात हैं लेकिन प्रोप्राइटी इस बात की इजाजत नहीं देती है। सरकार इसके

लिए कानून लेकर इस हाउस के सामने आ सकती थी। मैं समझता हूं कि इस हाउस की इज्जत और वकार के साथ इस तरह से बराबर खिलवाड़ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। एक तो इस बिन्हा पर मैं इस आर्डिनेंस की मुखालिफत करता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस कानून के तहत बीमार चाय यूनिटों के अधिकार, एक और हित अपने हाथ में ले रही है। इन कम्पनियों के बारे में इस किस्म की शिकायतें थीं कि इनके मालिकान ने जबर्दस्त किस्म का अपने जाति नफाद के लिए एक्सपलोयटेशन किया, इन इदारों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस किस्म की बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दीं। लेबर को मजदूरी सही ढंग से नहीं मिली। यह बात सही है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कम्पनियों का मैनेजमेंट तो आपने बहुत पहले अपने हाथ में ले लिया था। इससे पहले सरकार ने इन्हें लेने का फैसला क्यों नहीं दिया ?

[अनुवाद]

चार रुग्ण चाय यूनिटों के प्रबन्ध को चाय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 1976 और 1979 के बीच अपने हाथ में ले लिया था।

[हिन्दी]

इस बिन्हा पर भी मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो अब शिकायतें आ रही हैं और जो अब इन्हें नेशनेलाइज किया जा रहा है, उसके बारे में आप यह बताएं कि जब इनमें कमजोरियां थीं, इनमें कमियां थीं तो आपने इनका मैनेजमेंट हाथ में लेने के बाद क्या काम किया ? 1966 से इनका मैनेजमेंट आपके हाथ में है। तबसे आपने वहां पर क्या-क्या इलाज किये ? जो वहां पर प्राब्लम थी, मुश्किलात थीं, लूट-खसोट थी जोकि उन कम्पनीज के ओनर्स कर गये थे उनको दूर करने के लिए आपने क्या किया ? मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस मामले में सारी की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी जाती है।

3.59 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

आप यह नहीं कह सकते कि लेबर की वजह से वहां कोई मुश्किलात पैदा हुई। लेबर का वहां कोई कुसूर नहीं रहा, वह बराबर आपको कोआप्रेशन देती रही। आप खुद भी इसको मान रहे हैं। आज जो बंगाल में पोलिटिकल लीडरशिप है, हो सकता है कि उस जमाने में कोई सियासी कशमकश रही हो लेकिन लेबर ने कोई मुश्किलात पैदा नहीं की। उस जमाने में भी जब मैनेजमेंट ने काम शुरू किया तो…

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

4.00 म० प०

असल में रिसपांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है और सरकार नेशनलाइजेशन इसलिए नहीं कर रही कि सरकार को इसमें दिलचस्पी है, बल्कि इसलिए कर रही है कि जो मालिकान हैं, ओनर्स हैं, वे बेईमान हैं और वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं और चारों यूनिट्स को तबाह करने जा रहे हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, असल में ऐसा कहा गया है कि जिन हालात में आर्डिनेंस लाया गया और अब बिल लाया गया और नेशनलाइज किया गया, इससे लगता ऐसा है कि असल में सरकार मैनेजमेंट को बचाना चाहती है, उनकी जिम्मेदारियों को छिपाना चाहती है। यह मेरी शिकायत है और मैं शिकायत करूंगा :—

[अनुवाद]

चार यूनिटों की देनदारियां 1.65 लाख रुपये थी और 1 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था। जैसा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण की घोषणा किए जाते समय रुग्णता अनेक वर्षों की उपेक्षा और कुप्रबन्ध का परिणाम थी।

[हिन्दी]

यह सरकार खुद भी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता रहा हूं, कि यह जो बिल है, इसकी जो भावना है, इसकी मैं हिमायत करता हूं, मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मुखालिफत की वजह यह है कि जो मैनेजमेंट चार यूनिट्स में था, उस मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाईं और अब उसकी मियाद खत्म होने वाली है, पीरियड इसी महीने जून में खत्म होने वाला था, इसलिए आपने इससे पहले कि मैनेजमेंट को एक्सटेंशन दिया जाए, इनको अपने हाथ में ले लिया। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह जो कार्यवाही की गई, यह मैनेजमेण्ट को बचाने के लिए की गई है और इस नुक्ताएनिगाह से, जिसका मैं हमेशा हामी रहा हूं कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए, उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ इस बात से है कि आप मैनेजमेण्ट को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार बताए कि मैनेजमेण्ट की इसमें कितनी कोताहियां रही हैं और किस हद तक उसने गलती की है, जो रोग थे उनको दूर करने में कहां तक वे नाकामियाब हुए, उनकी गलतियों को छिपाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और दूसरी बात जो पहले मैंने आपके सामने पेश की, वह यह कि आर्डिनेंस उस वक्त लगाया गया जब लोक सभा सेशन में थी और आपको चाहिए था कि आप इस ऐवान में कानून लाते, ये मेरी आपसे शिकायतें हैं।

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Sringar) : Sir, I move the following Resolution :

> "This House disapproves of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea units) Ordinance, 1985 (Ordinance No. 3 of 1985) promulgated by the President on the 8 April, 1985."

آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ یہ جو آرڈی ننس کو پاس کرنے کے لئے بل سرکار کی طرف سے آیا ہے اس کی میں دو بنا پر مخالفت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ۔

this promulgation is an affront to the dignity of Parliament. Though this is permissible under Article 123 of the Constitution when only one House was in Session, yet I feel it was against propriety and spirit of the Constitution.

اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ہاؤس چل رہا تھا۔ لوک سبھا چل رہی تھی راجیہ سبھا نہیں چل رہی تھی تو اس آرڈی ننس کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ آپ کو اس کو نکالنے کے اختیارات ہیں لیکن پروپرائٹری اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ سرکار اس کے لیے قانون لے کر اس ہاؤس کے سامنے آسکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اگست ہاؤس کی عزت اور وقار کے ساتھ اس طرح سے برابر کھلواڑ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیئے۔ ایک تو میں اس بنا پر میں اس آرڈی ننس کی مخالفت کرتا ہوں۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس قانون کے تحت بیمار چائے یونٹوں کے ادھیکار حق اور بہت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ ان کمپنیوں کے بارے میں اس قسم کی شکایتیں تھیں کہ ان کے مالکان نے زبردست قسم کا اپنے ذاتی مفاد کے لئے ایکسپلائیٹیشن کیا

ان اداروں کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اس قسم کی بہت ساری مشکلات پیدا کر دیں۔ لیبر کو مزدوری صحیح ڈھنگ سے نہیں ملی۔ اور یہ بات صحیح ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کمپنیوں کا مینجمنٹ تو آپ نے بہت پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس سے پہلے سرکار نے انہیں لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔

The management of the four sick tea units was taken-over between 1976 and 1979 under the provisions of the Tea Act.

اس بنا پر بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جواب شکایتیں آ رہی ہیں اور جواب انہیں نیشنلائز کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ جب ان میں کمزوریاں تھیں ان میں کمیاں تھیں تو آپ نے ان کا مینجمنٹ ہاتھ میں لینے کے بعد کیا کام کیا۔ ۱۹۷۷ء سے ان کا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تب سے آپ نے کیا کیا علاج کیے۔ جو وہاں پر پرابلم تھی مشکلات تھیں لوٹ کھسوٹ تھی جو کہ ان کمپنیز کے اونرس کر گئے تھے ان کو دور کرنے کے لئے آپ نے کیا کیا۔ میں یہ کہے بنا نہیں رہ سکتا کہ اس معاملے میں ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر بھی جاتی ہے۔

15.59 hrs.

(SMT. BASAV RAJESHWARI IN THE CHAIR)

آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیبر کی وجہ سے وہاں کوئی مشکلات پیدا ہوئی۔ لیبر کا وہاں کوئی قصور نہیں رہا۔ وہ برابر آپ کو کوآپریشن دیتی رہی۔ آپ خود بھی اس کو مان رہے ہیں۔ بنگال میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی کشمکش رہی ہو لیکن لیبر نے کوئی مشکلات پیدا نہیں کیں۔ اس زمانے میں بھی جب مینجمنٹ نے کام شروع کیا تو اصل میں ریسپانسبلٹی مینجمنٹ کی ہے اور سرکار نیشنلائزیشن اس لئے نہیں کر رہی کہ سرکار کو اس

میں دلچسپی ہے۔ جو مالکان ہیں اونرس ہیں وہ بے ایمان ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور چاروں یونٹس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں ہے جن حالات میں آرڈیننس لایا گیا اور اب بل لایا گیا اور نیشنلائز کیا گیا اس سے لگتا ایسا ہے کہ اصل میں سرکار مینجمنٹ کو بچانا چاہتی ہے ان کی کوتاہیوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ یہ میری شکایت ہے اور میں شکایت کروں گا۔

The four units had liabilities of Rs. 1 65 lakhs and negative net-worth of Rs 1 crore. As the Government itself has admitted while announcing the nationalisation, the sickness was as a result of long years of neglect and mismanagement.

یہ سرکار خود بھی کہہ رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس لئے میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس کی جو بھاؤنا ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں۔ مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ جو مینجمنٹ چار یونٹس میں تھا اس مینجمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اور اب اس کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ پیریڈ اسی مہینے جون میں ختم ہونے والا تھا۔ اس لئے آپ نے اس سے پہلے کہ مینجمنٹ کو ایکسٹینشن دیا جائے۔ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کارروائی کی گئی یہ مینجمنٹ کو بچانے کے لیے کی گئی ہے اور اس نقطۂ نگاہ سے جس کا میں ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ نیشنلائزیشن ہونا چاہیئے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات سے ہے کہ آپ مینجمنٹ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سرکار بتائے کہ مینجمنٹ کی اس میں کتنی کوتاہیاں رہی ہیں اور کس حد تک اس نے غلطی کی ہے جو روگ تھے ان کو دور کرنے میں کہاں تک وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے

سرکار نے قدم اٹھایا ہے اور دوسری بات جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ یہ کہ آرڈی ننس اس وقت لایا گیا جب لوک سبھا سیشن میں تھی اور آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ قانون لاتے یہ میری آپ سے شکایت ہے۔

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रुग्ण चाय यूनिटों का उचित पुनर्गठन और प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे विभिन्न प्रकार की चाय के, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण है, उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि करके जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी चाय यूनिटों के और उक्त चाय यूनिटों की बाबत चाय कम्पनी के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदया, पाशोक, लुकसान, पोटोंग और वाह-तुकवार चाय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने वाले इस विधेयक की मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। इन चार रुग्ण यूनिटों का प्रबन्ध, इनको घाटे में चला रहा था, इनकी उपेक्षा हो रही थी। अधि-शोषण के लिए अल्पकालीन उपाय किए गए थे। उन पर देनदारियों का भार भी बहुत हो गया था।

इन चार रुग्ण यूनिटों की प्रबन्ध ग्रहण पूर्व की संचित देनदारियां 1.65 लाख रुपये थीं और 1 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था। मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया था। श्रमिक अशांति थी; बैंककारी और वित्तीय संस्थानों का पैसा नहीं लौटाया गया था जिसके कारण कुछ रुग्ण यूनिटें वस्तुत: छोड़ दी गईं या बन्द कर दी गईं। 3,000 मजदूरों का भविष्य दांव पर लगा था और ऐसे समय पर प्रबन्ध को हमने अपने हाथ में लिया।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : कौन से वर्ष में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रबन्ध-ग्रहण का वर्ष 1966 था और पोटोंग का प्रबन्ध-ग्रहण 1978 में हुआ था। इस पर निर्णय लेने के लिए मांग की गई थी क्योंकि सिर्फ प्रबन्धन का ही अधिग्रहण किया गया था, मालिकाना हक के विषय में निर्णय नहीं हुआ था। यह हमारा अनुभव रहा है कि और अधिक पूंजी निवेश से, निश्चय ही हम चाय बागानों में सुधार कर सकते हैं। अनिश्चितता समाप्त करने के लिए हमने यह निर्णय लिया। जो कुछ हुआ उसके लिए हम दुबारा से किसी भी हालत में मालिकों के पास नहीं जाना चाहते थे। हम इन बागानों में काम कर रहे मजदूरों को उनके रोजगार के बारे में आश्वस्त करना चाहते थे क्योंकि वहां पर इस तरह एक महीने से छह महीने तक अवधि बढ़ाते रहना अर्थहीन था, क्योंकि इससे प्रगति में बाधा पड़ती। अत: इस कारण से हमने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। श्री काबुली द्वारा उठाया गया मुद्दा था कि यह अध्यादेश क्यों जारी किया

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

गया। एक कम्पनी की अवधि 10 अप्रैल को खत्म हो रही थी और दूसरी की 19 जून, 1985 को। विधेयक के पुरःस्थापन से, हमने कई दफे देखा है कि बहुत से स्थगन आदेश एवं मुकदमेबाजी, अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है। अगर यह देश तथा श्रमिकों के हित में है और अगर इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधान का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं है। इसमें सदन के निरादर की कोई बात नहीं है क्योंकि अवसर मिलते ही विधेयक को सदन में उसके अनुमोदन और स्वीकृति के लिए पेश किया गया है।

कहा गया है कि हम प्रबन्धन को बचा रहे हैं और यह पूछा गया है कि इसके अधिग्रहण के पश्चात हमने क्या सुधार किये हैं। मैं माननीय सदस्यों को इस पोषक प्रबन्धन के बारे में बताना चाहूंगा, इसके अर्जन से एकदम पूर्व इसका सम्पूर्ण उत्पादन 1,42,436 किलोग्राम था। अधिग्रहण के पश्चात, यह 1,50,247 किलोग्राम हो गया है। इसी तरह से, अधिग्रहण के पश्चात प्रत्येक बागान के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अधिग्रहण के पश्चात यह स्पष्ट सुधार है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है। पोषक में 1981-82 में 35.9 लाख रुपये का घाटा हुआ और अब यह घट कर 7.05 लाख रह गया है। सूकमान में 1981-82 में 14.02 लाख रुपये का घाटा हुआ था और अब यह एकदम खत्म हो गया है। इसने 1983-84 में 29.24 लाख रुपये का तथा 1984-85 में 37.33 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है। वाह-तुकवार में 1981-82 में जो घाटा था वह 1984.85 में काफी कम हो गया है। यह घाटे की राशि 26 लाख रुपये से कम होकर 17 लाख रुपये रह गई है। अतः औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानि कि उत्पादकता में। घाटों में भी कमी आई है।

माननीय सदस्य, श्री काबुली ने लूट-खसोट यानि घोर शोषण की बात कही है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दायित्वों तथा मजदूरों की मजदूरी तथा उनके अन्य बकायों भुगतान सम्बन्धी कानूनी दायित्व पूरी तरह निभाए गए हैं। मुनाफा एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य करवाया गया है। यह बेईमान लोगों के लिए भी चेतावनी है कि वे श्रमिकों तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के विषय में मनमानी नहीं कर सकते। अतः सरकार श्रमिकों की समर्थक है और यह अर्थ-व्यवस्था को सम्भाल सकती है और इसे सही दिशा प्रदान कर सकती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपने सिर्फ चार बागानों का ही अधिग्रहण क्यों किया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका जवाब मैं सामान्य वाद-विवाद के दौरान दूंगा।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापटनम्) : सभापति महोदया, सबसे पहले जो मुद्दा उठाया गया वह था अध्यादेश की उद्घोषणा उस समय क्यों की गई जब लोक सभा का सत्र चालू था यद्यपि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था। उत्तर भी स्पष्ट था।

मूल उत्तर पर आने से पूर्व क्या मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रशासन प्रत्येक अवस्था पर अध्यादेश लागू करने में आसानी महसूस करता है। यह एक प्रथा बन गई है। पिछली बार, प्रबंधन ग्रहण की अवधि 11 अक्तूबर, 1983 को समाप्त होनी थी यह अध्यादेश 7 अक्तूबर को जारी कर दिया गया। 4 दिन पूर्व। ऐसा पिछली बार किया गया था। इस बार भी देखिये क्या हुआ। प्रबन्धन ग्रहण की अवधि 10 अप्रैल को समाप्त होनी थी तथा 8 अप्रैल को अध्यादेश जारी किया गया, सिर्फ दो दिन पहले। क्या प्रशासन विधेयक लाने की जरूरत पहले से महसूस नहीं कर सकता था और इसे सदन में पारित करवा सकता था। इसका जवाब दिया गया है कि अगर मैं सदन में कोई कानून लेकर आता तो सम्बन्धित दल अदालत में जा सकते थे। कितने मामलों में सरकार इस प्रक्रिया से बच सकती है और इसे सदन में लाने की बजाय अध्यादेश जारी करके अदालत में जाने से लोगों को रोक सकती है। अगर यह वास्तविक दिक्कत है और इसका कोई चारा नहीं है तो आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा अपितु सरकार इससे बच नहीं सकती। अगर इरादा इस तरह का है तो यह अच्छा रवैया नहीं है।

महोदय, सदन के सत्र के समय अध्यादेश जारी करने के तरीके पर मुझे सख्त एतराज है। निश्चय ही वे इस बात का बहाना लेते हैं कि दूसरे सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा था और यह संविधान के तहत उचित है परन्तु मैं मर्यादा का प्रश्न उठाता हूं। क्या यह उचित है और ऐसा किया जाना चाहिए था? क्या यह मूलभूत प्रश्न नहीं है। कार्यपालिका विधायकों के अधिकार क्षेत्र पर दखल नहीं कर सकती। उन्हें विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में लेने तथा अध्यादेश जारी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

आजकल यह सब हो रहा है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस मुद्दे पर विचार करें और इस प्रथा को छोड़ दें। यह अच्छी प्रथा नहीं है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। महोदय, वर्ष 1976 में और बाद में वर्ष 1979 में सरकार ने कुछ चाय कम्पनियों का अधिग्रहण किया था। मैं अधिग्रहण किए जाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। अब उनका विचार है कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। राष्ट्रीयकरण करना एक अच्छी नीति है मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ मैं पूरे मन से इसका स्वागत करता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार 1976-1979 की अवधि के दौरान 5 कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया था और अब केवल 4 कम्पनियों का ही राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। पांचवीं कम्पनी का क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालें। पुनः जहां तक चाय कम्पनियों का संबंध है, कई चाय बागानों का प्रबंध उसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। पाशोक चाय बागान और लुकसन चाय बागानों का प्रबंध मेसर्स पाशोक चाय कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह, हो सकता है अन्य चाय बागानों का प्रबंध भी उसके पास हो अतः वे एक चाय बागान का प्रबंध अपने हाथ में लेना उचित समझते हैं ·· तो फिर ऐसे कितने चाय बागान शेष रह गए हैं ? यह कैसी बात है कि इन बागानों का अधिग्रहण भी उसी भांति नहीं किया गया है? इस समय मैं मंत्री महोदय को सदन में उनके

[श्री एस० एम० भट्टम]

द्वारा बतायी गयी बात का स्मरण कराना चाहता हूं जो उन्होंने कुछ औद्योगिक उपक्रमों को, जिन्होंने अदायगी नहीं की, वित्तीय सहायता देने संबंधी प्रश्न के संबंध में कही थी। यदि एक औद्योगिक इकाई के मामले में वे असफल रहे हैं तो शेष औद्योगिक इकाइयों के मामले में वे इस अवसर का लाभ उठाने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने यही कहा था। यदि इस मामले में ऐसा कुप्रबंध था और धन का दुरुपयोग किया गया था, श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दी गयी, यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया और यदि कुछ बातें पूर्णतः गलत पाई गई हैं तो उसे भांति शेष बागानों का भी अधिग्रहण करना होगा। उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अपने उत्तर में इस मुद्दे पर भी ध्यान दें, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अभी कहा है, राष्ट्रीयकरण से वास्तव में श्रमिकों और बागानों दोनों को ही लाभ हुआ है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है और श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार हुआ है तथा इसी कारण वे शेष चाय बागानों का भी अधिग्रहण कर सकते हैं।

पुनः मैं यहां आपको दूसरे पहलू का जिक्र कर दूं। विधेयक की धारा 25 (क) के अनुसार :

(क) "कोई व्यक्ति जो ऐसी किसी रुग्ण चाय यूनिट के कार्यकलाप का प्रबंध, उस तारीख के पूर्व जिसको रुग्ण चाय यूनिट इस प्रकार निहित हुई थी, कर रहा था जब तक चाय व्यापार निगम द्वारा ऐसी यूनिट के प्रबंध के लिए आनुकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक उस यूनिट के कार्यकलाप का प्रबंध ऐसे करता रहेगा मानो ऐसा व्यक्ति, चाय व्यापार निगम द्वारा ऐसी यूनिट के प्रबंध लिए प्राधिकृत किया गया हो।"

अतः जिन व्यक्तियों को सभी को नहीं, उनमें से कुछ को कुप्रबंध धन का दुरुपयोग करने, कर्तव्य अवहेलना करने और इकाइयों को पूरी तरह विफल करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है, उन्हें अन्य प्रबंध किए जाने तक इन बागानों में ही क्यों रहने दिया जाए? यह उन लोगों को क्यों दिया जाये जिनका उस नई व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है जो सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण करने के बाद आई है। स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति, जो मैं जानना चाहता हूं, यह है कि 1976 और 1979 के बीच जब कुछ चाय बागानों का अधिग्रहण किया गया था, तब वास्तव में इससे पहले के प्रबन्धकों के अधीन काम करने वाले कुछ व्यक्तियों को इस नयी व्यवस्था में लगे रहने दिया गया। क्या आज भी वे वहां काम कर रहे हैं? क्या सरकार उन्हें आगे भी वहां काम करते रहने देना चाहती है? माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मंत्री महोदय को यह जानकारी भी देनी चाहिए।

महोदया, किसी भी तरह से मुझे यहां पर की गयी व्यवस्था पसंद नहीं आयी है और मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और क्या वास्तव में जब एक बार राष्ट्रीयकरण

हो जाता है, तो यह प्रशासन की वर्तमान विचारा धारा के अनुकूल सिद्ध होगी।

महोदया पुन: प्रश्न एक चाय उद्योग के संबंध में है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसमें 20 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। हमें इससे 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इतना होते हुए भी, इस तरह का खण्डश: विधान पेश करने की बजाय अर्थक्षम इकाइयों के सभी मामलों में, जहां भी प्रवन्ध ठीक नहीं है, जहां कहीं कुप्रबन्ध है और आरोप और दोषारोपण की बातें हैं, सरकार सभी चाय बागानों का अधिग्रहण कर उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती? अब प्रश्न यह है कि जहां चाय बागान अर्थक्षम समझे जाते हैं सभी मामलों में, भी चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करना सरकार पर बोझ नहीं हैं। परन्तु यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो सरकारी नीति के आधार पर जनता तथा देश के लाभ के लिए तथा लोकहित के लिए ऐसा किया जा सकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के खण्डश: विधान लाने की बजाय, वह किसी भी समय, देर या सवेर इन इकाइयों का अधिग्रहण करने पर विचार करें, ताकि ये इकाइयां अर्थक्षम बन सकें।

धन्यवाद।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आरम्भ में, मैं मन्त्री महोदय को यह प्रगतिशील विधेयक पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इससे चार चाय बागानों के मजदूरों को मदद मिलेगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मैं चाय बागानों की कुछ समस्याओं को यहां उठाना चाहता हूं।

यह सच है कि काफी समय से ये चारों चाय बागान रुग्ण थे और भारतीय चाय निगम के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षण में इन रुग्ण एककों का अधिग्रहण किया गया है। जैसा कि मैंने कहा है, कि मैं सारे देश के चाय उद्योग से सम्बन्धित कुछ मूल बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

अधिकांश चाय बागान, असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में हैं और कुछेक त्रिपुरा में है। इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों की वर्तमान हालत बहुत खराब है। अनेक चाय बागानों में प्रबन्धक बैंक अधिकारियों की मिली भगत से कई वर्षों से काफी फायदा उठा रहे हैं। किसी समय मूलत: चाय का व्यापार करने वाले लोग ही वहां इस क्षेत्र में थे; लेकिन पिछले 15 वर्षों से, बैंकों से मिली भगत के कारण उन्हें वहां से चालाकी से हटा दिया गया है। और उनकी जगह हेरा-फेरी करने वाले लोग आ गए है। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इस सारे मामले पर विस्तार से जांच करें। जहां तक चाय-बागानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सम्बन्ध है, यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया, लीड बैंक की भूमिका निभाता है। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे पिछले दस वर्षों के दौरान, बैंकों ने किसी विशेष चाय बागानों के प्रबन्धकों को मजबूर किया कि वे इन्हें रुग्ण एकक बनाये और वे या तो इसे किसी को सौंप दें या कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसे किसी विशेष व्यक्ति को बेच दें और इस तरह उन्हें इस व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर किया।

यह कैसे हुआ? चाय-बागानों में जब सीजन आरम्भ होता है, मगर उस समय तक नहीं

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

प्रकार से कार्य न करे, तो सारा सीजन ही बेकार चला जाता है। सीजन शुरू होने से पहले, प्रबन्धक आधुनिकीकरण के लिए, या मशीनों की मरम्मत आदि के लिए बैंक को प्रस्ताव पेश करता है, बैंक जानबूझकर स्वीकृति प्रदान करने और पैसा देने में देरी करता है, ताकि एकक को समय पर पैसे न मिलें और परिणामस्वरूप उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और भारी घाटा होता है। अगली बैठक में बैंकों ने उन्हें मजबूर किया कि या तो वे प्रबन्ध से हट जायें या एकक को किसी और के हाथ सौंप दें जोकि पहले ही इसके लिए तैयार बैठा होता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता या किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता या ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, जिससे क्षेत्रीय जातिवाद की बात पैदा हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ऐसे व्यापारियों का गुट है जो कि यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया से मिली भगत करके उत्कृष्ट चाय बागानों का अधिग्रहण करना चाहता है और निश्चय ही इस बैंक के अधिकारी जानबूझकर इसमें सहयोग दे रहे हैं। पिछली दफा जब मैंने यहां भाषण दिया था, तो मैंने उस समय भी वित्त मन्त्री से अनुरोध किया था। अगर वह इस बैंक के कार्यकलापों की जांच करवाने के लिए राजी हो जाते हैं तो जहां तक इन चाय बागानों को वित्तीय सहायता देने की बात है इससे कई एक घोटालों का पता लगेगा। मैंने बार-बार यह कहा है कि अगर वह समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देते, तो भविष्य में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्हें मजदूरों की काफी चिन्ता है और वह यह नहीं देख सकते कि उनका प्रबन्धकों के हाथों और शोषण हो और सरकार इन एककों का अधिग्रहण करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि वह उस महान् व्यक्ति श्री मोहन कुमार मंगलम की याद करें जोकि अब इस सभा में नहीं हैं। जब कोयला उद्योग भी इसी प्रकार के संकट से गुजर रहा था, इन्दिरा जी के आशीर्वाद से, उन्होंने एक माह से भी अधिक समय कोयला खानों का दौरा किया और उसके बाद इनके पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए एक विधेयक पेश किया। इसके परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई और देश को लाभ हुआ। अतः, मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह चाय उद्योग के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि इस सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यह न केवल एक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एकक है अपितु यह देश के राष्ट्रीय और राजकोष दोनों को उत्पाद शुल्क की पर्याप्त राशि भी प्रदान करता है। मुझे खेद है कि भारत के पश्चिमी भाग में कपड़ा एककों को तथा गन्ना उद्योग और कपास उद्योग की ओर जिस प्रकार का ध्यान तथा महत्त्व दिया गया है वैसा चाय उद्योग की ओर नहीं दिया गया है। यदि वित्त मंत्रालय ने इसमें इसी प्रकार की रुचि दिखाई होती है और वह चाय उद्योग का गहराई से अध्ययन करता है तो उसे बचाया जा सकता है। इन सामंतों के चंगुल से चाय एककों को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और ऐसे केवल राष्ट्रीयकरण के द्वारा किया जा सकता है।

अब मैं तीसरे पहलू को लूंगा। महोदया जैसा आप जानती हैं चाय की नीलामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। जब नीलामी शुरू होती है तो व्यापार शुरू होता है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी नामक शहर प्रमुख नीलामी केन्द्र है। यदि वित्त मन्त्री नक्शे का अध्ययन करें, जो शायद चाय व्यापार निगम और चाय बोर्ड उन्हें नहीं दिखायेगा तो उन्हें पता चलेगा कि ब्रिटिश काल से भी 15 वर्ष पूर्व जलपाईगुड़ी शहर उत्तर बंगाल का मुख्यालय था। पूरे शहर का जीवन चाय पर आधारित था और प्रत्येक दूसरा घर चाय पर आश्रित था। चाय नीलामी केन्द्र वहीं था। शहर का विकास हुआ और लोगों की भी काफी प्रगति हो रही थी। अचानक नीलामी केन्द्र सिलीगुड़ी ले जाया गया और इसके बाद कलकत्ता ले जाया गया। आप इसे कलकत्ता क्यों ले आए? कलकत्ता में हर तरह की सुविधा है। अब सिलगुड़ी बंगाल के प्रमुख नगरों में से एक है। यहां सीमा पर विविध प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से दोबारा अनुरोध करता हूं कि वह इस पर निजी तौर पर विचार करें और पुराने शहर के जीवन को पुन: सजीव करें और नीलामी केन्द्र के कार्यक्रम को जलपाईगुड़ी नगर में ही ले जाएं। अन्त में मैं सुझाव दूंगा कि भौगोलिक दृष्टि से भी यह द्वार्स और दार्जिलिंग के बीच स्थित है और यदि वहां पर नीलामी की जाती है तो अलीपुरद्वार और अन्य भागों का विकास होगा।

सभापति महोदया, चाय बागान क्षेत्रों में श्रमिक अधिकांशतया पिछड़े समुदायों, जनजातियों तथा अन्य वर्गों के हैं। श्रमिकों को मजदूर संघ और प्रबन्धकों के बीच हुए समझौतों पर आधारित मजदूरी देने के अलावा चाय बागान मालिकों द्वारा उनके समाज कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं चाय उद्योग में बागान श्रमिकों के रूप में बहुत-सी महिलाएं काम करती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय महिला घोषणा वर्ष के बावजूद उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। गर्भावस्था के दौरान अन्य उद्योगों में इन्हें पर्याप्त संरक्षण दिया गया है लेकिन चाय उद्योग के मामले में इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं तथा मैं इसे माननीय वित्त मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। गत विधान सभा चुनावों के दौरान जब मैं वहां था तो यह घटना नगरकटा चाय बागान में हुई थी। मैंने वहां देखा कि 20 परिवार थे जिनमें चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं द्वारा पूरी आजीविका अर्जित की जाती थी। उनमें से कुछ महिलाएं किसी रोग से ग्रस्त हो गईं और उन्होंने मजदूर संघों के माध्यम से प्रबन्धकों को सहायता देने तथा उन्हें संरक्षण देने के लिए कहा। लेकिन प्रबन्धकों ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने उनके स्थान पर दूसरी महिलाओं को नौकरी पर रख लिया। चाय बागानों में महिलाओं का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद कोई देख-रेख नहीं की जाती है। कई बार प्रबन्धक इस तरीके से व्यवहार करते हैं। वे श्रमिकों के हित के लिए बोलने वाले मजदूर संघ के नेताओं को खत्म करने के लिए गुण्डों तथा समाज विरोधी तत्वों को किराये पर ले लेते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां हमेशा चाय बगान क्षेत्रों में चलती रहती हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न यूनिट रुग्ण हो जाते हैं। बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी कम्पनियों के भी थोड़े से एकक हैं। बकम्स आदि जैसे कुछ

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

भारतीय एकाधिकारवादी कम्पनियों के भी थोड़े से एकक हैं। मुझे इन एककों की स्थिति की जानकारी नहीं है।

अब चाय एक ऐसा उद्योग है जिसका दो-तीन वर्षों में अत्यधिक विकास होता है और उससे बहुत अधिक आय होती है। एक-दो वर्षों में उनका व्यस्ततम काल होता है। लेकिन बात यह है कि इस अत्यधिक विकास तथा अधिक मुनाफे के दौरान भी वे इस मुनाफे में से आधुनिकीकरण के लिए कुछ भी पूंजी निवेश नहीं करते हैं। मैं तीन उदाहरण दूंगा। तीन चाय बगान है - कमला चाय बागान, सौदामिनी चाय बागान और सुभाषिणी चाय बागान। इनमें से दो बागान क्षेत्र द्वार्स और एक बागान क्षेत्र सिलीगुड़ी के निकट है। इन बागानों में भारी वृद्धि हुई है। वे यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के साथ अपने सभी लेखे निपटा सके हैं। लेकिन आपको यह जानकर धक्का लगेगा कि उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए कुछ भी राशि व्यय नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि गत एक वर्ष में इन चाय बागानों में मशीनरी प्रभावी नहीं है और वहां उत्पादन में गिरावट आई है। अब वे एक प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें आधुनिकीकरण के लिए नयी राशि रखी जाएगी। इस प्रकार की बातें वहां हो रही हैं और बैंकों के प्रबन्धक भी उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वह इन बातों का भी ध्यान रखें।

अन्त में अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं असम में जोखाई चाय कम्पनी का उल्लेख करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री महोदय को तथ्यों की जानकारी होगी और असम के मुख्यमन्त्री ने भी उनसे इस बारे में अनुरोध किया था। किसी समय जोखाई चाय कम्पनी बालमारलाराई कम्पनी के पास थी। अब बालमारलाराई कम्पनी सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले ली है और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। लेकिन जोखाई एकक को इससे अलग कर दिया गया था। जोखाई एकक को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब इसकी नीलामी की जानी है। बड़े एकाधिकार गृह अधिक दरों पर इसकी बोली देने के लिए आ गए हैं क्योंकि जोखाई एक पनपने वाला एकक है। बालमारलाराई अब एक सरकारी एकक है अतः मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह जोखाई एकक को भी अपने पास रखें और सुनिश्चित करें कि यह सर्वाधिक बोली लगाने वालों अथवा एकाधिकार गृहों को न दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि चाय उद्योग को न केवल पूर्वी क्षेत्र के हित के लिए अपितु पूरे देश के हित में संरक्षण दिया जाए। इससे आपको अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी। इससे आपको सब कुछ मिलेगा। आप देखेंगे कि प्रबन्धकों की कुल इक्विटी सहभागिता की तुलना में आपकी तथा बैंकों की सहभागिता, जो 75 प्रतिशत है, बहुत अधिक है। अतः आप उन्हें लूटने क्यों देते हैं? चाय बागान के प्रत्येक प्रबन्धक के पास तीन बंगले हैं। एक बंगला चाय बागान में, दूसरा शहर में तथा तीसरा कलकत्ता में हैं। वे लार्ड तथा बादशाह हैं। अतः आप इन सभी पहलुओं की ओर ध्यान दें। आप बैंक राशि को उन पर खर्च होने की अनुमति क्यों देते हैं? कम से कम पहले उन चाय बागानों को, जहां आपकी सहभागिता 60 प्रतिशत से अधिक है, अपने नियन्त्रण में लेने पर

विचार करें और इसके बाद आप अन्य बागानों के बारे में सोच सकते हैं। समस्त चाय व्यापार राज्य व्यापार निगम के एकाधिकार में होना चाहिए और यह बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से न हो। यदि आप कम से कम इनमें से एक बात भी कर दें तो मेरे विचार से आपका विधान उपयोगी होगा और हमें यह महसूस करने के लिए और गुंजाइश होगी कि आप वास्तव में श्रमिकों के बारे में सोच रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (उधमपुर) : सभापति महोदया, सभा के समक्ष इस विधेयक का समर्थन करते हुए, जिस पर विपक्ष के मेरे मित्र ने तकनीकी आधारों पर आपत्ति की है, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मेरे विचार से सरकार द्वारा की गई यह सर्वोत्तम विधेयक है।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय चाय का सम्बन्ध है यह विदेशों में बड़ी लोकप्रिय हो रही है और हम इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा की भारी राशि भी अर्जित कर रहे हैं। मेरे मित्र, श्री मुन्शी ने जैसा उल्लेख किया है कि जहां तक चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं का सम्बन्ध है, उन्हें हल किया जाना है और मजदूरों के प्रति उचित व्यवहार करना होगा। उनका और विशेष रूप से उनकी महिलाओं और बच्चों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। मैंने उन्हें चाय बागानों में काम करते हुए देखा है। उनकी समस्याओं पर विचार करना होगा कि उनके साथ उचित व्यवहार हो।

हमें चाय के मूल्य के बारे में भी समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि घरेलू बाजार में इसके मूल्य में वृद्धि होगी जिसका कारण निर्यात व्यापार द्वारा अतिक्रमण किया जाना है। अत: एकमात्र हल अधिकाधिक चाय का उत्पादन और वह भी अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन करना है।

मेरे विचार से, जैसा मैंने पहले भी कहा था जब हम इस सदन में चर्चा कर रहे थे, हमें इस वस्तु की खेती का विस्तार करना चाहिए विशेष रूप से लुक्सन ग्रेड चाय का दर्जा बढ़ाना चाहिए और हमें चाय का दर्जा बढ़ाने के लिए सब कुछ करने का प्रयास करना चाहिए और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह जैसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं तथा पूर्वी राज्यों में भी बहुत से अन्य क्षेत्र हैं जहां हम चाय की खेती कर सकते हैं। जम्मू तथा कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जा सकती है। अत: इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि चाय के उत्पादन में वृद्धि हो सके।

इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों में चाय को लोकप्रिय बनाने में चाय बोर्ड का रवैया अत्यन्त उपयोगी है। मैंने लन्दन तथा स्कैंडीनेवियन देशों में देखा है कि चाय बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर रहा है कि हमारी चाय लोकप्रिय हो तथा मैंने देखा है कि अन्य बाजारों में भी यह वस्तुत: लोकप्रिय हो गई है। अत: मंत्रालय द्वारा की गई यह एक अच्छी बात है

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

और मेरे विचार से केवल दोष ढूंढने की बजाए हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाए उससे चाय उत्पादन में सुधार हो, इसके अतिरिक्त कुप्रशासन को ठीक किया जाए अथवा रुग्ण एककों का जरूरत होने पर प्रबन्ध ग्रहण किया जाए और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सरकार की आलोचना करने की बजाए उनमें सुधार किया जाए।

चाहे चाय उद्योग हो या कोई और उद्योग जनहित में जरूरी होने पर इस तरह की तकनीकी समस्याओं का कोई हल निकाला ही जाना चाहिए। किसी प्रकार की कार्यवाही करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। समस्या का हल करना हो तथा कार्यवाही करनी जरूरी हो तो हम नहीं चाहते कि राह में कोई रुकावट आए। अतः मैं दोबारा इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) इस विधेयक के समर्थन में बोलने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अध्यादेश को उस समय जारी किया गया जब लोकसभा का सत्र चल रहा था और राज्य सभा का सत्र भी थोड़े समय बाद शुरू होने वाला था। राज्य सभा के सत्र को थोड़े ही दिनों के लिए स्थगित किया गया था। जब सभा का सत्र चल रहा हो तो उस समय सरकार द्वारा आदेश तथा अध्यादेश जारी करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यह एक गलत प्रथा है। आशा है सरकार अपने रवैये को बदलेगी और भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य पश्चिमी बंगाल के चार चाय बागानों दार्जिलिंग के तीन तथा जलपाईगुड़ी के एक चाय बागान का राष्ट्रीयकरण करना है।

वहां काम करने वालों को बहुत समय से मजदूरी नहीं दी गई थी तथा उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं थी। उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा था। इन बागानों को शुरू में चाय अधिनियम के अन्तर्गत केवल 5 वर्ष के लिए अधिगृहीत किया गया था; 5 वर्ष बीत जाने पर सरकार ने उक्त अधिनियम में संशोधन करके इसकी अवधि को दो बार बढ़ाया था। इस बीच चाय बागानों के मालिकों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया और सरकार को मामला उच्चतम न्यायालय तक ले जाना पड़ा। इस तरह की कानूनी जटिलताएं जारी थी। इसके बाद सरकार ने चाय अधिनियम में संशोधन करके उक्त अवधि को दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया और उसके बाद फिर एक और संशोधन करके अधिग्रहण की अवधि को बढ़ाया। जब-जब संशोधित विधेयक सदन में रखे गए मैंने हमेशा चर्चा में भाग लिया है और सरकार से यही सवाल किया कि इस तरीके से अधिग्रहण की अवधि कब तक बढ़ाई जाती रहेगी। मैंने बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से अनुरोध किया था कि वह तत्काल इन बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दे। पिछली बार भी अधिग्रहण की अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक रखा गया तो मैंने इन बागानों के राष्ट्रीयकरण की जोरदार वकालत की थी। ऐसा करते-करते जब सात साल बीत गए तो वहां के कामगार परेशान हो उठे और उनमें दहशत फैल गई। उन्होंने हमारे पास

आकर उन्होंने हमें बताया कि ये बागान पुराने मालिकों को लौटाए जा रहे हैं अतः अधिग्रहण की अवधि बढ़ाई जाए। चाय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार हुआ है। अतः विधेयक का स्वागत करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कामगारों की सेवाओं में नियमितता तथा उनके हितों की रक्षा की जाए। विधेयक में भविष्य निधि आदि की व्यवस्था है लेकिन इसमें कामगारों की सेवाओं को नियमित करने की भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन चाय बागानों का अधिग्रहण चाय अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था लेकिन उक्त अधिनियम के अनुसार प्रबन्धक वर्ग को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने या कोई राशि उगाहने का अधिकार नहीं था। परिणामस्वरूप वे नई फैक्टरियों में पूंजी निवेश नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीयकरण करने के बाद इस अधिनियम द्वारा यह रुकावट नहीं रही है। अब विकास कार्यों के लिए प्रबन्धक पूंजी निवेश कर सकते हैं। सरकार ने विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में ठीक ही कहा है कि उक्त चाय बागानों को उनके भूतपूर्व मालिकों को सौंपना और उसके परिणामस्वरूप लगभग 3000 कामगारों के रोजगार को खतरे में डालना तथा अनेक प्रयासों तथा सार्वजनिक निवेश के परिणामस्वरूप हुए सुधार के मौजूदा रवैये को उल्टी दिशा देना जनहित में नहीं होगा। चाय उद्योग समृद्धि के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद कुछ चाय बागान बन्द पड़े हैं, रुग्ण हैं अथवा वहां प्रबन्ध व्यवस्था सही नहीं है। दार्जिलिंग के चार या पांच चाय बागानों के लिए मैंने मांग की थी कि अधिग्रहण करके उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विधेयक में इन चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण का विषय भी शामिल कर लें ताकि कामगारों के हितों की रक्षा हो सके और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस उद्योग को बचाया जा सके। मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस दिशा में कुछ करें।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि बड़े एकाधिकारी गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चाय बागानों तथा बाजार और कीमतों आदि पर एकाधिकार रखने वाले बुक बांड, लिप्टन आदि बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले चाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये लोग चाय उद्योग के हितों को हानि पहुंचा रहे हैं।

चाय उद्योग देश के महत्त्वपूर्ण उद्योगों में से है। करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और सरकार को करोड़ों रुपये की आय हो रही है। इससे लाखों कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। अतः इसे राष्ट्रीय महत्त्व दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन चाय यूनिटों को भारतीय चाय निगम के बजाय प० बंगाल चाय विकास निगम लिमिटेड को अन्तरित कर दिया जाए। इसीलिए मैंने एक संशोधन भी रखा है। भारतीय चाय व्यापार निगम मूलतः एक व्यापार निगम है अतः चाय बागानों का प्रबन्ध उसके मूल कार्यों से मेल नहीं खाता।

[श्री आनन्द पाठक]

राज्य व्यापार निगम चाय के अलावा अनेक वस्तुओं का व्यापार करता है लेकिन इसके पास अपनी उत्पादन इकाइयां नहीं है। इसी तरह बालमैर लारी एण्ड कम्पनी भी चाय का व्यापार करती है लेकिन इसके पास भी अपनी उत्पादन इकाइयां नहीं हैं। जबकि प० बंगाल चाय विकास निगम लिमिटेड दार्जिलिंग में 5 चाय बागान तथा जलपाईगुड़ी में 2 चाय बागान चला रहा है। उक्त चाय बागानों को कारगर ढंग से चलाने के लिए इसके पास अपेक्षित आधारभूत संरचना है। इन छोटी-छोटी यूनिटों के विलय से अधिक उत्पादन तथा बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार बनेगा।

मैं आपका ध्यान मेनन आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूंगा। इसका गठन भारत सरकार ने उस समय किया था जब दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, असम तथा अन्य स्थानों पर बहुत से चाय बागानों में काम ठप्प पड़ा हुआ था। इन बागानों के बन्द होने तालाबन्दी आदि के कारणों की जांच के लिए इस आयोग को गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि छोटी यूनिटें अपने को बनाए नहीं रख सकतीं अत: इन सभी का विलय करके एक बड़ी यूनिट बनाई जाए जो अधिक व्यवहार्य होगी तथा लाभ पर चल सकेगी। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया था लेकिन मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ।

जिन 4 यूनिटों का हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है वे सभी पश्चिम बंगाल में हैं। अत: मेरे विचार से रुग्ण तथा बन्द चाय यूनिटों का प्रबन्ध चलाने के लिए एक साथ दो संगठनों -- राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प० बंगाल चाय विकास निगम लिमिटेड तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे निगम की जरूरत नहीं है।

महोदय, बादुकवर, जो अब राष्ट्रीयकृत यूनिट है तथा प० बंगाल चाय विकास निगम द्वारा चलाई जा रही रंगनीत पदम तथा रंगरून यूनिटें एक ही स्थान पर हैं। अगर इन चारों यूनिटों का विलय करके एक यूनिट बना दी जाए तो वह यूनिट एक मजबूत व्यवहार्य यूनिट बन जाएगी। इसी तरह राष्ट्रीयकृत यूनिट 'पशोक' तथा प० बंगाल चाय विकास निगम द्वारा चलाई जा रही रंगमुक और सिंगेल यूनिटें एक तरह से एक ही इलाके में स्थित हैं। इनका विलय करके एक व्यवहार्य तथा लाभकारी यूनिट बनाई जा सकती है।

लुकसन भी जलपाईगुड़ी में प० बंगाल चाय विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे हिल्ला तथा महुआ यूनिटों के समीप ही स्थित है। इन चाय बागानों की पत्तियों को एक जगह लुकसन चाय फैक्टरी में कुछ परिवर्तन लाकर या उसका विस्तार करके किफायती ढंग से तैयार किया जा सकता है। पोटोंग यूनिट को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। अगर इन चाय बागानों का विलय कर दिया जाए तो एक व्यवहार्य यूनिट बन सकती है। महुआ और हिल्ला में कोई फैक्टरी नहीं है जबकि लुकसन में

फैक्टरी है। अगर थोड़ा-सा पूंजी निवेश किया जाये तथा इस फैक्टरी में थोड़ा सुधार किया जाए तो चाय को अधिकाधिक मात्रा में सरलता किफायती तथा लाभप्रद ढंग से तैयार किया जा सकता है। अत: सभी तरह से देखा जाए तो चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने तथा उनका प० बंगाल चाय विकास निगम में विलय करने से चाय उत्पादन के लिए मजबूत तथा व्यवहार्य आधार तैयार किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को ठोस रूप दिया जाए तो यह संठगन सार्वजनिक क्षेत्र में सी०टी० सी० तथा प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय का उत्पादक बढ़ा सकेगा और उससे चाय का निर्यात बढ़ाने तथा घरेलू खपत बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मेरा एक सुझाव यह है कि भारतीय चाय व्यापार निगम का विलय राज्य व्यापार निगम में कर दिया जाए। इससे चाय व्यापार बढ़ेगा और इससे सम्बन्धित अनेक समस्याएं सुलझाने में सहायता मिलेगी।

प० बंगाल चाय विकास निगम को स्वयं लेबल लगाने तथा पैकेट तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे इसकी ख्याति बढ़ेगी तथा अधिक लाभ प्राप्त होगा। वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते समय मैंने यही मांग की थी। अगर ऐसा किया जाए तो उपभोक्ताओं को शुद्ध दार्जिलिंग चाय उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा और लोग इसके लेबल का लाभ उठाकर और कोई चाय सप्लाई नहीं कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार भारतीय चाय व्यापार निगम का काम पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम को दे सकती है। चार राष्ट्रीयकृत चाय बागानों तथा सात अन्य बागानों से होने वाली आय में से हम कामगारों उद्योग तथा सरकार के हित में इनको एक व्यवहार्य तथा मजबूत यूनिट बना सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदया, मैं टी कम्पनीज टेक-ओवर बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल का जो उद्देश्य है, गवर्नमेंट ने जो रुपया इन चार कम्पनियों में इनवेस्ट किया था, उसको बचाकर इन टी कम्पनीज के स्वास्थ्य को सुधारना और सुधारकर तीन हजार कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके हितों का संरक्षण करना है और यह बिल इस मंशा को पूरी करेगा, एसा मेरा विचार है।

मैं तो यहां पर एक सीमित स्वार्थ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां अंग्रेजों के समय में कुछ चाय बागान बने थे और उस समय वे चाय बागान बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज भी उनमें से कुछ हमारे भारतीय लोगों की सम्पत्ति हैं और कुछ अंग्रेजों की सम्पत्ति है, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है, वह इस समय इतनी खराब हालत में है और छितरा होने के कारण सरकार का ध्यान भी उस तरफ नहीं जा पा रहा है, जबकि बहुत सारे लोगों की आजीविका उसके साथ जुड़ी हुई थी। मैं इस मामले को एक से अधिक बार माननीय मंत्री जी के सामने

[श्री हरीश रावत]

उठा चुका हूं, प्रश्नों के माध्यम से, पत्र लिखकर, लेकिन कोई व्यावहारिक हल नहीं निकल पाया है और कोई सुधार इस दिशा में नहीं हो पाया है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम टी-बोर्ड का जहां पर लोग काम करते हैं, वहां जाकर एक बार सर्वेक्षण कर लें और व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ले लें। सैकड़ों लोग, जिनको रोजी मिल सकती थी और आज भी आंशिक रूप से उससे सम्बन्धित है, उन लोगों को संरक्षण देना हमारा फर्ज है। हमारी अर्थव्यवस्था में जो चाय का महत्त्व है, वह हमारी अर्थव्यवस्था को भी वहां की स्थानीय व्यवस्था के साथ-साथ शक्ति प्रदान करेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर टी-बोर्ड का कार्यालय खोला जाना चाहिए। इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लोगों ने आपके मन्त्रालय के लोगों के साथ पालमपुर, हिमाचल में एक रिसर्च सेन्टर खोला है। आसाम की तरफ तो चाय अलग प्रकार की परिस्थितियों में पैदा होती है। वहां की भौगोलिक बनावट इधर की भौगोलिक बनावट से भिन्न है। वहां पर वह सेन्टर रिसर्च जरूर कर रहा है लेकिन उसका कार्य क्षेत्र और बढ़ना चाहिए। केवल हिमालय के क्षेत्र को न लेकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को भी लेना चाहिए और वहां पर रिसर्च करनी चाहिए। इस भावना और विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी इस बारे में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागान के विस्तार के लिए कार्यवाही करेंगे इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा समय पर अध्यादेश जारी करने तथा विधेयक लाने पर माननीय मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो लगभग 3000 श्रमिकों के हित खतरे में पड़ जाते।

महोदया, विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन को देखने से ही इसका आशय पता चल जाता है। जो लोग सरकार की इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि उसका झुकाव निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है तथा समाजवाद की ओर से हट रहा है उन्हें इस विधेयक से जवाब मिल जाएगा। कुप्रबन्ध के लिए निजी कम्पनियां जिम्मेवार थीं तथा उन्होंने लगभग 000 कामगारों के रोजगार और भविष्य की कभी भी परवाह नहीं की। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया। विधेयक में उल्लिखित है कि प्रशासनिक ब्यौरों के लिए नियम बनाए जाएंगे तथा दोनों सदनों के पटल पर रखे जाएंगे ताकि विधेयक अपने आपमें पूर्ण बन सके। भारतीय चाय विदेशी बाजारों में बहुत लोकप्रिय है। इन चाय यूनिटों जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, से विदेशी मुद्रा अर्जन में बढ़ोतरी होगी। आशा है सरकार इनकी ओर उचित ध्यान देगी ताकि इनमें बढ़िया किस्म की चाय का उत्पादन हो और कामगारों के हितों की रक्षा हो सके।

वित्त मंत्री जी को मैं एक बार और बधाई देते हुए कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में दिए गए वक्तव्य से यह एकदम स्पष्ट है कि इस सरकार का लक्ष्य समाजवाद लाना है तथा वह सार्वजनिक क्षेत्र की ओर उपयुक्त ध्यान देती है और चाहती है कि निजी क्षेत्र की रुग्ण यूनिटों को सार्वजनिक क्षेत्र में ले आया जाए। आशा है सदन सरकार के इस कार्य की सराहना करेगा और विधेयक को पारित करेगा।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, इस सदन के सारे सदस्यों की एक ही इच्छा है कि आप एक बार थोड़ा टी-गार्डन्स की तरफ जाइये और वहां जाकर देखिये कि किस तरह से टी-गार्डन के वर्कर्स का शोषण किया जाता है। सबसे पहले तो आप उस शोषण को दूर करने की कोशिश कीजिए। उस शोषण को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और हम सबकी मांग है कि सारे टी-गार्डन्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यदि आप सारे टी-गार्डन्स का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी, हम सबके हित में होगी क्योंकि हम सब लोगों की यह धारणा है कि वहां मजदूरों का भारी शोषण किया जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैडम, ये आपके यहां शोषण होने की बात कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं हिन्दुस्तान में रहता हूं और सारे हिन्दुस्तान के टी-गार्डन्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है।

[अनुवाद]

भारत अभी भी चाय का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन 1951 में इसका योगदान 42% था जोकि अब 1981 में घटकर 31% ही रह गया है। पिछले 30 सालों से भारत का चाय निर्यात 2 हजार लाख किलोग्राम के आस-पास ही स्थिर है। इससे विश्व चाय में भारत का योगदान जोकि 1951 में 45% था। 1981 में घटकर 28.6% ही रह गया है।

[हिन्दी]

इसमें इन्होंने बतलाया है कि परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से भी हिन्दुस्तान का वर्ल्ड टी ट्रेड कम हुआ है जबकि चाय के बागान दिनों-दिन बढ़ते जा रहे है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है जब आप इतनी धनराशि खर्च करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी यह घटता क्यों जा रहा है? जब आप इनके राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो क्या इतने दिनों से जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके

[श्री मूल चन्द डागा]

काम को, एक्टीविटीज को कौन वाच करता है। एक तरफ आप रुपया लगाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह पर्सेंटेज घटकर 28.1 परसेंट पर आ गया। उसके आगे इन्होंने कहा है कि—

[अनुवाद]

"इससे विश्व चाय में भारत का योगदान जोकि 1951 में 45 % था 1981 में घट कर 28.6 % ही रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत विश्व में चाय का मुख्य उपभोक्ता बन गया है।"

[हिन्दी]

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में चाय पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यदि हम चाय से फौरेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं तो देश में हमें ऐसा प्रचार करना होगा कि चाय पीने वाले कम हो सकें तभी हम ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। क्यों चाय पीने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे यह कोई शराब हो···मैं स्वयं चाय नहीं पीता हूं, न दूध पीता हूं, वैसे हमारें राजस्थान में दूध बहुत होता है। हमारे सामने सवाल यह है कि जैसा आपने बतलाया, हमारे चाय बागान की हालत खराब है, वहां मजदूरों का शोषण होता है और अब हम केवल 28.1 परसेंट ही चाय एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाये, उसके पीछे क्या कारण हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम रुपया इसमें इन्वैस्ट करते जा रहे हैं परन्तु उसका रिजल्ट कुछ हमें मिल नहीं रहा हैं, क्या आप बतलाएंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने क्या टार्गेट रखा है, चाय एक्सपोर्ट करने का और आपने क्या योजना बनाई है। आपको एक लम्बी अवधि की योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल सके। इसके लिए आपको सारे चाय-बागान का राष्ट्रीय-करण भी करना होगा ताकि मजदूरों का शोषण रुक सके और बीच में जो लोग पैसा खा जाते हैं, वे भी न खा सकें। यही मैं कहना चाहता था।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदया, चर्चा में भाग लेकर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दक्षिण में चाय उद्योगों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। चाय व्यापार में दक्षिण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तमिलनाडु तथा केरल सीमा की नीलगिरी चाय का अपना ही महत्त्व है। इस उद्योग में लाखों लोग लगे हुए हैं।

5.05 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं श्री दास मुंशी की इस बात से सहमत हूं कि भारत के चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने

के लिए यही समय उपयुक्त है। इस उद्योग में असंख्य लोग लगे हुए हैं तथा विश्व में चाय की कुल पैदावार का 3/4 भाग भारत पैदा करता है। हम चाय का निर्यात भी करके महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। भारत में चाय पीने वालों की संख्या बहुत है साथ ही साथ इस उद्योग में काफी लोग लगे हुए हैं।

यह उद्योग शुरू से ही जमाखोरों के नियंत्रण में रहा है। बड़ी सस्ती दरों में उन्हें सरकारी जमीनें दी गई थीं। अतः सरकारी भूमि पर चाय बागान हैं। चाय बागानों में गरीब लोग काम करते हैं और फायदा धनिक वर्ग उठाता है। भारतीय एकाधिकारी भी इस व्यापार में आ गए और उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इस तरह भूमि सरकार ने दी, श्रम श्रमिकों ने तथा पैसा बैंकों ने उपलब्ध कराया और मुनाफा उन लोगों ने कमाया जिन्हें इन कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अतः इन लोगों के रवैये में परिवर्तन हो रहा है। वे चाय बागानों के स्थान पर वहां कोई और उद्योग लगाना चाहते हैं। खासकर केरल और तमिलनाडु में उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। मुझे मालूम है कि कुछ बागानों को खेती योग्य भूमि, निजी स्वामित्व वाली भूमि या छोटी जोतों में परिवर्तित किया जा रहा है। अतः बड़े पैमाने पर होने वाली चाय की पैदावार में कमी आ रही है।

महोदय पहले कोचीन बन्दरगाह चाय का पर्याप्त निर्यात करने वाले बन्दरगाहों में से था। लेकिन अब वहां से होने वाले निर्यात की मात्रा कम हो गई है। वहां चाय उद्योग पिछड़ रहा है। यह यह उद्योग 'टी ब्लेंडिंग' यूनिटों में अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। अब उसमें कमी आ रही है। कोचीन बन्दरगाह का महत्त्व भी कम हो गया है। अगर समस्या की हर पहलू से जांच की जाए तो पता चलेगा कि इस उद्योग की ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है अतः सरकार को इस समूचे उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाना चाहिए। उसे सभी चाय बागानों का प्रबन्ध कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

महोदय, औद्योगिक विकास (विनियमन) अधिनियम उद्योगों पर लागू होता है; सरकार कोई कसौटी निर्धारित करके इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। चाय बागानों के लिए बागानों के सम्बन्ध में ऐसा कोई कानून नहीं है। अब सरकार द्वारा पुरःस्थापित विधेयक इस दिशा में एक अच्छा कदम है तथा इसके द्वारा रुग्ण चाय बागानों का प्रबन्ध कार्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। केवल इन्हीं बागानों को अधिगृहीत नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अन्य बागानों को भी अधिगृहीत किया जाना चाहिए क्योंकि जो पौधे पहले बोए गए थे उनसे अधिकतम पैदावार ली जा चुकी है तथा अब नए पौधे लगाने होंगे।

ये उद्योगपति नये पौधे लगाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इन्होंने अधिकतम लाभ उठा लिया है। जब तक फिर से पौधे नहीं लगाये जाते उद्योग नहीं बढ़ सकता। अतः बहुत बड़ा क्षेत्र, जो पहले बागानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको अब अन्य कामों के उपयोग के लिए बदला जा रहा है। इसे रोकना होगा।

[श्री थम्पन थामस]

दूसरे इस उद्योग के आगे विभाजन से इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि विभाजन से इस उद्योग की लाभप्रदता चली जाएगी। एक व्यक्ति के लिए जिसके पास एक या दो एकड़ भूमि पौधों के लिए हैं यह संभव नहीं है कि उत्पादन करके इस व्यापार में प्रवेश करें। ऐसा केवल राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में या सहकारी क्षेत्र में हो सकता है जहां बहुत सारी भूमि एक इकाई के अन्तर्गत लायी जा सकती है और उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पाद की मांग कम होती जा रही है। मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि श्रीलंका तथा मलेशिया से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आयेंगे क्योंकि तमिल जनता इन देशों में भारत से बहुत समय पहले गई थी। ये बागान श्रमिक हैं। ये प्रशिक्षित लोग हैं और वे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के कष्टों का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब, श्रीलंका की समस्या के कारण तथा अन्य विभिन्न समस्याओं के कारण में अपने देश में आ रहे हैं। पहले से ही हजारों लोग शरणार्थी के तौर पर श्रीलंका से अपने देश में आ चुके हैं। हम इन लोगों का क्या करेंगे? अब, बजाय इसके कि इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा जाए, अगर सरकार इन लोगों को पुनः बसाने का कार्यक्रम तैयार करके इन्हें पहाडी क्षेत्रों में बागान कार्य में लगा दे तो मेरे विचार में दो बातें हो सकती हैं। वे न सिर्फ फिर से बस जाएंगे बल्कि उनकी सेवा के भरपूर उपयोग से हमारे देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इस प्रकार से सरकार उनकी सहायता करेगी तथा उन्हें पुनः बसा भी सकेगी।

अब, महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा जिस स्थिति में ये लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। उन क्षेत्रों का कभी भी दौरा करके देखा जा सकता है। कि उन्हें किस दयनीय हालत में उन्हें रखा गया है वे 'लयाम' में रहते हैं। हम अपनी भाषा में घोड़ों के अस्तबल को 'लयाम' कहते हैं। अतः ये श्रमिक 'लयाम' में रह रहे हैं। ये लोग और इनके बच्चे बहुत ही अस्वस्थ तथा गंदगीपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं। आदमी औरतें तथा उनके बच्चे सभी प्रातःकाल शीघ्र ही पत्तियां तोड़ने के लिए चले जाते हैं तथा शाम को अपनी तोड़ी हुई पत्तियों के साथ वापस आते हैं ताकि उनका आगे परिष्करण किया जाए अतः महोदय, कोई मानवीय व्यवहार इन लोगों की दशा सुधारने के लिए विचारना चाहिएं। इसके अतिरिक्त, उनके बच्चे किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल की कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कानून की पूर्ति के लिए एक नर्स कम्पाउण्डर कुछ क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे दावा करते हैं कि चिकित्सा सुविधाएं इन सभी गरीब लोगों को दी जा रही है। परन्तु हमें वास्तविक स्थिति का पता केवल तब चलेगा जब हम उन स्थानों का दौरा करके उनकी हालत को देखेंगे। निजी नियोजक अपने श्रमिकों का शोषण करने में रुचि रखते हैं। अगर सरकार आगे आकर इन चाय 'एसटेटों' का तथा बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दे तभी इनका प्रबन्ध सापेक्ष रूप से अच्छा कर सकते हैं।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी प्रयास के लिए

उनका धन्यवाद करता हूं परन्तु मैं उनसे समूचे देश के हित में और खासकर श्रमिक कल्याण हेतु चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध करता हूं सरकार को जहां कहीं भी कुप्रबन्ध हो रहा है उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। शुरू में ही मैं यह बता दूं कि अध्यादेश को जारी करने के विरुद्ध विद्वान सदस्य द्वारा जो आपत्ति की गई है वह उचित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 123 के शुरू में ही स्थिति का उल्लेख किया गया है, अर्थात्--

"किसी भी समय सिवाय जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो।"

यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का स्पष्ट प्रावधान करता है यहां तक कि जब एक ही सदन सत्र में हो। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 123 में निहित शक्ति को इस प्रकार से देखा जा सकता है जैसे शक्ति और कर्त्तव्य का योग ताकि ऐसी स्थिति में जब अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो तब अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का कर्त्तव्य होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं न केवल इसकी विशेषताओं के कारण परन्तु इसलिए भी मेरे विचार में सारे चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया की यह शुरूआत होगी। हमें केवल रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करके चुप नही बैठना चाहिए और किसी उद्योग के शेष निजी एककों द्वारा श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की कीमत पर उन्हें लाभ कमाने की अनुमति नहीं दे देनी चाहिए। यह बात किसी भी सूरत में जनहित में नही हो सकती। निजी मालिकों के कुप्रबन्ध की कीमत चुकाने के लिए ही सरकार जिम्मेदार नहीं रहनी चाहिए। इसको अधिक समय तक चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कम से कम जब कभी भी सरकार को यह पता लगे कि किसी विशेष उद्योग के काफी एकक रुग्ण है अथवा उनमें से अधिकतर कुप्रबन्ध से प्रभावित हो रहे हैं तो सरकार को उद्योग, श्रमिकों तथा जनहित में उस समूचे उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

विधेयक की धारा 6 के उपबन्ध में राशि देने का प्रावधान है। हम सभी को मालूम है कि अनुच्छेद 31 जिसमें राशि देने का उपबन्ध हैं, जिसे मुआवजा देने के दायित्व के बदले में लाया गया था जैसा कि अनुच्छेद 31 में प्रावधान था तथा संविधान के 25वें संशोधन से पहले इसकी स्थिति थी, इसको 44वें संविधान सशोधन के खंड 6 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब कभी भी किसी औद्योगिक एकक का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो कोई मुआवजा या कोई राशि देना जरूरी नही हैं। इस सम्बन्ध में मुझे उसकी याद आती है जो महात्मा गांधी ने गोल मेज सम्मेलन से लौटते हुए कही थी उनसे पूछा गया था कि क्या सम्पत्ति अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण के लिए कोई मुआवजा दिया जाएगा। उन्होने कहा था कि अधिग्रहण का मुआवजा देने का अर्थ है पीटर को लूटकर पॉल को देना। उद्योगपति जनता की कीमत पर कई वर्षों तक लाभ कमाते है तथा जब एककों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो वे फिर मुआवजा या धन जो भी आप नाम इसे दें, कमाना चाहते

[श्री हरूभाई मेहता]

हैं। सरकार को राष्ट्रीयकरण पर राशि देने की नीति पर पुन: विचार करना चाहिए।

मैं विधेयक की धारा 11 के उपबन्ध का स्वागत करता हूं जो श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षा का प्रावधान करती है। यह एक लाभप्रद उपबन्ध है। कई सदस्यों ने चाय बागानों की दयनीय स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। हमें डा० मुल्कराज आनन्द द्वारा लिखित प्रसिद्ध नावल 'टू लीवज एण्ड ए बड' की याद दिलाता है। अगर उस नावल में वर्णित शोषण की स्थिति अभी भी किसी न किसी रूप में चल रही है, तो यह उपयुक्त समय है कि सरकार एक आयोग नियुक्त करें जो बागानों के श्रमिकों की स्थिति की जांच करे तथा वहां पर श्रम कानून का सख्ती से पालन हो, यह सुनिश्चित करे।

सरकार इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर रही है परन्तु साथ ही सरकार को यह देखना चाहिए कि इन कम्पनियों की सहायता करने के लिए इन्हें अधिक स्थायी बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में, अपने सर्किट हाऊसों तथा अतिथि गृहों में अनुशासन लाया जाए ताकि ये लोग लिपटन, बुक बाण्ड तथा अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों की चाय न खरीदकर राष्ट्रीयकृत कम्पनियों द्वारा उत्पादित चाय को खरीदना पसन्द करें। मुझे जानकारी है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा बनाया जाता है उसका क्या हाल हो रहा है। सरकारी विभाग तथा सरकारी उपक्रमों के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वे अन्य मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े की अपेक्षा एन०टी० सी० का कपड़ा पसन्द करें। इसके परिणामस्वरूप एन० टी० सी० अपेक्षित परिणाम नहीं दिखा पाता। इन एककों को स्थायी बनाने तथा उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी उपक्रमों पर अनुशासन लादना होगा कि वे एकाधिकार प्राप्त घरानों तथा अन्य निजी कम्पनियों की चाय के स्थान पर इन कम्पनियों के चाय खरीदें।

मैं इस अवसर पर यह बात भी बताना चाहूंगा कि कुछ चाय उत्पादक पैकेटों में बंद चाय पर उत्पादन शुल्क लगाए। कुछ अन्य प्रकार के एतराज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चाय की पैकिंग करना कोई नया उत्पादन करना नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उस पर उसी प्रकार का कोई भी उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जा सकता जैसा कि इसे खुली चाय पर लगाया जाता है। वित्त मन्त्री इस पर विचार करें कि क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम में इस अनुचित मुकदमेबाजी से निपटने के लिए संशोधन आवश्यक है।

अन्त में, मैं वित्त मन्त्री के ध्यान में अहमदाबाद के रुग्ण वस्त्र कारखानों की समस्या भी लाना चाहूंगा जहां 30000 हजार श्रमिक कुछ मिलों की बन्दी के कारण परेशानी उठा रहे हैं। यह ठीक है कि यह बात सही मामलों में इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है परन्तु इस अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रुग्ण वस्त्र एककों के राष्ट्रीयकरण के मामले में भी वही तीव्रता दिखायी जाए, तथा महत्व दिया जाए जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। मिलों

के बन्द होने के कारण हुई बेरोजगारी से तनाव उत्पन्न हो गया है और इसने अहमदाबाद के श्रमिक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस मामले पर गौर करने के लिए तथा इस समस्या के अविलम्ब समाधान के लिए आकर्षित करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कितना मुआवजा प्रत्येक बागान को दिया गया है अथवा देने का वायदा किया गया है। राष्ट्रीयकरण से पहले का कितना उत्तरदायित्व सरकार को राष्ट्रीयकरण करने के कारण उठाना पड़ेगा ? मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए क्योंकि आजकल उद्योग को रुग्ण बनाना स्वयं एक उद्योग बनता जा रहा है। बड़ी कम्पनियां उन्हें जानबूझकर रुग्ण करती हैं क्योंकि इसमें उन्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। उन्हें राष्ट्रीयकरण पूर्व की सभी देनदारियां मिल जाती हैं तथा समूची निवेश पूंजी और सभी सम्पत्ति देनदारियां एवं सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। उन्हें इस नीति की वजह से फायदा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से संक्षेप में बोलने का अनुरोध है।

श्री पीयूष तिरकी : मैं सरकार का धन बचाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विभिन्न प्रकार की देनदारियों के लिए सरकार को उन्हें कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए ! सरकार को इस मामले को स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि कम्पनियां पहले ही जो उन्होंने पूंजी निवेश किया था उसका सौ गुना लाभ कमा चुकी होती हैं। अतः उन्हें कोई धन नहीं दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी इच्छा व्यक्त की है, मैं भी चाहता हूं कि देश हित में इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि अब केवल चाय उद्योग ही बाकी रह गया है। और केवल चाय के मामले में ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ स्थान है। तैयार माल तथा इंजीनियरी माल के लिए हम बाजार की तलाश कर रहे हैं। परन्तु केवल चाय के मामले में ही हम विश्व प्रतियोगिता में ठहर सकते हैं। अतः यह उद्योग देश के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि हमने चाय व्यापार को हथिया लिया है इसलिए हम अन्य व्यापार में भी प्रवेश कर सकते हैं। अतः यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तो और भी अधिक धन की आवश्यकता है। यह उद्योग आपको प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करके दे रहा है। आपको अधिग्रहण करके इस समूचे चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

दूसरी बात वहां चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों की दशा से सम्बन्धित है। उनकी दशा उत्तर बंगाल, आसाम तथा दार्जिलिंग में कार्यरत श्रमिकों से अच्छी नहीं है। मेरे मित्रों ने पहले ही इससे अवगत करा दिया है। वहां की जनता मिश्रित है। अधिकतर श्रमिक उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये लोग हिन्दी-भाषी हैं। उनके लिए चाय बागानों में एक भी प्राथमिक स्कूल

[श्री पीयूष तिरकी]

नहीं है। आपने सबके लिए अपनी-अपनी मातृ-भाषा में प्राथमिक विद्यालयों का वायदा किया है। यह शर्म की बात है कि आप अभी तक यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। आजादी के 37 वर्षों बाद भी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। अब कुछ व्यक्तियों ने निजी तौर पर कुछ मिशनरी स्कूल खोले हैं। इस उच्च विद्यालय यहां पर हैं परन्तु उच्च विद्यालय के बाद की शिक्षा के लिए वहां कोई कालेज नहीं हैं। क्या आप आज और अभी यह वायदा करेंगे कि डोआरस में कम से कम एक कालेज खोलेंगे ताकि चाय बागानों में काम करने वालों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा मिल सके? ये लोग सौ वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं। कुछ कम्पनियों ने वहां अपने सौ वर्ष पूरे कर लिए हैं और शताब्दी समारोह भी बड़े जोर-शोर के साथ मनाये गये हैं। परन्तु मालिक लोगों ने कभी भी श्रमिकों के हितों का तरफ ध्यान नहीं दिया, तथा चाय उद्योग के लिए जो लोग कष्ट भोगते रहे तथा मर गये उनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया।

हमारे बहुत से लोग भारत से मारीशस चले गये तथा उस देश के लिए उन्होंने काम किया। शायद आपको मालूम हो कि उस देश में उनकी बात चलती है। परन्तु हमारे अपने देश में जो श्रमिक मर जाते हैं, तथा जिनका खून चाय बागानों मे बहता है उनकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती है। उनकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा बहुत खराब है। ये शोषक, अर्थात् चाय बागान मालिक केवल इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से इन श्रमिकों की कीमत पर उनके श्रम से अधिक से अधिक धन मिल सकता है। वे श्रमिकों को मनुष्य नहीं समझते।

एक और समस्या जो आपको राष्ट्रीयकरण के पश्चात् चाय बागानों में सामने आयेगी, वह है, अकुशल श्रमिकों में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या। लोगों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। परन्तु चाय बागानों में रोजगार देना सीमित है। प्रत्येक चाय बागान में बंजर भूमि है। अतः कुछ सहायक उद्योग वहां पर शुरू किये जा सकते हैं और ऐसे उद्योगों में इन लोगों को प्रशिक्षण देने के पश्चात् रोजगार दिलाया जा सकता है।

एक और बात: ये अभी भी गैर-सरकारी कम्पनियां हैं। वहां पर आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लोग हैं। ये लोग क्लर्क आदि जैसे कार्यों को नहीं जानते हैं। इन लोगों के लिए क्लर्क आदि के पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आप देखेंगे कि हालांकि चाय बागानों में ये 100 वर्ष से काम कर रहे हैं परन्तु उनमें से एक भी क्लर्क नहीं बन पाया है। क्लर्क बाहर से लाये जाते हैं —प्रबन्धकों की तथा कम्पनी प्रबन्धकों की तो बात ही छोड़ दीजिये। आपको भविष्य में श्रमिक वर्ग से प्रबन्धक बनाने चाहिए। आपने समाजवाद का वायदा किया है; और यह किस प्रकार का समाजवाद है? आप चाय बागानों से समाजवाद शुरू कर सकते हैं क्योंकि वहां के लोग सीधे सादे कड़े मेहनती तथा आज्ञाकारी है और समाजवाद से लाभ उठाने के लिए भी उपयुक्त

है। अतः आप चाय बागानों से अपने समाजवाद की शुरुआत कर सकते हैं तथा इन लोगों को समृद्ध बना सकते हैं।

धन्यवाद !

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं; परन्तु जैसा पहले कहा गया है कि केवल रुग्ण चाय उद्योग का अधिग्रहण करना ही काफी नहीं है। सभी चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन चाय बागानों की भूमि सरकार की जमीन है। उनके पास मुफ्त की जमीन है। दूसरे जो निवेश हैं, वह केवल गरीब श्रमिक हैं। धन बैंकों से लिया जाता है; परन्तु लाभ किसी और के पास चला जाता है। श्रमिकों की क्या दशा है ? उनका शोषण किया जा रहा है।

बागान श्रम अधिनियम मौजूद है। परन्तु क्या इसको समुचित रूप से क्रियान्वित किया गया है ? मेरे चुनाव क्षेत्र में, चाय बागान बहुत संख्या में हैं, केरल राज्य में, मेरे चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक चाय का उत्पादन हो रहा है। मैं इन बागानों में तथा उन स्थानों पर गया था जहां ये श्रमिक रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, वे बहुत ही गरीब हैं, परिवार के छः से दस तक सदस्य एक ही छोटे से कमरे में रह रहे हैं। यही है जो कुछ बागान मालिकों ने उन्हें दिया है। वहां न विद्युत है और न ही कोई अन्य सुविधा उन्हें दी जा रही है। मालिकों द्वारा इन श्रमिकों का पूर्ण शोषण किया जा रहा है। यह न केवल केरल राज्य में हो रहा है बल्कि, अगर मैं सही हूं तो, अन्य राज्यों में भी, अर्थात् सारे देश में ऐसी ही स्थिति है। श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। मैंने इन स्थानों तथा इन श्रमिकों के घरों का दौरा किया है। वे केवल एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहां कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। यह और कुछ नहीं बस श्रमिकों का शोषण है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाय बागानों के मालिक स्वार्थी लोग हैं।

एक माननीय सदस्य : महिला श्रमिकों का शोषण किया जाता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हां, महिला श्रमिकों का भी शोषण किया जाता है। और इसलिए, सरकार को चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं क्योंकि अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

श्री मूल चन्द डागा।

5.30 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए धन

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आधे घंटे की चर्चा का विषय है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। योजना मन्त्री जी ने प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन वे आज अनुपस्थित हैं और हमारे ग्रामीण विकास मन्त्रालय के मंत्री मौजूद हूं।

आपने निर्णय लिया था कि 1600 करोड़ रुपए हम इस काम के लिये खर्च करेंगे और उसके अन्दर हमारा जो खर्च होगा, उसमें कुछ स्टेट्स देंगीं और कुछ हम देंगें और आपने कहा था कि 50:50 हमारा शेयर होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि समाज में जो मार्जीनल फारमर्स हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं उनको रोजगार मिलें। 75 परसेन्ट उनके लिए रहेगा और 25 परसेन्ट गरीबी के आधार पर दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना इस देश के लिए बनाई है लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उस योजना का मूल्यांकन ठीक तरह से हुआ या नहीं हुआ। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि इसमें जो रुपया आप खर्च करते हैं, उसका आधा रुपया अफसरों की जेबों में चला जाता है। मैं मन्त्री जी से एक प्रश्न करूंगा। इसका एक उद्देश्य यह बताया गया है कि टोटल रिसोर्सेज का 10 परसेन्ट रुपया शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइम्स पर खर्च किया जाएगा, 10 परसेन्ट सोशल फोरेस्ट्री पर और 5 परसेन्ट मशीनरी को स्ट्रेंग्थन करने पर खर्च किया जाएगा। यह आपने क्राइटीरिया रखा है और उसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्र में जो गरीब आदमी हैं, उनको काम मिले ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जाए और दूसरे कम्युनिटी एसेट्स पैदा किए जाएं। आप कृपा करके यह बताइए कि कभी खुद आप ने किसी डिस्ट्रिक्ट में, हिन्दुस्तान के किसी जिले में जाकर काम देखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में, जो 50 प्रतिशत राशि आप देते हैं और 50 परसेंट राशि स्टेट्स देती हैं, उसके आधार पर जो प्रतिवर्ष योजना बनती है, उससे आपके क्या-क्या कम्युनिटी असेट्स बन गए हैं, क्या आप इसका विवरण दे सकते हैं या नहीं ?

क्या आपने शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिए 1,600 करोड़ रुपए में से जो दस परसेन्ट धनराशि का प्रावधान किया है क्या वह धनराशि उनके लिए खर्च की और उससे उनके लिए आपने क्या चीज पैदा की, वह किस काम में आई ?

आपने कहा कि दस परसेंट राशि सोशल फोरेस्ट्री के लिए खर्च की जाएगी। क्या आपने वह धनराशि खर्च की और उससे क्या-क्या नेशनल और कम्युनिटी असेट्स पैदा किए गए ?

आपने यह भी कहा कि 75 परसेन्ट राशि आप एग्रीकल्चरल लेबर और मार्जिनल फार्मर के लिए खर्च करेंगे और 25 परसेन्ट राशि आप गरीबी की रेखा से जीवन बसर करने वालों को ऊपर उठाने के लिए खर्च करेंगे ? मेहरबानी करके यह बताइये कि ये आंकड़े किस आधार पर बनाए गए, किस-किस स्टेट में 25 परसेन्ट के आधार पर बनाये गये ? क्या हरेक डिस्ट्रिक्ट से अलग-अलग आंकड़े

आपके पास आये और आने के बाद उन्हें धन अलोट किया गया या हरेक स्टेट को आपने धन अलोट किया ?

उत्तर प्रदेश के बारे में आप यह बताते हैं कि यह अलोटमैंट हरेक डिस्ट्रिक्ट को दी जाती है। क्या आप राजस्थान के जालौन या पाली डिस्ट्रिक्ट हैं, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं क्या उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी राशि देते हैं या उनकी स्टेट को राशि देते हैं ? उत्तर प्रदेश में तो राशि हरेक जिले को दी जाती है लेकिन हमारे यहां स्टेट को दी जाती है।

एक प्रश्न मेरा यह है कि इसकी योजनाएं 10 अप्रैल तक आपके पास आ जानी चाहिएं। क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की 1985 वर्ष की योजना आपके पास आ चुकी है ? क्या वह कम्पलीट योजना आपको आज तक मिल गई है कि वे किस प्रकार से धनराशि खर्च करेंगे ?

[अनुवाद]

अब आप मेहरबानी करके यह बताइये कि आपने कुमारी ममता बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि यह सब रुपया खर्च किया जाता है। उनका प्रश्न है— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है परन्तु पश्चिम बंगाल में बहुत ही गरीब लोगों को इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सुविधा नहीं मिल रही है, सारा धन सी० पी०आई० (एम०) दल तथा इसके 'केडर' खातों में आ रहा है, अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या केन्द्रीय सरकार जांच करेगी कि पश्चिम बंगाल राज्य को कितनी धनराशि वास्तव में दी गई तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खर्च की है।

[हिन्दी]

यह क्वेश्चन था तो आप मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर भी दीजिए कि जिस स्टेट पर यह लांछन लगाया गया है और जिस स्टेट में यह हालत है, उसकी बाबत में आपने क्या कार्यवाही की और क्या आपने उनको कहा ?

राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वह अपना 50 परसेन्ट शेयर नहीं दे सकता है। योजना मन्त्री श्री के० आर० नारायणन ने उत्तर दिया था कि—

[अनुवाद]

इस पर विचार किया जा रहा है ···(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वे कोई पैसा देना नहीं चाहते।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, नहीं, उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है। अगर आपने कार्यवाही वृत्तांत को देखने का कष्ट किया होता तो आप ऐसा प्रश्न ही नहीं करते, परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। अतः अब जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रश्न किया गया था और उत्तर यह दिया गया था "इस मामले पर विचार किया जा रहा है।"

[श्री मूलचन्द डागा]

[हिन्दी]

राजस्थान सरकार ने यह लिखा कि इतनी राशि हम 5 साल में नहीं दे सकेंगे और हमें 75 परसेंट दीजिए और 25 परसेन्ट हम दे सकेंगे। इसके लिए जो फिगर्स बता रहा हूं वे आपको किताब के बताए हुये फिगर्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम देश के गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करना था। उनकी हालत खराब थी, उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ था, उनको उचित डाइट नहीं मिलती थी, उसमें सुधार लाना था, यह उसका उद्देश्य था। क्या आपने कभी मूल्यांकन कराया कि कितने खेतिहर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हालत सुधर गई है। 2400 कैलोरीज उनको खाना मिलता है या 21 सौ, 1800 कैलोरीज मिलता है, क्या आपका मूल्यांकन है। यह आपकी स्कीम थी, क्या आप यह बताने के लिए आज तैयार हैं। आपने क्या लिखा है---

[अनुवाद]

1980-81 : केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया धन, 34.32 करोड़ रुपए था, प्रथम वर्ष में खर्च किया धन केवल 28.05 करोड रुपए था। 1981-82 : दिया गया धन 15.6 करोड़ रुपये था तथा उपयोग किया गया धन केवल 16.62 करोड़ रुपये था। 1982-83 : केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया धन 13.34 करोड़ रुपए था, उपयोग किया गया धन 9.35 करोड़ रुपये था। 1983-84 : दिया गया धन 13.98 करोड़ रुपये था तथा, उपयोगिता 10.40 करोड़ रुपये थी। 1984-85 : धन दिया गया 19.8 करोड़ रुपये था जबकि उपयोग किया गया धन 10.60 करोड़ रुपये था। अगर आप इन सबका योग करें तो संपूर्ण योजना के लिए धनराशि 1600 करोड़ रुपए है। परन्तु इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

[हिन्दी]

आपका जो यह सवाल है, इसमें मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो रुपया स्टेट्स से लिखा है, उसका परपज 3000 से 4000 मिलियन मैन डेज क्रिएट करना है, तो जो एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा है, उसका कोई अंक पूरा हुआ है तो बता दीजिए। एन० आर० ई० पी० का कोई मूल्यांकन नहीं, एन० आर० ई० पी० का कोई पता नहीं कि कौन-सी स्टेट कितना खर्च कर रही है। क्या आपके पास आंकड़े मौजूद हैं जो यह बताएं कि हमारे पास इतनी-इतनी पूंजी बची है, मेहरबानी करके यह बता दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी, कृपया संक्षेप में कहने का प्रयास करें, क्योंकि मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, तथा उसके पश्चात् कुछ सदस्य प्रश्न भी पूछना चाहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, महोदय। उन्हें जवाब देने दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ! मैंने अपना भाषण खत्म कर लिया है। मैं विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा।

अन्यथा यह एक ऐसा विषय है, जिस पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कुल कितना धन व्यय किया गया था ? 1,620 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। आपको ये आंकड़े कहां से प्राप्त हुए ? आप कहते हैं कि 1,620 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। उसका विवरण क्या है ? विवरण यह है कि 980 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से और 640 करोड़ रुपया राज्य सरकार से प्राप्त हुआ। यह विवरण है।

[हिन्दी]

एक बात यह पूछना चाहता हूं कि ये जो असेट्स बन जाती है, इनकी मेन्टीनेंस कौन करेगा। स्कूल बन गया और बनने के बाद बरसात के दिनों में गिर गया या उसकी छत में से पानी निकलने लगा तो उसकी मेंटीनेन्स कौन करेगा। यह बहुत अच्छा विषय है। यहां पर बड़े ही योग्य और कुशल मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इस काम को बड़ी ईमानदारी से किया जाए तो देश का विकास हो सकता है और छह लाख गांवों में नई क्रान्ति आ सकती है। आपने यह बहुत अच्छी बात कही है कि डिस्ट्रिक्ट रूरल एजेंसीज काम करेगी। आप यह बताइये कि इन एजेंसियों की मार्फत जो आपने टारगेट रखा है, उसकी प्राप्ति कब तक हो जाएगी। हमारी राजस्थान की मांगों पर गौर किया जाए। हरियाणा और पंजाब की बात नहीं करता क्योंकि वहां पर पर-केपिटा इन्कम बहुत ज्यादा है।······(व्यवधान)······यह भी कहा गया है कि किसी भी काम को ठेके पर नहीं दिया जाएगा मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कई काम ठेके पर दिए जाते हैं। यह साफ लिखा हुआ है कि ये काम ठेके पर नहीं दिए जाते। यह भी आप ही का निर्णय है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो दान देती हैं। आप यह बताइए कि आपको कितना रुपया किस स्टेट में वालेन्टरी आरगेनाइजेशन्स से मिल गया और एन० आर० ई० पी० के कारण कौन-कौन से स्टेट में वालेन्टरी आरगेनाइजेशन से फण्ड मिला। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद सातवीं योजना में आपको क्या अनुभव हुए हैं। सातवीं पंच-वर्षीय योजना में इसको और कारगर बनाने के लिए तथा इसकी प्रापर्टी और पैसा मुफ्त में न जाए और लोगों में पीपल्स प्रोग्राम की भावना बने, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और कौन से कदम उठाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है। मैंने गुजरात का स्टडी किया तो पता चला कि 25 परसेन्ट पैसा काम में आता है और रंगा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नेशनल सैम्पल सर्वे वालों ने स्टडी की है। उन्होंने कहा है कि इतना रुपए का यूटिलाइजेशन होता है।···(व्यवधान)··· ये, मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका आप उत्तर देने की कृपा करें। इसके बाद भी मुझे इजाजत मिलेगी तो प्रश्न पूछ लूंगा·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सदस्य को आपको व्यक्ति रूप से उत्तर देना है।

(व्यवधान)

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, पहले सदस्य को मुझे व्यक्ति रूप से उत्तर देने को कहा गया है।

[श्री बूटा सिंह]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, डागा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। वैसे तो इस सदन में अभी-अभी, पिछले हफ्ते ही इस मन्त्रालय की मांगों पर बहस हुई थी और उस दौरान मेरे मान्यवर सहयोगी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने बहुत से मुद्दों पर रोशनी डाली थी परन्तु आज का जो विषय है यह प्रश्नोत्तर काल के दौरान उत्पन्न हुआ है।

डागा जी के मन में कुछ शंकाएं पैदा हुई और वे इनके दिमाग में बराबर उठ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन शंकाओं को दूर करूं और उनके कहने के मुताबिक, जिन चीजों के बारे में उस दिन स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, उनका स्पष्टीकरण आपके सामने रखूं।

आपने फरमाया कि एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत क्या-क्या असैट्स बनी है, हम उसका ब्यौरे के साथ आपको विवरण दें। जहां तक एन० आर० ई० पी० कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, उसके लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं और उनके सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट रूप से देशवासियों को बताया गया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम को तीन उद्देश्यों के साथ आरम्भ किया गया था। पहला उद्देश्य 300 से 400 श्रम दिवसों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। दूसरा उद्देश्य स्थायी सामूहिक संपत्ति सृजित करना था और तीसरा उद्देश्य बढ़ी हुई आय से तथा वेतन के आंशिक भुगतान के रूप में खाद्यान्न देकर श्रमिकों के पोषित आहार का स्तर सुधारने का था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में यही तीन उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। माननीय सदस्यगण द्वितीय पक्ष के बारे में यह जानना चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप देश में अब तक कितनी सम्पत्ति सृजित की गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम को लागू करके तथा विशेषकर भूमिहीन ग्रामीणों की समस्या को निपटने के लिए सीधे तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए 30 करोड़ श्रम दिवस से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी श्रेणियों के व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, ऐसे आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि दो क्षेत्र स्पष्ट है—जिनमें एक है निगरानी रखना और दूसरा है इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, ये दो ऐसे स्पष्ट क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम राज्य सरकारों पर इस बात का पूरा भरोसा रखते है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम को उन लोगों के सर्वाधिक हित में, जिसके लिए ये कार्यक्रम बनाये गये हैं, कार्यान्वित करेंगे, किन्तु अब इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि न केवल राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अधिक ध्यान से देखरेख करने की आवश्यकता है अपितु केन्द्रीय सरकार द्वारा भ कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे कार्य निष्पादन क्षेत्र से वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्ती हो सके, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का

आबंटन भी किसी मानदण्ड के आधार पर किया जाता है और वह मानदण्ड जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया है, 75 प्रतिशत प्राथमिकता खेतीहर मजदूरों और सीमांत कृषकों की संख्या के आधार पर दी जाती है और 25 प्रतिशत प्राथमिकता निर्धनता के आधार पर दी जाती है, सातवीं योजना में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर कार्यभारी ग्रुप ने 50 प्रतिशत महत्व कृषि श्रमिकों की संख्या के आधार पर और 50 प्रतिशत महत्व निर्धनता के आधार पर दिए जाने की सिफारिश की है। कार्यकारी ग्रुप द्वारा निर्धनता के पहलू पर अधिक महत्व दिया गया है। माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि इन बातों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है।

श्री मूलचंद डागा : आप मुझे क्षमा करें मैं सामुदायिक आस्तियों के बारे में एक बात और जानना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे यह बताएं कि कितनी स्कूल की इमारतें, कितने कुए निर्मित किए गए हैं और कितने कि० मी० लम्बी सड़कें निर्मित की गई हैं? कितने सामुदायिक केन्द्र और पंचायत घर बनाए गए हैं? सीवर, नालियों और सतही नालियों की क्या स्थिति है? ये सब सामुदायिक आस्तियां हैं।

दूसरी बात मैं पोषाहार की पौष्टिकता के बारे में जानना चाहता हूं। कितने लोगों को कितने अधिक कैलारी का भोजन मिल रहा था। और अब उन्हें कितना मिल रहा है। किंतु आप मुझे वही पुराना उत्तर दे रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने यह मुद्दा भी रखा था। वह चाहते हैं कि निर्धनता के मामले को सीमांत और छोटे कृषकों के मामले से अधिक महत्व दिया जाय।

1981 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक सम्पत्तियां सृजित की गई है। इन सम्पत्तियों में 4.5 लाख हेक्टेयर में सामाजिक बन तैयार करना, 49.54 करोड़ वृक्ष लगाना, 0.52 लाख ग्रामीण तालाबों, लघु सिंचाई निर्माण कार्य का निर्माण करना जिससे 9.13 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि में मृदा संरक्षण कार्य करना 4.99 लाख पेय जल संसाधन बनाना, 4.35 कि० मी० सड़कों का निर्माण और मरम्मत करना और स्कूलों, बालबाड़ी भवनों, पंचायतघरों, सामुदायिक केन्द्रों के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों का करना आदि शामिल है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए हम लोगों ने जो कार्य किए है, उनके बारे में माननीय सदस्य पृथक रूप से जानना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए 4.40 लाख निर्माण कार्य किये गए थे जिनमें से अधिकांश कार्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए घरों के निर्माण से सम्बन्धित हैं जिससे कि वे लोगों को रहने के लिए अच्छा वातावरण सुलभ हो सके। इस कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की अवसंरचना के लिए इसका विशेष महत्व है। पंचायत घर, बालबाड़ी जैसे निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। पारिस्थितिक आवश्यकता के विचार से सामाजिक बन महोत्सव को विशेष महत्व दिया जा रहा है और इस वर्ष अर्थात् 1985-86 से इस कार्य को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हित कार्यों के लिए 10 प्रतिशत धन निर्धारित किया गया था तथापि उपलब्ध प्रतिवेदनों से पता

[श्री बूटा सिंह]

चलता है कि इस मामले में औसतन 15 प्रतिशत व्यय किया जाता रहा है।

श्री मूल चन्द डागा : मान लीजिए आप कोई राज्य लेते हैं, तो उस राज्य से सम्बन्धित प्रत्येक जिले के क्या आंकड़े हैं। आप वे सब आंकड़ें दें मैं यह जानना चाहता हूं। कि कितने स्कूल बनाए गए और कितने कुएं खोदे गए ? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के बारे में पृथक-पृथक राशि का उल्लेख करें। आपके जिले में यह हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा अच्छा सुझाव है। वे लोग इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। आपको ऋण मिल रहा है। एक विशेष जिले के लिए आपको 50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

श्री बूटा सिंह : मैं यहां यह विवरण नहीं दे पाऊंगा कि प्रत्येक तहसील और जिले को कितनी राशि दी गई है और उसके क्या आंकड़ें हैं ? किंतु मैं पूरे राजस्थान के बारे में आंकड़ें दे सकता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक 30.971 हेक्टेयर भूमि ली गई है जिसमें 277.57 लाख पेड़ लगाए गए और 2,196 पेय जल के कुएं खोदे गए।

6.00 म० प०

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने जिले पाली के बारे में जानना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय उसे सभा पटल पर रखेंगे और उसे आप देख सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : इतना ही नहीं मैं राज्य सरकार को राजस्थान के प्रत्येक जिले के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजने को लिखूंगा। (व्यवधान)। मैं राज्य सरकार को प्रत्येक जिले के बारे में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन माननीय सदस्य को भेजने तथा उसकी एक प्रति मुझे भेजने को लिखूंगा। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ सामुदायिक सम्पत्ति बनाने के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत व्यय किया जाएगा। इसके अलावा आपने बताया कि सामाजिक वृक्षारोपण पर 10 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी। यह 10 प्रतिशत राशि किस मद पर व्यय की जाएगी ? कुंओं और सड़कों आदि के निर्माण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है। हमें तो वहां कोई सड़क नजर नहीं आती।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, संक्षेप में, मैं राजस्थान से संबंधित विस्तृत जानकारी श्री डागा जी को भेज दूंगा और तब वह अपने जिले में जाकर सही स्थिति का पता करें। यदि स्थिति संतोषजनक न पाएं तो वह मेरे पास आकर मुझे बताएं और तब मैं इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा।

...(व्यवधान)...इस समय प्रत्येक जिले की विस्तृत जानकारी देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

महोदय, उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में यह राशि जिले वार दी जाती है जबकि अन्य स्थानों में राज्यवार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का नियतन राज्य वो किया जाता है किन्तु ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत राशि का नियतन जिले-वार किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी योजना प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां जिले को नहीं बल्कि राज्य को आवंटित की जाती हैं।

(व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्य राजस्थान के लिए मानदण्ड में परिवर्तन किए जाने के बारे में जानना चाहते हैं। योजना आयोग पूरे देश के लिए मानदंड निर्धारित करता है। मैं और मेरे मित्र मरुभूमि क्षेत्र के लिए पृथक योजना बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं किन्तु प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य योजना आयोग का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए किसी विशेष राज्य को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान की स्थिति अधिक कठिन है किन्तु ऐसी स्थिति में योजना आयोग ही मानदण्डों की पुनरीक्षा कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो शेयरिंग बेसिस है—स्टेट की 50 परसैन्ट और सेन्टर की 50 परसेन्ट, तो एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के लिए और डेजर्ट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के लिए हम फाइट कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के लिए रूरल डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट को मूव करेगा क्योंकि हमारा जो राजस्थान है उसमें डेजर्ट एरिया बहुत है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ पहाड़ी और आदिवासी एरियाज भी हैं तो वहां के लिए मूव करेंगे कि 90 परसेन्ट शेयर सेन्टर का हो और 10 परसेन्ट स्टेट का शेयर रहे? क्या इसके लिए आप प्लानिंग कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे?

इसके अलावा एन० आर० ई० पी० के बारे में जो बेसिस है 75 परसेन्ट मार्जिनल फार्मर्स के लिए और लैंडलेस लेबर्स के लिए 25 परसेन्ट आन दि बेसिस आफ इन्सीडेंस आफ पावर्टी—इस 25 परसेन्ट को अब 50 परसेन्ट कर दिया गया है जिससे काफी हल निकल आया है लेकिन प्रश्न यह है कि डेजर्ट एरियाज में मार्जिनल फार्मर्स की जो डेफनीशन है वही डेफनीशन दूसरे प्रान्तों में दूसरे स्थानों पर भी है। जहां पर इरीगेशन होती है। वहां पर भी वही डेफनीशन है। सभी जगह एक समान डेफनीशन है। हमारे डेजर्ट एरियाज में, यू० पी० में और बिहार में, सभी जगह एक समान डेफनीशन है जबकि हमारे यहां डेजर्ट एरियाज में जो इरीगेशन होती है वह कुओं के द्वारा होती है जो कि 100 और 150 फिट तक गहरे होते हैं जबकि दूसरे प्रान्तों में 25, 30 या 50 फीट तक उनकी गहराई होती है। इसके अलावा वहां पर नहरों से भी सिंचाई होती है। इसलिए मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मार्जिनल और स्माल फार्मर्स के लिए जो सभी जगह एक समान डेफनीशन है, डेजर्ट एरियाज

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

में उसमें परिवर्तन करने के बारे में क्या आप एग्जामिन करेंगे क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वह भी एक तिहाई या एक चौथाई ही होता है दूसरे स्थानों के मुकाबले में, और दूसरी बात यह है कि जो बारानी जमीन है उसमें भी अंतर है, दूसरे प्रांतों के मुकाबले में राजस्थान में है तथा वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान गवर्नमेंट ने सुझाव दिया है कि डेजर्ट एरियाज में हमारे यहां मार्जिनल फार्मर के लिए 75 बीघे और स्माल फार्मर के लिए 150 बीघे की सीमा रखी जाए तो क्या आप इसको एग्जामिन कराकर सही निर्णय लेंगे ?

तीसरी बात यह है कि एन० आर० ई०पी० के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा बहुत अच्छे असेट्स क्रिएट किए गए हैं और वह वर्क्स बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं तथा पंचायतें बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं। डागा जी ने कहा कि केवल 25 परसेन्ट ही उपयोग हो रहा है लेकिन मेरा अनुभव है कि 90 परसेन्ट तक और कहीं-कहीं तो पंचायतें उससे भी ज्यादा करती हैं। ग्राम पंचायतें स्कूल बिल्डिंग्ज बनाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि एन० आर० ई० पी०के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने का तो प्राविजन है लेकिन मिडिल स्कूल और सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने का प्रावधान नहीं है तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त मिडिल स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स की बिल्डिंग्ज भी बनाई जाएं ---इस संबंध में आप निर्णय लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणी जेना (बालासोर) : मैं केवल दो या तीन प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संबंध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित की गई राशि जिलों और ब्लाकों को दी जाती है और क्या कार्यक्रम स्वयं सेवी एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजनाएं छठी योजना में प्रत्येक राज्य में कितनी स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

यद्यपि उद्देश्य बहुत ही अच्छा और बहुत ही सद्भावपूर्ण है तथा भारत सरकार ने भी पर्याप्त धनराशि आवंटित की है तथापि वास्तव में इस क्षेत्र में हो क्या रहा है ? उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में, कार्यान्वयन का सारा कार्य ग्राम समितियों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम समितियों के नाम पर कुछ बिचौलिये लाभ उठा रहे है। इन ग्राम समितियों का गठन किस प्रकार होता है ? वे लोग अपने दो या तीन व्यक्ति लेते हैं, कुछ जाली हस्ताक्षर कराये जाते हैं और उसे खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और खण्ड विकास अधिकारी उसे स्वीकार कर लेता है तथा इस प्रकार ग्राम समितियों के नाम पर केवल एक ही व्यक्ति अपने भाई, पिता या किसी अन्य व्यक्ति के कार्य करता रहता है और इस प्रकार ग्राम पंचायत तथा पास में ग्राम पंचायतों का सारे काम अपने हाथ में

ले लेता है। इस प्रकार इन कार्यों के करने से जो लाभ होता है वह केवल एक या दो व्यक्तियों को ही मिल रहा है। ग्राम समितियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जो उपबंध तथा प्रक्रिया है वह यह है कि किसी भी विशेष गांव के लोग एक जगह एकत्र होते हैं, वे किसी एक व्यक्ति को ग्राम समिति का अध्यक्ष निर्वाचित या चुनते हैं जो ब्लाक जाकर कार्य आदेश प्राप्त करता है और उसे कार्यान्वित करता है तथा कार्य के कार्यान्वित हो जाने के बाद, वह उस ग्राम समिति के समक्ष लेखा प्रस्तुत करता है। प्रक्रिया तो यह है, किन्तु यह प्रक्रिया का कभी भी किसी भी राज्य में पालन नहीं किया गया है।

जैसा कि श्री डागा ने बताया था, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस स्थायी सम्पत्ति बनाने का विचार किया था, वह नहीं बनाई जा रही है। कुछ मामले में स्थायी सम्पत्ति सृजित की गई है किंतु प्रश्न यह उठता है कि इन सम्पत्तियों के बनाए जाने के बाद, स्कूल की इमारत के निर्माण हो जाने के बाद, अथवा पुल के बनाये जाने के बाद, उनका रख-रखाव कौन करेगा ? संघ सरकार यह उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार को सौंपेगी किंतु उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों तथा अन्य राज्य के पास पर्याप्त धन नहीं है और संसाधनों की कमी के कारण, ये स्थायी सम्पत्तियां 5-10 वर्ष के बाद अनुरक्षित नहीं रह सकेंगी और सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी।

सरकार का क्या उद्देश्य है और स्थायी सम्पत्तियों के रख-रखाव की क्या प्रक्रिया है ? संपत्तियों के सृजन के बारे में, मैं क्या यह जान सकता हूं कि क्या इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में राज्यों को कोई विशेष राशि आवंटित की जाएगी ? होता यह है। मान लीजिए, किसी पुल, किसी स्कूल की इमारत या किसी सड़क का निर्माण किसी विशेष वर्ष में कर दिया जाता है, और यदि भारी बाढ़ आ जाती है, तो सारी वस्तुएं बह जाएगी। कोई ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि जिन राज्यों में बराबर बाढ़ आती रहती है, उन्हें वस्तुओं के रख-रखाव के लिए कुछ और अधिक दिया जाय। यही सब प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से शिकायत करता हूं कि एन० आर० ई० पी० में उत्तर प्रदेश को जितना शेअर मिलना चाहिए था, उसका ड्यू शेअर उसको नहीं मिला है। वहां की जनसंख्या, वहां की गरीबी, डेन्सिटी आफ पापुलेशन को देखते हुए आप उत्तर प्रदेश को बहुत कम पैसा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या 1985-86 के लिए राज्यों की स्कीम्स आपके पास आ गई हैं ? यदि आ गई हैं तो उत्तर प्रदेश को आप कितना पैसा देने जा रहे हैं ?

आप केवल एक के० जी० अनाज एक श्रम-दिवस पर एक आदमी को देते हैं। चूंकि गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है और जो अनाज मिलता है वह घटी हुई दर पर मिलता है, मिनिमम वेजेज बहुत-बहुत कम होने की वजह से उस दर पर काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलता है, इसलिए काम करने वाले पंचायत अधिकारियों को और दूसरे अधिकारियों को फर्जी मस्टर रोल बनाने पड़ते हैं जिनमें गड़बड़ की बहुत गुंजाइश होती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। यदि आप इसमें प्रतिदिन मजदूरी की दर नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम अनाज की मात्रा ही बढ़ा दें ताकि उसे

[श्री हरीश रावत]

रेशनों से जो सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज देते हैं, लोगों की मजदूरी में कुछ बढ़ोत्तरी हो सके। गेहूं हमारे पास काफी है, क्या आप इस मात्रा को बढ़ाने के लिए विचार करेंगे ?

जैन साहब ने एक बात उठाई है कि हमको परमानेन्ट और ड्यूरेबिल एसिट्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले चार-पांच सालों में हम विलेज रोड्स पर जोर देते रहे हैं और वे काफी मात्रा में बन चुकी हैं। अब हमें गांवों में स्कूल बिल्डिंग, जिनमें जूनियर स्कूल, हाई स्कूल बिल्डिगें हैं, अस्पताल और ऐसी चीजें जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता होती है, उनके स्ट्रक्चर पर खर्च करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट को आप जितना देते हैं, 40 या 50 परसेन्ट मैटीरियल असिस्टैंस के रूप में, क्या उसको बढ़ाने के लिए आप विचार करेंगे ?

अनाज के विषय में आज मेरा प्रश्न था जिसके जवाब में आपने बतलाया था कि उत्तर प्रदेश में 1984-85 में 49536 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है, जिसमें 36 हजार मीट्रिक टन लिफ्ट किया गया है, उसमें से 25 हजार टन का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है, इतने कम अनाज से क्या होगा। आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए यह अनाज दे रहे हैं—लेकिन राज्य सरकारें उसको ठीक से वितरित नहीं कर रही हैं। क्या आप इसके लिए कम से कम मंथली मौनिटरिंग की व्यवस्था करेंगे कि कितना शेयर था, कितना लिफ्ट किया गया और उसमें से कितना नीचे के लोगों को, वर्कर्स को डिस्ट्रिब्यूट किया ? इसके लिए आप अपने यहां क्या मकैनिज्म क्रिएट करने जा रहे हैं ?

डी० आर०डी०ए० चूं चूं का मुरब्बा बन कर रह गया है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आकर बैठ जाते हैं, एम० एल० ए० और एम० पी० को भी उसका मेम्बर बना दिया है लेकिन कभी-कभी उनको मीटिंग के बारे में मालूम भी नहीं होता है। ये अधिकारी लोग बैठकर उनकी एबसेंस में फैसला ले लेते हैं। डी०आर०डी०ए० अब बहुत बड़ी एजेन्सी हो गई है। इसके माध्यम से बहुत पैसा खर्च हो रहा है और इसके ऊपर हमारे गरीबी निवारण के कार्यक्रम का बहुत बड़ा आधार है। क्या आप किसी पब्लिक मैन को इसका चेअर मैन बनायेंगे तथा उसी अनुपात में पब्लिक रिप्रैजैन्टेटिव्ज की संख्या को भी बढ़ाएंगे ? क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

एन० आर० ई० पी० का या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या सर्विस चार्जेज के नाम पर हम पैसा देते हैं, इस पैसे का क्या होता है, इसके विषय में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पाती और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सर्विस चार्जेज के नाम पर कुछ प्रतिशत जो हमने रखा है, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग जिला स्तर पर होता है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और जिस उद्देश्य के लिए वह दिया है, उसी उद्देश्य में वह लगना चाहिए।

यह हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और मैं ऐसा समझता हूं कि रूरल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, जितना बड़ा दायित्व हमने उसको सौंपा है, उस हिसाब से उसका कार्यभार अलग होना चाहिए। उसकी पूरी वर्किंग की जानकारी मिनिस्टर के लिए रखना संभव नहीं है। आप चन्दू लाल चन्द्राकर जी से पूछ रहे थे, इसलिए मैं इस बात को प्वाइन्ट आऊट कर रहा हूं। कम से कम ठीक तरीके से इसकी जानकारी हो

सके और इतना पैसा जो आप इसको दे रहें हैं, उस पैसे के सदुपयोग के विषय में पूरा इल्म हो सके, इसकी क्लोज मानीटरिंग होनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : आप को कैसे पता लगा कि हम इसके बारे में बात कर रहें है।

श्री हरीश रावत : डागा साहब ने प्रश्न उठाए और उसके बाद जैन साहब ने प्रश्न उठाए और डागा साहब के प्रश्नों का जो आप ने उत्तर दिया, उससे मुझे ऐसा लगा। अब इसका संबंध हर व्यक्ति से है और विशेषकर गांव के हर व्यक्ति से है। चाहे देखने में, बाहर से देखने में हमको ऐसा लगा कि यह छोटा काम है लेकिन इसके अलावा और भी कई इम्पोर्टेन्ट काम हैं और हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले काम हैं। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर०डी० पी० के जो काम हैं, उनके विषयमें व्यवहारिक कठिनाई का ज्ञान होना बहुत कठिन बात है। यह तभी हो सकता है जब मंत्रालय के लेविल पर, सेंट्रल लेविल पर क्लोज मोनीटरिंग होगी। आप ने अपने जवाब में इस बात का जिक्र किया है कि हम क्लोज मोनीटरिंग रखने की बातें कर रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि मोनीटरिंग की व्यवस्था ठीक हो।

श्री बूटा सिंह : आप तो सीजन्ड पालीटिशियन हैं। आप सेन्टर-स्टेट रिलेशन्स के बारे में जानते हैं और सब कुछ जानते हुए भी यदि इसके बारे में पूछेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इन सब बातों को देखते हुए हमें ध्यान से काम करना पड़ता है और मैंने जो कहा है, वह बहुत सोच समझ कर कहा है। अब डागा जी कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो बनाए हैं, उनको मेंटेन भी गवर्नमेंट आफ इन्डिया करे। यही मतलब है न इनका कि स्टेट गवर्नमेंट के काम को छुड़वाकर उनके काम को सीधे ले लें। तो यह बड़ी डेलीकेट चीज है।

श्री हरीश रावत : मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मुश्किल यह हो रही है कि जवाब देना पड़ता है कि इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी गरीबी की रेखा से ऊपर कितने लोग आ पाए। उस समय यह नेशनल प्रायरटी हो जाती है और नेशनल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। इम्पलीमेंटेशन का काम राज्यों के उपर है। इतनी विशाल धनराशि दी जा रही है मगर उस धन राशि का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसमें आप की भी दिक्कत है मगर हम किससे प्रश्न पूछें।

श्री बूटा सिंह : दिस इज ए ग्रे एरिया।

श्री हरीश रावत : आप राज्य के मुख्य मन्त्री या दूसरों से बात चीत कर के इस समस्या का हल निकालें।

आखरी प्रश्न मैं सोशल फोरेस्ट्री के बारे में पूछना चाहता हूं और प्रश्न के रूप में मैं इसे नहीं कह रहा हूं बल्कि आप के ध्यान में इसको लाना चाहता हूं। सोशल फोरेस्ट्री के क्षेत्र में और भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही हैं और राज्य सरकारों की भी अपनी स्कीमें हैं। जब बहुत सारी स्कीमें एक क्षेत्र में काम करने लगती हैं, तो देखने में यह आता है कि उस में डाइवर्शन आफ फंड्स की बहुत गुंजाइश रहती है जो कि स्टेट के लेविल पर होता है। तो कम से कम जब इस सेक्टर में आपने पैसे के एलोकेशन को बढ़ाया है, तो वह तो अपनी जगह पर एक वेलकम स्टेप है लेकिन साथ-साथ यह भी देखिए कि कहीं ऐसा न हो कि एन० आर० ई० पी० सेक्टर में जो पैसा है,

[श्री हरीश रावत]

तो स्टेट का जो कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वह उसको डाईवर्ट न कर दे। इस पर निगाह रखने की जरूरत है।

एक आखरी बात मैं यह मन्त्री जी मैं कहना चाहूंगा। इस समय हो यह रहा है कि डी० आर० डी० ए० के सामने जो स्कीमें आती हैं, वे डेवलपमेंट ब्लाक से पास हो कर नहीं आती हैं। कम से कम ये निर्देश होने चाहिए और गाइडलाइन्स बिल्कुल साफ-साफ होनी चाहिए कि जब तक ब्लाक से स्कीम पास हो कर न आए, तब तक डी० आर० डी० ए० उसमें फंड न दे और डिपार्टमेंट के माध्यम से जो स्कीम इनिशियेट की जाती हैं, वे भी ब्लाक के माध्यम से इनिशियेट हो कर आनी चाहिए। ताकि लोएस्ट लेवल पर जो, हमारी मोनेटरिंग एजेन्सी हो सकती है वह हो, उसको क्या आप करेंगे?

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : किसी कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उसे ग्राम सभा स्तर पर पारित कराया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने जो सजेशंस दिये हैं, मैंने जैसा कि डागा जी के उत्तर में कहा कि वह सजेशंस बहुत अच्छे हैं और उनसे मुझे पूरी-पूरी हमदर्दी है।

जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एन० आर० ई० पी० के तहत जो नार्म्स जारी किये गये हैं वे किसी एक राज्य या किसी एक राज्य के किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं हैं। वह चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो, वह चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो। इनके लिए उन नार्म्स को तब्दील करना हमारे वश में नहीं हैं। आपने एक सुझाव दिया है कि 90 परसेंट शेअरिंग सेन्टर करे और 10 परसेंट स्टेट करे—

[अनुवाद]

मेरे ध्यान में है. मैं इसके बारे में योजना आयोग से विचार विमर्श करूंगा।

[हिन्दी]

इसी तरह से आपने मार्जिनल फार्मर और स्माल फार्मर की डेफीनीशन के बारे में कहा है। वहां की परिस्थितियां भिन्न हैं, वहां की परिस्थितियां दूसरे राज्यों के मुकाबले में जटिल हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। खास कर के राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में अगर एक कुआं खोदना हो तो उसमें हजारों गुना ज्यादा खर्च आयेगा पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों के मुकबले में। उसके बाद भी पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसा पानी मिलेगा, यह नहीं कहा जा सकता। मैं उनका आभारी हूं कि एन० आर० ई० पी० के तहत जो काम हुआ है उसमें उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है।

एक चीज उन्होंने प्राइमरी स्कूल के बारे में कही। हमारी तरफ के इस बारे में कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें केवल प्राइमरी स्कूल बनें। यह राज्य सरकार की डिस्क्रिशन है कि उस फण्ड से वह प्राइमरी स्कूल बनाये, मिडिल स्कूल बनाये या सेकेण्डरी स्कूल बनाये। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम राज्य सरकारों को यह पत्र लिख सकते हैं कि माननीय सदस्या का यह सजेशन है कि इसके तहत मिडिल और सेकेण्डरी स्कूल भी बनाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मेरा मुद्दा यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा सूखा ग्रस्त रहते हैं। उनके लिए कुछ तो करना ही होगा।

श्री बूटा सिंह : और जेना जी स्थायी सूखा बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों की बात कह रहे हैं।

श्री शोभानाद्रीश्वर राव : जी हां, हमारे रायलासीमा की यही स्थिति है।

श्री बूटा सिंह : श्री जेना जी के प्रश्नों का मैं उल्लेख करूंगा। उन्होंने स्वयं सेवी एजेन्सियों के बारे में पूछा था। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्राम पंचायत का कार्य माना जाता है, जो स्वयं ही एक स्वयंसेवी एजेन्सी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में लोगों के भाग लेने के सिद्धान्त का आशय ही यह है कि कार्यक्रम के मार्ग निर्देश में कार्यक्रम के कार्यक्रम में, जो कि उनके अपने हित में है, ग्रामीण जनता को पूरी तरह से समाहित किये जाने पर जोर दिया जाय।

[हिन्दी]

अभी वृद्धि चन्द्र जी ने पंचायतों के बारे में कहा कि उनमें इस तरह की भावनाएं है कि वे भी इसमें पूरी तरह से इन्वोल्व हों।

[अनुवाद]

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य प्रत्येक ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर सुनिश्चित किये जाने चाहिए। मैं नहीं समझता गांव के प्रत्येक व्यक्ति भी जानने के अलावा ग्रामीण स्तर पर स्वैच्छिक संगठन बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है।

जनता के प्रतिनिधि जैसे संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य जिला पुनर्गठन विकास एजेन्सियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो जिला स्तर पर योजना संयोजन, और निगरानी कार्यक्रम की देखरेख करते हैं और वार्षिक कार्य योजना जिलों के लिए तैयार करते हैं। इसी प्रकार कार्य का निष्पादन पंचायती राजसंस्थान द्वारा किया जाता है। जो निर्वाचित सदस्यों के निकाय भी है और स्वयंसेवी संगठन भी हैं, आशा की जाती है कि पंचायतों का इस कार्य में शामिल करने से स्थानीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं जिनका उपयोग अतिरिक्त संसाधनों और अन्य कार्यों में सुधार के लिए किया जा सकता है। एक माननीय सदस्य द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वह इसके

[श्री बूटा सिंह]

संभरण के बारे में है। श्री रावत ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले प्रशासनिक आधार पर पांच प्रतिशत खर्च पर भी आपत्ति की है।

यह खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के आबंटनों में से भी निकाला जाता है। यह खंड, जिला और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यय के लिए होता है ।

रख-रखाव कार्य का भाग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात आदरणीय सदस्यों से सहमत हूं कि राज्य सरकारों को केवल साधन जुटाने तक ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। उनको इसके रख-रखाव को भी देखना चाहिए। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह कायक्रम किसी अन्य का कार्यक्रम है और जिसके बारे में वह उत्तरदाई नहीं हैं। यदि इसका रख-रखाव नहीं किया जाता तो यह वह जीर्ण-शीर्ण हो जाएगा मैं प्रभारी मन्त्री जी इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कच्ची सड़कों पर अस्थायी निर्माण की अपेक्षा पक्का निर्माण कार्य जहां तक सम्भव हो, किया जाय ताकि राज्य सरकार के लिए रख-रखाव का कार्य बहुत सुगम हो जाय। परन्तु यहां पर भी मैं आदरणीय सदस्यों को कहना है कि रख-रखाव का कार्य केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि देश बहुत विशाल है चूंकि मैं परिवहन मन्त्री रह चुका हूं इसलिए मैं जानता हूं कि राज मार्गों के भी रख-रखाव का कार्य राज्य सरकारों का है। मैं दोबारा राज्य सरकारों को लिखूंगा कि और आदरणीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की कई चिन्ता उन तक पहुंचाऊंगा।

श्री रावत उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि के बारे में पूछना चाहते थे। उत्तर प्रदेश को 1984-85 के पहले और दूसरे आधे वर्ष के लिए 3922 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इसके अन्तर्गत खाद्यान्न भी दिए जाते हैं। खाद्यान्नों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ राज्यों का रवैया है कि वे खाद्यान्न अन्न जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किये जाते हैं, वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दे देते हैं और यह अनाज उन मजदूरों को नहीं दिया जाता जो इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का पूरा उपयोग नहीं हो सका। परन्तु मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री को लिखूंगा कि यदि वे और अधिक अनाज चाहते हैं, तो भारत सरकार को कोई समस्या नहीं है। इस समय हमारी स्थिति अच्छी है और हम जितना भी अनाज वे चाहते हैं, दे सकते हैं।

श्री हरीश रावत : मेरी केवल आपत्ति यह थी कि जितना उनको मिलना था उससे उन्हें कम मिल रहा है।

श्री बूटा सिंह : क्या आप समझते हैं कि राज्य सरकार का जितना बनता है उसे वे छोड़ देंगी, वास्तविकता यह है कि यदि सारी स्थिति को देखें तो कुल आर्थिक साधन और संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम योजना आयोग से जितने सम्भव हो सकते हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह योजना इतनी लाभप्रद है कि इसको

हमारे पास उपलब्ध पूरी शक्ति लगाकर जारी रखा जाएगा। यहां तक कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी। इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक अब कल 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

6.35 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 14 मई, 1985/24, वैशाख, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, डी० 108 न्यू सीलमपुर दिल्ली-53